दशम माला, खंड 40 अंक 21

गुरूवार, 18 मई 1995
28, वैशाख 1917 (शक़)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 40 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा के दिनांक 18 मई, 1995 के वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (i)	2	शत्र	सत्र
22	5 और 6	(श्री गिरिधर गुमांग)	(श्री गिरिधर गमांग)
36	नीचे से 1	प्रतिक्षा	प्रतीक्षा
119	8	टैलीफोन	टैलीफोन
146	11	डा. पी. वल्लाल पेरूमान	डा. पी. वल्लल पेरूमान
155	नीचे से 12	श्री अजीत पांजा	श्री अजित पांजा
209	नीचे से 6	श्री वसुदेव आचार्य	श्री बसुदेव आचार्य
265	8	श्री वसुदेव आचार्य	श्री बसुदेव आचार्य
317	नीचे से 1	श्री सत्येदेव सिंह	श्री सत्यदेव सिंह
322	15	करेल	केरल

विषय-सूची

दशम माला, खंड 40, तेरहवां शक, 1995/1917 (शक)

अंक 30, गुरूवार, 18 मई 1995/28 वैशाख, 1917 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तरः		
*तारांकित प्रश्न संख्याः	601, 602, 604 और 605	1—21
प्रश्नों के लिखित उत्तरः		
तारांकित प्रश्न संख्याः	603 और 606—620	21—40
अतारांकित प्रश्न संख्याः	6108—6327	40—300
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		321
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति		322
चौबीसवां और पच्चीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश - **प्रस्तुत**		
नियम 377 के अधीन मामले		322-325
(एक)	केरल में क्विलोन और पथनामथिट्टा जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों को शीघ्र चालू करने की आवश्यकता	
	श्री कोडीकुन्नील सुरेश	322
(दो)	राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के आस-पास की उर्वरा भूमि में पानी जमा न होने देने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता	
	श्री मनफूल सिंह	323
(तीन)	यमुना नदी पर बैराज के निर्माण और आगरा में पेयजल की गंभीर समस्या के समाधान के लिए कदम उठाने की आवश्यकता	
	श्री भगवान शंकर रावत	323
(चार)	उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में नगीना रेलवे स्टेशन पर एक उपरिपुल के निर्माण और पंजाब मेल (गोल्डन एक्सप्रेस) को रोकने की आवश्यकता	
	श्री मंगल राम प्रेमी	324
(पांच)	बिहार में मुजफ्फरपुर में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आई.डी.पी.एल.) की इकाई को पुनः चालू करने का उपाय करने की आवश्यकता	
	श्री मंजय लाल	324

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(छह) बिहार में कोसी नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता	
श्री सूर्य नारायण यादव	326
वित्त विधेयक, 1995	328–378
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मनमोहन सिंह	328
श्री राम कापसे	334
डा० देवी प्रसाद पाल	338
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	345
श्री वी० एस० विजय राघवन	348
श्री गिरधारी लाल भार्गव	351
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	355
डा० एस० पी० यादव	373

लोक सभा

गुरुवार, 18 मई 1995/28 वैशाख, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : मामला बहुत गंभीर है। अध्यक्ष जी, यह मामला बहुत गंभीर है। जिस तरह से जम्मू-कश्मीर के अंदर घटनाएं घटित हो रही हैं उससे केवल अपना देश ही नहीं पूरा विश्व परिचित है। चरार-ए-शरीफ की घटनाओं के बाद...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी वैधानिक स्थिति यह है। कृपया हम लोगों को इसे हमेशा के लिए समझ लेना चाहिए। वैधानिक स्थिति यह है कि दूसरे कार्य को और अधिक समय प्रदान करने के लिए सभा की सर्वसम्मति से प्रश्न काल को रद्द किया जा सकता है और यदि सदस्यों में उस मुद्दे पर सर्वसम्मति नहीं है तो अध्यक्ष प्रश्न काल को रद्द करने की अनुमति नहीं दे सकता है।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : जीरो ऑवर में लीजिए साहब।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न संख्या 601 लेंगे। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील।

11.02 म.पू.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

कोंकण विकास बोर्ड

*601. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील** :+
श्री मोहन रावले :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कोंकण के लिए पृथक विकास बोर्ड बनाने और इस प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 371 में संशोधन करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) :(क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां,। महाराष्ट्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 371(2) में जिसमें विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों का प्रावधान किया गया है, संशोधन करते हुए कोंकण क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड बनाए जाने का प्रस्ताव किया है।

(ग) सरकार का मत है कि 9.3.94 को राष्ट्रपति के आदेशों के अधीन अन्य के साथ-साथ शेष महाराष्ट्र के लिए गठित विकास बोर्ड में कोंकण भी शामिल है और इस क्षेत्र की विशेष विकासात्मक आवश्यकताओं को इस बोर्ड द्वारा संभाला जा सकेगा। गृह मंत्री ने मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव किया है।

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में यह कहा गया है कि सरकार का मत है कि 9.3.94 को राष्ट्रपति के आदेशों के अध्यधीन अन्य के साथ-साथ शेष महाराष्ट्र के लिए गठित विकास-बोर्ड में कोंकण भी शामिल है और इस क्षेत्र की विशेष विकासात्मक आवश्यकताओं को इस बोर्ड द्वारा संभाला जा सकेगा। राज्य सरकार इस मुद्दे पर अपनी स्थिति बिलकुल स्पष्ट कर चुकी है। लेकिन इसके बावजूद कोंकण क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड गठित करने की मांग की गई है। क्या मैं यह जान सकती हूं कि कोंकण के लिए एक अलग विकास बोर्ड गठित करने हेतु राज्य सरकार ने क्या कारण बताए हैं ?

श्री एस. बी. चव्हाण : महोदय, मेरे लिए राज्य सरकार द्वारा मांगे जाते रहे उन सभी विवरणों को बताना कठिन होगा। वास्तव में, कोंकण क्षेत्र में एक विकास बोर्ड गठित करने की मांग काफी समय से की जाती रही है। वास्तव में इस मामले तथा इसके प्रभाव पर मुख्यमंत्री से विचार-विमर्श किया जाना है। मैं उनके विचारों को समझने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद यदि मुझे यह महसूस होता है कि इस बोर्ड के गठन के लिए ठोस कारण है तो उस-स्थिति में सरकार इस मुद्दे पर विचार कर सकती है।

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : कोंकण के लिए एक अलग बोर्ड की मांग का मुख्य कारण यह है कि इसका एक विशाल समुद्र तटीय क्षेत्र है, सैकडों किलोमीटर लम्बा समुद्री किनारा है जिससे उस क्षेत्र की जीवन शैली तथा अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। कोंकण के बारे में, विशेषकर रत्नागिरी जिला के बारे में यह कहा जाता है कि इनकी अर्थव्यवस्था बाहर से आने वाले धन पर आधारित है जहाँ के लोग सामान्यतः जिले से बाहर मुम्बई जाकर अपना

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जीवकोपार्जन करते हैं। उदाहरणार्थ, 1971 की जनगणना के अनुसार मुम्बई आने वाले एक तिहाई प्रवासी रत्नागिरि जिले के मूल निवासी थे। यह कारण है। साथ ही, राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र की और अनेक समस्याएं है। खार भूमि की समस्या भी इनमें से एक है। समुद्र विज्ञान और मतस्यपालन जैसी वैज्ञानिक समस्यायें हैं। अन्य क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र में बागवानी की एक भिन्न समस्या है। आम, नारियल और काजू की समस्या है। इसलिए, ये सभी समस्याएं है जिन पर उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देना होगा। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संबंध में भी ऐसी ही समस्या है। इन समस्याओं पर विशेष ध्यान देने तथा उनसे निपटने के लिए विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता है। अतः, मैं समझती हूँ कि केन्द्रीय सरकार इन मुद्दों पर विचार करेगी। यह एक अच्छी बात है कि गृह मंत्री इस संबंध में मुख्य मंत्री से विचार करने के लिए इच्छुक हैं। क्या मैं गृह मंत्री से जान सकती हूँ कि वह मुख्यमंत्री से इन मुद्दों पर कब बातचीत करेंगे ?

श्री एस. बी. चव्हाण : महोदय, मैं इस विचार-विमर्श हेतु कोई समय सीमा बताने में असमर्थ हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द चर्चा हो जाये।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री वी. पी. सिंह ने सभी पार्लियामेंटरी लीडर्स की एक मीटिंग बुलायी थी।

उसमें तय हुआ था और हमारे महाराष्ट्र के साठे जी और अंतुले जी भी उस मीटिंग में थे। अलग बोर्ड करने के लिए ऐजिटेशन कोंकण में हुआ और सबसे ज्यादा कोंकण में विरोध हो रहे हैं। बाकी महाराष्ट्र के साथ कोंकण को जोड़ा हुआ है। उस मीटिंग में तय हुआ था कि हम सैपरेट बोर्ड बनाएंगे। जब सरकार गिरी, उसके पहले 15 अगस्त को उन्होंने यह डिक्लेयर किया था। क्या सरकार को इस बारे में कुछ मालूमात है और सरकार इस बारे में विचार करने जा रही है या नहीं? जैसे हमारी बहिन प्रतिभा जी ने बताया कि उसकी आवश्यकता क्या है?

श्री एस. बी. चव्हाण : मैंने अभी आपको बताया कि यह सारा मामला ऐसा है कि मुझे उसकी जो इंप्लीकेशन्स नज़र आती हैं, उन पर मैं ज़रा चीफ मिनिस्टर के साथ बात करना चाहूंगा और अगर स्पीकर साहब मुझे इजाज़त दें तो मैं एक नयी बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि बंबई हाई कोर्ट में एक नयी पेटीशन फाइल हुई है। जिसमें यह कहा गया है कि विकास बोर्डो के गठन से संविधान की मूलभूत विशेषताओं का उल्लंघन होता है। ऐसा करके समस्त व्यवस्था को चुनौती दे दी गई है। अतः उस पहलू को भी ध्यान में रखना होगा।

[अनुवाद]

मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि वर्तमान बोर्डों को भी बने रहने दिया जाएगा या नहीं। अथवा इनके बारे में कोई अन्य निर्णय लिया जाएगा। इस विषय में मेरे लिए पूर्वानुमान करना संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह वास्तव में महत्त्वपूर्ण मामला है।

श्री राम कापसे : अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती वर्षों में गृह मंत्रालय तथा महाराष्ट्र राज्य को इस विषय में निर्णय करना था कि बोर्ड गठित होने चाहिए अथवा नहीं। और फिर इसके बारे में तो केन्द्र के गृह मंत्रालय एवं राज्य के मंत्रालय को निर्णय लेना था कि विदर्भ, मराठवाड़ा एवं कोंकण के लिए बोर्ड होने चाहिएं अथवा नहीं। आखिरकार विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए बोर्ड बनाए गए। कोंकण के लिए बोर्ड का गठन नहीं किया गया क्योंकि संविधान में इस बारे में कोई प्रावधान नहीं था। पहले जब इस पर एक बार चर्चा हुई थी तो गृह मंत्री ने पूछा था कि इस कोंकण बोर्ड के गठन किए जाने के बारे में क्या सभी दल सहमत हैं। हमने उत्तर दिया था, "हां, हम विदर्भ एवं मराठवाड़ा की तरह ही कोंकण के लिए भी बोर्ड चाहते हैं।" इस प्रकार इस विषय पर महाराष्ट्र एवं संसद दोनों ही एकमत थे। मेरा केन्द्रीय मंत्रालय से अनुरोध है कि वह इस मामले की ओर ध्यान दें। अदालत में विचाराधीन मामला यहां नहीं उठाया जाना चाहिए चूंकि उनका अपना अधिकार क्षेत्र है तथा हमारा अपना अधिकार क्षेत्र है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री राम कापसे : हम पिछले 5-10 वर्षों से इस पर विचार करते रहे हैं। कई वर्षों तक एक साथ विचार-विमर्श करने के उपरांत गृह मंत्री एवं महाराष्ट्र के भूतपूर्व मंत्री के साथ-साथ हम भी इस मामले के साथ जुड़ गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री राम कापसे : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय मंत्रालय इस मामले की ओर तत्काल ध्यान देगा क्योंकि मुख्य मंत्री जी तथा पूरे महाराष्ट्र की यही इच्छा है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या अदालत के विचाराधीन मामले पर भी इसी प्रकार चर्चा की जाएगी ?

श्री एस. बी. चव्हाण : जब मैं मुख्य मंत्री से मिलूंगा तथा विकास बोर्डों से संबंधित सभी मामलों पर चर्चा करूंगा तो उस समय इस अदालत वाले मामले पर भी अवश्य चर्चा होगी। इस मामले पर तो निश्चित रूप से चर्चा करनी पड़ेगी। मैं इस संभावना से इंकार नहीं कर सकता कि इसका दुष्प्रभाव न केवल नए बोर्डों के गठन पर ही नहीं अपितु विद्यमान बोर्डों पर भी पड़ेगा। परंतु मैं संभवतः किसी बात का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। मुझे इसके निहितार्थ से माननीय मुख्य मंत्री को अवगत कराना होगा और उनकी प्रतिक्रिया जाननी होगी। इसके बाद ही हम कोई निर्णय ले पाएंगे।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जहां विदर्भ और मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में विभिन्न बोर्ड बने, वह एक साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोगों को ऐसा लग रहा है, जैसा माननीय गृह मंत्री जी अभी कह रहे थे कि इससे कितना फायदा हुआ है ? लेकिन हम साल भर से देख रहे हैं कि बोर्ड ने जो भी स्कीमें बनायी हैं, चाहे वह टेक्निकल ऐजुकेशन या इंप्लॉयमेंट के बारे में हो, ये सब स्कीमें गवर्नर के पास भेजी हैं। एक साल से इस बोर्ड के काम का कुछ भी इंप्लीमेंटेशन महाराष्ट्र में नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने जो राज्यपाल को अधिकार दिये हैं, क्या इस बारे में उनको कहेंगे कि जो बोर्ड का सही मकसद था वह पूरा नहीं हो रहा है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या अब ऐसा हो सकता है ?

श्री एस. बी. चव्हाण : महोदय मैं ऐसा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी किए जा चुके हैं तथा अब सारी शक्तियां राज्यपाल के पास हैं। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हम इसी की मांग कर रहे थे और उसी के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि राज्यपाल द्वारा जारी दिशानिदेशों पर भी क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। **(व्यवधान)** हम चाहते हैं कि कोई मानदण्ड होना चाहिए जिसके आधार पर किसी क्षेत्र के पिछड़ेपन के बारे में निर्णय लिया जा सके परंतु यह भी अभी तक नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि वे ऐसा कब करेंगे। फिर भी हमारे प्रयास जारी हैं । परंतु मैं सदन में संभवत यह नहीं कह सकता कि इस बारे में सरकार क्या कर सकती है। मैं केवल राज्यपाल से इस विषय पर कार्यवाही करने हेतु अनुरोध कर सकता हूँ।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि लगभग एक साल पहले यह बोर्ड का गठन हुआ है। लेकिन अभी जो नई सरकार आई है उसने बोर्ड के अध्यक्ष को अभी हाल ही में बदला है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनकी अवधि पूरी होने से पहले ये बदल सकते हैं ? क्या उनको केन्द्र की इजाजत की जरूरत नहीं है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार का प्रश्न यहां नहीं पूछा जा सकता।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : अध्यक्ष जी...............

अध्यक्ष महोदय : चिखलिया जी, कोंकण महाराष्ट्र में है, राजस्थान में नहीं है।

[अनुवाद]

ठीक है, मैं आपको प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कच्छ विकास बोर्ड के बारे में इससे पहले भी चर्चा हुई है और इस इश्यू पर चर्चा होने के बाद भी उस पर अमल नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह इस विषय से सम्बद्ध नहीं है। चूंकि महिला सदस्य यह पूछ रहीं हैं अतः यदि मंत्री महोदय के लिए संभव हो तो इसका उत्तर दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : कच्छ विकास बोर्ड के बारे में आप बता दें।

श्री एस. बी. चव्हाण : कच्छ के बारे में डेवलपमेंट बोर्ड स्थापित हो, इसके ऊपर हमने कहा था और उसको जल्दी स्थापित करने की कोशिश की जाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको तो इसका काफी सुस्पष्ट उत्तर दिया गया है।

श्री मृत्युंजय नायक : अनुच्छेद 371 में संशोधन पर चिंता प्रकट करते हुए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से पश्चिमी उड़ीसा के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद बोर्ड के गठन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं ? इसका चुनावी घोषणा पत्र में भी उल्लेख था। यही नहीं उड़ीसा के मुख्य मंत्री जी ने भी विकास परिषद के गठन के बारे में सभा में अपने विचार प्रकट किए थे। धन्यवाद।

श्री एस. बी. चव्हाण : महोदय, माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे कृपया समझने का प्रयास करें तथा अनुच्छेद 371(2) को पढ़ने का कष्ट करें। यह धारा कवल गुजरात तथा महाराष्ट्र तक सीमित है। उड़ीसा से इसका कोई संबंध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं नहीं चाहता कि इस प्रश्न के दायरे में अन्य राज्यों को सम्मिलित किया जाए।

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : मैं एक जानकारी प्राप्त करना चाहती हूँ।

अध्यक्ष महोदय : तो यह आपका प्रश्न था !

(व्यवधान)

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रही हूँ। चूंकि मंत्री जी ने कहा है.... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी से मिल सकती हैं। मुझे खेद है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी क्षेत्र को दूरदर्शन कार्यक्रम सौंपना

*602. **श्री महेश+ कनोडिया :**
श्री राजेश कुमार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "रंगोली", "चित्रहार" और साप्ताहिक "चित्रपट" कार्यक्रमों का प्रसारण गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र को कौन-कौन से कार्यक्रम सौंपे गए हैं/सौंपे जाने का विचार है; और

(घ) इससे कितनी आय होने की संभावना है ?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी, नहीं। दूरदर्शन ने न्यूनतम गारन्टी आधार पर निजी निर्माताओं को "रंगोली" और "चित्रहार" कार्यक्रमों के केवल निर्माण और विपणन अधिकार सौंपे हैं।

(ग) दूरदर्शन ने समान विषयों पर किसी अन्य कार्यक्रम हेतु प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किए हैं।

(घ) दूरदर्शन इन दो कार्यक्रमों से प्रति सप्ताह 1.11 करोड़ रुपए का सकल वाणिज्यिक राजस्व अर्जित करता है।

[हिन्दी]

श्री महेश कनोडिया : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि रंगोली और चित्रहार को दूरदर्शन द्वारा निजी निर्माताओं को विपणन और निर्माण के अधिकार सौंपने के क्या कारण हैं ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि साप्ताहिक चित्रपट के विषय में सरकार का क्या रुख है और क्या सरकार व दूरदर्शन ने कोई ऐसी व्यवस्था की है जिससे उपर्युक्त प्रोग्रामों को अश्लीलता से वंचित रखा जाए ?

[अनुवाद]

श्री के. पी. सिंह देव : "चित्रहार" ओर "रंगोली" कार्यक्रम, जिन्हें विपणन और निर्माण के लिए निजी निर्माताओं को सौंपा गया है, की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी और यदि आवश्यक हुआ तो तदनुसार संशोधन/परिवर्तन किये जायेंगे क्योंकि दूरदर्शन एक सार्वजनिक प्रसारण केन्द्र के अलावा एक वाणिज्यिक संगठन भी है और किसी व्यक्ति को बाजार की दशाओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग, जो अश्लीलता के बारे में है, का संबंध है दूरदर्शन के सभी कार्यक्रमों को सरकार द्वारा यथा स्वीकृत आकाशवाणी और दूरदर्शन विज्ञापन तथा कार्यक्रम निर्माण संहिता, जिसे सभा पटल पर रखा गया है, की सीमा में रहना पड़ता है। अतः वे उनका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री महेश कनोडिया : मैं जानना चाहता हूं कि क्या दूरदर्शन के पास निजीकरण के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। यदि हां, तो वे कौन-कौन से प्रस्ताव हैं, उन पर सरकार ने क्या उचित कार्यवाही की है तथा इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक होने की संभावना है ?

[अंग्रेजी]

श्री के. पी. सिंह देव : उत्तर "नहीं" है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश कुमार।

(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार : सौरी, मुझे मालूम नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : इसलिये जब काम चलता है तो एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए।

श्री राजेश कुमार : मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या नेशनल इंटीग्रेशन के कार्यक्रम दूरदर्शन पर दिखाने की सरकार की कोई योजना है। यदि है, तो वह योजना क्या है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं, इसकी अनुमति नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आपके माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ कि क्या यह सत्य है कि मंत्रालय निजी कार्यक्रमों को कुछ और समय देने पर विचार कर रहा है, मंत्री महोदय ने सूचना और प्रसार मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति को प्रसार भारती विधेयक जो पहले ही व्यपगत हो गया है, को एक समय सीमा के अन्दर लाने का वचन दिया है। मंत्री महोदय ऐसा क्यों कर रहे हैं और प्रसार भारती विधेयक की क्या स्थिति है ?

श्री के. पी. सिंह देव : पहला प्रश्न क्या है ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या आप कुछ और समय को निजी निर्माताओं को देने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री के. पी. सिंह देव : इस समय हम किसी भी बात पर विचार नहीं कर रहे है। परन्तु किसी समय कोई भी सुझाव दिया जा सकता है और हमें उसकी जांच करनी होगी।

जहां तक प्रसार भारती विधेयक का संबंध है हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय तथा केबल दूरदर्शन इन सभी बातों को व्यापक प्रसारण विधि में सम्मिलित किया जा रहा है जिसे हम मंत्रिमंण्डल की स्वीकृति के बाद लाने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष जी, प्रायः दूरदर्शन पर रंगोली और चित्रहार कार्यक्रमों में एक ही टाइप के गीत निरंतर सुनाये जाते हैं परन्तु उसमें देशभक्ति से संबंधित या भारतीय संस्कृति के गौरव की रक्षा संबंधी गीत नहीं सुनाये जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इन कार्यक्रमों में आवश्यक अमेंडमेंट करेंगे। दूसरा मेरा प्रश्न है कि जैसे मूल प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि इन कार्यक्रमों के निर्माण और विपणन के अधिकार सौंपे गये हैं, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि निजी निर्माताओं के लिये क्या आपकी ओर से या मंत्रालय की ओर से मानदंड निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है ? यदि है तो वह प्रस्ताव क्या है ?

[अनुवाद]

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय, जैसा कि प्रश्न के मूल उत्तर में मैंने कहा है कि इन कार्यक्रमों का विपणन और निर्माण भी निजी निर्माताओं द्वारा किया जाता है। इसलिए हम राष्ट्रीय अखण्डता के बारे में आपकी भावना उन्हें पहुँचा देंगे।

हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते क्योंकि विपणन और फिल्म निर्माण के सम्बन्ध में उनसे अनुबंध कर लेने के बाद हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन सदन की भावनाएं हम उन तक अवश्य पहुँचा देंगे।

जहाँ तक मानदण्डों और शर्तों का सम्बन्ध है, दूरदर्शन के विभिन्न मानदण्ड और शर्तें है और दूरदर्शन के चैनलों पर जो प्राइवेट निर्माता अपने धारावाहिक तथा नाटक दिखाना चाहते हैं उन्हें उन मानदण्डों, दिशानिर्देशों तथा शर्तों का अनुपालन करना पड़ता है।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, दूरदर्शन की अटूट सम्प्रेषण क्षमता को देखते हुये, एक पूरन चन्द जोशी कमेटी बनाई गयी थी ओर उसने इस क्षमता का आंकलन कर यह कहा था कि जितनी आकाशीय तरंगें हैं उनको निर्देशित करने के लिये, जिससे कि उसका स्तर ऐसा बने जो शिक्षा के लिये और अपने देश के विकास के लिये लाभप्रद हो, उनके नियंत्रण के लिये कोई न कोई एक बौडी बनानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, क्या बेचने के पहले उन सारे मानदंडों की कैसे रक्षा हो सकेगी, उसका भी कोई आकलन सरकार ने किया है ?

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो जवाब दिया है, उसमें चित्रहार और रंगोली का ही यहां पर जिक्र किया गया है, लेकिन मान्यवर उसके पहले जो हमारे यहां फिल्म दिखाई जाती है, उसको भी सरकार ने बेच दिया है।

अध्यक्ष महोदय : गिरिजा जी, यह तो बहुत लम्बा हो गया है। अगर ज्यादा लम्बा प्रश्न होगा, तो जवाब नहीं आएगा।

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, समाचार को भी बेच दिया है और जो हमारे दूसरे प्रोग्राम हैं, उनको भी बेच दिया है। मान्यवर, यह बिकने की बड़ी अजीब बात है। हम देखते हैं कि जो कलात्मक कार्यक्रम होते हैं, उनमें भी बीच-बीच में विज्ञापन दिखाये जाते हैं। यहां तक हो गया है कि सत्यजीत रे जैसे महान कलाकार की फिल्म को दिखाते समय भी बीच-बीच में बहुत सारे विज्ञापन दिखाए गए...

अध्यक्ष महोदय : गिरिजा देवी जी, मैं आपके प्रश्न को डिस-अलाऊ कर दूंगा।

[अनुवाद]

आप कृपया अपने प्रश्न पर आइये।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि जो आपने जो इतनी मात्रा में कार्यक्रम बेचे हैं क्या उनको बन्द करेंगे कि नहीं और बेचने से पहले क्या आप पूर्ण चन्द कमेटी के निर्देशों का पालन करेंगे और क्या बीच-बीच में विज्ञापन देकर जो अच्छे और कलात्मक कार्यक्रम होते हैं, उनको बिगाड़ने से रोकने के लिए क्या बीच-बीच में विज्ञापन दिखाना बन्द करेंगे या नहीं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक है।

श्री के. पी. सिंह देव : यह एक सुझाव है और पूर्ण चन्द्र समिति प्रतिवेदन के विषय में कुछ कहने से पूर्व मुझे इसकी जांच करनी होगी। जहाँ तक आकाश मार्गों का सम्बंध है, जैसा मैंने बताया कि आकाश मार्गों के सम्बंध में उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय है—यह 'आकाश मार्ग' नहीं है, यह 'वायु मार्ग है'—और व्यापक प्रसारण कानून इसे भी शामिल करेगा। मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा बाध्य हूँ।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांटूये : दूरदर्शन पर पिछले दो वर्षों से अपने कार्यक्रम देने और प्रस्तुत करने वाली दस शीर्ष निजी कम्पनियों के नाम बताइये और पिछले दो वर्षों से उनकी कम्पनी-वार कुल वार्षिक आय भी बताइये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया क्या आप इसे दोबारा बतायेंगे ? मैं भी इसे नहीं समझ पाया।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांटूये : महोदय, मैं दूरदर्शन पर पिछले दो वर्षों से अपने कार्यक्रम देने और प्रस्तुत करने वाली दस शीर्ष निजी कम्पनियों के नाम तथा पिछले दो वर्षों से उनकी कम्पनी-वार कुल वार्षिक आय जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : कम्पनी-वार ! आपको मंत्री से ऐसी सूचनाओं की आशा नहीं करनी चाहिये। यदि इस सम्बंध में कोई सूचना उपलब्ध हुई तो यह आपको भेजी जा सकती है।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांटूये : लेकिन जो सूचना उनके पास है, वह उन्हें अभी दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे लिखित में प्राप्त कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके अनुसार दूरदर्शन एवम् सी.एन.एन. के बीच एक ऐसा करार किया जायेगा जिसके द्वारा समाचार प्रसारण के समय के लिए दोनों संगठन पट्टे के आधार पर एक-दूसरे को समय देंगे। और यदि ऐसा है तो इस तथ्य के मद्देनज़र कि सी.एन.एन. प्रौद्योगिकी तथा अपने सोफ्टवेयर संसाधनों दोनों में दूरदर्शन से बहुत उन्नत हैं, ऐसे प्रस्ताव के फलीभूत होने से हमें क्या लाभ होगा ? दूरदर्शन को क्या संभावित लाभ होगा ? क्या यह इकतरफा करार नहीं होगा ?

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय, प्रस्ताव सी.एन.एन. तथा अन्य संगठनों से आये हैं। हम उनकी जांच कर रहे हैं और उन पर चर्चाएं भी कर रहे हैं। यदि इनसे राष्ट्र को लाभ होता है, दूरदर्शन को लाभ होता है, तो हम उनको स्वीकार करेंगे। इस बारे में अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह धर्म प्रधान देश है। इसलिए क्या समाज के सुधार हेतु आध्यात्म पर आधारित सीरियल दिखाने के लिए प्राथमिकता देने जा रहे हैं जिससे चरित्र निर्माण हो सके ?

अध्यक्ष महोदय : क्या रंगोली में आप आध्यात्म को प्राथमिकता देने जा रहे है ?

[अनुवाद]

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय मैं इसे उन तक पहुँचा दूँगा।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या भारत सरकार की कोई इस तरह की योजना है कि जो आपने गैर-सरकारी क्षेत्र में दूरदर्शन के कार्यक्रमों को अनुमति देने और नहीं देने की बात कही है, तो क्या देश-हित या समाज-हित में उसके कार्यक्रम होंगे, इस बारे में क्या आप सोचेंगे ? जैसे कि आपने सी.एन.एन. के बारे में उत्तर दिया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने भी कार्यक्रम दूरदर्शन में होते हैं, उनके ऊपर इस सदन में कई बार चिन्ता प्रकट की जा चुकी है कि ये कार्यक्रम हमारी ग्रामीण संस्कृति के ठीक उल्टे होते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम जो भारतीय संस्कृति के बिलकुल विपरीत होते हैं, उनको टी.वी. पर दिखाने के कारण देश के गांवों में गलत संदेश जाता है।

अध्यक्ष महोदय, उसका असर गांव में रहने वाली मूल संस्कृति पर यह पड़ता है कि लोग अपने गांव के परम्परागत तौर-तरीको से...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ग्रामीण संस्कृति को दूरदर्शन पर बताने की कोशिश की जाये।

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम जो कह रहे हैं, वह आप नहीं कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप जरा जल्दी से कहिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह : आप या तो अपना बात कह दीजिये या हमारी सुन लजिये।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, आप ठीक ढंग से कह सकते हैं इसलिए आप ही कह दीजिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह : आपने मेरी इस काल्पनिक बात को समझ लिया।...

(व्यवधान) मैं अभी दूसरी बात कहने ही जा रहा था।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बता दीजिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गांव की मूल भावना, उसकी परम्परा, उसकी संस्कृति जो अपने देश की मूल रीति रिवाज से जुड़ी हुई हैं, क्यों नहीं उन चीजों का दूरदर्शन पर प्रोग्राम प्रस्तुत होता ? जिससे गांव के लोगों को कुछ लाभ हो सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बात बेहतर ढंग से कही है।

श्री के. पी. सिंह देव : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे पास ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई कार्यक्रम हैं जो कि महिला तथा वाल विकास कार्यक्रम हैं। हमें ये सभी कार्यक्रम सम्पादित करने ही है। हम कम-से-कम एक सप्ताह में पांच बार ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं। मैंने पहले भी यह जवाब दिया था और उनकी उपेक्षा किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं हैं क्योंकि 80 फीसदी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। यदि हम, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अपना ध्यान नहीं देते तो दूरदर्शन पूरी तरह से बेकार हो जायेगा। अतः सोमवार से शुक्रवार—सप्ताह में पांच दिन—हम ग्रामीण कार्यक्रमों पर ध्यान दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, दूरदर्शन के प्रसारणों में विश्व के समाचारों की कमी बहुत खलती है। भारत विश्व के मामलों में प्रमुख भूमिका निर्वाह करना चाहता है, लेकिन विश्व के समाचारों का इस देश में जिस तरह से प्रसारण होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। क्या दूरदर्शन स्वयं इस कमी को पूरा करने के बारे में कोई योजना बना रहा है ?

[अनुवाद]

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय, मैं जानता हूं कि इस संबंध में बहुत असंतोष व्याप्त है और सुधार की बड़ी गुजांइश है। मैं विपक्ष के माननीय नेता की इस बात से सहमत हूं कि हमें यह देखना चाहिए कि इसमें विश्व समाचार ज्यादा हों। लेकिन साथ ही, इसके लिये जितना समय उपलब्ध है उसमें विकास संबंधी और प्रादेशिक तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर समाचार दिये जा रहे हैं। लेकिन हम यह प्रयास करेंगे कि विश्व समाचार बेहतर रूप में प्रसारित किये जाये।

श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों सूचना और प्रसारण माध्यम विशेषत दूरदर्शन हमारे देश में होने वाली हर तरह की उन्नति की जानकारी विशेष रूप से सभी आयु वर्ग के दर्शकों—बच्चों, छात्रों, महिलाओं तथा पूरे परियार तक पहुंचाने वाला बड़ा महत्वपूर्ण प्रचार माध्यम है।

किन्तु कभी-कभी अच्छे धारावाहिकों या कुछ अन्य अच्छे कार्यक्रमों के बीच में सैकड़ों विज्ञापनों को देखकर हम ऊब जाते हैं। यद्यपि आय सृजन योजना के लिए वे आवश्यक है जो वे पहले ही बना चुके हैं तथापि कुछ सीमा तक उनकी संख्या घटाई जानी चाहिए। कृषि विभाग, मानव संसाधन विकास विभाग आदि के माध्यम से इस शक्तिशाली प्रचार माध्यम का जन शिक्षा के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। जैसा कि कल हमने जनसंख्या नियंत्रण उपायों के बारे में बातें उठाई थीं, उसी प्रकार इस शक्तिशाली प्रचार माध्यम का प्रभावी रूप से विचारोंतेजक कार्यक्रमों और जनता को शिक्षित करने के लिए भी उपयोग करना चाहिए। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या ऐसे प्रचार माध्यम का जन शिक्षा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए बेहतर उपयोग किये जाने की ऐसी कोई योजना है ?

श्री के. पी. सिंह देव : जी, हाँ। महोदय निश्चित रूप से। हम इसमें निरन्तर सुधार करने की कोशिश करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं कि क्या टेलीविजन में विज्ञापनों को नियंत्रित किया जायेगा।

श्री के. पी. सिंह देव : मैं इस बात को दूरदर्शन को बता दूंगा कि वे यह सुनिश्चित करे कि विज्ञापनों को नियंत्रित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय : आपका मंत्रालय संचार मंत्रालय है या सूचना और प्रसारण मंत्रालय।

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, यह बात सभा में बार-बार उठायी गयी है कि दूरदर्शन पाकिस्तान सहित कुछ अन्य टेलीविजनों और प्रचार माध्यमों द्वारा भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार अभियान का सामना नहीं कर पा रहा है। हम जानते है कि कश्मीर के संबंध में पाकिस्तान का सदैव एक सूत्रीय कार्यक्रम है। किन्तु, विगत कई वर्षों के दौरान हम इस देश में इस दुष्प्रचार अभियान का एक प्रतिशत भी सामना नहीं कर सके हैं। उसका सामना करने में यह दूरदर्शन की पूर्ण असफलता है। इस सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्रालय इस कमी पर विचार करेगा और दूरदर्शन को भारत को विरुद्ध पड़ोसी प्रचार माध्यमों और अन्य माध्यमों द्वारा चलाये जा रहे दुष्प्रचार अभियान का सामना करने योग्य बनायेगा।

श्री के. पी. सिंह देव : दूरदर्शन एक अभियान मीडिया नहीं है, दूरदर्शन की भूमिका वास्तविक प्रस्तुतिकरण और विषय निष्ठता है। किन्तु, कुछ ऐसे देश हैं जो अपने चैनलों का उपयोग कर के भारत विरोधी विषाक्त अभियान चला सकते हैं। हम किसी भी देश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अभियान नहीं चलाते हैं और न ही यह प्रचार तन्त्र है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, कभी-कभी प्राईवेट चैनल के तहत जो टी.वी. है, उसमें ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनसे न सिर्फ राष्ट्रीय भावना पर आघात पहुंचता है बल्कि वह औब्जैक्शनेबल भी होती हैं। गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने दूसरे सदन में ऐश्योरेंस भी दिया था। एक बार इसी तरह से स्टार टी.वी. पर राष्ट्रपिता के संबंध में कुछ बातें कहीं गई थी जिसको सदन और देश ने बहुत ही सीरियसली लिया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या सरकार ने इस तरह की कोई गाइडलाइन बनाई है कि सैटलाइट टी.वी. या प्राइवेट चैनल पर जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, उनकी कोई मौनीटरिंग हो जिससे इस तरह की चीजें प्रसारित न की जाएं जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं के सम्मान के विपरीत हों या राष्ट्रीय सम्मान के विपरीत हों ?

[अनुवाद]

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय किसी कार्यक्रम को दिखाने से पूर्व इसे देखा जाता है। ऐसी कोई निगरानी की व्यवस्था नहीं है किन्तु कार्यक्रम को देखने के बाद स्वीकृति दी जाती है।

जहां तक स्टार टी.वी. और अन्य सभी टी.वी. चैनलों का संबंध है मेरे विचार से माननीय मंत्री ने राज्य सभा में उत्तर दिया है कि बाहर से आने वाले चैनलों पर इस समय हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। किन्तु लोकसभा और राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के बाद अब 25 मार्च, 1995 से केबल दूरदर्शन अधिनियम प्रवृत्त हो गया है, कई राज्य सरकारों, जिन्हें यह सुनिश्चित करना है कि दिखाये जा रहे कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन कार्यक्रमों, विज्ञापन सहित तथा केबल दूरदर्शन विनियमन की सीमा और क्षेत्र में है, ने अभी तक प्रवर्तन एजेंसी स्थापित नहीं की है। इस कार्य में कुछ और समय लगेगा। हम इसके सम्पर्क में है और यदि आवश्यक हुआ और यदि राष्ट्रपति को अपमानित करने जैसा राष्ट्र विरोधी कार्य किया जाता है तो हमारे पास ऐसी अवशिष्ट शक्तियां है और हमें इस पर प्रतिबंध या रोक लगानी पड़ सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से शायद वे केवल इसी के बारे में जानना चाहते थे।

[हिन्दी]

श्री रवि राय : अध्यक्ष जी, हनन मोल्लाह जी के प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने जो कहा, मुझे वह जवाब असन्तोषजनक लगता है। चरारे शरीफ में फरवरी से घुसपैठ से रह रहे थे, यह बात देश के सामने थी। मैं मानता हूं कि सरकार की दृष्टि यह है कि वह सरकार के प्रचार का माध्यम न हो। नन्दु ऋषि हिन्दुस्तानियत और कश्मीरियत के प्रतीक है। यदि नन्दु ऋषि की परम्परा दूरदर्शन पर दिखाई जाती तो उससे लोगों को लोक शिक्षा मिलती, उनको पता लगता कि किस तरह से वहां घुसपैठ घुसे हैं और चरारे शरीफ को ध्वस्त करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी बातों को दिखाने के बारे में, जो हिन्दुस्तान के कम्पोजिट कल्चर को बढ़ाती हैं, नहीं सोचा गया ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रयोग इस जैसे मामलों पर लोगों को शिक्षित करने में क्यों नहीं किया गया था ?

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय मूल प्रश्न 'चित्रहार' और 'रंगोली' के बारे में है और हम सभी पहुलुओं पर गहराई से विचार कर रहे हैं। मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा और आपको इस विषय पर जानकारी दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप सही कह रहे हैं, यद्यपि यह वास्तविक सूचना पर आधारित न भी हो किन्तु फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय, भाड़े के सैनिकों और दरगाह के बारे में दूरदर्शन की भूमिका एक महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बेमन उत्तर नहीं देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

इन्टेलीजेंट नेटवर्क सर्विसिज

*604. **श्री राम सिंह कस्वां** : +
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग "इन्टेलीजेंट नेटवर्क सर्विसिज" शुरू करने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) दूरसंचार विभाग में इन्टेलीजेंट नेटवर्क सर्विसिज शुरू करने के लिए व्यवहार्यता-अध्ययन किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

• **श्री राम सिंह कस्वां** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इण्टेलीजेंस नैटवर्क सर्विस शुरू करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है ?

सरकार इससे क्या हासिल करना चाहती है और यह कब तक शुरू कर दी जायेगी ?

श्री सुख राम : अध्यक्ष जी, हमारे नैटवर्क के माडर्नाइजेशन में हम ऐसी स्टेज पर पहुंच हैं, जहां से नैटवर्क के जरिये हम बहुत सी सेवाऐं उपभोक्तओं को दे सकते हैं। वैसे अभी तो हम सिर्फ तीन सेवाओं के बारे में सोच रहे हैं।

एक तो फ्री-फोन सर्विस है। यह वह सेवा है।

[अनुवाद]

अमरीका में फ्री-फोन सर्विस को 'काल 88 सर्विस' के नाम से जाना जाता है।

[हिन्दी]

उसमें ऐसा है कि कालर फ्री काल किसी कम्पनी को या ट्रेडिंग हाउस को करेगा और उसका चार्ज काल करने वाले को नहीं देना होगा, बल्कि ट्रेडिंग हाउस या कम्पनी उसको बर्दाश्त करेगी, क्योंकि उसका एडवरटाइजमेंट उसे जाता है।

दूसरी सर्विस इन्फोर्मेशन सर्विस है। उसमें प्रीमियम रेट सर्विस भी है, जिसमें स्पेसिफिक नम्बर है, जिस नम्बर को डायल करने के बाद अगर आपको स्टाक मार्केट से ट्रेडिंग इन्फोर्मेशन लेनी है, मार्केटिंग इन्फोर्मेशन लेनी है या अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है कि पार्लियामेंट में दो चार दिन के बाद क्या होगा, कैसे होगा, आपको क्या-क्या उपलब्धि होने वाली है, वह जो... **(व्यवधान)** आपका जो होरस्कोप है, उससे आप अपने लगन के बारे में, ग्रहों के बारे में जानना चाहेंगे तो उस नम्बर से आपको वह भी मालूम हो जायेगा। ... **(व्यवधान)** हम तो सर्विस प्रोवाइड करेंगे।

तीसरी सर्विस को प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं...**(व्यवधान)** आप मुझको बोलने देंगे या अपनी ही बात कहते रहेंगे ? तीसरी सर्विस में आप पी.ए.बी.एक्स. सर्विस डी.ओ.टी. नैटवर्क से किसी पर्टिकुलर आवर में यूज के लिए ले सकते हैं और उसका पेमेण्ट करेंगे। इसका उपयोग प्राइवेट इण्डीविजुअल्स भी कर सकेंगे। आपके पी.ए.वी.एक्स. में नम्बर है, उस सिस्टम पर जैसे किसी कम्पनी की ब्रांचेज देश के अलग-अलग हिस्सों में हैं, वहां उस सर्विस को आप ले सकते हैं और कुछ घण्टों के लिए प्राईवेट पी.ए.वी.एक्स. की तरह से वह सेवा आपको उपलब्ध हो सकती है।

इस तरह से हम तीन सेवाऐं अभी इण्ट्रोड्यूस करने वाले हैं। मेरी जो इन्फोर्मेशन है, उसके मुताबिक यू.एस.ए. में करीबन 40 प्रतिशत रेवेन्यू इण्टेलीजेंस नैटवर्क में जो बहुत सी सेवाऐं हैं, उनसे आता है। उसमें अभी तो हम ज्यादा सर्विसेज इण्ट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, अभी तो पायलट प्रोजैक्ट या ट्रायल बेसिस पर उसको हम शूरू कर रहे है। **(व्यवधान)** मैंने पायलट प्रोजैक्ट कहा, मैंने राजेश पायलट नहीं कहा...**(व्यवधान)** वह हम शुरू करने वाले हैं। लार्ज डिजिटल स्वीचिंग सिस्टम हमने एक साल पहले शुरू किया। इसमें टैक्नॉलाजी अवेलेबल है। इसमें साफ्ट वेयर में अपग्रेडेशन करना है। इसका माडर्नाइजेशन करके इस टैक्नॉलाजी को इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।

श्री राम सिंह कस्वां : क्या इससे टेलीफोन टेपिंग की संभावना बढेगी ? यदि हां तो क्या आपने इस पर विचार किया है ?

श्री सुख राम : यह मेरा काम नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय सदस्य जानना चाहते है कि क्या इससे दूरभाषों को टेप करना आसान हो जाएगा।

श्री सुख राम : दूर संचार विभाग द्वारा दूरभाषों को टेप नहीं किया जा रहा है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको ज्ञात होगा कि बैठकर बोले गए शब्द कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किए जाएंगे।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, भारत में दूर संचार सेवाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी में भी काफी सुधार किया जा रहा है। अभी-अभी मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि वह देश में अत्याधुनिक दूर संचार सेवा प्रारम्भ करने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए व्यावहारिक अध्ययन भी पहले ही लिया जा रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि यह व्यावहारिक अध्ययन किसी विदेशी परामर्श से अथवा विभाग से ही करवाया गया है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या ये सेवाएं केवल महानगरों में ही प्रारम्भ की जाएंगी या सम्पूर्ण देश में। अन्ततः, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अध्ययन कब किया गया है तथा यह कब तक वास्तव में कार्य करना प्रारभ कर देगा।

श्री सुख राम : अभी तो यह सेवाएं केवल महानगरों तक ही सीमित हैं। यह अध्ययन हमारे अपने विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। जहाँ तक नई वृहत डिजीटल स्विचिंग प्रणाली, जिसे एक वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया था, तो हमने वस्तुत सोफ्टवेयर में सुधार कैसे लाया जाए तथा तदनुसार प्रणाली में कैसे परिवर्तन लाया जाए इस संबंध में पूर्तिकर्ताओं से बातचीत की क्योंकि ये कार्य उन्हें ही करना है। मेरे विचार में कुछ महीनों के अंदर ही हम यह सुविधा शुरू कराने में सक्षम होंगे। हम यह सुविधा तभी शुरु कर सकते हैं जब पूर्तिकर्ता अपने सोफ्टवेयर को उन्नत बना लें तथा इसमें उपयुक्त परिवर्तन कर ले।

दूरदर्शन के कार्यक्रमों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

*605. **श्री अटल +बिहारी वाजपेयी** :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामयिक विषयों और अन्य दूरदर्शन कार्यक्रमों, विशेष रूप से सरकार के कार्यकरण/नीतियों की आलोचना करने वाले कार्यक्रमों का सेंसर करने के बारे में दूरदर्शन ने कोई मानदंड निर्धारित कर रखे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरदर्शन कार्यक्रमों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उच्चतम न्यायालय

के हाल ही के निर्णय के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरदर्शन का यह सतत् प्रयास रहता है कि उसके समाचार तथा अन्य कार्यक्रम हर दृष्टि से निष्पक्ष तथा उद्देश्यपूर्ण हों।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का उत्तर सुनकर हम आश्चर्य के सागर में डूब गये। मैंने पूछा था कि क्या सेंसरशिप के बारे में कोई नॉर्म्स हैं और मंत्री महोदय ने कहा कि कोई नॉर्म्स नहीं हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि सेंसरशिप के मामलें में रेडियो और दूरदर्शन परम स्वतंत्र हैं ? कोई लक्षमण रेखा नहीं है ? आप किसी भी समाचार की काट-छांट कर सकते है, विशेषकर जो समाचार या टिप्पणियां सरकार के खिलाफ हैं, जो सरकार की आलोचना करती हैं ? लोकतंत्र में आलोचना करने का अधिकार है। रेडियो, टेलीविजन सरकारी पार्टी की संपत्ति नहीं है, यह देश की संपत्ति है और उनके द्वारा देश की भावनाओं का प्रकटीकरण होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, बिना नार्म्स, बिना गाइडलाइंस के रेडियो, टेलीविजन किस तरह से व्यवहार कर रहा है ? शायद इसी का नतीजा यह है कि कुमार मंगलम जी का एक इंटरव्यू था, जिसे आई विटनेस दिखाना चाहता था, उनसे कहा गया कि कुमार मंगलम जी का इंटरव्यू इसमें से निकाल दीजिए, क्योंकि उसमें सत्ता पक्ष की नीतियों की आलोचना की गई थी आई विटनेस का वह प्रोग्राम खटाई में पड़ गया। उसके विरोधस्वरूप आडवाणी जी ने कहा कि हम टेलीविजन पर नहीं जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि सब विरोधी दल टेलीविजन का बहिष्कार करें ?

अध्यक्ष महोदय, अगर बिना नार्म्स, बिना गाइडलाइंस के एक समाचार आता है तो दफ्तर में बैठा हुआ अधिकारी किस आधार पर तय करेगा कि यह समाचार जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए ? कोई भाषण काट कर जाना चाहिए या तोड़ कर जाना चाहिए ? यह अनियमित, असीमित अधिकार कैसे दिए जा सकते हैं ?

[अनुवाद]

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय, टेलीविजन पर दिखाये जाने वाली लघु टिप्पणियों को काटने-छांटने हेतु दूरदर्शन के पास कोई नीति अथवा प्रक्रिया नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे कोई मानदण्ड नहीं हैं। यह इतना गंभीर नहीं है जितना कि माननीय सदस्य...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह उत्तर है **(व्यवधान)**

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय, मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं और फिर भी यदि सभा यह महसूस करती है कि हमें हस्तक्षेप करना चाहिए—मेरा विचार था कि सभा की प्रसार भारती विधेयक में रूचि थी तथा वह इसे सरकार तथा नौकरशाही के नियंत्रण से बाहर रखना चाहती थी—तो हमें उन्हें सेंसर करना चाहिए। मैं आपके समक्ष दुबारा प्रस्तुत हूंगा।

महोदय, दूरदर्शन पर दिखाये जानेवाले सामयिक और अन्य कार्यक्रमों, जो सरकार के कार्यकरण अथवा इसकी नीतियों की आलोचना करते हों, को काटने-छांटने हेतु कोई नीति अथवा प्रक्रिया नहीं है। सीधे प्रसारणों और विज्ञापनों के अलावा सरकार किसी भी प्रसारण के पूर्व दूरदर्शन मात्र उसका पूर्वालोकन कर यह देखता है कि यह आकाशवाणी संहिता के अनुरूप है अथवा नहीं जैसे श्री आडवाणी के समय सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी गई थी तथा 1978 से अब तक इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। समाचारों, सामयिक कार्यक्रमों को शासित करने हेतु दिशा-निर्देश और वाणिज्यिक विज्ञापनों संबंधी संहिता की भी स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की गई थी तथा इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी गई थी। जहां तक समाचारों को शासित करने हेतु दिशा निर्देशों का संबंध है तो ये जी.पी. पार्थसारथी समिति की सिफारिशों पर आधारित थी, जो काफी पहले 1982 में गठित की गई थी तथा उन दिशा निर्देशों में अब तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

महोदय, किसी भी सामयिक कार्यक्रमों को दूरदर्शन द्वारा सीधे प्रसारण किए जाने के लिए पूर्वापेक्षा इस प्रकार हैं, (i) यह संतुलित होना चाहिए; और (ii) यह निष्पक्ष और वस्तुपरक होना चाहिए। दूरदर्शन एक राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता होने के नाते राष्ट्रीय हित में हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है कि किसी सार्वजनिक मुद्दे और नीति से संबंधित विभिन्न विचारों को उसके सामयिकी कार्यक्रम में निष्पक्ष रूप से दिखाया जाये। दूरदर्शन पर दिखाये जाने वाले सामायिक कार्यक्रम इस बात पर ध्यान दिए बिना कि यह सरकार के पक्ष में है या विपक्ष में अधिकांश लोगों की राय को ध्यान में रखकर दिखाया जाता है।

महोदय, मैं विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री सोमनाथ चटर्जी और प्रणव दा उपस्थित थे। यद्यपि, प्रणव दा, जो सरकार के विचारधाराओं को प्रस्तुत कर रहे थे, समयाभाव के कारण बोल नहीं सके—क्योंकि वहाँ करीब 15 और सदस्य थे जो सारा समय बोलते रहे, और वे सरकार की नीतियों के विरुद्ध बोले। फिर भी श्री सोमनाथ चटर्जी के वक्तव्य सहित पूरे कार्यक्रम को रिकार्ड किया गया।

महोदय, कुछ दिन पूर्व, जिन लोगों ने उस 'आई विटनेस' कार्यक्रम को देखा होगा, उन्होंने यह नोट किया होगा कि एक सम्मानीय पूर्व अभिनेत्री को जिसका बोलना पहले से निर्धारित था, बोलने का अवसर नहीं मिला। उसने शिकायत की। चूंकि समय पूरा होने को था, इसलिए उसे चुप रहने के लिए कहा गया। परन्तु तीन अन्य पुरुष जो वहां बैठे थे, उन्होंने अपनी बात कह दी। इसलिए ऐसा नहीं है कि दूरदर्शन हमेशा सरकार का समर्थक रहता है। वह सरकार के विरुद्ध भी हो जाता है।

महोदय, कल जब एक शासक दल का सदस्य सरकार की नीतियों के विरुद्ध बोल रहा था तथा आपको हस्तक्षेप करना पड़ा था, तो उस दृश्य को भी दूरदर्शन ने अपने कार्यक्रम में दिखाया था। ऐसा नहीं है कि सरकार के विरुद्ध किसी बात को सम्मिलित नहीं किया जाता। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है।

माननीय श्री वाजपेयी जी कह रहे थे कि हर विषय में सत्तारुढ़ दल की यही विचारधारा रहती है कि यह उसका अपना चैनल है। ऐसा नहीं है। प्रत्येक

राजनीतिक दल को चाहे चुनाव का समय हो...

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री के. पी. सिंह देव : नहीं, नहीं कहने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपने पास उपलब्ध तथ्यों और आंकड़ों के अनुसार ही चल सकता हूँ। महोदय यदि मुझे इसके प्रतिकूल तथ्य एवं आंकड़े दिए जायेंगे तो मैं उनकी जांच करवा सकता हूं तथा आपको इन आंकड़ों के सही या गलत होने के बारे में अवगत कराऊंगा। तथ्य मेरे पास मौजूद हैं। महोदय राजनैतिक दलों को सभा में उनकी सदस्य संख्या के अनुपात में समय दिया जाता है। कई बार सत्तारूढ़ दल को आवंटित समय में सरकार के वक्तव्य का समय भी सम्मिलित कर दिया जाता है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चूंकि सरकार कांग्रेस दल की है, अतः मंत्रियों के वक्तव्यों में लगे समय की गणना, कांग्रेस दल के समय की गणना में कर दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : यही नियम है।

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय, यदि हम सरकारी उद्घोषणाओं में लगे समय को इसमें से निकाल दें तो आप पाएंगे कि कांग्रेस दल को भारतीय जनता पार्टी अथवा अन्य विरोधी दलों से भी बहुत कम समय मिलता है। अतः यह सच नहीं है कि दूरदर्शन सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता या निजी उद्यम अथवा उसका निजी प्रचार माध्यम है।

जहां तक 'आईविटनेस' के उस कार्यक्रम का संबंध है जिसके बारे में श्री वाजपेयी ने उल्लेख किया था, जैसा कि मैंने पहले कहा था प्रत्येक कार्यक्रम को प्रसारित करने से पूर्व उसका पूर्वावलोकन किया जाता है। आई विटनेस के इस कार्यक्रम में केवल एक पक्ष की बात ही कही गई है। चूंकि यह प्रायोजित कार्यक्रम है, अतः निर्माता और दूरदर्शन के अधिकारी एक साथ बैठकर अगले सप्ताह के लिए कार्यक्रम की विषय-वस्तु के बारे में निर्णय लेते हैं। जब कोई निर्माता होशियारी दिखाने की कोशिश करता है, करार का उल्लंघन करता है तथा पूर्वावलोकन का अवसर न देकर हैरान करने का प्रयास करता है तब यह जानने का कोई जरिया नहीं रहता कि वह कार्यक्रम विशेष, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन की कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता के अनुकूल है अथवा नहीं। इस प्रकार इस विशेष मामले में यह कार्यक्रम, दोनों पक्षों के विचार प्राप्त होने के बाद ही, अगले दिन दिखाया गया। जिस दिन यह प्रसारित किया जाना था, उस दिन केवल श्री कुमारमंगलम का अभिमत ही प्राप्त हुआ था। विरोधी पक्ष का भी अभिमत प्राप्त किया गया तथा उसके बाद अगली सुबह ही इसे प्रसारित किया गया।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, वह संतोषजनक नहीं है, लेकिन मैं इस संबंध में दूसरा मामला उठाना चाहता हूं। 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और वह फैसला बहुत ऐतिहासिक फैसला है। सरकार ने प्रसार भारती बिल को तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह सिफारिश की है कि एक इंडिपेंडेंट आटोनामस पब्लिक अथारिटी होनी चाहिए, जो रेडियो-टेलीविजन के उपयोग को नियंत्रित करें। इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार इस पर अमल करने जा रही है ?

[अनुवाद]

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय, जैसा कि मैंने प्रश्न संख्या 602 के अपने उत्तर में बताया है, एक व्यापक प्रसारण कानून बनाया जा रहा है—हम विधि मंत्रालय से परामर्श कर रहे हैं और मुझे मंत्रिमंडल के समक्ष जाना है—तो इसमें न केवल उच्चतम न्यायालय के निर्णय को आधार बनाया गया है अपितु केबल टेलीविजन तथा अन्य विषयों एवं लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्यों के विचारों को भी मद्देनज़र रखा गया है। यह एक वायदा है। यह एक आश्वासन है तथा मैं इस कानून को शीघ्र ही प्रस्तुत करने वाला हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : संभवतः माननीय मंत्री जी कुछ उपहासात्मक ढंग से प्रसार भारती विधेयक की ओर इशारा कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार का वर्तमान प्रस्ताव क्या है। बहुत सारे मुद्दे, जो कि इस प्रश्न से उठे हैं तथा जिनका उन्होंने बड़ी लगन और ईमानदारी से उत्तर देने की कोशिश की है, ये मुद्दे नहीं उठाए जाते यदि सरकार ने प्रसार भारती विधेयक पेश कर दिया होता। सरकार का इस संबंध में क्या विचार है।

श्री के. पी. सिंह देव : इसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं व्यापक प्रसार कानून लाने जा रहा हूँ जिसमें प्रसार भारती, उच्चतम न्यायालय का निर्णय तथा केबल टेलीविजन और सभी बातें सम्मिलित होगी...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अमेंडमेंट कर दो।

[अनुवाद]

श्री के. पी. सिंह देव : मैं अध्यक्षपीठ एवं राज्यसभा की उपसभापति के निदेशानुसार कार्य कर रहा हूँ। मैं इसे ला रहा हूँ तथा इसमें इन सभी बातों का समावेश होगा। यहां पेश करने से पूर्व मुझे मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करना है। बिना मंत्रिमंडल की अनुमति के मैं इसे नहीं ला सकता। मैंने राज्यसभा में आश्वासन दिया है।

12.00 मध्याह्न

श्री जगमीत सिंह बरार : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि जो कुछ हम पढ़ते, सुनते तथा देखते हैं, उसके अनुसार दूरदर्शन की विश्वसनीयता कम होती जा रही है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस वर्ष उनके शहीदस्थल पर 50,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए तथा दिल्ली से दो बहुत बड़े नेता भी उस स्थान पर गए थे परन्तु दूरदर्शन ने इस बारे में कोई समाचार नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उत्तर चाहते हैं तो समय का ध्यान रखें।

श्री जगमीत सिंह बरार : उस बहुत महत्वपूर्ण दिवस का उल्लेख दूरदर्शन पर नहीं किया गया। जब मैंने सत्तारूढ़ दल के सदस्य के रूप में जालंधर के दूरदर्शन प्राधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि उक्त घटना का उल्लेख नहीं करना हैं। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या शासक दल के सदस्यों के खिलाफ भी ऐसे कोई निर्देश लागू हैं ?

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय, मैं अपनी सामर्थ्य की भीतर जोर देकर कहना चाहूंगा कि किसी को भी दूरदर्शन के कवरेज से बाहर रखने के बारे में कोई आदेश अथवा अनुदेश नहीं दिए गए हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

भारत में भाषा के प्रति निष्ठा के बदलते प्रतिमान

*603. **श्री खेलन राम जांगडे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के महापंजीयक के कार्यालय ने भारत में भाषा के प्रति निष्ठा के बदलते प्रतिमान के संबंध में अध्ययन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अध्ययन पूरा हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) यह अध्ययन कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अध्ययन किया जा रहा है।

(घ) 1901 से 1981 तक की जनगणनाओं के डाटा के समेकन का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्लान स्कीम के अनुसार, 1991 की जनगणना के आंकड़ों को समाविष्ट करने के लिए सदर्भ फ्रेम विकसित किया गया है।

(ङ) अध्ययन को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

[अनुवाद]

मध्यावधि मूल्यांकन

*606. **डा. के. वी. आर. चौधरी :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन क्षेत्रों में कार्य-निष्पादन धीमा रहा;

(घ) इन क्षेत्रों में कार्य-निष्पादन में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस कार्य के कब से शुरू किये जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गुमांग) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) से संबंधित कार्य योजना आयोग में चल रहा है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न मध्यावधि मूल्यांकन के पूरा होने के बाद ही उठेंगे।

(ङ) से (छ) योजना एक सतत् प्रक्रिया है तथा प्रक्रिया का प्रत्येक चरण एक-दूसरे से अंतसंबंधित हैं। प्रत्येक चरण से संबंधित कार्य भावी योजनाओं की तैयारी के लिए योजना आयोग द्वारा नियमित रूप से किए जाते हैं। नवी पंचवर्षीय योजना बनाने से संबंधित विशिष्ट कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के परिणामों पर आधारित होंगे।

[हिन्दी]

तेल कुएं

*607. **श्री कुंजी लाल :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सारे तेल कुओं से तेल नहीं निकाला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे तेल कुएं कौन-कौन से हैं; और

(ग) इन तेल-कुओं से तेल निकालने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। गैर-प्रवाही कूपों की संख्या समय-समय पर बदलती रहती है। अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार, ओ एन जी सी के 707 कूपों और आयल इंडिया लिमिटेड के 46 कूपों में प्रवाह नहीं था।

(ग) इन तेल कूपों को क्रियाशील बनाने के लिए किए गए उपायों में वर्क-ओवर प्रवालन, फ्लो लाइनों और अन्य उत्पादन सुविधाओं को जोड़ना, कृत्रिम उठान, प्रेरण आदि सम्मिलित हैं।

रेडियो पेजिंग सेवा

*608. **श्री अमर पाल सिंह :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने रेडियो पेजिंग सेवा के लिए वित्तीय निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निविदाओं के लिए निर्धारित की गई शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यह योजना देश में कब से कार्यान्वित की जाएगी;

(ङ) क्या सरकार का विचार लोगों की जानकारी के लिए रेडियो पेजिंग सेवा के फायदों का प्रचार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां,

(ख) और (ग) विभिन्न सर्किलों में रेडियो पेजिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए फ्रेंचाइज को अन्तिम रूप देने हेतु चुनी गई कंपनियों से अन्तिम निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। निविदाएं सर्किलवार तथा चरणबद्ध रूप से एक समय में चार से पांच सर्किलों के लिए आमंत्रित की जा रही हैं। निविदाकर्ताओं को लाइसेंस के लिए समग्र 10 वर्ष की अवधि हेतु पेजिंग लेवी की दरें देनी होगी। निविदाकर्ताओं का चयन उनके द्वारा दी गई लेवी की दरों के आधार पर किया जाएगा।

(घ) चरणबद्ध रूप से निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। सफल निविदाकर्ताओं को एक करार निष्पादित करना होगा और करार पर हस्ताक्षर करने के एक वर्ष के भीतर सेवा प्रदान करनी होगी।

(ङ) चूंकि सेवा निजी भारतीय कंपनियों को फ्रेंजाइज की जा रही है, अतः लाइसेंस धारकों से आशा की जाती है कि वे इस सेवा के लाभों का प्रचार-प्रसार करने और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए मार्केट बनाने के कार्य पर ध्यान देंगी।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला उद्योग संबंधी संयुक्त द्विपक्षीय समिति

*609. **श्री एस० एम० लालजान बाशा** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्र में कोयला खान मजदूरों के मजूरी संबंधी सभी मामलों के अध्ययन और समाधान हेतु कोयला उद्योग संबंधी संयुक्त द्विपक्षीय समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कोयला उद्योग संबंधी संयुक्त द्विपक्षीय समिति के गठन के बाद उसकी कितनी बैठकें हुई हैं;

(ग) इसकी अगली बैठक कब होगी;

(घ) क्या कोयला उद्योग संबंधी संयुक्त द्विपक्षीय समिति, सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. से संबंधित मजूरी समझौतों पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोयला उद्योग संबंधी संयुक्त द्विपक्षीय समिति-5 (जे.बी.सी.सी.आई.-5) का गठन दिनांक 11.11.1994 को राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-5 (एन.सी. डब्लू.ए.5) के संबंध में समझौता किए जाने के लिए किया गया था।

(ख) और (ग) जे.बी.सी.सी.आई.-5 की अभी तक चार बैठकें हुई हैं। जे.बी.सी.सी.आई.-5 की आगामी बैठक के लिए तारीख निश्चित नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) जे.बी.सी.सी.आई. के मजदूरी समझौता के अंतर्गत सम्पूर्ण कोयला क्षेत्र आता है, जिसमें सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. भी शामिल है। जे.बी.सी.सी.आई. में कामगारों तथा प्रबंधकों के प्रतिनिधियों के बीच दिनांक 29 अप्रैल, 1995 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन की एक प्रति, विवरण-I के रूप में संलग्न है।

विवरण I

को. इं. लि. और इसकी सहायक कंपनियों, सिं. को. कं. लि., टिस्को एवं इस्को के प्रबंधन और इन्टक, ए.आई.टी.यू.सी., सीटू, एच.एम.एस. और बी. एम.एस. से मान्यता प्राप्त मजदूर संघों के कामगारों के प्रतिनिधियों के बीच हुआ समझौता ज्ञापन।

जे.बी.सी.सी.आई.-5 की बैठक में, जोकि कोल इंडिया लि. के (मुख्यालय) कलकत्ता में दिनांक 28 और 29 अप्रैल, 1995 को सम्पन्न हुई थी, उक्त बैठक में एन.सी.डब्लू.ए.-5 के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित मदों पर समझौता हुआ :

1. न्यूनतम मूल मजदूरी

सी.पी.आई. सं. 994 (आधार 1960=100) पर श्रेणी-I कामगार की न्यूनतम मूल मजदूरी प्रतिमाह 1700/- रु. होगी।

2. वार्षिक वेतन वृद्धि की दर

वार्षिक वेतन वृद्धि की दर 28 रुपए से 140 रुपए की रेंज में होगी।

3. वेतनमान

विभिन्न श्रेणी/ग्रेड/ग्रुप के कामगारों के वेतनमान, जिसमें रोजनदार कामगार शामिल है, विवरण II में संलग्न है।

4. न्यूनतम गारंटी लाभ

दिनांक 1.7.1991 की स्थिति के अनुसार न्यूनतम गारंटी लाभ 85 रुपए प्रति माह की दर से दिया जाएगा, जोकि 30.6.1991 की स्थिति के अनुसार मूल वेतन का 10 प्रतिशत की दर पर अंतरिम राहत + एफ. डी. ए. की राशि से अधिक अदायगी की जाएगी, जोकि न्यूनतम 150/- रु. की राशि होगी।

5. भूमिगत भत्ता

भूमिगत भत्ता नयी मूल मजदूरी के 20% की दर से देय होगा, जिसमें से 1.7.1993 से 600/- रु. की राशि घटा दी जाएगी।

6. अतिरिक्त वेतन वृद्धि

कर्मचारियों को 1.7.1995 को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि/एस.पी.आर.ए. की अदायगी की जाएगी, जिन्होंने कि 30.6.1995 को न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने यह निर्णय लिया है कि इस राशि को पेंशन निधि में कर्मचारियों के अतिरिक्त अंशदान के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा।

7. एन.सी.डब्लू.ए.-5 की समयावधि 1.7.1991 से 31.12.1995 तक साढे चार वर्ष की होगी।

8. **भत्ते**

एक **मकान किराया भत्ता :**

मकान किराए भत्ते में विद्यमान 45 रुपए प्रति माह से 1.10.1993 से 60 रुपए प्रति माह तक की वृद्धि की जाएगी।

दो **परिवहन आर्थिक सहायता :**

1.10.1993 से परिवहन आर्थिक सहायता प्रतिदिन 3.50 रु. की दर से देय होगी।

तीन **अतिरिक्त परिवहन आर्थिक सहायता/रात्रि पाली भत्ता :**

अतिरिक्त परिवहन आर्थिक सहायता/रात्रि पाली भत्ता ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने अंतिम रात्रि पाली में कार्य किया था, उन्हें 1.10.1993 से प्रतिदिन 5/- रु. की दर से अदा किया जायेगा।

चार **धुलाई भत्ता :**

कर्मचारी जिन्हें वर्दी दी जाएगी, उन्हें 1.10.1993 से 32 रुपए प्रतिमाह की दर से धुलाई भत्ता की अदायगी की जाएगी। नर्सिंग स्टाफ के मामलें में 1.10.1993 से प्रति माह 42/- रु. की दर से धुलाई भत्ते की अदायगी की जाएगी।

पांच **स्टीप ग्रेडिएंट भत्ता :**

ऐसी परिस्थिति में जहां कि स्टीप ग्रेडिएंट में एक हजार मीटर से अधिक यात्रा करनी पड़े और औसत ग्रेडिएंट 3 में से एक मामले में आधिक्य हो तो ऐसी स्थिति में 1.10.1993 से प्रति कामगार को जिन्होंने इस तरह की खान अथवा जिले अथवा प्रभाग में कार्य किया हो, उसे 1.25 रुपए प्रति पाली के हिसाब से भत्ता की अदायगी की जाएगी। ऐसी स्थिति में जबकि यह यात्रा 2000 मीटर से अधिक हो तो यह भत्ता 1.10.1993 से 2.50 रु. की दर से अदायगी की जाएगी।

9. एन.सी.डब्लु.ए.-4 की धारा 9.4.3 :

विद्यमान प्रावधानों को तब तक बनाए रखा जाएगा जब तक कि दिनांक 27.3.1995 के पत्र संख्या सी. आई.एल.:जे.बी.सी.सी.आई.:5137 के अन्तर्गत गठित की गई समिति की सिफारिशें प्राप्त, उन पर विचार-विमर्श और उन्हें अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता है।

दिनांक, कलकत्ता
29 अप्रैल, 1995

प्रबंधन के प्रतिनिधि	कामगारों के प्रतिनिधि
ह./-	ह./-

विवरण II

ग्रुप	दर	अनियोजित अवधि की (फाल बैक) मजदूरी
रोजनदारी		
I	रु. 65.75	रु. 65.40
II	रु. 67.16	रु. 66.31
III	रु. 68.91	रु. 67.45
IV	रु. 69.25	रु. 69.25
V	रु. 71.68	रु. 71.68
VI	रु. 72.03	रु. 72.03
पी.आर.ट्रैमर		रु. 71.68

विशेष रोजनदारी भत्ता

ग्रुप-I	1.08
ग्रुप-II	1.26
ग्रुप-III	1.67
ग्रुप-IV	1.67
ग्रुप-V	2.12
ग्रुप-VI	2.12

श्रेणी	वेतनमान
क. **दैनिक रोजनदारी कामगार**	
I	रु. 65.40-1.08-80.52
II	रु. 66.86-1.33-85.48
III	रु. 68.90-1.72-92.98
IV	रु. 70.30-2.12-99.98
V	रु. 73.22-2.64-110.18
VI	रु. 76.42-3.54-125.98
ख. **एक्सकेवेशन विशेष**	रु. 90.09-5.39-160.16
ए	रु. 85.72-5.04-156.28
बी	रु. 80.75-4.55-144.45
सी	रु. 77.32-3.85-131.22
डी	रु. 74.62-2.95-115.92
ई	रु. 69.75-1.85-95.65

श्रेणी	वेतनमान
ग. मासिक मजदूरी प्राप्त कामगार	
ए	रु.2220-132-3540-140-4240
बी	रु. 2064-118-3008-130-4048
सी	रु. 1990-100-2790-110-3670
डी	रु. 1905-80-2545-96-3313
ई	रु. 1826-60-2666
एफ	रु. 1806-48-2478
जी	रु. 1781-43-2383
एच	रु. 1743-36-2247
लिपिक ग्रेड विशेष	रु. 2064-118-3008-130-4048
I	रु. 1990-100-2790-110-3670
II	रु. 1905-80-2545-96-3313
III	रु. 1826-60-2666

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन

*610. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

श्री बीर सिंह महतो :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने के लिए एक सलाहकार समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने इसे सौपा गया कार्य पूरा कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सरकार समय-समय पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में संशोधन के लिए प्रस्ताव प्राप्त करती रही है। इसीलिए सरकार ने सूचियों के संशोधन या समीक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों के अध्ययन के लिए 13.10.93 को सचिव (कल्याण) की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया है। अपर सचिव (विधि कार्य), भारत के महापंजीयक (गृह मंत्रालय), कल्याण मंत्रालय के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव इसके सदस्य हैं।

(ग) से (ङ) जटिल और संवेदनशील स्वरूप के बहुसंख्यक मामलों के कारण इस समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट/सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया है।

[हिन्दी]

वृद्ध-जन

*611. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को देश में इन वृद्ध-जनों की दयनीय स्थिति के बारे में जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे वृद्ध-जनों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) 1981 की जनगणना के अनुसार 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले लोगों की जनसंख्या का अनुपात 6.2 प्रतिशत था। 1991 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या का अनुपात संकलनाधीन है। तथापि, जनसंख्या सम्बन्धी स्थायी समिति ने 1989 में यह अनुमान लगाया था कि 1991 में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात 6.5 प्रतिशत होगा।

यद्यपि 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की आयु को स्थिति का सामान्यीकरण करना सम्भव नहीं है। तथापि, यह महसूस किया जाता है कि जो निर्धन और बेरोजगार हैं, वे कठिनाइयों का सामना करते हैं। प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण से सबंधित परिवर्तनों, गत्यात्मकता और समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की तेज रफ्तार के साथ संयुक्त परिवार प्रणाली वयोवृद्ध व्यक्तियों विशेषकर जो समाज के अपेक्षाकृत गरीब वर्गो के हैं, उन्हें आर्थिक रूप और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करने की दृष्टि से कमजोर पड़ती जा रही है। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं जिनके अंतर्गत 60 वर्ष और अधिक आयु के मानदण्ड पूरा करने वाले वयोवृद्ध व्यक्तियों को सहायता दी जाती है भारत सरकार भी 1993 से वयोवृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना कार्यान्वित कर रही है। ताकि (60+) आयु वाले वृद्ध व्यक्तियों को शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक समर्थन प्रदान किया जा सके और उन्हें समुदाय के उपयोगी सक्रिय सदस्य के रूप में बनाए रखा जा सके। जिन वृद्ध व्यक्तियों को पारिवारिक समर्थन प्राप्त नहीं है और जो अपना भरणपोषण कर पाने में असमर्थ हैं और/अथवा जिनकी निश्चित आय नहीं है, वे उक्त योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य स्वयंसेवी संगठनों को सामान्यतः इस बाबत प्रोत्साहित करना है कि वे वृद्धावस्था गृह, दिवा देखभाल केन्द्र, सचल चिकित्सा देखभाल यूनिटें और वयोवृद्धों के लिए गैर-संस्थागत सेवा केन्द्रों की स्थापना कर सकें। कल्याण मंत्रालय की योजना के अंतर्गत 205 वृद्धावस्था गृहों, 238 दिवा देखभाल केन्द्रों,

28 सचल चिकित्सा एककों तथा 4 गैर-सांस्थानिक केन्द्रो के लिए सहायता अनुदान निर्मुक्त किया गया था।

वृद्धों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को कम करने के लिए वित्त मंत्री ने 1995-96 के अपने बजट भाषण में सामाजिक सहायता योजना की घोषणा की थी जिसमें 65 वर्ष से ऊपर तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले वृद्धों के लिए न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन का एक संघटक शामिल है। मंत्री महोदय द्वारा 1995-96 के वजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति से यह अपेक्षा है कि वह गठन से तीन महीने की अवधि के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

स्थानीय क्षेत्र विकास योजना हेतु धनराशि

*612. **श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान संसद सदस्यों के सुझावों के अनुसार उनके निर्वाचन-क्षेत्रों में विकास कार्यों के कार्यान्वयन हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई थी;

(ख) मार्च, 1995 तक इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) वर्ष 1995-96 में इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी राशि दी जायेगी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) 1995-96 के दौरान प्रत्येक संसद सदस्य के लिए एक करोड़ रुपए की राशि संबंधित जिला कलेक्टर को जारी किए जाने का प्रस्ताव है। मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, कार्यान्वयनाधीन कार्य की वास्तविक और वित्तीय प्रगति तथा कार्य के लिए धन की भावी आवश्यकताओं के आधार पर, राशि दो किश्तों में जारी की जाएगी। राशि को जारी करने के समय, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, संबंधित जिलों के कलेक्टर के परामर्श से, चल रही योजनाओं को पूरा करने के लिए मांगी गई राशि का मूल्यांकन करेगा। धन की ऐसी आवश्यकताओं को सबसे पहले पूरा किया जाएगा तथा बाद में नई योजनाओं के लिए शेष आबंटन पर विचार किया जायेगा।

विवरण

1994-95 के दौरान सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जारी की गई राशि

क्र.	राज्य	लोकसभा		राज्य सभा
सं.		जारी की गई राशि	सदस्य	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	42	17	17 + 1 *
2	अरूणाचल प्रदेश	2	1	1
3	असम	14	7	7
4	बिहार	53	22	22
5	गोवा	2	1	1
6	गुजरात	26	11	11
7	हरियाणा	9	5	5
8	हिमाचल प्रदेश	4	3	3 + 1 *
9	जम्मू और काश्मीर	—	—	—
10	कर्नाटक	28	12	12
11	केरल	20	8	8
12	मध्य प्रदेश	40	16	16 + 1 *
13	महाराष्ट्र	48	19	19 + 2 *
14	मणिपुर	2	1	1
15	मेघालय	2	1	1 + 1 *
16	मिज़ोरम	1	1	1
17	नागालैण्ड.	1	1	1
18	उड़ीसा	21	10	10
19	पंजाब	13	7	7 + 1 *
20	राजस्थान	25	10	10
21	सिक्किम	1	1	1
22	तमिलनाडु	38 + 1	18	18 + 2 *
23	त्रिपुरा	2	1	1
24	उत्तर प्रदेश	84	34	34 + 1 *
25	पश्चिम बंगाल	42	16	16
संघ शासित प्रदेश				
1	अण्डमान एवं निको. द्वीप समूह	1		
2	चण्डीगढ़	1		
3	दादर एवं नागर हवेली	1		

क्र. सं.	राज्य	लोकसभा जारी की गई राशि	सदस्य	राज्य सभा जारी की गई राशि
1	2	3	4	5
4	दमन एवं दीव	1	1	
5	दिल्ली	5	3	3 + 1 *
6	लक्षद्वीप	1		
7	पांडिचेरी	1	1	1
	कुल	532 + 1 *		227 + 11 *

* नामांकित सदस्य

[अनुवाद]

मन्द बुद्धि बालकों के लिए संस्थान

*613. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में संस्थानों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये संस्थान कहां-कहां स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या देश में विशेष रूप से राजस्थान में ऐसे और अधिक संस्थानों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनकी स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ङ) विकलांगता के प्रत्येक क्षेत्र में चार राष्ट्रीय संस्थान, कल्याण मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में काम कर रहे हैं,

वे हैं :–

(क) राष्ट्रीय दृष्टिवाधितार्थ संस्थान, देहरादून;

(ख) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई;

(ग) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकन्दराबाद; और

(घ) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता

2. इसके अतिरिक्त, अस्थि विकलागों के लिए निम्नलिखित दो शीर्ष स्तरीय संस्थान भी काम कर रहे हैं :–

(क) राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक; और

(ख) विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली

3. ये संस्थान देश में विकलांगों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन, परामर्श, अनुसंधान, पुनर्वास के क्षेत्र मे तथा सेवा माडलों के विकास हेतु शीर्ष स्तरीय संस्थान हैं। ये संस्थान विकलांगता के अपने सम्बद्ध क्षेत्र में मुख्य प्रलेखन तथा सूचना केन्द्रों के रूप में, सहायक यत्रों व उपकरणों के विकास और मानकीकरण में तथा इलैक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया के लिए सामुदायिक चेतना सामग्री तैयार करने के लिए भी काम करते हैं;

4. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकन्दराबाद, कल्याण मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में वर्ष 1984 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत निकाय के रूप में स्थापित किया गया। यह मानसिक विकलांग के क्षेत्र में शीर्ष स्तरीय निकाय है। इसकी स्थापना सेवाओं के वितरण के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठयक्रम आयोजित व प्रायोजित करके मानव शक्ति का विकास करने, मानसिक विकलागों की देखभाल और पुनर्वास के लिए समुचित माडलों का विकास करने, इस क्षेत्र में नवीनतम स्थिति से स्वयं को अवगत रखने के लिए अनुसंधान आयोजित व प्रायोजित करने, विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को परामर्श सेवाएं प्रदान करने, मानसिक मदंता को विकलांगता और इसके पुनर्वासात्यक पहलुओं पर प्रलेखन तथा सूचना के आदान-प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से की गई है।

5. इस संस्थान के तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र बम्बई, कलकत्ता ओर नई दिल्ली में, और मानसिक मंद बच्चों के लिए माडल स्कूल नई दिल्ली हैं। इसके अतिरिक्त देश में मानसिक मंदता में डिप्लोमा पाठयक्रम आयोजित करने के लिए इसके 17 वित्तीय समर्थित प्रशिक्षण केन्द्र और 2 सम्बद्ध प्रशिक्षण केन्द्र है।

भारतीय सीमा पर गोली-बारी

*614. **श्री जगत बीर सिंह द्रोण** :
श्री प्रफुल पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में कितनी बार गोली-बारी की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जान और माल की कितनी क्षति होने के समाचार हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान से विरोध प्रकट किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी गोली बारी की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) पाकिस्तानी सैनिकों ने 1994 के दौरान 6 बार और 1995 के दौरान (30 अप्रैल तक) 2 बार भारतीय सीमा पर गोली-बारी की।

(ख) 24 जुलाई, 1994 को हुई गोलीबारी के दौरान सीमा सुरक्षा बल का एक कार्मिक मारा गया। 25 मार्च, 1995 को सादी वर्दी में पाक रेन्ज, दो सिविलियनों जो बच कर भागने में सफल हो गए, पर गोलीबार करने के बाद बैलों को ले गए।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि सीमा सुरक्षा बल द्वारा सभी अवसरों पर पाक प्राधिकारियों के पास अपना विरोध दर्ज कराया गया है, जिसके ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :–

(एक) 19 दिसम्बर, 1994 को, एक फ्लैग मीटिंग में, पाक प्राधिकारियों ने उत्तर दिया कि सीमा चौकी सं. 286/287 के नजदीक पाक रेन्जरों द्वारा की गयी गोलीबारी का निशाना सीमा सुरक्षा बल नहीं था, अपितु यह रिंग बंध के भीतर एक चांदमारी का अभ्यास था। चूंकि पाक रेन्जरों का कथन तथ्यतः असत्य था इसलिए उन्हें इससे सहमत न होने की सूचना भेजी गयी।

(दो) पाक रेन्जरों के पास यह विरोध दर्ज किया गया कि 12 अप्रैल, 1994 को कुछ उग्रवादियों ने पाक रेन्जरों की मिली भगत से पाकिस्तान से भारत की तरफ की सीमा बाड़ को तोड़ने की कोशिश की और पाक क्षेत्र से गोलीबारी की। उनसे ऐसी गतिविधियों से बाज आने का अनुरोध भी किया गया था।

(तीन) 24 जुलाई, 1994 को सीमा चौकी करमा के क्षेत्र में सीमा चौकी सं. 133/22 के नजदीक पाक रेन्जरों द्वारा नाका पार्टी पर गोलीबारी किए जाने के बारे में पाक रेन्जरों के पास विरोध दर्ज किया गया था।

(चार) सीमा चौकी नारले और शीला के नजदीक 17 मार्च, 1994 को गोलीबारी की घटना के बारे में प्रतिभागी (पाकिस्तान रेंजर्स) से विरोध दर्ज किया गया।

(पांच) सीमा चौकी सं. 330/379 के बीच 18 जनवरी, 1995 को गोली-बारी की घटना के बारे में पाक रेन्जरों के पास विरोध दर्ज किया गया लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

(छः) 25 मार्च, 1995 को सीमा चौकी मुजाम एफ डब्ल्यू डी के क्षेत्र के आस-पास सीमा का उल्लंघन किए जाने के बारे में पाक रेन्जरों के पास विरोध दर्ज किया गया ओर उनसे अनुरोध किया गया कि बैलगाड़ी में बैठे लोगों पर गोलीबारी करने के बाद सादी वर्दी में वे जिन जानवरों को उठा ले गए थे उन्हें वापस कर दे।

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(एक) महा निदेशक, पाक रेन्जर के साथ अर्ध वार्षिक बैठकों के दौरान पाक रेन्जरों के पास दर्ज कराए गए विरोध के बारे में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया।

(दो) फील्ड संगठनों को, विशेष रूप से सीमा के नजदीक पाक रेन्जरों के संचलन के दौरान अधिक सतर्क रहने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

(तीन) इस प्रकार की घटनाओं के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के लिए नाका/जांच चौकी ड्यूटियों बारे में फील्ड संगठनों को स्थायी प्रचलनात्मक कार्रवाई के बारे में सूचना जारी की गयी है।

(चार) सीमा पार से गोलीबारी की घटना के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए नाका-चौकियां पूरी तरह तैयार हैं।

(पांच) सीमा पर से होने वाली गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने के लिए दूरबीन, एल.ए.एस., एस.एस.जी. राईफले, गोगल्स ट्विन टेलीस्कोप, पी. एन. वी. दूरबीन ओर हैड हेन्ड सर्च लाइटें उपलब्ध करायी गयी हैं।

[हिन्दी]

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

*615. **श्री लाल बाबू राय :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 के दौरान कोयला खानों में खान-वार कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं में मारे गए तथा घायल हुए व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या क्या है;

(ग) प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया;

(घ) क्या कोयला खानों में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) 1994 के दौरान कोयला खानों में दुर्घटनाओं की संख्या 786 थी, जिसमें से 155 दुर्घटनाओं में मृतक शामिल थे तथा 631 दुर्घटनाएं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की थीं।

इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप 240 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 684 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। कंपनी-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार मुआवाजे की राशि निकाली जाती है तथा यह कामगार की आयु एवं मासिक आय पर आधारित होती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, मृतक के आश्रित को निम्नलिखित राशि का भुगतान किया जाता है :–

(एक) दाह संस्कार व्यय	– 500/- रु.
(दो) अनुग्रह राशि	– 10,000/- रु.
(तीन) जीवन बीमा योजना के अंतर्गत राशि	– 15,000/- रु.

इसके अतिरिक्त, मृतक के एक आश्रित को रोजगार की भी पेशकश की जाती है। विकल्प के रूप में रोजगार के बदले विधवा/महिला आश्रित को 60 वर्ष की आयु/मृत्यु होने/पुनः विवाह करने, इसमें जो भी पहले हो, तक 3000/- रु की मासिक पेन्सन का भुगतान किया जाता है।

(घ) और (ङ) कोल इंडिया लि. अपनी कोयला खानों में निम्नलिखित आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती है :–

(1) बोर्ड एवं पिल्लर क्रियाकलापों में मध्यवर्ती प्रौद्योगिकी जैसे-सिर (हैड) पर लदान के प्रयोग को समाप्त करने के लिए साइड डिस्चार्ज लोडर/।

लोडहाल डम्पर तथा ग्रीन रूफ क्षेत्रों में कार्यरत कर्मियों को न्यूनतम किया जाना।

(2) खनन में यंत्रीकृत सांगवाल प्रणाली का आरंभ किया जाना, जहां भी व्यवहार्य हो, हवा आवा-जाही स्ट्राटा तथा अन्य संबंधित पैरामीटर का बेहतर नियंत्रण किया जाना।

(3) रूफ बोल्टिंग अपनाना तथा टिम्बर सपोर्ट की इस्पात सपोर्ट से प्रगामी रूप में प्रतिस्थापना किया जाना; और

(4) प्रगामी रूप में वैज्ञानिक आधार पर रूफ सपोर्ट की योजना बनाना, जो कि राक मास रेटिंग (आर.एम.आर.) के अध्ययनों के प्रयोग द्वारा की जाएगी।

विवरण

(आकड़े अनंतिम)

कंपनी का नाम	शामिल कोलियरियों की संख्या	दुर्घटनाओं की सं.	मृतक व्यक्तियों की सं.	गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों की संख्या
कोल इंडिया लि.				
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	67	157	77	138
भारत कोकिंग कोल लि.	55	139	36	118
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	29	58	23	38
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	44	69	18	60
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	36	55	21	49
महानदी कोलफील्ड्स लि.	11	21	1	20
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	8	9	6	4
सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि.	63	250	51	234
इंडियन आयरन एंड स्टील कं.	3	8	1	9
टाटा आयरन एंड स्टील कं.	7	16	3	13
गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कार.	1	3	0	1
नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	1	3	3	0
जोड़	325	786	240	684

[अनुवाद]

भारत-ईरान समझौता

*616. **श्री श्रीकांत जेना :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और गैस की खोज और उत्पादन के लिए भारत और ईरान संयुक्त उद्यम कम्पनी स्थापित करने पर सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच किसी समझौते और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ईरान तेल की खोज के संबंध में भारत को किस हद तक सहायता देने के लिए सहमत हुआ है;

(ङ) क्या दोनों देशों ने गैस पाइपलाइन परियोजना की प्रगति की पुनरीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) तेल और गैस क्षेत्रों में अन्वेषण, विकास और सेवाओं के लिए विश्व स्तर पर अवसरों की खोज करने के उद्देश्य से संयुक्त उद्यम की रचना के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड और नेशनल इरानियन आयल कम्पनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ङ) और (च) दोनों देशों द्वारा ईरान-भारत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई है और संबंधित एजेंसियों को निर्धारित अवधि में व्यवहार्यता अध्ययन पूरा करने के लिए कहा गया है।

सुन्दरराजन समिति

*617. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**
डा. चिन्ता मोहन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुन्दरराजन समिति ने सरकारी मूल्य पद्धति को समाप्त कर के संपूर्ण तेल उद्योग क्षेत्र से नियंत्रण उठा लेने की सिफारिश की है;

(ख) क्या रिपोर्ट के आकलन के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादन की मांग में भारी वृद्धि की पूर्ति के लिए 300,000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक कितनी सिफारिशों की जांच की गई है; और

(ङ) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) सुन्दरराजन समिति रिपोर्ट, राष्ट्रीय तेल उद्योग की पुनर्संरचना करने के लिए बनाए गए "नीति निर्धारण नियोजन दल" जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के शीर्ष प्रबंधन तथा शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के अग्रणी विशेषज्ञ शामिल हैं, के लिए प्रारम्भिक सामग्री है।

"नीति निर्धारण नियोजन दल" की रिपोर्ट की प्रतिक्षा है।

परियोजनाओं की लागत में हो रही वृद्धि

*618. **श्री लोकनाथ चौधरी :**
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र की अनेक परियोजनाओं पर आने वाली लागत में हो रही वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कितनी हुई है;

(ग) इसके क्या कारण है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, हां।

(ख) 1.1.1995 की स्थिति के अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा प्रबोधित की जा रही 20 करोड़ रू. तथा अधिक लागत वाली 356 परियोजनाओं में से 145 परियोजनाओं ने, अपनी नवीनतम अनुमोदित, लागत के संबंध में, लागत वृद्धि की सूचना दी है। इन 145 परियोजनाओं की लागत 53188 करोड़ रू से बढ़कर 82140.7 करोड़ रुपए हो गई है अर्थात् इसमें 54.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) कुछ परियोजनाओं के संशोधित लागत अनुमानों के विश्लेषण के अनुसार लागत में वृद्धि के कारणों में मुख्य शामिल है :—सांविधिक शुल्कों जैसे कि उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर आदि में परिवर्तन, विदेशी विनिमय दरों में विभिन्नता पर्यावरणीय सुरक्षा तथा पुनर्वास उपायों की ऊंची लागत, भूमि अधिग्रहण की ऊंची लागत, परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र में बदलावी, कुछ अशांत क्षेत्रों में बोली लगाने वालों द्वारा उल्लिखित ऊंची दरें, मूल लागत अनुमानों को कम आंकना, सामान्य मूल्य वृद्धि तथा विलम्ब का प्रभाव।

(घ) लागत परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए जो उपाय किए जा रहें हैं, वे हैं :—

तैयारी तथा निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के पश्चात परियोजनाओं का अनुमोदन, समय पर कार्यान्वयन के लिए निकट से प्रबोधन, संशोधित लागत अनुमानों का समय से अनुमोदन तथा बजट संबंधी सहायता, आंतरिक संसाधनों तथा अतिरिक्त बजट संबंधी संसाधनों में वृद्धि के माध्यम से हुई लागत वृद्धि के कारण हुए वित्तीय अन्तर को पूरा करना।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों पर राज सहायता

*619. **श्री नीतिश कुमार :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक पेट्रोलियम उत्पादों पर राज सहायता की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान उत्पाद-वार कितनी-कितनी राज सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार ने इस राज सहायता से उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ का पता लगाने के लिए कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान इन राज सहायता प्राप्त उत्पादों का उपभोक्ता मूल्य क्या-क्या रहा है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रशासनिक व्यय में कितनी अनुपातिक वृद्धि हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों पर 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए राज सहायता की अनुमानित धनराशि निम्नानुसार रही है:

करोड़ रुपए में

	राज सहायता		
	1992-93	1993-94	1994-95
एस के ओ (घरेलू)	3304	3773	3740
एल पी जी (घरेलू)	1176	1261	1410
नेफथा (उर्वरक उपयोग)	532	503	520
एफ ओ (उर्वरक उपयोग)	148	167	200
एल एस एच एस (उर्वरक उपयोग)	135	102	130
एच एस डी	120	575	430
बिटुमैन (पैक्ड)	152	126	110
पैराफीन वेक्स	119	89	20
कुल	5686	6596	6560

मिट्टी के तेल और एल पी जी (घरेलू) के मूल्यों की संरचना इस प्रकार बनाई गई है ताकि समाज के निर्धन तबकों को यह मदें कम दरों पर प्रदान की जा सकें और घरेलू उपयोगों के लिए घरेलू कोयले, बायोमास आदि जैसे ईंधनों पर निर्भरता कम की जा सके।

एस के ओ, एच एस डी और एल पी जी के उपभोक्ता मूल्य स्थानीय उद्ग्रहणों और परिवहन प्रभारों के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए भिन्न भिन्न होंगे। तथापि, दिल्ली में एस के ओ (घरेलू), एच एस डी और एल पी जी (घरेलू) के उपभोक्ता मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

प्रभावी तिथि	एस के ओ (घरेलू) प्रति लीटर	एच एस डी प्रति लीटर	एल पी जी (घरेलू) प्रति सिलेंडर (14.2 कि. ग्रा.)
16.9.1992	2.52	6.11	82.55

प्रभावी तिथि	एस के ओ (घरेलू) प्रति लीटर	एस एस डी प्रति लीटर	एल पी जी (घरेलू) प्रति सिलेंडर (14.2 कि. ग्रा.)
14.1.1994	2.54	6.17	93.85
2.2.1994	2.54	6.98	93.85
10.4.1995	2.57	6.99	93.38

[अनुवाद]

कांडला-भटिंडा पाइपलाइन परियोजना

*620. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने कांडला-भटिंडा पाइपलाइन परियोजना के लिए लाइन पाइपों की आपूर्ति हेतु नई अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी निविदाएं प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई ठेका दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ङ) इस परियोजना की मूल लागत कितनी है और इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन ने आरम्भ में वित्तीय पैकेज के साथ लाइन पाइपों के प्रापण के लिए जून, 1991 में विश्वव्यापी निविदा जारी कर दी थी। तथापि, जुलाई 1993 में निविदा बंद कर दी गई थी। इंडियन आयल कारपोरेशन ने जून, 1993 में एक नई विश्वव्यापी निविदा जारी की और उसके अनुसरण में 9 निविदायें प्राप्त की गई थीं तथा उनमें से 3 पक्षकारों को संविदायें एवार्ड की गई थी। संविदा की मुख्य शर्तों और निबंधनों सहित पक्षकारों के नाम निम्नवत् हैं :-

(एक) मैसर्स टयूबासेरो एस ए डी सी वी, मेक्सिको—एफ ओ बी आधार पर 22" ओ डी × 65 ग्रेड (0.25" डब्ल्यू टी एवं 0.469" डब्ल्यू टी) के लिए 686 कि. मी. लाइन पाइप हेतु जिसकी आपूर्ति जून, 1994 तक पूरी होनी थी।

(दो) मैसर्स कोनफैब ट्रेडिंग एस ए ब्राजील-सी एण्ड एफ आधार पर 22" ओ डी × 65 ग्रेड(0.250" डब्ल्यू टी) के लिए 171 कि. मी. लाइन पाइप हेतु जिसकी आपूर्ति मार्च, 1994 तक पूरी होनी थी।

(तीन) मैसर्स सा पाइप्स लि., नई दिल्ली, भारत—एक्स वर्कस आधार पर 22" ओ डी × 65 ग्रेड (0.281" डब्ल्यू टी तथा 0.344" डब्ल्यू टी) के लिए 87 कि. मी. लाइन पाइप हेतु जिसकी आपूर्ति अप्रैल, 1994 तक पूरी होनी थी। निरीक्षण कार्य निष्पादन गारंटी तथा सुपुर्दगी इत्यादि में विलंब के लिए छूट खण्ड अन्य शर्तें हैं।

(ङ) परियोजना की मूल लागत 917.55 करोड़ रुपए (मार्च, 1990 के मूल्य स्तर पर) थी तथा अगस्त, 1990 में सरकार के अनुमोदन की तारीख से 33 माह तक इसके पूरे किए जाने का कार्यक्रम था।

[हिन्दी]

भारत-पाक सीमा

6108. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में भारत-पाक सीमा पर बागाह स्थित चौकियों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका ध्यान वहां पर स्थित स्तम्भों तथा चौकियों की समय पर मरम्मत करने की आवश्यकता की ओर दिलाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इन समस्याओं के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) तथापि भारत-पाक सीमा (पंजाब, राजस्थान और गुजरात) पर सीमा स्तंभों के रख-रखाव का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा रहा है तथा रख-रखाव के कार्य में हुई प्रगति का प्रबोधन भी किया जा रहा है।

विकास कार्य

6109. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विकास में सरकारी उपक्रमों और निजी संगठनों की क्या भूमिका है;

(ख) क्या देश के विकास कार्य में निजी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी बढ़ाने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग) : आठवीं पंचवर्षीय योजना ने विकास में सार्वजनिक क्षेत्रक की भूमिका और निजी क्षेत्र से प्रत्याशित योगदान की रूप-रेखा प्रस्तुत की है। ये भूमिकाएँ निम्नलिखित रूप से परिभाषित की गई है :-

(एक) सार्वजनिक क्षेत्रक को केवल उन्हीं क्षेत्रकों में निवेश करना चाहिए जहाँ निवेश आधार भूत संरचनात्मक प्रकृति के समग्र रूप से संवृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक है और जहाँ निजी क्षेत्रक की भागीदारी के सम्यक समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य के भीतर पर्याप्त सीमा तक सम्मुख आने की संभावना नहीं है।

(दो) सार्वजनिक क्षेत्रक उन क्षेत्रों से भी पीछे हट जाएगा जहाँ इसकी मौजूदगी से कोई सार्वजनिक प्रयोजन सिद्ध नहीं हो। सार्वजनिक क्षेत्रक को वहां प्रवेश करना चाहिए जहाँ निवेश तत्वतः देश के मूल संसाधनों के परिरक्षण और संवर्धन के लिए हो जैसे भूमि, वन, जल और पारिस्थितिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अथवा प्रमुख आधार संरचनात्मक कार्यकलापों को चलाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने अथवा समाज के दीर्घावधिक हितों को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी होगा। जैसे जनसंख्या नियन्त्रण, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि।

(तीन) सार्वजनिक क्षेत्रक संचालन के बड़े भाग में जहाँ पदार्थों अथवा सेवाओं का उत्पादन और वितरण किया जाता है बशर्ते समाज में अत्यंत निर्धनों के संरक्षण के लिए आवश्यक हो जाने पर बाजार अर्थ व्यवस्था के सिद्धान्त को प्रमुख प्रचालन सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसका अर्थ प्रचालन में पूर्ण दक्षता सहित लागत और लागत प्रणाली के अनुसार कीमत प्रभारित करना है।

स्वैच्छिक क्षेत्रक की भूमिका के सम्बन्ध में आठवीं योजना में उल्लेख है कि :

आठवीं पंचवर्षीय योजना में विकास को एक जन आंदोलन बनाना आवश्यक है। विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया में जनता की पहल और भागीदारी आवश्यक रूप से मुख्य तत्व होने चाहिए। शिक्षा (विशेष रूप से साक्षरता), स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, भूमि सुधार, दक्ष भूमि उपयोग, लघु सिचाई, वाटरशेड प्रबन्धन, बंजरभूमि सुधार, वनरोपण, पशुपालन, डेरी, मछलीपालन और रेशम उत्पादन आदि के क्षेत्र में सामाजिक संस्थानों को समाज की ओर उत्तरदायी बना कर बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अतः ध्यान के केन्द्र बिन्दु के रूप में स्वैच्छिक क्षेत्रक की व्यापक क्षमता के उपयोग द्वारा डिलीवरी पद्धति में सुधार के लिए बहुविध संस्थानात्मक विकल्पों का विकास होगा। अनेक औद्योगिक, आधारभूत संरचनात्मक और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्रक की भागीदारी और स्वैच्छिक क्षेत्रक की भागीदारी आमंत्रित करके आठवीं योजना की प्रत्याशाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार में डाक और तार घर

6110. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश तथा बिहार में, जिलावार, कितने डाक और तार घर तथा टेलीफोन एक्सचेंज खोले गये; और

(ख) इन राज्यों में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने डाक और तार घर तथा टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) डाक व तारघर (जिलावार)

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में खोले गए डाक व तारघरों की संख्या क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दी गई है। बिहार के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी,

टेलीफोन एक्सचेंज

जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी, और

(ख) डाकघर

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन दो राज्यों में डाकघर खोलने के लक्ष्य निम्नानुसार हैं :

	1992-93	1993-94	1994-95
बिहार	78	98	14
उत्तर प्रदेश	85	104	33

तारघर

ग्रामीण क्षेत्रों में तारघर खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि तारघर खोलना परियात की मात्रा व मांग पर निर्भर करता है।

टेलीफोन एक्सचेंज

जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण I

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में खोले गए डाकघरों की संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या
1.	कानपुर सिटी	6
2.	कानपुर देहात	21
3.	उन्नाव	24
4.	फतेहपुर	10
5.	फतेहगढ़	12
6.	बांदा	15
7.	हमीरपुर	3
8.	इलाहाबाद	14
9.	गाजीपुर	12
10.	जौनपुर	6
11.	प्रतापगढ़	10
12.	मिर्जापुर	4
13.	सोनभद्र	--
14.	वाराणसी	13
15.	अल्मोड़ा	16

क्र. स.	जिले का नाम	सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या
16.	खीरी	2
17.	हरदोई	26
18.	बरेली	24
19.	बदायुं	9
20.	शाहजहांपुर	35
21.	नैनीताल	5
22.	पीलीभीत	3
23.	पिथौरागढ़	14
24.	मुरादाबाद	11
25.	रामपुर	7
26.	सीतापुर	5
27.	रायबरेली	17
28.	सुलतानपुर	1
29.	बाराबंकी	30
30.	लखनऊ	15
31.	फैजाबाद	10
32.	आजमगढ़	10
33.	मऊ	8
34.	गोरखपुर	16
35.	महाराजगंज	10
36.	बस्ती	57
37.	सिद्धार्थनगर	11
38.	गोंडा	48
39.	बलिया	12
40.	बहराइच	20
41.	देवरिया	12
42.	आगरा	7
43.	अलीगढ़	3
44.	बुलंदशहर	7
45.	एटा	10
46.	इटावा	10
47.	झांसी	6
48.	जालौन	4
49.	ललितपुर	2
50.	मथुरा	3
51.	मैनपुरी	4
52.	फिरोजाबाद	1
53.	बिजनौर	12
54.	चमोली	17
55.	देहरादून	1
56.	गाजियाबाद	6
57.	मेरठ	14
58.	मुजफ्फरनगर	6
59.	पौड़ी गढ़वाल	11
60.	सहारनपुर	3
61.	टिहरी गढ़वाल	13
62.	उत्तरकाशी	6
63.	हरिद्वार	1
	कुल :	731

विवरण II

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में खोले गए तारघरों (संयुक्त डाक-तार घरों सहित) की संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	तारघरों की संख्या
1.	आगरा	22
2.	अलीगढ़	31
3.	इलाहाबाद	13
4.	अल्मोड़ा	18
5.	आजमगढ़	5
6.	बाराबंकी	16

क्र. सं.	जिले का नाम	तारघरों की संख्या
7.	बरेली	26
8.	बिजनौर	21
9.	बदायूं	20
10.	बलिया	17
11.	बांदा	10
12.	बुलन्दशहर	17
13.	बस्ती	18
14.	बहराइच	8
15.	चमोली	10
16.	देवरिया	17
17.	देहरादून	5
18.	इटावा	13
19.	एटा	19
20.	फर्रूखाबाद	15
21.	फैजाबाद	18
22.	फतेहपुर	14
23.	फिरोजाबाद	–
24.	गोरखपुर	7
25.	गोंडा	21
26.	गाजियाबाद	23
27.	गाजीपुर	14
28.	हमीरपुर	19
29.	हरदोई	19
30.	झांसी	13
31.	जौनपुर	11
32.	जालौन	8
33.	कानपुर	1
34.	लखीमपुर	18
35.	लखनऊ	14
36.	ललितपुर	7
37.	मथुरा	15
38.	मुरादाबाद	18
39.	मुजफ्फर नगर	14
40.	मिर्जापुर	7
41.	मेरठ	14
42.	मैनपुरी	1
43.	मऊनाथभंजन	11
44.	महाराजगंज	2
45.	नैनीताल	6
46.	पिथौरागढ़	24
47.	पीलीभीत	10
48.	प्रतापगढ़	3
49.	पौड़ी	11
50.	रामपुर	16
51.	रायबरेली	23
52.	सिद्धार्थनगर	1
53.	सुलतानपुर	22
54.	सहारनपुर	8
55.	शाहजहांपुर	10
56.	सीतापुर	11
57.	सोनभद्र	2
58.	टिहरी	11
59.	उन्नाव	16
60.	उत्तरकाशी	2
61.	वाराणसी	14
	कुल :	801

[अनुवाद]

मुफ्त कॉल

6111. **श्री जे. चोक्का राव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन प्रयोक्ताओं को किराया भुगतान के अंश के रूप में अपने टेलीफोनों से मुफ्त कॉल करने की अनुमति नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) उपभोक्ताओं को अनुमत निःशुल्क कॉलों को टेलीफोन किराए की अदायगी के भाग के रूप में नहीं माना जाता है। किराया वह प्रभार है जो दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंच के संबंध में उद्‌गृहीत किया जाता है।

मुंबई को जल की आपूर्ति

6112. **श्री राम नाईक** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई को जल की आपूर्ति के लिए मिड वैतरणा परियोजना के संभावित अध्ययन के संबंध में एक प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोग के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजना को कब तक स्वीकृति मिल जाएगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी हां। राज्य सरकार ने मध्यम वैतरणा बांध की व्यवहार्यता रिपोर्ट और विकास अध्ययन रिपोर्ट सितम्बर, 1993 में इसके तकनीकी पहलुओं की जांच के लिए केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की थी। राज्य सरकार को लागत और जल भू वैज्ञानिक पहलुओं पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है, और भूकम्पीय पैरामीटरों के डिजाइन की राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित बांध के डिजाइन के लिए अपनाए गये भूकम्पीय पैरामीटर प्राप्त करने है।

(ग) परियोजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त भूकम्पीय पैरामीटर अपनाने के अलावा लागत और जल भू वैज्ञानिक पहलुओं पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना पर निर्भर करती है।

वायस, डाटा एण्ड वीडियो सेवाएं

6113. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में वायस, डाटा और वीडियो सेवाएं आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये सेवाएं कब तक आरम्भ कर दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) विभाग पहले से ही देश में वायस टेलीफोन सेवा प्रचालित कर रहा है। विभाग स्विचूड डाटा सेवा (आई एन ई टी) भी प्रचालित कर रहा है। इसके साथ ही विभाग भारतीय रजिस्टर्ड कम्पनियों को निम्नलिखित मूल्यवर्धित सेवाएं भी प्रदान कर रहा है : (क) इलैक्ट्रॉनिक मेल (ख) वॉयस मेल (ग) वीडियो कान्फ्रैंसिंग (घ) वीडियो टैक्स (ङ) इनसैट उपग्रह इत्यादि द्वारा वी एस ए टी का प्रयोग करते हुए क्लोजूड यूजर ग्रुप 64 के बी पी एस डोमेस्टिक डाटा सर्विस।

(ख) अब तक निम्नलिखित कई कम्पनियों ने विभिन्न मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए हैं :

इलैक्ट्रॉनिक्स मेल	– 10
वॉयस मेल	– 2
इनसेट द्वारा वी एस ए टी का प्रयोग करते हुए क्लोजूड यूज़र ग्रुप 64 के बी पी एस डोमेस्टिक डाटा सर्विस	– 10

(ग) अब तक 3 कम्पनियों ने ई-मेल सेवा और 1 कम्पनी ने वी एस ए टी सेवा आरंभ की है। लाइसेंस करार के अनुसार लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने के एक वर्ष के अंदर ही सेवाएं आरंभ करनी होती हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में डाकघर

6114. **श्री नुरूल इस्लाम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान विभिन्न राज्यों में, विशेषतः पूर्वोत्तर राज्यों में, डाकघर खोलने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उक्त अवधि में ऐसे कितने डाकघर कहां-कहां खुले;

(ख) लोक प्रतिनिधियों द्वारा असम में किन-किन स्थानों पर नए डाकघर खोलने की सिफारिश की गई थी; और

(ग) ऐसे डाकघर कहां-कहां खोले गए हैं और किन-किन स्थानों पर ये खोले नहीं जा सके तथा इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

एक्स डी.-90 स्विच का विकास

6115. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्री लिमिटेड की एक्स. डी.–90 स्विच के विकास संबंधी परियोजना, जिससे कि कम्पनी को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मुकाबला करने की आशा थी, विफल सिद्ध हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना के विकास पर अनुमानतः कुल कितना खर्च हुआ ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) आई टी आई द्वारा अधिक क्षमता वाले डिजिटल स्विच एक्स डी–90 का अनुसंधान एवं विकास कार्य 1990 में शुरू किया गया था। 1991 में दूरसंचार क्षेत्र के उदारीकरण के पश्चात् प्रतिष्ठित अनेक स्विचन प्रौद्योगिकियों के विनिर्माण का

कार्य निजी विनिर्माताओं द्वारा बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों से प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करके शुरू किया था। अतः आई टी आई प्रबंधन ने विकास के केन्द्र में फेर-बदल कर दिया ताकि विकासरत नए डिजिटल स्विच को सार्वजनिक नेटवर्क के बजाय विभिन्न विशेषताओं वाले निजी नेटवर्क के लिए उपयोग में लाया जा सके।

चूंकि अनुसंधान एवं विकास कार्य की प्रगति विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदले परिवेश को ध्यान में रखते हुए कई बार बीच में ही संशोधन करना आवश्यक हो जाता है।

(ग) आई टी आई द्वारा अभी तक इस परियोजना पर लगभग 9.2 करोड़ का व्यय किया गया है। इसमें क्षेत्र परीक्षण के लिए अपेक्षित उपस्कर पर किया गया 2 करोड़ रु. का व्यय भी शामिल है जिसमें सामग्री के कुछेक भाग को फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है। उपरोक्त व्यय स्विच में लाभदायक सिद्ध हुआ है जिसे अब मुख्यतः निजी नेटवर्क तथा ए एस आई सी के विकास कार्य में प्रयोग किया जा रहा है।

समन्वित जनजाति विकास एजेंसी को धनराशि का आबंटन

6116. **श्री एम. जी. रेड्डी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश में स्थानीय समन्वित जनजाति विकास एजेंसी के माध्यम से कई कार्यक्रमों का वित्त पोषण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु वर्ष 1994-95 के लिए आन्ध्र प्रदेश में आई. टी. डी. ए. के विभिन्न कार्यालयों को कितने आवेदन प्राप्त हुए है;

(ग) वर्ष 1994-95 में दिए गए ऐसे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सही है कि पूर्व गोदावरी जिले में आई. टी. डी. जैसे कुछ कार्यालयों द्वारा ऐसी योजनाओं का विरोध किया जा रहा है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार इस बात की पुष्टि करेगी कि वर्ष 1994-95 के लिए पूर्व गोदावरी जिले में इस तरह का कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस मामले की जांच कराने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (च) आन्ध्र प्रदेश सरकार से सूचना मांगी गई है और इसके मिलते ही सभा पटल पर रख दीजाएगी।

[हिन्दी]

आई. एस. डी. पर प्रतिबंध

6117. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग (आई. एस. डी.) सेवा पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सेवा पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय नहीं लिया है। तथापि, नए टेलीफोन कनेक्शनों और नए एस. टी. डी. युक्त सार्वजनिक टेलीफोनों पर आई एस डी सुविधा, उपभोक्ताओं के विशेष अनुरोध पर प्रदान की जाएगी।

प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता

6118. **श्री छेदी पासवान :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार एवं अन्य राज्यों को प्रति व्यक्ति कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ख) क्या राज्यों विशेषकर बिहार को केन्द्रीय सहायता देने में कोई भेदभाव किया जाता है;

(ग) केन्द्रीय सहायता के आबंटन में इस प्रकार के भेद-भाव के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस तरह के भेद-भाव को समाप्त करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 के दौरान बिहार और अन्य राज्यों को उपलब्ध कराई गई प्रति व्यक्ति केंद्रीय सहायता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (च) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सामान्य केंद्रीय योजना सहायता का आबंटन राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा, अनुमोदित संशोधित गाडगिल फार्मूले के आधार पर किया गया था और इस फार्मूले में राज्यों में केन्द्रीय योजना सहायता के प्रति व्यक्ति आबंटन में भिन्नता की अनुमति है क्योंकि फार्मूले में विशिष्ट मानदंड और अधिकार दिए गए हैं। इस फार्मूले को 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा पुनः संशोधित किया गया था और आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए केंद्रीय योजना सहायता का आबंटन इस संशोधित फार्मूले के अनुसार किया गया है। दोनों फार्मूले बिहार जैसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों के पक्ष में हैं।

विवरण

संशोधित गाडगिल फार्मूले के तहत राज्यों को प्रति व्यक्ति सामान्य (सकल) केंद्रीय सहायकता की उपलब्धता

सातवीं योजना (1985-90)

	राज्य	रुपये
क.	**विशेष श्रेणी**	
1.	अरूणाचल प्रदेश	5029

	राज्य	रुपये
2.	असम	1142
3.	हिमाचल प्रदेश	1881
4.	जम्मू व कश्मीर	2802
5.	मणिपुर	3341
6.	मेघालय	2992
7.	मिजोरम	4147
8.	नागालैंड	5844
9.	सिक्किम	7071
10.	त्रिपुरा	2278
	औसत	**2048**
ख.	**गैर विशेष श्रेणी**	
1.	आन्ध्र प्रदेश	268
2.	बिहार	296
3.	गोआ	227
4.	गुजरात	207
5.	हरियाणा	227
6.	कर्नाटक	206
7.	केरल	375
8.	मध्य प्रदेश	255
9.	महाराष्ट्र	178
10.	उड़ीसा	347
11.	पंजाब	214
12.	राजस्थान	300
13.	तमिलनाडु	266
14.	उत्तर प्रदेश	255
15.	पश्चिम बंगाल	178
	औसत	**253**
	औसत (क+ख)	**350**

प्रति व्यक्ति सहायता निकालने के लिए प्रयोग में लाए गए जनसंख्या संबंधी आंकड़े 1991 जनगणना पर आधारित है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में डाकघर

6119. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान पश्चिम बंगाल में किन-किन स्थानों के लिए डाकघरों/उप-डाकघरों हेतु स्वीकृति दी गई और किन-किन स्थानों पर वास्तव में खोले गए;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में ऐसे और अधिक डाकघर खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) योजना लक्ष्य 1993-94 के अधीन मालदा जिले में चसपाड़ा में और बर्दवान जिले में नुपुर में दो शाखा डाकघर मंजूर किए गए। इन्हें 1994-95 के दौरान खोला गया। वर्ष 1994-95 के दौरान पश्चिम बंगाल सर्किल में कोई डाकघर खोलने की मंजूरी नहीं दी गई।

(ख) और (ग) वर्ष 1995-96 के दौरान डाकघर खोलने के योजना लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

सचिवों की बैठक

6120. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टी. वी. एवं रेडियो नेटवर्क के विस्तार के लिए राज्यों के सहयोग के संबंध में 1994 में राज्यों के सूचना सचिवों की बैठक के परिणाम पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही की प्रगति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : जून, 1994 में आयोजित राज्य सचिवों की बैठक में उन्होंने राज्यों में स्थापित की जाने वाली आकाशवाणी/दूरदर्शन परियोजनाओं के लिए आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए सहयोग देने का आश्वासन दिया था तथा राज्यों और मंत्रालय के बीच पारस्परिक कार्यवाही को बढ़ाने की भी इच्छा प्रकट की थी जिससे कि परवर्ती अपनी सेवाओं को बढ़ाने/सुदृढ़ करने में सक्षम हो सके। कई राज्य उपयुक्त स्थल, निर्मित आवास, आदि जैसी आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवा रहे हैं।

व्यावसायिक स्वास्थ्य सहायक

6121. **श्री हाराधन राय :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लि. तथा इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा कई लोगों को व्यावसायिक स्वास्थ्य सहायकों के रूप में नियुक्त किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने लोगों को नियुक्त किया गया;

(ग) इस पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता क्या है तथा इस पद पर नियुक्ति का तरीका क्या है; और

(घ) क्या व्यावसायिक स्वास्थ्य सहायकों के रूप में इन लोगों की नियुक्ति इनके वेतन के संबंध में राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता के अंतर्गत आती है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश और गुजरात में दूरसंचार सुविधाएं

6122. **श्री खेलन राम जांगडे :**

श्री काशीराम राणा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्तर पर दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के संबंध में मध्य प्रदेश एवं गुजरात की अन्य राज्यों की तुलना में क्या स्थिति है;

(ख) क्या उक्त राज्य को आधारभूत सुविधाएं एवं आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान नए टेलीफोन कनेक्शनों और ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के संबंध में दूरसंचार सुविधाओं का सर्किलवार प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम संलग्न में दिया गया है। मध्य प्रदेश और गुजरात में प्रस्तावित दूरसंचार सुविधाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण के क्रमशः क्रमांक 4 और 10 पर दिया गया है।

(ख) उक्त राज्यों को आवश्यक आधारिक संरचनात्मक सुविधाएं तथा अपेक्षित धन-राशि प्रदान की जा रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1995-96 के दौरान दूरसंचार सुविधाओं का सर्किलवार प्रस्तावित विस्तार-कार्यक्रम

क्र. सं.	सर्किल	नए टेलीफोन कनेक्शन	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन
1.	आन्ध्र प्रदेश	134000	700
2.	असम	10000	2000
3.	बिहार	40000	15000
4.	गुजरात	145000	2000
5.	हरियाणा	40000	200
6.	हिमाचल प्रदेश	20000	2800
7.	जम्मू व कश्मीर	5000	1200
8.	कर्नाटक	136000	3700
9.	केरल	200000	--
10.	मध्य प्रदेश	85000	10400
11.	महाराष्ट्र	185000	5000
12.	उत्तर पूर्व	10000	3600
13.	उड़ीसा	25000	8500
14.	पंजाब	140000	2300
15.	राजस्थान	110000	5800
16.	तमिलनाडु	145000	600
17. 18.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी) एवं उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	145000	34000
19. 20.	पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह	20000	7200
21.	बम्बई महानगर टे. नि. लि.	100000	--
22.	दिल्ली म. टे. नि. लि.	260000	--
23.	कलकत्ता	90000	--
24.	मद्रास	125000	--

[अनुवाद]

फील्ड कार्यालयों को बंद करना

6123. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार का विचार केंद्रीय जल आयोग के भुवनेश्वर, उड़ीसा स्थित कुछ फील्ड कार्यालय बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे फील्ड कार्यालयों के क्या नाम हैं;

(ग) इस बंदी से कितने कर्मचारी और कामगार प्रभावित होंगे; और

(घ) सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने जा रही है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी नहीं। भुवनेश्वर, उड़ीसा में केन्द्रीय जल आयोग के किसी फील्ड कार्यालय को बंद करने का कोई निर्णय नहीं है। तथापि, केन्द्रीय जल आयोग के प्रादेशिकता कार्यक्रम के तहत भुवनेश्वर स्थित एक प्रभाग नामशः ब्राह्मणी सुवर्णरिखा प्रभाग को एक मानीटरी यूनिट में बदल दिया गया है। इसे बदलने से उप-प्रभागों और केन्द्रों की संख्या या अवस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा बदलाव जल संसाधन क्षेत्र में बदलती आवश्यकताओं की व्यवस्था करने और राज्य की जल संसाधन परियोजनाओं की मानीटरी करने के लिए किया गया है।

(ग) और (घ) पुर्नसंगठन और परिणामस्वरूप प्रभागीय कार्यालय की मानीटरी यूनिट में बदलने से भुवनेश्वर स्थित फील्ड कार्यालयों में कार्यरत किसी विद्यमान कर्मचारी की छटनी करने की परिकल्पना नहीं है। अतः कर्मचारियों के हित सुरक्षित हैं।

कोयले पर रायल्टी

6124. **डा. आर. मल्लू :** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्यों को राज्य-वार कोयले पर कितनी रायल्टी दी गई;

(ख) क्या कोयले के बिक्री मूल्य की गणना के प्रयोजनार्थ रायल्टी भुगतान को लागत के अंश के रूप में लिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो बिक्री से हुए लाभ में से रायल्टी का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) वर्ष 1991-92 से 1994-95 (सितम्बर, 1994 तक) की अवधि के दौरान कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.) और सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. (सिं. को. कं. लि.) द्वारा अदा की गई कोयले की रायल्टी का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रु. में)

कोयला कंपनी	राज्य	91-92	92-93	93-94	94-95 (सितम्बर, 94 तक)
को. इं. लि.	असम	0.64	0.54	0.44	0.41
को. इं. लि.	बिहार	317.80	504.31	555.05	252.42
को. इं. लि.	महाराष्ट्र	61.04	108.86	111.09	64.15
को. इं. लि.	मध्य प्रदेश	240.20	384.52	369.56	168.14
को. इं. लि.	उड़ीसा	43.47	63.14	72.82	38.11
को. इं. लि.	उत्तर प्रदेश	47.49	66.76	70.59	32.51
को. इं. लि.	पश्चिम बंगाल	10.07	8.72	10.63	2.85
को. इं. लि.	जोड़	720.71	1136.85	1190.18	558.59
को. इं. लि.	आंध्र प्रदेश	35.42	100.00	291.30	24.86

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयले की कीमतें एक्स-पिटहैड के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिसमें सभी कर शामिल नहीं किए जाते हैं। रायल्टी की अदायगी सरकार द्वारा निर्धारित की गई कोयले की कीमतों के अंतर्गत शामिल नहीं की जाती हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

सिंचाई के लिए धनराशि का आबंटन

6125. **डॉ. लाल बहादुर रावल :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई परि-योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी धन राशि का आबंटन किया गया ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बी. रंगय्या नायडू) : योजना आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश की बड़ी एवं मझौली योजनाओं के संबंध में आठवीं योजना के लिए 2599.34 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

[अनुवाद]

विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा रोजगार

6126. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड में सेवाकाल के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रित पारिवारिक सदस्यों के रोजगार संबंधी कई मामले लम्बे समय से लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है तथा लंबित मामलों को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों का शीघ्र निपटारा करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं। विदेश संचार निगम लिमिटेड ने समय-समय पर ऐसी नियुक्तियाँ की हैं।

(ख) 1991-95 की अवधि के दौरान विदेश संचार निगम लि. में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों के लिए लगभग 50 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से 15 नियुक्तियाँ पहले ही की जा चुकी हैं। शेष 35, समूह 'घ' पदों के लिए हैं। कंपनी की नीति यह है कि रिक्त पदों की कमी और प्रौद्योगिकी-परिवर्तनों की वजह से स्टाफ सरप्लस हो जाने के कारण इस श्रेणी में कार्मिकों की भर्ती न की जाए।

(ग) जैसा कि ऊपर भाग (ख) के उत्तर में स्पष्ट किया गया है, नियुक्तियों के लिए, जहां कहीं संभव हो, कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

कुवैत के साथ समझौता

6127. **श्री एन. जे. राठवा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने हेतु कुवैत के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989

6128. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत किए गए उपायों के संबंध में समन्वय स्थापित करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने संसद के पटल पर अभी तक राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम की धारा 21 (2) के प्रावधानों के संबंध में किए गए उपायों के बारे में कोई वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में एक रिपोर्ट कब तक पटल पर रख दी जाएगी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए गए उपायों को समन्वय करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

(एक) राज्यों को 50.50 के आधार पर तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है। 1994-95 के दौरान 600 लाख रुपए के बजट प्रावधान के सम्मुख 974.71 लाख रुपए निर्युक्त किए गए।

(दो) अप्रभावित राज्य अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा नागालैंड को छोड़कर सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अपराधों की जांच के लिए वर्तमान सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर दिया है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्य सरकारों ने क्रमशः तीन, दस तथा सोलह अनन्य विशेष न्यायालय ऐसे मामलों की जांच के लिए स्थापित किए हैं।

(तीन) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए विभिन्न ऐहतियाती, निवारणात्मक, दंडात्मक तथा पुनर्वासात्मक उपाय सुझाते हुए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(चार) अनुसूचति जाति तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार निवारण के लिए प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में 4-5 अक्तूबर, 1991 को मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था तथा सम्मेलन में की गई विभिन्न सिफारिशों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अग्रसारित कर दिया गया था।

(पांच) इसके अतिरिक्त, कल्याण मंत्री जी ने अपने दिनांक 3.6.1993 के पत्र के अनुसार सभी मुख्य मंत्रियों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपालों तथा प्रशासकों से भी अनुरोध किया था।

(क) अधिमानतः निश्चित समय सीमा के भीतर अत्याचारों के मामलों में तेजी से निपटान् के लिए उपाय करना।

(ख) विलम्ब अथवा दोषपूर्ण जांच के लिए जिम्मेदार कारणों का सिलसिलेवार अध्ययन तथा विश्लेषण करना।

(ग) पुलिस तंत्र में उनके बीच विश्वास का संचार करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर पुलिस बल में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सम्प्रदायों के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व पर विचार करना तथा अत्याचार करने वालों के बीच कठोर प्रभाव का सृजन करना।

(छः) कल्याण राज्य मंत्री (कल्याण) ने भी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को 27.4.1994 को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया था कि :

(क) अत्याचार के मामलों को अग्रता पर निपटाया जाए तथा शीघ्र निपटान के लिए विलम्ब के कारणों की जांच की जाएं;

(ख) अत्याचार के मामले में गवाहों को समुचित सुरक्षा तथा पुरस्कार प्रदान किए जाएं;

(ग) निचले स्तर पर प्रमाणित निष्ठा तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति सहानुभूति रखने वाले अधिकारियों की नियुक्ति अत्याचार प्रवण क्षेत्र में किया जाए।

(घ) जिला अधिकारियों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा साधन सम्पन्न लोगों के बीच मुख्य विवादों पर नजर रखी जाय तथा अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए जब कभी आवश्यक हो निवारणात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इसके अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकारिक स्तर पर राज्य सरकारों को समय-समय पर पत्र भी भेजे जाते रहे हैं।

(सात) जुलाई 6 से 8, 1994 तक नई दिल्ली में केन्द्रीय पुलिस बलों के प्रमुखों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों का एक वार्षिक सम्मेलन हुआ था जिसमें समाज के ऐसे संवेदनशील समूहों के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए विशिष्ट उपायों पर आम सहमति सृजन के लिए "अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा समाज के अन्य समूहों पर अत्याचारों से निपटने के लिए तंत्र को सुदृढ़" करने पर भी विचार-विमर्श हुआ था।

(आठ) दिनांक 31.3.1995 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1955 को अधिसूचित कर दिया गया है।

(नौ) दिनांक 6.7.1997 को बेंगलूर में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसूचित जाति कल्याण के प्रभारी मंत्रियों तथा सचिवों का एक सम्मेलन सम्पन्न हुआ था जिसमें अन्य मदों के साथ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की समीक्षा की गई थी।

(ख) से (घ) जी, नहीं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21 (4) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में 1990 वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट क्रमशः लोक सभा में 25.8.1994 को तथा राज्य सभा में 26.8.1994 को सभा पटल पर रख दी गई थी।

मानसिक रूप से विकलांग लोगों को पेंशन

6129. **श्री धर्मभिक्षम :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए पेंशन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार की विकलांगों और मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन प्रदान करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र मासिक पेंशन योजनाएं चलाती हैं, जिसमें विकलांग तथा मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों को पेंशन भी शामिल है। विस्तृत सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विकलांग व्यक्तियों को दिए जाने वाली पेंशन का ब्यौरा
1.	आन्ध्र प्रदेश	आयु का ध्यान न रखते हुए 30/- रु. प्रतिमाह। संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से मानसिक विकलांग बच्चों को अनुरक्षण भत्त के रूप में प्रति वर्ष 1000/- रु. दिए जाते हैं। 18-60 वर्ष आयु के बीच के विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह 50/- रु., जिनकी आय प्रतिवर्ष 12000/- रु., से कम हो और जो रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हों।
2.	असम	65 वर्षों से अधिक आयु के पुरुषों को प्रतिमाह 100/- रु. और 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को भी 100/- रु. प्रतिमाह।
3.	बिहार	राज्य सरकार द्वारा विकलांगता पेंशन दी जाती है।
4.	चण्डीगढ़	18 वर्ष और अधिक आयु के विकलांग व्यक्तियों जिन्हें 40% विकलांगता हो, प्रतिमाह 100/- रु.
5.	दादर और नगर हवेली	प्रतिमाह 60/-रु.
6.	दमन और दीव	60 वर्ष और अधिक आयु के विकलांग व्यक्तियों को जिनकी आय प्रतिमाह 250/-रु. हो, प्रति माह 60/-रु.
7.	दिल्ली	60 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह 200/-रुपए।
8.	गुजरात	45 वर्ष और उससे अधिक आयु के विकलांग व्यक्तियों को 120/-रुपए प्रतिमाह, जिनकी विकलांगता 75% या अधिक हो।
9.	गोवा	60 वर्ष और अधिक आयु के विकलांग व्यक्तियों जिनकी प्रति व्यक्ति आय 60 रु. प्रतिमाह और पारिवारिक आय 250/-रुपए प्रतिमाह हो, जैसे विकालंग व्यक्तियों को प्रतिमाह 100/-रुपए का बेरोजगारी भत्ता जो रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हों।
10.	हिमाचल प्रदेश	प्रतिमाह 100/- रु. जिनकी आय प्रतिमाह 2000/- रु. से कम हो।
11.	हरियाणा	65 वर्ष आयु वाले विकलांग व्यक्तियों जिनकी विकलांगता 70% और अधिक हो तथा जिनकी पारिवारिक आय प्रतिमाह 200/- रुपए से कम हो, को प्रतिमाह 100/- रुपए। उन विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता जो रोजगार कार्यालयों में दर्ज हों। मैट्रिक 50/-रु. प्रतिमाह, स्नातक 100/-रु. प्रतिमाह और स्नातकोत्तर डिप्लोमा 150/-रु. प्रति माह।
12.	कर्नाटक	विकलांगों तथा मानसिक मंदों को 60/-रु. प्रति माह।
13.	केरल	300/-रुपए प्रतिमाह तक आय वालों को 85/-रु. प्रतिमाह।
14.	मध्य प्रदेश	प्रति असहाय पुरुष को 60/-रु. प्रतिमास तथा महिला को 100/-रु. प्रतिमाह।
15.	लक्षद्वीप	60 वर्ष व अधिक आयु के विकलांग व्यक्तियों को 100/-रु. प्रतिमाह।
16.	महाराष्ट्र	55वर्ष और अधिक वालों के गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से 125/-रु. प्रतिमाह अनुरक्षण अनुदान।
17.	मेघालय	65 वर्ष व अधिक के आयु वालों को 100/-रुपए प्रतिमाह।
18.	नागालैंड	60/-प्रतिमाह।
19.	उड़ीसा	5 वर्ष से अधिक आयु के दृष्टिहीन और अस्थि विकलांगों को 100/-रुपए प्रतिमाह।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विकलांग व्यक्तियों को दिए जाने वाली पेंशन का ब्यौरा
		18-60 आयु वर्ग के व्यक्तियों को 75/-रुपए प्रति मास बेरोजगारी भत्ता।
20.	पंजाब	3600/-रु. तक प्रति वर्ष आय वालों को 50/-रुपए प्रतिमाह; रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत लोगों को 80-100/- रुपए प्रतिमाह
21.	राजस्थान	8 वर्ष से अधिक आयु वाले 40% विकलांगता वाले व्यक्तियों को 100/-रुपए प्रतिमाहः स्नातक को 150/- रुपए प्रतिमाह तथा स्नातकोत्तर को 250/-रुपए प्रतिमाह 2 वर्ष की अवधि तक या जब वे रोजगार प्राप्त कर लेते हैं, जो भी पहले हो, बेरोज-भत्ता।
22.	सिक्किम	40 वर्ष और अधिक आयु वाले व्यक्तियों को 100/-रुपए प्रतिमाह।
23.	तमिलनाडु	30/-रुपए प्रतिमाह; 50% विकलांगता वाले अधिक विकलांग या अधिक निराश्रित को अनुरक्षण भत्ते के रूप में 100/-रु. प्रतिमाह।
		75% और अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को अनुरक्षण भत्ते के रूप में संस्थानों/गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से 100/-रु. प्रतिमाह।
		रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत बेरोजगार विकलांगों को 30/- प्रतिमाह दिया जाता है।
24.	उत्तर प्रदेश	100/- रुपए प्रतिमाह।
25.	पश्चिम बंगाल	100/- रुपए प्रतिमाह।
26.	त्रिपुरा	रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत विकलांग व्यक्तियों को बेराजगारी भत्ते के रूप में 30/- रुपए प्रतिमाह।

महिलाओं पर अत्याचार

6130. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में महिलाओं पर अत्याचार के अनेक मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो 1994 के दौरान, राज्य-वार, ऐसे कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) महिलाओं के विरुद्ध ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग) वर्ष 1993 तथा 1994 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की घटनाओं की सूचना विवरण I, II, और III में संलग्न है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच पड़ताल करना, पता लगाना और उनकी रोकथाम करना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक उपाय शुरू किए गए हैं। कानून को और अधिक कठोर बनाने के लिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 को वर्ष 1984 तथा 1986 में संशोधित किया गया था, न केवल दहेज मृत्यु के मामलों से बल्कि विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता के मामलों से भी कारगर ढंग से निपटने के लिए भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को संशोधित किया गया है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर निर्देश/दिशा-निर्देश भी जारी किए जाते हैं।

सरकार ने हाल ही में महिला एवं बाल विकास विभाग में एक सुबोध विधि-साहित्य पुस्तिका का प्रकाशन किया है जिसमें, महिलाओं से संबंधित कानूनों के साथ-साथ कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की महिलाओं में जागरूकता के स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

इसके अलावा, महिलाओं की छवि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करने के लिए मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है। जन-जागरण शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डी. डब्ल्यू. ए. सी. आर. ए.) और महिला साक्षरता कार्यक्रम, महिलाओं की स्थिति सुधारने तथा उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए किए जा रहे अन्य उपायों में से कुछ हैं जिनमें महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोका जा सकेगा।

विवरण I

वर्ष 1993 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों की घटनाएं (राज्य तथा संघशासित क्षेत्र-वार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज मृत्यु	पति तथा उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूर व्यवहार	उत्पीड़न	छेड़छाड	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राज्य							
1.	आंध्र प्रदेश	827	530	575	2053	1899	2451	8335
2.	अरूणाचल प्रदेश	29	7	0	3	20	0	59

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज मृत्यु	पति तथा उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूर व्यवहार	उत्पीड़न	छेड़छाड	योग
1	2	3	4	5	6	7 8	9	10
3.	असम	508	604	19	209	146	5	1491
4.	बिहार	775	273	338	356	145	9	1896
5.	गोवा	13	18	2	16	27	17	93
6.	गुजरात	266	515	114	1428	850	258	3431
7.	हरियाणा	189	180	166	293	276	536	1640
8.	हिमाचल प्रदेश	87	185	18	160	257	22	729
9.	जम्मू एवं कश्मीर	136	356	20	3	185	207	907
10.	कर्नाटक	220	276	266	1153	930	157	3002
11.	केरल	168	145	10	381	468	19	1191
12.	मध्य प्रदेश	2486	904	370	1500	5572	546	11378
13.	सहाराष्ट्र	1107	903	746	6746	2996	1415	13913
14.	मणिपुर	5	71	0	1	30	0	107
15.	मेघालय	21	2	0	1	19	0	43
16.	मिजोरम	32	2	0	0	44	0	78
17.	नागालैंड	0	1	0	0	0	0	1
18.	उड़ीसा	372	274	254	201	910	120	2131
19.	पंजाब	87	108	147	41	15	2	400
20.	राजस्थान	890	2303	369	1984	1587	27	7160
21.	सिक्किम	4	6	0	0	18	0	28
22.	तमिलनाडु	186	330	79	254	680	942	2471
23.	त्रिपुरा	69	51	5	41	100	0	266
24.	उत्तर प्रदेश	1754	2403	1952	2905	2416	2618	14048
25.	पश्चिम बंगाल	740	709	256	2187	1074	12	4978
योग	(राज्य)	10971	11156	5706	21916	20664	9363	79776

संघ शासित क्षेत्र

26.	अ. एवं नि. द्वीपसमूह	3	4	0	14	27	9	57
27.	चण्डीगढ़	4	27	3	11	14	23	82

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज मृत्यु	पति तथा उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूर व्यवहार	उत्पीड़न	छेड़छाड	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0	2	1	4	3	0	10
29.	दमन एवं दीव	1	1	0	3	1	0	6
30.	दिल्ली	255	641	107	113	259	2107	3482
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	8	6	0	3	17	507	541
योग (संघ शासित क्षेत्र)		271	681	111	148	321	2646	4178
योग (अखिल भारत)		11242	11837	5817	22064	20985	12009	83954

टिप्पणी : ये आंकड़े मासिक अपराध सांख्यिकी पर आधारित हैं और इन्हें अन्तिम समझा जाए।

विवरण-II

वर्ष 1994 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों की घटनाएं (राज्य तथा संघशासित क्षेत्रवार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज मृत्यु	पति तथा उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूर व्यवहार	उत्पीड़न	छेड़-छाड़	लड़कियों का आयात (21 वर्ष तक	सती प्रथा रोकथाम अधिनियम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राज्य								
1.	आंध्र प्रदेश	811	541	370	2180	2051	3498	4	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	25	22	0	3	23	1	0	0
3.	असम	205	333	8	114	98	4	0	0
4.	बिहार	721	469	265	446	376	75	3	0
5.	गोवा	7	9	0	16	21	11	0	0
6.	गुजरात	224	494	78	1168	770	83	32	1
7.	हरियाणा	151	197	152	260	268	338	3	0
8.	हिमाचल प्रदेश	97	173	4	127	273	17	0	0
9.	जम्मू एवं कश्मीर	105	268	1	9	212	189	0	0
10.	कर्नाटक	261	294	152	1062	1068	83	0	0
11.	केरल	193	105	9	550	679	3	0	13

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज मृत्यु	पति तथा उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूर व्यवहार	उत्पीड़न	छेड़-छाड़	लड़कियों का आयात (21 वर्ष तक	सती प्रथा रोकथाम अधिनियम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	मध्य प्रदेश	2595	908	328	1704	5606	1028	23	0
13.	महाराष्ट्र	1275	912	519	7105	3007	541	41	0
14.	मणिपुर	6	67	0	1	8	0	0	0
15.	मेघालय	24	10	0	0	10	0	0	0
16.	मिजोरम	37	8	0	1	32	0	0	0
17.	नागालैंड	1	2	2	0	1	0	0	0
18.	उड़ीसा	129	78	72	73	321	28	1	0
19.	पंजाब	108	112	117	87	60	10	21	1
20.	राजस्थान	981	2152	282	2158	1269	49	28	0
21.	सिक्किम	6	2	0	0	22	0	0	0
22.	तमिलनाडु	210	348	68	183	727	892	3	0
23.	त्रिपुरा	61	32	6	45	95	0	1	0
24.	उत्तर प्रदेश	1712	2404	1704	3398	2469	1891	0	0
25.	पश्चिम बंगाल	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR
योग	(राज्य)	9945	9940	4137	20690	19466	8741	160	15
	संघ शासित क्षेत्र								
26.	अ. एवं नि. द्वीपसमूह	4	4	1	3	18	5	0	0
27.	चण्डीगढ़	9	41	3	14	17	40	0	0
28.	दादरा एवं नगर हवेली	2	5	0	7	1	0	0	0
29.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	261	741	132	136	291	116	1	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	5	6	4	3	18	367	0	0
योग	(संघ शासित क्षेत्र)	281	797	140	163	345	528	1	0
योग	(अखिल भारत)	10226	10737	4277	20853	19811	9269	161	15

विवरण-III

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनैतिक देह व्यापार (रोकथाम) (अधिनियम) (आई टी पी) एक्ट	महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतिकरण (रोकथाम) अधिनियम	योग	टिप्पणी (ये आंकड़े निम्न लिखित महीनों तक के हैं)
1	2	11	12	13	14
	राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	259	37	9751	नवम्बर
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	74	अक्तूबर
3.	असम	0	0	762	जून
4.	बिहार	7	127	2489	नवम्बर
5.	गोवा	15	0	79	
6.	गुजरात	2	26	2878	सितम्बर
7.	हरियाणा	1	13	1383	सितम्बर
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	691	नवम्बर
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	784	अक्तूबर
10.	कर्नाटक	1879	88	4887	नवम्बर
11.	केरल	43	14	1609	
12.	मध्य प्रदेश	3	21	12216	नवम्बर
13.	महाराष्ट्र	163	5	13568	
14.	मणिपुर	4	0	86	
15.	मेघालय	1	0	45	सितम्बर
16.	मिजोरम	0	0	78	
17.	नागालैंड	0	0	6	नवम्बर
18.	उड़ीसा	2	0	704	अप्रैल
19.	पंजाब	1	5	502	
20.	राजस्थान	12	1	6932	नवम्बर
21.	सिक्किम	0	0	30	अगस्त
22.	तमिलनाडु	3700	17	6148	सितम्बर
23.	त्रिपुरा	0	0	240	
24.	उत्तर प्रदेश	5	0	13583	अक्तूबर
25.	पश्चिम बंगाल	NR	NR	-	-
	योग (राज्य)	6097	354	79545	
	संघ शासित क्षेत्र				
26.	अ. एवं नि. द्वीपसमूह	0	0	35	
27.	चण्डीगढ़	0	0	121	
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	15	
29.	दमन एवं दीव	0	0	0	
30.	दिल्ली	102	0	1780	
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	
32.	पांडिचेरी	15	0	418	
	योग (संघ शासित क्षेत्र)	117	0	2372	
	योग (अखिल भारत)	6214	354	81917	

स्रोत : मासिक अपराध सांख्यिकी

ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

टिप्पणी : प्रा. न. का अर्थ है, आंकड़े (पश्चिम बंगाल से) प्राप्त नहीं हुए।

सिंचाई परियोजनाएं

6131. **श्री पी. कुमारासामी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) तमिलनाडु में 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान कुल कितनी सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया;

(ख) तमिलनाडु में इस समय कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ग) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं के संबंध में अंतर्राज्यीय विवाद हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केंद्रीय सरकार द्वारा इन विवादों को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा किए जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडु) : (क) तमिलनाडु में 1993-94 और 1994-95 के दौरान बड़ी व मझौली तथा लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए सृजित की गई सिंचाई क्षमता क्रमशः 11,840 हेक्टेअर (प्रत्याशित) और 11,130 हेक्टेअर (लक्ष्य) है।

(ख) तमिलनाडु में चार मझौली परियोजनाएं नामशः कालावारापल्ली

जलाशय, और थूपलयाम जलाशय, मंगनगियर जलाशय और इरक्कनगुडी जलाशय तथा पांच विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं नामशः कोडागानर पुनर्निर्माण, परम्बीकुलम अलियार परियोजना अयाकट विस्तार, पेरियार बेगई सुधार फैज--II, तंजावुर चैनल का आधुनिकीकरण एवं पेरियार बांध का सुदृढ़ीकरण, क्रियान्वित की जा रही है। लघु सिंचाई योजनाओं का विवरण केन्द्र में नहीं रखा जाता है।

(ग) से (ङ) पारंबीकुलम अलियार परियोजना अयाकट विस्तार के बारे में तमिलनाडु सरकार को यह प्रमाणित करना है कि जल का उपयोग केरल और तमिलनाडु के बीच हुए करार में निर्धारित 30.5 हजार मिलियन घन फुट से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त करार 1988 में समीक्षा के लिए देय हो गया। ये राज्य इस संबंध में बातचीत करने में लगे हैं। एक अन्य परियोजना नामशः पेरियार बांध के सुदृढ़ीकरण के बारे में तमिलनाडु और केरल राज्यों द्वारा सुदृढ़ीकरण कार्य के लंबित होने तक 1979 में सहमत 132 फुट के स्तर के मुकाबले 152 फुट के मूल पूर्ण जलाशय स्तर तक जलाशय को भरने के संबंध में मतभेद दूर करने हैं। तंजावुर चैनल का आधुनिकीकरण ओरथुपलागम और कोडागानर पुनर्निर्माण परियोजनाएं कावेरी बेसिन में हैं और थाला राज्यों की सहमति की आवश्यकता है क्योंकि कावेरी जल की हिस्सेदारी का समाधान नहीं किया गया है। कावेरी थाले में जल के बंटवारे के बारे में अधिनिर्णय के लिए कावेरी जल विवाद अधिकरण गठित किया गया है।

सिक्किम में टेलीफोन एक्सचेंज

6132. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम में घोषित ऐसे बाजारों की संख्या क्या है, जहां टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है;

(ख) ऐसे बाजारों की संख्या क्या है, जहां एस. टी. डी. सुविधाओं युक्त टेलीफोन एक्सचेंज है;

(ग) ऐसी पंचायतों की संख्या क्या है, जिन्हें टेलीफोन की सुविधा मिली हुई है;

(घ) सरकार को एस. टी. डी. सुविधा युक्त टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा कितनी पंचायतों ने टेलीफोन से जोड़े जाने का अनुरोध किया है;

(ङ) क्या उनकी ये मांगे काफी समय से लंबित हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठायं जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 16

(ख) 15

(ग) 93 (30.4.95 की स्थिति के अनुसार)

(घ) विभाग को एस टी डी सुविधा युक्त टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए सात अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। पंचायत टेलीफोन का कोई अभ्यावेदन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) जी, हां।

(च) इसके कारण तथा की गई कार्यवाही निम्नानुसार है :

1 तथा 2 : उत्तरी और रिनचेनपोगं :

स्थानों की दूरस्थता तथा ऊँची पहाड़ियों के कारण इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया क्योंकि कोई पारेषण माध्यम संभव नहीं था। इन क्षेत्रों में पूर्ण मांग के निर्धारण के बाद मामलों की जाँच की जाएगी।

3. **देन्ताम :**

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए केवल 7 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। नया टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए कम से कम 10 पंजीकृत मांगे अनिवार्य हैं।

4. **पैन्दाम :**

आरंभ में कुछ आवेदन प्राप्त हुए थे। बाद में और अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए। 19 आवेदकों को जनवरी, 95 में मांग नोट जारी कर दिया गया है और उनके भुगतान प्रतीक्षित हैं।

5. **चुंगथांग :**

एम सी पी सी वी--उपग्रह उपस्कर प्राप्त करने का मामला प्रक्रमित कर दिया गया है जैसे और अब उपस्कर प्राप्त होगा, सभी 17 आवेदकों को मांग नोट जारी कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्ति

6133. **श्री सुशील चन्द वर्मा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण संस्थान ने विकलांग व्यक्तियों की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार एवं राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) शारीरिक रूप से विकलांग एवं मंद बुद्धि बच्चों को कितनी संस्थाएं प्रशिक्षण दे रही हैं एवं गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसी कितनी संस्थाएं राज्य-वार कार्यरत हैं; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु क्या प्रबंध किए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने शारीरिक विकलांगों पर 1991 में एक सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण को दृष्टि, सम्प्रेषण (श्रवण तथा/अथवा वाणी) तथा चलन विकलांगताओं को शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त 1991 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ने अलग से विलम्बित विकास वाले 1-14 वर्ष के बच्चों का राष्ट्रव्यापी प्रतिदर्श सर्वेक्षण किया था। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण I से V में दिए गए हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में दृष्टि, श्रवण, मानसिक विकलांग, स्पास्टिक/प्रमस्तिष्काघात और कुष्ठ मुक्त लोगों के 2277 संस्थान हैं।

शिक्षा प्रशिक्षण और पुनर्वास हेतु कल्याण मंत्रालय से सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा संलग्न विवरण VI से IX में दिया गया है।

(घ) विवरण X संलग्न है।

विवरण-I

1,00,000 व्यक्ति प्रति लिंग दृष्टि बाधित व्यक्तियों की संख्या

राज्य/संघ	ग्रामीण				शहरी			
राज्य क्षेत्र	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	दृष्टि-बाधित व्यक्तियों की अनुमानित सं.	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	दृष्टिबाधित व्यक्तियों की अनुमानित (00) संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
आन्ध्र प्रदेश	668	946	806	3776	326	445	385	558
असम	405	355	382	523	520	371	451	58
बिहार	333	349	341	2112	220	232	225	209
गुजरात	327	423	1373	1032	185	357	266	267
हरियाणा	538	710	621	842	335	399	364	143
हिमाचल प्रदेश	661	809	629	429	332	319	326	14
कर्नाटक	494	632	562	1713	309	370	338	370
केरल	400	435	418	830	293	480	388	172
मध्य प्रदेश	424	646	529	2658	222	258	239	291
महाराष्ट्र	478	620	549	2505	241	290	264	671
उड़ीसा	733	908	820	2303	349	550	444	171
पंजाब	526	682	599	742	301	353	325	173
राजस्थान	375	502	435	1277	212	298	253	205
तमिलनाडु	547	704	625	2328	332	423	377	741
उत्तर प्रदेश	490	549	518	5428	269	358	310	773
पश्चिम बंगाल	381	411	395	1821	280	371	321	480
अखिल भारत	471	548	525	30753	263	346	302	5509

विवरण-II

5 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के श्रवण विकलांग व्यक्तियों की प्रति 100,000 संख्या, लिंग भेद के आधार पर

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण पुरुष	ग्रामीण महिलाएं	ग्रामीण व्यक्ति	श्रवण विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की अनुमानित (00) सं.	शहरी पुरुष	शहरी महिलाएं	शहरी व्यक्ति	श्रवण विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की अनुमानित सं. (00)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
आन्ध्र प्रदेश	657	662	660	2712	476	526	501	646
असम	358	273	319	370	410	311	364	42
बिहार	335	177	260	1370	241	182	215	175
गुजरात	352	389	370	901	293	344	317	288
हिमाचल प्रदेश	1601	672	1108	638	233	242	237	0
कर्नाटक	603	585	594	1578	346	318	332	324
केरल	513	501	506	915	314	436	376	154
मध्य प्रदेश	479	421	452	1959	339	220	282	300
महाराष्ट्र	554	503	529	2108	319	432	372	845
उड़ीसा	765	632	698	1739	486	621	548	192
पंजाब	466	398	435	473	275	179	230	108
राजस्थान	329	207	271	682	204	188	196	138
तमिलनाडु	722	724	723	2407	483	553	518	926
उत्तर प्रदेश	307	266	288	2563	231	228	226	492
पश्चिम बंगाल	633	502	570	2290	341	386	361	492
हरियाणा	477	460	469	544	423	338	384	136
अखिल भारत	498	435	467	23727	325	355	339	5511

विवरण-III

5 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के वाणी विकलांग सम्बन्धी व्यक्तियों की प्रति 1,00,000 संख्या लिंगभेद के आधार पर

राज्य/संघ	ग्रामीण				शहरी			
राज्य क्षेत्र	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति	वाणी संबंधी विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की अनुमानित संख्या	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति	वाणी संबंधी विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की अनुमानित (00) सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
आन्ध्र प्रदेश	403	288	345	1420	426	291	359	463
असम	334	174	261	309	288	81	191	22
बिहार	323	179	255	1342	300	130	224	182
गुजरात	211	128	171	416	282	136	213	193
हरियाणा	208	113	162	188	103	122	112	39
हिमाचल प्रदेश	668	271	457	263	232	160	200	8
कर्नाटक	424	282	353	937	280	177	231	226
केरल	517	321	414	748	401	235	327	134
मध्य प्रदेश	287	164	229	993	241	115	181	192
महाराष्ट्र	327	204	266	1061	244	206	226	514
उड़ीसा	288	223	256	636	297	248	274	96
पंजाब	286	229	259	282	282	243	264	124
राजस्थान	274	116	199	500	297	141	156	98
तमिलनाडु	399	286	343	1142	407	203	306	547
उत्तर प्रदेश	291	140	221	1961	220	127	181	395
पश्चिम बंगाल	358	283	322	1292	259	194	230	313
अखिल भारत	333	208	273	13839	285	182	237	3845

विवरण-IV

प्रत्येक लिंग के आधार पर प्रति 1,00,000 चलन विकलांगता वाले व्यक्तियों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण				शहरी			
	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति	चलन संबंधी विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की अनुमानित (00) सं.	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति	चलन संबंधी विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों की अनुमानित (00) सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
आन्ध्र प्रदेश	1490	1028	1260	5904	1361	833	1098	1591
असम	533	282	419	574	552	275	424	54
बिहार	1243	571	926	5740	1168	649	932	865
गुजरात	1125	822	979	2707	1229	939	1092	1096
हरियाणा	1402	727	1077	1460	935	459	716	282
हिमाचल प्रदेश	1651	1060	1356	925	692	501	1106	47
कर्नाटक	1339	841	1091	3325	1064	708	895	982
केरल	1347	750	1037	2060	1304	744	1203	1021
मध्य प्रदेश	1469	914	1207	6061	1245	679	975	1186
महाराष्ट्र	1462	944	1206	5507	1254	789	1037	2146
उड़ीसा	1137	804	970	2725	1160	1058	1112	429
पंजाब	2494	1378	1974	2446	1375	993	1197	635
राजस्थान	1393	701	1063	3120	1100	712	916	741
तमिलनाडु	1336	892	1116	4158	1207	803	1007	1978
उत्तर प्रदेश	1434	690	1083	11352	1247	660	978	2441
पश्चिम बंगाल	1123	637	890	4100	1046	600	844	1261
अखिल भारत	1345	784	1074	62896	1170	728	962	17544

विवरण-V

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सूचित बिलम्ब से विकास वाले बच्चों की प्रति हजार संख्या जो मंथर और पीछे है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयु 1-14 वर्ष	
	ग्रामीण	शहरी
आन्ध्र प्रदेश	25	20
अरूणाचल प्रदेश	54	132
असम	71	60
बिहार	36	29
गोवा	5	3
गुजरात	15	25
हरियाणा	31	33
हिमाचल प्रदेश	22	16

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयु 1-14 वर्ष	
	ग्रामीण	शहरी
जम्मू तथा कश्मीर	40	31
कर्नाटक	14	17
केरल	15	32
मध्य प्रदेश	36	18
महाराष्ट्र	31	35
मणिपुर	16	3
मेघालय	19	26
मिजोरम	9	2
नागालैंड	92	83
उड़ीसा	47	21
पंजाब	49	18
राजस्थान	32	25
सिक्किम	55	28
तमिलनाडु	38	20
त्रिपुरा	64	18
उत्तर प्रदेश	22	34
पश्चिम बंगाल	44	39
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	13	6
चण्डीगढ़	1	5
दादर एवं नगर हवेली	4	9
दमन और दीव	2	4
दिल्ली	2	47
लक्षद्वीप	21	28
पांडिचेरी	25	12
अखिल भारतीय	31	29

विवरण-VI

विकलांगों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-सरकारी संगठनों की कुल संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	44
2.	असम	3
3.	बिहार	19
4.	चण्डीगढ़	2
5.	दिल्ली	30
6.	गोवा	2
7.	गुजरात	18
8.	हरियाणा	3
9.	हिमाचल प्रदेश	1
10.	जम्मू एवं कश्मीर	2
11.	कर्नाटक	47
12.	केरल	42
13.	मध्य प्रदेश	3
14.	महाराष्ट्र	34
15.	मणिपुर	2
16.	मेघालय	2
17.	मिजोरम	1
18.	उड़ीसा	5
19.	पांडिचेरी	1
20.	पंजाब	6
21.	राजस्थान	6
22.	तमिलनाडु	54
23.	त्रिपुरा	2
24.	उत्तर प्रदेश	53
25.	पश्चिम बंगाल	27
	कुल	409

विवरण-VII

विशेष स्कूलों की स्थापना के लिए संगठनों को सहायता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-सरकारी संगठनों की सं.
1.	आन्ध्र प्रदेश	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	1
3.	बिहार	5

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-सरकारी संगठनों की सं.
4.	दिल्ली	2
5.	हरियाणा	2
6.	कर्नाटक	2
7.	केरल	3
8.	मध्य प्रदेश	2
9.	मणिपुर	1
10.	उड़ीसा	5
11.	पंजाब	1
2.	राजस्थान	2
3.	तमिलनाडु	6
4.	उत्तर प्रदेश	4
5.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	42

विवरण-VIII

मस्तिकाघात तथा मानसिक मन्दता के क्षेत्र में जनशक्ति विकास के लिए संगठनों को सहायता

सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या
	आन्ध्र पदेश	2
	दिल्ली	2
	गुजरात	1
	केरल	1
	मध्य प्रदेश	1
	महाराष्ट्र	1
	तमिलनाडु	2
	उत्तर प्रदेश	1
	पश्चिम बंगाल	2
	कुल	13

विवरण-IX

कुष्ठरोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संगठनों को सहायता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-सरकारी संगठनों की संख्या
1.	दिल्ली	1
2.	कर्नाटक	1
3.	मध्यप्रदेश	2
4.	महाराष्ट्र	2
5.	पंजाब	1
6.	तमिलनाडु	1
7.	उत्तर प्रदेश	18
8.	पश्चिम बंगाल	2
	कुल	28

विवरण-X

प्रविष्टि 9 सूची -2 (राज्य सूची) के अंतर्गत विकलांगों और अनियोज्य को राहत का विषय राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एक सहायक और समन्वयकर्ता की भूमिका निभाता है।

विकलांग कल्याण के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सभी कार्यक्रमों योजनाओं का उद्देश्य मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों को जीवन की मुख्य धारा में लाना है। उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कल्याण मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार है :

1. विकलांगों के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता

इस योजना के अन्तर्गत विकलांगों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है। यह एक व्यापक योजना है जिसमें पुनर्वास के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा आर्थिक। कुल परियोजना लागत के 95% तक आवर्ती मदों जैसे स्टाफ का वेतन, अनुसरण प्रभार, आकस्मिकताएं और अनावर्ती मदें जैसे भवन निर्माण, उपस्कर, फर्नीचर आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, विशेष स्कूलों, परामर्श केन्द्रों, होस्टलों, कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों, स्थपन सेवाओं आदि जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

2. विशेष स्कूलों की स्थापना और विकास

इस योजना में गैर सरकारी संगठनों को चार प्रमुख विकलांगताओं, अस्थि, श्रवण और वाणी, दृष्टि तथा मानसिक मंदता में विशेष स्कूलों की स्थापना और उन्नयन के लिए 90% की सीमा तक सहायता देने की व्यवस्था है। इस योजना

के अन्तर्गत प्राथमिकता उन जिलों में स्कूल स्थापना के लिए दी जाती है जहां इस समय कोई विशेष स्कूल नहीं है। आवर्ती तथा अनावर्ती दोनों व्ययों को मंत्रालय द्वारा सहायता दी जाती है।

3. प्रमस्तिकाघात और मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता

इस योजना के अन्तर्गत प्रमस्तिकाघात और मानसिक मंदता के क्षेत्र में अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने हेतु गैर सरकारी संगठनों को 100% तक सहायता दी जाती है।

4. कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु संगठनों को सहायता

इस योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग व्यक्तियों के लिए कार्यक्रमों के विकास हेतु स्वैच्छिक संगठनों को 99% सीमा तक सहायता दी जाती है।

5. राष्ट्रीय संस्थान

विकलांग जनसंख्या की बहु-आयामी समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निम्नलिखित चार राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की है। ये संस्थान प्रशिक्षण, व्यावसायिक मार्गदर्शन, परामर्श, अनुसंधान, पुनर्वास, उपयुक्त सेवा माडलों के विकास के क्षेत्र में शीर्ष स्तारश संस्थान है। ये संस्थान विकलांगता के अपने क्षेत्र में मुख्य प्रलेखन और सूचना केन्द्रों के रूप में भी काम करते हैं :

(1) राष्ट्रीय दृष्टिर्वाधितार्थ संस्थान, देहरादून

(2) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता

(3) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई।

(4) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद।

इनके अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों को सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दो संस्थान मुख्यतः सेवा संस्थानों के रूप में स्थापना की गई है।

(1) विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली

(2) राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, उड़ीसा

6. रोजगार

(1) शारीरिक रूप से विकलांगों, दृष्टि, श्रवण और अस्थि विकलांगों, को प्रत्येक में एक प्रतिशत कुल तीन प्रतिशत रिक्तियां केन्द्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में समूह 'ग' और 'घ' पदों में आरक्षित की जाती हैं। इसी प्रकार का आरक्षण कुछ सरकारों द्वारा भी दिया गया है। दृष्टिहीनों सहित विकलांगों को सरकारी सेवाओं में भर्ती हेतु ऊपरी आयु सीमा में आयु में छूट और चिकित्सा मानों में छूट भी प्रदान की जाती है।

(2) विकलांगों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने हेतु 23 विशेष सेलों की स्थापना अनन्य रूप से की गई है। इसके अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों को उपयुक्त रोजगार तलाश करने में सामान्य रोजगार केन्द्र भी सहायता करते हैं।

(3) विकलांगों की योग्यता उनके प्रशिक्षण का प्रबंध करने और उन्हें रोजगार में रखने के लिए मूल्यांकन करने हेतु सत्रह व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं,

(4) निम्नलिखित के माध्यम से स्व-रोजगार को बढ़ावा दिया जाता है :-

(क) बिक्री स्टालों, कियास्कों और छोटी दुकानों का आबंटन।

(ख) भिन्नात्मक ब्याज दर योजना के अंतर्गत मामूली ब्याज दर पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण।

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन बूथों का आबंटन।

(घ) पेट्रोल पम्पों, मिट्टी के तेल के डिपो आदि के वितरण में आरक्षण।

7. सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को चलने वाले उन आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से तैयार किए गए सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद में सहायता करना है जो उनके शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा देते हैं, यह योजना कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड कम्पनियों, रजिस्टर्ड सोसायटियों, न्यासों या कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संगठनों द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस प्रकार योजना के कार्यान्वयन में सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों एजेंसियां कार्यरत हैं।

इस योजना के अंतर्गत 3600 रुपए तक मूल्य के सहायक यंत्र और उपकरण उन विकलांग व्यक्तियों को निःशुल्क वितरित किए जाते हैं जिनकी मासिक आय 1200 रुपए तक है और यदि आय 1201 से 2500 रुपए है तो 50 प्रतिशत लागत पर दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

महानगरों में इंटीग्रेट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क

6134. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महानगरों में शीघ्र ही इंटीग्रेट सर्विसज डिजिटल नेटवर्क (आई. एस. डी. एन.) टर्मिनल शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आई. एस. डी. एन. टर्मिनल कब स्थापित कर दिए जाएंगे और ये कब से चालू हो जाएंगे;

(घ) क्या ये नई सेवाएं अन्य बड़े शहरों में भी शुरू किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) प्रारम्भ में उन 9 चुनिंदा शहरों में आई एस डी एन का फील्ड परीक्षण करने का प्रस्ताव है, जहां नई प्रौद्योगिकी स्विचन-प्रणालियां विद्यमान हैं,

और जो आई एस डी एन को सपोर्ट करने में समर्थ हैं।

(ग) इस वर्ष के अंत तक।

(घ) और (ङ) फील्ड परीक्षणों के पश्चात् आई एस डी एन सेवाओं की मांग का मूल्यांकन किया जाएगा और देश के अन्य शहरों में इस सेवा का विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

[हिन्दी]

हिन्दी का प्रयोग

6135. **श्री उदय प्रताप सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों अथवा किसी विशेष कानून के अन्तर्गत स्थापित किन-किन प्राधिकरणों को हिन्दी में कार्य करने, अपील की सुनवाई करने और निर्णय देने की अनुमति नहीं है; और

(ख) ये प्राधिकरण कब स्थापित किए गए थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से इस संबंध में वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है। उनसे सूचना प्राप्त होते ही इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

प्रायोगिक परियोजना

6136. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में भू-जल का पता लगाने तथा विकास संबंधी प्रायोगिक परियोजना को केंद्रीय भू-जल बोर्ड को भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी हां। बिहार सरकार ने केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड को एक प्रायोगिक परियोजना भेजी है जिसमें राज्य के 2358 खुदाई कुओं और 5625 उथले नलकूपों के निर्माण की परिकल्पना है। परियोजना की अनुमानित लागत 23.15 करोड़ रुपए हैं।

(ग) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने बिहार सरकार सहित सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से पूर्वी राज्यों जिनमें बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है, मैं भूजल संसाधनों के अन्वेषण और विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना तैयार की है जो संबंधित अभिकरणों के पास परामर्शी चरण में है।

कोयले का उत्पादन

6137. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी. सी. एल. के अंतर्गत पुंडी कोलियरी में कोयले का उत्पादन वास्तविक से अधिक दर्शाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इसमें दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (से. को. लि.) के दल द्वारा किया गया अर्द्ध-वार्षिक स्टाक-मापन से 1.10.1994 की स्थिति के अनुसार पुंडी कोलियरी में कोयले का लगभग 2.4 लाख टन स्टाक में कमी होने का पता चला है। कोल इंडिया लि. ने सूचित किया है कि उनके द्वारा वार्षिक स्टाक मापन के आधार पर कार्रवाई की जाती है, जिसका कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

विशेष गैस मूल्य

6138. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रामगढ़ में 160 मेगावाट गैस पर आधारित परियोजना को प्राकृतिक गैस की सम्पूर्ण शेष आवश्यकता आबंटित करने का है ;

(ख) क्या सरकार का ओ आई एल/जी ए आई एल को कुओं से 5.5 क्यूबिक मीटर की निर्धारित दर से गैस की आपूर्ति करने के लिए कहने का विचार है;

(ग) क्या इस गैस क्षेत्र के लिए गैस का विशेष मूल्य अधिसूचित करके इसका व्यावहारिक मूल्य तय करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) रामगढ़ विद्युत परियोजना को 0.6 एम एम एस सी एम डी गैस आबंटित की गई है। फिलहाल और अधिक आबंटन संभव नहीं है।

(ख) ओ आई एल 0.55 एम एम एस सी एम डी गैस की आपूर्ति यथाशीघ्र शुरू करने के प्रयास कर रही है। जब तक ओ आई एल गैस आपूर्ति करने के लिए तैयार होगी तब तक गैस पाइपलाइन बिछा देगी।

(ग) और (घ) गैस के मूल्य में 15% की छूट दी गई है।

[हिन्दी]

खाड़ी देशों को भेजे जा रहे लड़के और लड़कियां

6139. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों से प्रति वर्ष अनेक लड़कियों और लड़कों को खाड़ी देशों को भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार देश में इस अवैध कार्य को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जनजातीय महिलाओं के लिए योजना

6140. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जनजातीय महिलाओं के उत्थान के लिए कोई नई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार के निम्न साक्षरता पॉकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षणिक परिसर की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना 1993-94 से शुरू की है जो गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 48 जिलों की पहचान की गई है जहां 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति महिलाओं की साक्षरता 2 प्रतिशत से कम थी। यह योजना उन आदिम जनजाति समूहों के लिए भी लागू होती है जिनमें महिला साक्षरता स्तर बहुत कम समझी जाती है।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान निर्मुक्त अनुदान निम्नानुसार थे :

राज्य	1993-94 (रुपए)	1994-95 (रुपए)
आन्ध्रप्रदेश	5,28,666	2,02,460
बिहार	–	4,84,450
गुजरात	25,32,668	24,25,076
केरल	4,93,833	–
मध्यप्रदेश	35,20,334	52,29,736
महाराष्ट्र	6,33,167	–
उड़ीसा	31,75,267	64,98,854
राजस्थान	16,16,065	48,19,424
कुल	1,25,00,000	1,96,59,000

सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद् में शामिल करना

6141. **श्री सुधीर सावंत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम के समुचित विकास और इस क्षेत्र के शेष राज्यों के साथ सम्पर्क कायम करने के लिए उसे पूर्वोत्तर परिषद् में शामिल करने के संबंध में कोई मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर परिषद (एन ई सी) में सिक्किम को शामिल किए जाने संबंधी सिक्किम सरकार का प्रस्ताव, आख्या हेतु पूर्वोत्तर परिषद् को भेजा गया था। गुवाहाटी में 17 नवम्बर, 1994 को आयोजित अपनी बैठक में पूर्वोत्तर परिषद ने एन ई सी को पर्याप्त अतिरिक्त आनुपातिक धन आबंटन की शर्त पर सिक्किम को भी पूर्वोत्तर परिषद में शामिल कर लिए जाने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सशर्त होने के कारण इस सिफारिश की जांच, अन्य बातों के साथ-साथ, धन की अतिरिक्त मांग और उपलब्धता के संदर्भ में किए जाने की आवश्यकता है। किसी परिवर्तन के लिए पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 में संशोधन की भी जरूरत होगी।

सामाजिक क्षेत्र के लिए योजनाएं

6142. **श्री रवि राय** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए निर्धारित साधनों का लाभ कमजोर वर्ग के लोगों तक बहुत धीमी गति से पहुंच रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग) सामाजिक सेक्टर स्कीमों के लिए निर्धारित संसाधन लाभ प्रदान करते हैं जो कमजोर वर्गों सहित जनसंख्या के सभी वर्गों तक पहुंचते हैं। वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान सामाजिक सेक्टर संबंधी योजना परिव्यय/व्यय के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

सामाजिक सेक्टर संबंधी योजना परिव्यय/व्यय

(1991-92 कीमतों पर)

(करोड़ रु.)

	1992-93	1993-94	1994-95
वास्तविक/संशोधित अनुमान (आर ई)	6967	9474	10370
बजट अनुमान (बी ई)	(वास्तविक)	(आर आई)	(बी ई)

यहां सामाजिक सेक्टर का संबंध ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा, जल आपूर्ति और स्वच्छता, आवास, अनु. जाति तथा अनु. जनजाति का कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और अन्य (अर्थात् खेल एवं युवा सेवाएं, कला एवं संस्कृति, शहरी विकास, सूचना एवं प्रचार, प्रसारण, श्रम एवं रोजगार, पोषाहार आदि) से है। अनु. जाति तथा अनु. जनजाति का कल्याण, ग्रामीण विकास आदि से संबंधित स्कीमों के तहत लक्ष्य समूह अधिकांशतः समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित है।

पूर्वोत्तर परिषद् की बैठक

6143. **श्री चित्त बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1994 में गुवाहाटी में आयोजित पूर्वोत्तर क्षेत्र की अड़तीसवीं बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों के केन्द्र सरकार से सड़क-संचार और विद्युत उत्पादन सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए समुचित धनराशि जारी करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पूर्वोत्तर परिषद को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी, हां।

(ख) पूर्वोत्तर परिषद आयोजना के अधीन वरीयता प्राप्त 18 सड़कों हेतु 1994-95 के दौरान सरकार ने 30 करोड़ रु. अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी किए हैं। पूर्वोत्तर परिषद आयोजना के अधीन विद्युत परियोजनाओं हेतु 1994- 95 के दौरान 50 करोड़ रुपए एस. एल. आर. ऋण के रूप में भी आबंटित किए गए। वर्ष 1995-96 के लिए, पूर्वोत्तर परिषद् आयोजनान्तर्गत विद्युत परियोजनाओं हेतु 210 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर परिषद को किया गया आबंटन इस प्रकार है :

	वर्ष	आबंटित राशि (करोड़ रु. में)
(एक)	1992-93	232
(दो)	1993-94	265 (भारतीय जीवन बीमा निगम से 10 करोड़ रु. के एक ऋण सहित)
(तीन)	1994-95	(वरीयता प्राप्त 18 सड़कों हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए गए 30 करोड़ रुपयों और विद्युत परियोजनाओं हेतु एस. एल. आर. ऋण के रूप में दिए गए 50 करोड़ रु. सहित)

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय

6144. **डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय कितनी है;

(ख) क्या इन दोनों क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का अंतर को कम करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (घ) 1970-71 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े क्रमशः 529 रुपये और 1294 रुपये थे। वर्ष 1980-81 के समवर्ती आंकड़े 1245 रुपये और 2888 रुपये थे। बाद के वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय से शहरी आय का अनुपात 1970-71 में 2.45 से घटकर 1980-81 में 2.32 हो गया। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की गई विकास योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में आय वृद्धि के लिए सहायता मिलती है।

पिछड़ी जातियों को लाभ

6145. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल पिछड़ी जाति के लिए ही जिन लाभों का प्रावधान किया गया है उन्हें वे लाभ उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कार्य कर रही एजेन्सियों के लिए कोई निर्देश/मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) सरकार ने अन्य पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कुछ प्रक्रिया निर्धारित की है ताकि केवल पात्र अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति ही उनके लिए अभिप्रेत सुविधाओं का लाभ ले सकें।

(ख) जी, हां।

(ग) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके दिनांक 15.11.93 के कार्यालय ज्ञापन के तहत निर्देशिका में, जिसे सभी राज्यों (संघ राज्य क्षेत्र प्रसाधनों को भेजा गया है, अन्य बातों के साथ-साथ उन अधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया गया है जो जिला प्राधिकारियों को उम्मीदवारों के दावों की जांच करने के लिए सक्षम बनाने हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के दर्जे और क्रीमी लेयर सम्बन्धी उनकी हैसियत की जांच के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करेंगे। एक नमूनाप्रपत्र तैयार किया गया है जिसे यदि आवश्यक समझा जाए, तो संशोधित किया जा सकता है), प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी से सही प्रमाण पत्र जारी करना आदि सुनिश्चित करने की अपेक्षा है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अनुरोध किया है कि

कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अन्य पिछडे वर्गों की सूची और साथ ही साथ कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 8.9.93 के कार्यालय ज्ञापन के तहत निर्धारित मानदण्डों का जो किसी व्यक्ति को 'क्रीमी लेयर' का होना विनिर्दिष्ट करता है जिनके लिए आरक्षण लागू नहीं होगा, विस्तृत प्रचार किया जाए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध

6146. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जनवरी, 1995 के 'द पैट्रियट' में 'क्राइम अगेन्स्ट वूमन इन दिल्ली अप अलामिंगली' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं हुई; और

(ग) इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित सूचना, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(एक) दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों को संज्ञेय तथा गैर-जमानती बनाया गया है।

(दो) भारतीय दंड संहिता में एक नई धारा जोड़ी गई है जिसके द्वारा महिलाओं को उनके पतियों तथा संबंधियों द्वारा परेशान किए जाने और उन पर क्रूरता किए जाने के अपराध को संज्ञेय अपराध माना गया है।

(तीन) भारतीय साक्ष्य कानून में धारा 113 क और 113 ख जोड़ी गई हैं जिनमें प्रावधान है कि मौत होने पर यदि किसी विवाहित महिला के साथ क्रूर व्यवहार करना अथवा उसे दहेज के लिए तंग करना प्रमाणित हो जाता है तो न्यायालय यह मान लेगा के उसे आत्म-हत्या के लिए मजबूर किया गया/उसकी दहेज मौत हुई।

(चार) यदि किसी महिला की मौत संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई हो तो एस डी. एम. द्वारा जांच अनिवार्य कर दी गई है।

(पांच) महिला अपराधों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। ऐसे प्रकोष्ठ दिल्ली पुलिस के प्रत्येक जिले में स्थापित किए गए हैं।

(छः) पुलिस कर्मियों को महिला महाविद्यालयों और स्कूलों, चलती बसों और महत्वपूर्ण बाजारों वाले स्थानों पर भी जहां कि महिलाएं अक्सर आती-जाती हैं, छेड़छाड़ आदि के मामलों की रोकथाम के लिए तैनात किया जाता है।

विवरण

वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध के दर्ज कराए गए आंकड़े।

अपराध शीर्ष	1992-93	1993-94	1994-95
दहेज मौत	118	129	155
बलात्कार	305	286	315
महिला का शील भंग	238	270	313
भा. दं. सं. 406 (दहेज से संबंधित)	252	308	105
भा. दं. सं. 498 क (पति अथवा संबंधियों द्वारा क्रूर व्यवहार)	633	854	982
छेड़-छाड़	2235	2155	2162
दहेज निषेध अधिनियम	7	10	11
अपहरण/व्यपहरण	641	576	738
योग	4429	4588	4781

सीसा मुक्त पेट्रोल की बिक्री

6147. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैटेलिटिक कन्वर्टरों से युक्त कारों के लिए सीसा मुक्त पेट्रोल की मंद बिक्री के कारण पेट्रोल विक्रेता इन कन्वर्टरों के बिना वाहनों के स्वामियों को यह पेट्रोल बेचने को बाध्य हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में पेट्रोल डीलरों से कोई रिपोर्ट मिली है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :

(क) से (ग) केटेलिटिक कन्वर्टर लगे वाहनों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ सीसा-रहित पेट्रोल की मांग में धीरे-धीरे वृद्धि होने की आशा है। तथापि, तेल कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि सीसा रहित पेट्रोल केवल उन पेट्रोल चालित वाहनों को ही बेचा जाए जिनमें केटेलिटिक कन्वर्टर लगे हों।

[हिन्दी]

किराए के भवनों में डाकघर

6148. डा॰ परशुराम गंगवार :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री राजेश कुमार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्यवार किराए के भवनों में कितने डाकघर चल रहे है ;

(ख) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की है;

(ग) क्या इन डाकघरों को विभागीय भवनों में स्थानान्तरित करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने नए भवनों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि आबंटित की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) दिनांक 31.3.94 की स्थिति के अनुसार किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की सर्किलवार संख्या विवरण I में दी गई है।

(ख) किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों पर वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक किराए के रूप में हुए व्यय का सर्किलवार ब्यौरा विवरण II में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी नहीं। डाकघरों के लिए विभागीय भवनों का निर्माण किया जाता है जो कि धनराशि, भूमि तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान नए डाकघर भवनों के निर्माण के लिए सर्किलवार आबंटित राशि का ब्यौरा विवरण III में दिया गया है।

विवरण I

दिनांक 31.3.94 की स्थिति के अनुसार किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की सर्किलवार संख्या

1.	आन्ध्र प्रदेश	2236
2.	असम	437
3.	बिहार	1222
4.	दिल्ली	299
5.	गुजरात	1227
6.	हरियाणा	297
7.	हिमाचल प्रदेश	413
8.	जम्मू व कश्मीर	268
9.	कर्नाटक	1484
10.	केरल	1250
11.	मध्य प्रदेश	1183
12.	महाराष्ट्र	1983
13.	उत्तर-पूर्व	253
14.	उड़ीसा	1049
15.	पंजाब	686
16.	राजस्थान	1235
17.	तमिलनाडु	2644
18.	उत्तर प्रदेश	2594
19.	पश्चिम बंगाल	1658
	कुल	22418

विवरण II

किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों पर वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक किराए के रूप में हुए व्यय का सर्किलवार ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	सर्किल	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आन्ध्र प्रदेश	139.95	150.96	162.46
2.	असम	24.31	24.37	25.13
3.	बिहार	52.40	52.40	52.40
4.	दिल्ली	22.94	28.12	25.69
5.	गुजरात	60.55	62.98	63.08
6.	हरियाणा	13.02	13.98	15.23
7.	हिमाचल प्रदेश	15.74	17.03	18.14
8.	जम्मू व कश्मीर	14.71	13.51	13.65
9.	कर्नाटक	93.11	103.87	120.78
10.	केरल	131.90	123.00	132.74
11.	मध्य प्रदेश	60.24	56.48	65.14
12.	महाराष्ट्र	284.31	306.53	242.38
13.	उत्तर-पूर्व	24.87	27.65	29.31
14.	उड़ीसा	48.77	47.27	57.32

क्र. सं.	सर्किल	1991-92	1992-93	1993-94
15.	पंजाब	23.72	23.83	24.85
16.	राजस्थान	33.78	36.97	42.27
17.	तमिलनाडु	146.75	140.47	152.44
18.	उत्तर प्रदेश	111.23	125.36	136.57
19.	पश्चिम बंगाल	125.00	106.00	122.00
	कुल	1427.30	1460.78	1501.58

विवरण-III

विगत तीन वर्षों के दौरान नए डाकघर भवनों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा सर्किलवार आबंटित धनराशि का ब्यौरा

क्र. सं.	सर्किल	1992-93 (लाख रुपयों में)	1993-94 (लाख रुपयों में)	1994-95 (लाख रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	113.00	230.00	144.19
2.	असम	30.00	56.00	45.12
3.	बिहार	152.70	150.00	96.80
4.	दिल्ली	35.00	70.00	71.32
5.	गुजरात	170.00	390.00	387.53
6.	हरियाणा	101.60	45.00	60.23
7.	हिमाचल प्रदेश	53.35	108.00	90.58
8.	जम्मू व कश्मीर	25.00	5.00	2.87
9.	कर्नाटक	120.00	90.00	155.52
10.	केरल	120.00	100.00	76.62
11.	मध्य प्रदेश	80.00	80.00	75.00
12.	महाराष्ट्र	295.00	400.00	377.98
13.	उत्तर-पूर्व	35.84	70.00	75.00
14.	उड़ीसा	140.00	170.00	66.78
15.	पंजाब	55.00	34.00	–
16.	राजस्थान	105.00	187.00	227.87
17.	तमिलनाडु	78.51	110.00	89.59
18.	उत्तर प्रदेश	110.00	150.00	160.63
19.	पश्चिम बंगाल	180.00	150.00	109.68
	कुल	2000.00	2595.00	2313.31

रसोई गैस के अनाधिकृत कनेक्शन

6149. **डा० साक्षी जी :**
श्री अरविन्द त्रिवेदी :
श्री काशीराम राणा :
श्री महेश कनोडिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश और गुजरात में रसोई गैस के कितने अनाधिकृत कनेक्शनों का पता चला है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे रसोई गैस कनेक्शनों को नियमित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और गुजरात में पता लगाए गए अनाधिकृत कनेक्शनों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	उत्तर प्रदेश	गुजरात
1992-93	शून्य	शून्य
1993-94	1	शून्य
1994-95	2	3

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार अनाधिकृत कनेक्शनों को (वैध प्रलेखों के बिना) नियमित करने की अनुमति नहीं दी जाती।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गए अनाधिकृत कनेक्शनों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	उत्तर प्रदेश	गुजरात
1992-93	शून्य	शून्य
1993-94	1	शून्य
1994-95	2	3

(ख) वर्तमान नीति के अनुसार अनाधिकृत कनेक्शनों को (वैध प्रलेखों के बिना) नियमित करने की अनुमति नहीं दी जाती।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यांत्रिक टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलना

6150. **श्री विश्वेश्वर भगत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यांत्रिक एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने के संबंध में मार्च, 1995 तक का राष्ट्रीय औसत क्या रहा है;

(ख) इस संबंध में उक्त अवधि तक मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल का औसत क्या रहा है; और

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान देश में तथा मध्य प्रदेश में वर्तमान यांत्रिक एक्सचेंजों में इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों को बदलने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 31.3.95 की स्थिति के अनुसार, देश में लगभग 92 प्रतिशत एक्सचेंज, इलैक्ट्रॉनिक क़िस्म के हैं।

(ख) 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश में चालू कुल एक्सचेंजों में से 99.3 प्रतिशत इलैक्ट्रॉनिक क़िस्म के एक्सचेंज हैं।

(ग) 95-96 के दौरान देश में 328, 282 लाइनों के एम ए एक्स-1 इलैक्ट्रोमैकेनिकल उपस्करों को बदला गया है और मध्य प्रदेश में ऐसी 4048 लाइनों को बदला गया है। इसके अतिरिक्त, मार्च, 1997 तक एम ए एक्स-III तथा एम ए एक्स-II (एल/एफ क़िस्म) एक्सचेंजों को उत्तरोत्तर रूप से बदला जाना है। एम. ए. एक्स-II (यू एस क़िस्म) तथा एम ए एक्स-I एक्सचेंजों को उनका निर्धारित कार्यकाल समाप्त होने पर बदला जाना है।

[अनुवाद]

विशेष कार्यबल की तैनाती

6151. **श्री राम विलास पासवान :**
प्रो॰ रासा सिंह रावत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने अपने क्षेत्रों से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए केन्द्र सरकार से विशेष कार्य बल तैनात करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या कुछ राज्यों को इस स्थिति से निपटने के लिए आधुनिक हथियार उपलब्ध कराए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) जब कभी इस प्रकार के अनुरोध प्राप्त होते हैं, राज्यों को आधुनिक हथियार दिए जाने के मामले पर विचार किया जाता है। इस संबंध में ब्यौरे बताना जनहित में उपयुक्त नहीं समझा जाता है।

मैच वेक्स का आवंटन

6152. **डा॰ खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने मैच वेक्स के आवंटन के लिए कोई मांग प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्यमंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) सरकार को पैराफीन मोम के कोटे के आबंटन में वृद्धि के लिए गुजरात सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। सरकार पहले ही गुजरात राज्य के लिए प्रति तिमाही 100 एम टी पैराफीन मोम टाइप-III का आबंटन कर रही है अधिशेष उपलब्धता की शर्त पर पैराफीन मोम टाइप-III उत्पाद का तदर्थ आबंटन भी किया जाता है।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों का उत्थान

6153. **डा॰ मुमताज अंसारी** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए योजना-वार कितनी राशि आवंटित की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : अल्प संख्यकों सहित कमजोर वर्गों के उत्थान और आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए कल्याण मंत्रालय द्वारा योजनावार प्रदान किए परिव्यय को संलग्न विवरण में दिया गया है।

इसके अलावा अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की मिली-जुली विकास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी आएगी।

विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	1995-96 के लिए प्रस्तावित परिव्यय
योजना		
1.	आर्थिक मानदंड पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग की योजना	2.00
2.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम	39.00
3.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को अनुदान	0.01*
4.	अल्प संख्यक बहुल जिलों में बहुक्षेत्रीय योजना निर्माण	0.50
5.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की शेयर पूंजी	39.00
6.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग निगम में इक्वटी भागीदारी	0.01*
गैर योजना		
7.	केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता अनुदान	1.20

* योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के बीच योजनाओं पर विचार विमर्श होने तक सांकेतिक प्रावधान।

बिहार में अर्धसैनिक बलों की तैनाती

6154. **श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष बिहार में हुए विधान सभा चुनाव के दौरान विभिन्न अर्धसैनिक बलों के कितने जवानों को राज्य में भेजा गया था;

(ख) क्या इन बलों को राज्य सरकार की मांग पर भेजा गया था और क्या उन्हें उपयुक्त समय पर भेजा गया था;

(ग) क्या विधान सभा चुनाव के दौरान बिहार में तैनात इन बलों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) विधान सभा चुनावों के लिए बिहार में केन्द्रीय/राज्य बलों की कुल 815 कंपनियां तैनात की गयी थी।

(ख) बल की संख्या का निर्धारण भारत के निर्वाचन आयोग, बिहार सरकार और गृह मंत्रालय के बीच विचार-विमर्श से किया गया था।

(ग) और (घ) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी जिन पर संबंधित बलों द्वारा उपयुक्त कार्रवाई शुरू की गई है।

[अनुवाद]

गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति

6155. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 तक गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र को रेलवे के माध्यम से की गई कोयले की आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि माफ की जानी थी;

(ख) 31 मार्च, 1995 तक रेलवे के माध्यम से की गई कोयले की आपूर्ति के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की और कितनी धनराशि बकाया थी; और

(ग) इस क्षेत्र की ओर यदि कोई धनराशि बकाया है, तो यह धनराशि कब से बकाया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति किए जाने के संबंध में कोई राशि अभी तक बट्टे-खाते नहीं डाली गई है।

(ख) और (ग) गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की ओर 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. की देय बकाया राशि 72.49 करोड़ रु. थी जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	(करोड़ रु. में)
एक वर्ष से कम की अवधि	32.66
1 वर्ष से 2 वर्ष की अवधि के बीच	16.30
2 वर्ष से 3 वर्ष की अवधि के बीच	5.56
3 वर्ष से अधिक की अवधि	17.97
	72.49

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंज भवन

6156. **श्री अन्ना जोशी** :
श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए नए भवन निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर कितना खर्च होने की संभावना है; और

(घ) इन भवनों का निर्माण कब तक हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए निर्माणाधीन नए भवनों के ब्यौरे

क्र. सं.	अवस्थितियों सहित भवनों के नाम	संभावित व्यय (लाख रु. में)	कार्य पूरा होने की संभावित तारीख
1.	एम ए एक्स-1, वर्धा	78.00	अक्टूबर, 1995
2.	10-के सी-डॉट, भंडारा (फेज़-I)	59.00	अगस्त, 1995
3.	10-के सी-डॉट, भंडारा (फेज़-II)	50.00	अगस्त, 1995
4.	एम ए एक्स-1 पवतमाल (फेज़-III)	35.00	मई, 1996
5.	आई एल टी, वनी (पवतमाल)	21.00	अगस्त, 1995
6.	आई एल टी, भीवापुर (नागपुर)	15.00	अक्टूबर, 1995
7.	आई एल टी, डिगरेस (पवतमाल)	15.00	अगस्त, 1995
8.	आई एल टी, साकोली (भंडारा)	22.00	जुलाई, 1995
9.	आर एल यू, नंदनवन (नागपुर)	15.00	अगस्त, 1995
10.	आई एल टी, मूल (चन्द्रपुर)	21.00	दिसम्बर, 1995
11.	आई एल टी, अमगांव (भंडारा)	21.00	दिसम्बर, 1995

क्र. सं.	अवस्थितियों सहित भवनों के नाम	संभावित व्यय (लाख रु. में)	कार्य पूरा होने की संभावित तारीख
12.	आई एल टी, देवरी (भंडारा)	21.00	दिसम्बर, 1995
13.	आई एल टी, तिरोरा (भंडारा)	13.00	दिसम्बर, 1995
14.	पडारकवाड़ा (पवतमाल)	14.00	दिसम्बर, 1995
15.	आई एल टी, मोहदी (भंडारा)	14.00	दिसम्बर, 1995
16.	ओ एफ सी, शीरपुर (वर्धा)	5.00	सितम्बर, 1995
17.	आई एल टी, छिंटवाड़ा रोड (नागपुर)	15.00	दिसम्बर, 1995
18.	आई एल टी, उम्मरखेड (पवतमाल)	14.00	दिसम्बर, 1995
19.	वी/ई से टी ई चन्द्रपुर	28.00	अप्रैल, 1996
20.	वी/ई से टी ए एक्स नागपुर	70.00	जुलाई, 1996
21.	आई एल टी, चिखेलडारा (अमरावती)	15.00	मई, 1995
22.	आई एल टी, धरनी (अमरावती)	14.00	नवम्बर, 1995
23.	आई एल टी तिवासा (अमरावती)	14.00	अक्टूबर, 1995
24.	आई एल टी, मोरशी (अमरावती)	21.00	नवम्बर, 1995
25.	आई एल टी, मालेगांव (अकोला)	15.00	अक्टूबर, 1995
26.	ओ एफ सी, पाडर (अकोला)	7.00	नवम्बर, 1995
27.	सी-डॉट, खामगांव (बुलडाना)	50..00	सितम्बर, 1996
28.	ओ एफ सी, शिरूड (धुले)	7.00	अगस्त, 1995
29.	वी/ई से टी ई धुले	22.00	अगस्त, 1995
30.	आर एल यू पंचवटी (नासिक)	15.00	जून, 1995
31.	टी ई गोधिंगलाज	55.23	अगस्त, 1995
32.	टी ई कागल	27.62	जून, 1995
33.	वाई-टाइप एम/डब्ल्यू, गोडखिंडी	27.91	अगस्त, 1995
34.	आर एल्यू-सतारा	30.39	जून, 1995
35.	वाई-टाइप एम/डब्ल्यू, अजनकटासरी सतारा	30.69	दिसम्बर, 1995
36.	टी ई, मिराज	163.40	जून, 1995
37.	एम ए एक्स-1 सांगली	224.75	जून, 1995
38.	टीई बरशी	138.48	मार्च, 1996
39.	नाटेपुट में कम लागत का टीई	9.51	अगस्त, 1995
40.	टीई और ज़ैड-टाइप एम/डब्ल्यू अक्कलकोट	31.23	जून, 1995
41.	टीई मापूका	159.26	मार्च, 1996
42.	टीई दूधानी	10.33	जून, 1995
43.	टीई कुरूल	10.34	जून, 1995
44.	आईएलटी, करनाला	10.34	अगस्त, 1995
45.	कम लागत का टीई बैराग	9.52	जून, 1995
46.	टीई सस्वाड, पुणे	15.62	जून, 1995
47.	टीई जेजूरी, पुणे	31.02	जून, 1995
48.	टीई मंचरपुणे	33.78	अगस्त, 1995
49.	टीई औंध, पुणे	10.15	जून, 1995
50.	एमएएक्स-11 सिलौद	30.45	जून, 1995
51.	एमएएक्स-1, श्रीरामपुर	44.79	जून, 1995
52.	वी/ई एमएएक्स-1, श्रीरामपुर	44.79	जून, 1995
53.	टीई, तुलज़ापुर	15.85	मई, 1995
54.	एमएएक्स-I परभ नी	101.20	मार्च, 1996
55.	आईएलटी अम्बाड	8.33	जून, 1995
56.	टीई मुरूड	13.16	अक्टूबर, 1995
57.	एमएएक्स-II, बीड	31.48	मई, 1995
58.	वी/ई एमएएक्स-II, बीड	10.99	नवम्बर, 1995
59.	एमएएक्स-II, कोपलगांव	30.41	मई, 1995
60.	टीई अहमदपुर, लदूर	8.20	जून, 1995
61.	वी/ई अहमदपुर, लदूर	8.18	जुलाई, 1995
62.	वी/ई टीई बिल्डिंग, कलगांव	60.00	दिसम्बर, 96
63.	टीई बिल्डिंग जवाहर, थाने	27.38	मई, 95
64.	टीई कुपफे परेड, बम्बई	100.00	दिसम्बर, 96
65.	टीई बैरसोआ, बम्बई	481.00	जून, 96
66.	वी/ई टीई मजगांव, बम्बई	141.00	मई, 95
67.	आरएलयू थाणे पंचपाखड़ी	185.00	जून, 96
68.	आरएलयू भवायन्दर	44.00	मार्च, 1995

डाक सेवाओं का गैर-सरकारीकरण

6157. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाक सेवाओं से कुछ क्षेत्रों का गैर-सरकारी रूप करने का है;

(ख) यदि हां, तो गैर-संरकारीकरण किए जाने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मनीआर्डरों को भेजने की कोई नई प्रणाली विकसित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) इस समय डाक सेवाओं के किसी भी क्षेत्र के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) मनीआर्डर का वितरण केवल डाकियों के माध्यम से ही किया जा रहा है। तथापि, पारेषण में तेजी लाने और इस प्रकार मनीआर्डरों का त्वरित वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी) और उपग्रह चैनल के एक नेटवर्क द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पारेषण की एक नई प्रणाली शुरू की गई है। 7 वीएसएटी केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहे हैं तथा 19 और केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। चालू वर्ष के अंत तक ऐसे 75वीएसएटी केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक वीएसएटी केन्द्र के 100 कि. मी. के घेरे के भीतर पड़ने वाले डाकघरों के साथ मार्डेम टेलीफोन लाइन संपर्क स्थापित करके मनीआर्डरों के त्वरित पारेषण और वितरण का लाभ पहुंचाया जाएगा।

[हिन्दी]

तेल शोधक कारखाने

6158. **श्री जगमीत सिंह बराड़ :**
डा. चिंता मोहन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल शोधक कारखानों की स्थापना में गैर-सरकारी क्षेत्र की सहभागिता को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो देश में स्थापित किए जाने के लिए मार्च, 1995 तक सरकार द्वारा स्वीकृत तेल शोधक कारखानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कारखानों की वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या होगी;

(घ) क्या तेल शोधक कारखानों को कच्चा तेल आयात करने की अनुमति दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्यमंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) सरकार ने निजी/संयुक्त क्षेत्र में निम्नलिखित रिफाइनरियों की स्थापना करने का अनुमोदन किया है :

पार्टी/रिफाइनरी का नाम	क्षमता	स्थान
1. मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	15 एमएम टी पी एक	गुजरात
2. मै. इंटरनेशनल पेट्रोलियम एस ए (बीवी आई) स्वीटजरलैंड	5 एम एम टी पी ए	गुजरात
3. मै. अशोक लेलैंड, गोटको	6 एमएमटी पी ए	उड़ीसा
4. मै. एस्सा पेट्रोलियम	9 एमएमटीपीए	प. तट
5. मै. ब्लैक गोल्ड रिफाइनरीज लि.	2.5 एमएमटीपीए	विशाख
6. मै. पेट्रोसोर्स एनर्जी कं.	1.44 एमएमटीपीए 100% इओयू	कराइकल
7. मै. जिंदल फैरो एलए	6 एमएमटीपीए 100% इओयू	विशाख
8. मै. तामिलनाडु इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि. (टी आई डीसी ओ)	2.00 एम एम टी पीए 100% इओयू	तुतीकोरिन
9. मै. मै. अबाड लायड चिलीस आफशोर लि., मद्रास	3.00, एमएमटीपीए 100% इओयू	तमिलनाडु
10. मै. सोरिस फंड मैनेजमेंट	6 एमएमटीपी ए	हल्दिया
11. मै. मालपैक उद्योग	0.5 एमएमटीपीए	गुजरात
संयुक्त उद्यम रिफाइनरियां		
12. एय.पी सी एल और इंडियन रेयन इन्डस के बीच मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पे. के. लि.	6 एमएमटी पी ए	मंगलौर
*13. बीपीसीएल और ओमान आयल कंपनी लि. के बीच भारत ओमान रिफाइनरीज लि. संयुक्त उद्यम	6 एमएमटी पी. ए	बीना (मध्य प्रदेश)
*14. एच पी सी एल और ओमान आयल कम्पनी के बीच हिन्दुस्तान ओमान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (एच ओ पीसीएल) रिफाइनरी संयुक्त उद्यम	6 एमएमटी पी ए	देवगढ़ (महाराष्ट्र)

* सिद्धांत रूप में अनुमोदन

(घ) और (ङ) क्रूड का आयात सरकार की वर्तमान नीति द्वारा शासित होगा।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज

6159. **कुमारी उमा भारती :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान खोले गए इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1994-95 के लिए इस बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इनमें से कितने एक्सचेंजों ने काम करना शुरू कर दिया है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने पुराने एक्सचेंजों को इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदला जा चुका है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) मध्य प्रदेश सर्किल में 1993-94 के दौरान 456 इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए थे।

(ख) जी, हां।

(ग) 250 एक्सचेंजों का लक्ष्य रखा गया था।

(घ) 1994-95 के दौरान, 250 एक्सचेंजों के लक्ष्य के मुकाबले 296 एक्सचेंज खोले गए थे।

(ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान जो पुराने एक्सचेंज इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदले गए उनकी संख्या इस प्रकार हैं :

1992-93	—	427
1993-94	—	75
1994-95	—	20

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएं

6160. **श्री सूरजभानु सोलंकी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे;

(ख) क्या लक्ष्य की प्राप्ति हुई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ङ) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों के निष्पादन और राज्य सरकारों द्वारा अपने बजट में किए गए समान बजट प्रावधानों के आधार पर केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कोई विशेष राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते। तथापि, प्रत्येक राज्य में किसी वर्ष विशेष में आर्थिक सहायता दिए जाने वाले अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की संख्या के बारे में बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र II (क) और II (ख) के अंतर्गत कतिपय लक्ष्य निर्धारित हैं। इस बारे में मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बीस सूत्री कार्यक्रम का सूत्र II (क)

अवधि	लक्ष्य (परिवार/लाभग्राही)	उपलब्धियां (परिवार/लाभग्राही)
1992-93	2,25,000	2,00,000
1993-94	2,03,000	2,26,638
1994-95	2,00,713	95,037

बीस सूत्री कार्यक्रम का सूत्र II (ख)

अवधि	लक्ष्य (परिवार/लाभग्राही)	उपलब्धियां (परिवार/लाभग्राही)
1992-93	2,15,000	2,27,533
1993-94	2,15,000	2,58,273
1994-95	2,45,000	2,79,024

[हिन्दी]

गुजरात में पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्र

6161. **श्री रतिलाल वर्मा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 के दौरान गुजरात में तेल चयन बोर्ड द्वारा कितने नए पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्र मंजूर किये गये हैं;

(ख) क्या उक्त अवधि में मंजूर किए गए नए पेट्रोल खुदरा केन्द्र सम्बद्ध व्यक्तियों को आबंटित कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) तेल चयन बोर्ड का पुनर्गठन जनवरी, 1993 में किया गया। 1993 के दौरान, गुजरात के बोर्ड ने 12 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए योग्यता सूचियों की सिफारिश की। इन सभी मामलों में आशय पत्र संबंधित तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी किए गए थे।

[अनुवाद]

दूरसंचार का विकास

6162. **श्री गोपी नाथ गजपति :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में त्वरित दूरसंचार विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूरसंचार सुविधाओं के विकास की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) विभाग में त्वरित दूरसंचार कार्यक्रम नामक कोई स्कीम नहीं है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में टेलीफोन कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा-अवधि घटाकर दो वर्ष करना।
- ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करना।
- 1.4.97 तक सभी ग्राम पंचायतों और 1.5 लाख अतिरिक्त ग्रामों में टेलीफोन-सुविधा प्रदान करना।
- सभी एक्सचेंजों में 1.4.1997 तक राष्ट्रीय दूरसंचार उपभोक्ता डायलिंग सुविधा प्रदान करना।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में अब तक 39.8 लाख डाइरेक्ट एक्सचेंज लाइनें प्रदान की जा चुकी हैं और 31 मार्च, 1995 तक 1.85 लाख ग्रामों में टेलीफोन सुविधा का विस्तार किया जा चुका है।

तथापि, 1994 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति स्वीकार की जा चुकी है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- सम्पूर्ण देश में व्यावहारिक रूप से मांग होने पर 1997 तक टेलीफोन सुविधाओं का प्रावधान।
- देश के सभी ग्रामों में 1997 तक टेलीफोन सुविधा प्रदान करना।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में सरकार के प्रयासों में सहयोग प्रदान करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित किया जाएगा।

राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत योजनाएं

6163. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या विश्व बैंक भी इन योजनाओं के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनमें से प्रत्येक परियोजना को कार्यान्वित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ङ) साबरमती (धारोइ-बायां तट नहर) और मेशुओ योजनाएं विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के तहत गुजरात राज्य में शुरू की गई थी। इस परियोजना पर हुए 90% व्यय की प्रतिपूर्ति क्रेडिट करार के अनुसार विश्व बैंक द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना अब 31.3.1995 को समाप्त हो गई है। विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के तहत योजनाओं का ब्यौरा

राज्य : गुजरात (लाख रुपए)

क्रम स.	योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा स्वीकृति की तिथि	कृष्य कमान क्षेत्र (हेक्टेयर)	अनुमानित लागत	मार्च, 1995 तक हुआ व्यय
1.	साबरमती (धारोई-बायां तट नहर)	जनवरी, 93	12,980	505.30	44.00
2.	मेशुओ	जनवरी, 93	6,880	305.40	17.6
		योग	19,860	810.70	61.6

विज्ञापनों पर खर्च की गई धनराशि

6164. **श्री हरिसिंह चावड़ा :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय द्वारा 1993-94 और 1994-95 के दौरान सीधे अथवा दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से समाचारपत्रों में दिए गये विज्ञापनों पर भाषा-वार कितनी धनराशि खर्च की गई ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : कल्याण मंत्रालय सभी प्रेस विज्ञापनों को श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालयों के माध्यम से जारी करता है तथा इस पर होने वाला व्यय इस मंत्रालय के लिए निर्धारित श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के समेकित प्रचार बजट से वहन किया जाता है। 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान समाचार पत्रों को कल्याण मंत्रालय के लिए श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा दिये गए भाषा का विज्ञापनों पर व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न है।

विवरण

कल्याण मंत्रालय की ओर से भाषावार विज्ञापन परिव्यय

क्रम सं.	भाषा	व्यय की धनराशि 1993-94	1994-95
1.	अंग्रेजी	2656694.00	1195942.00
2.	हिन्दी	1750462.00	518475.00
3.	उर्दू	310746.00	78324.00
4.	पंजाबी	148727.00	71453.00
5.	मराठी	258905.00	81641.00
6.	गुजराती	327436.00	76795.00
7.	असमिया	82544.00	31906.00
8.	बंगला	269537.00	45336.00
9.	उड़िया	107644.00	46650.0
10.	तमिल	140206.00	74627.00
11.	तेलगू	133854.00	47849.00
12.	मलयालम	317179.00	84699.00
13.	कन्नड़	111090.00	29518.00
14.	मिजो	3217.00	131.00
15.	सिन्धी	5082.00	—
	कुल	6623323.00	2383346.00

बहुविधि सिनेमाघर

6165. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुविधि सिनेमाघर शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आस्ट्रेलिया की कम्पनी के साथ इस संबंध में कोई समझौता किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे सिनेमाघर कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ङ) जी, हां। विभिन्न राज्यों में बहुविधि सिनेमा हालों सहित मनोरंजन काम्प्लेक्सों की शृंखला के निर्माण तथा प्रचालन संबंधी कुछ प्रस्ताव बनाए गए हैं। इनके बारे में अंतिम निर्णय राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा लिया जाना है क्योंकि सिनेमा थियेटरों को लाइसेंस प्रदान करना उनके अधिकार-क्षेत्र में आता है।

टेलीफोन प्रयोक्ताओं की शिकायतें

6166. **डॉ. कृपासिंधु भोई :**
श्री रामपाल सिंह :
श्री प्रभू दयाल कठेरिया :
श्री पंकज चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के प्रत्येक एक्सचेंज में प्रतिदिन औसतन कितनी शिकायतें प्राप्त होती हैं;

(ख) खराब टेलीफोन की मरम्मत में कितने दिन लगते हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 21 अप्रैल, 1995 के 'जनसत्ता' में 'टेलीफोन निगम ने उपभोक्ता सेवा में सुधार की योजना बनाई' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम

6167. **श्री के. जी. शिवप्पा :**
श्री सी. पी. मुडला गिरियप्पा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों, विशेष रूप से कर्नाटक ने अंतर्राज्यीय नदी जल

विवाद अधिनियम में संशोधन करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो केंद्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) केवल कर्नाटक राज्य ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम में संशोधन के लिए आग्रह किया है।

(ख) अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधनों पर सरकारिया आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद की उप समिति और राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा समय-समय पर विचार-विमर्श किया गया है। तथापि, विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रस्तावित संशोधनों पर कोई सहमति नहीं हुई है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन

6168. **डॉ. महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि वर्तमान प्रवृत्ति के आधार पर पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य स्थिर रहे, तो क्या 1997 के अंत तक इनका आयात मूल्य 20,000 करोड़ रुपए के आस-पास होगा;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है;

(ग) क्या देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि होने के कारण आयात बिल में लगातार वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) 1997 के अंत तक कुल मांग में से पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू उत्पादन और आयात का क्या प्रतिशत होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) (ख) और (च) आयात बिल , घरेलू उत्पादन की प्रतिशतता और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, स्वदेशी क्रूड उत्पादन शोधन क्षमता के कार्यान्वयन और मांग के वास्तविक कार्यान्वयन पर निर्भर होगा।

(ग) पिछले तीन वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों का आयात बिल निम्नानुसार था :

(मात्रा एमएमटी में)
(मूल्य करोड़ रुपए में)

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1992-93	11.28	6360
1993-94 *	12.08	70.41
1994-95 *	13.95	75.22

* अनन्तिम

(घ) और (ङ) सरकार ने तेल शोधन क्षेत्र में निजी निवेश की अनुमति दे दी है। 56.40 एमएमटी पी ए की वर्तमान शोधन क्षमता के मुकाबले देश में वर्तमान रिफाइनरियों के विस्तार/व्यवधान हटाने, नई ग्रास रूट रिफाइनरियों, संयुक्त उद्यम कम्पनियों और इ ओ यू सहित निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों की स्थापना के बाद कुल शोधन क्षमता लगभग 153 एमएमटी पी ए होने का अनुमान है। यह क्षमता पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी क्योंकि वर्ष 2001-2002 में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग लगभग 102 एमएमटी पी ए होने का अनुमान है।

कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लघु अवधि और मध्यम अवधि के कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप कच्चे तेल का उत्पादन 1995-96 में 37.37 एमएमटी और 1996-97 के अंत तक 44.45 एमएमटी के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है।

कोयले की खोज

6169. **श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में कोयले की खोज हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रफल में कोयला की खोज करने के संबंध में विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) मध्य प्रदेश की कोयले की वार्षिक आवश्यकता कितनी है और राज्य को कितनी मात्रा में कोयले की आपूर्ति की जा रही है;

(च) क्या सरकार ने 1994-95 के दौरान राज्य में कोयले की मांग को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय भू-सर्वेक्षण आठवीं योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त कोयले के भंडारों का पता लगाए जाने के लिए मध्य प्रदेश की सिंगरौली कोयला क्षेत्र और हसदेव-एरण्ड, सौहागपुर, मंड-रायगढ, तातापानी-रामकोला में क्षेत्रीय अन्वेषण कर रहा है।

(ङ) से (छ) 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश की विभिन्न उपभोक्ता उद्योगों की 39.3 मि. ट. (अनंतिम) कोयले की आपूर्ति की गई थी। कोल इंडिया लि. मध्य प्रदेश के उद्योगों की सम्पूर्ण मांग को पूरा कर रहा है।

कोयला भंडारों की खोज

6170. **श्री केशरी लाल :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रमुख रूप से कोयला भंडारों की खोज के कार्यों में लगी एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ख) कोयला भंडारों की खोज से पूर्व उनका पता लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी; और

(ग) सरकार को 1994-95 के दौरान किन-किन क्षेत्रों में कोयला भंडारों की संभावना का पता लगाने में सफलता मिली है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) भारतीय भू-सर्वेक्षण देश में संभावित कोयला धारी क्षेत्रों का पता लगाए जाने के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण का कार्य करता है। खान आयोजन के प्रयोजन से विस्तृत अन्वेषण का कार्य केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि. द्वारा सीधे रूप में किया जाता है तथा यह कार्य निम्नलिखित अभिकरणों के माध्यम से जैसे खनिज अन्वेषण निगम लि., राज्य सरकारें और को. इं. लि. के लिए निजी अभिकरण इस कार्य को करते हैं। सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. स्वयं ही विस्तृत अन्वेषण का कार्य करती है तथा यह अन्य अभिकरणों जैसे—खनिज अन्वेषण निगम लि. जैसी अभिकरणों के माध्यम से भी करती है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान भारतीय भू-सर्वेक्षण में विभिन्न कोयला क्षेत्रों जैसे—पश्चिम बंगाल में रानीगंज तथा वीरभूम कोयला क्षेत्र, बिहार में ताजमहल कोयला क्षेत्र उड़ीसा में तलचर और ईब-घाटी कोयला क्षेत्र, मध्य प्रदेश में मंड-रायगढ़ कोयला क्षेत्र और आंध्र प्रदेश में गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र में संभावित कोयले के भंडारों का पता लगाए जाने के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य किया है।

[अनुवाद]

जापान के साथ आर्थिक संबंध

6171. **श्री रवि राय : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-जापान अध्ययन समिति ने हाल में भारत-जापान आर्थिक संबंधों के बारे में जापान का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जापान ने भारत में भारी निवेश करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख) भारत जापान अध्ययन समिति की बैठक 10-11 अप्रैल 1995 को टोकियो में हुई। भारतीय समिति का नेतृत्व पूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा भारत-जापान अध्ययन समिति के अध्यक्ष श्री वसन्त साठे ने किया।

(ग) और (घ) भारत जापान अध्ययन समिति भारत तथा जापान के आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक क्षेत्रों के द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए नए विचार एवं प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु दोनों देशों के बीच विचार-विमर्श का एक मंच है। भारत-जापान अध्ययन समिति की 24वीं तथा 25वीं बैठकों में हुए विचार-विमर्श से भारत तथा जापान के बीच अधिक सद्भाव तथा सहकारिता का भाव पनपा है।

[हिन्दी]

उड़ीसा में टेलीफोन

6172. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन के लिए जिला-वार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा-सूची में हैं; और

(ख) प्रतीक्षा सूची को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 30.4.95 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में 10,032 व्यक्ति आवेदक दर्ज हैं। जिलेवार प्रतीक्षा-सूची निम्नांकित है।

क्र. सं.	दूरसंचार जिला	राजस्व जिला	प्रतीक्षा-सूची
1.	बालासोर	बालासोर भद्रक	445
		मयूरभंज	210
2.	बेरहमपुर	गंजम	1371
		गाजापटी फूलबनी बौध	93
3.	भुवनेश्वर	पुरी खुर्द नयागढ़	3635
4.	बोलंगीर	बोलंगीर	102
		सुवर्णपुर कालाहांडी नुवापाड़ा	92
5.	कटक	कटक जगतसिंहपुर जजपुर केन्द्रपाड़ा	800

क्र. सं.	दूरसंचार जिला	राजस्व जिला	प्रतीक्षा-सूची
6.	ढेंकनल	ढेंकनल	
		अंगुल	380
		क्यूंझर	234
7.	कोरापुट	कोरापुट	
		रायगढ़	517
		नौरंगपुर	
		मलकानगिरि	
8.	राऊरकेला	सुन्दरगढ़	1185
9.	संबलपुर	संबलपुर	
		बारगढ़	968
		देवगढ़	
		झारसुगुडा	
			10,032

(ख) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 में, 1997 तक व्यावहारिक रूप से मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। उड़ीसा की मौजूदा अधिकांश प्रतीक्षा-सूची तथा नई मांग की वर्ष 1995-96 के दौरान निपटा दिये जाने की संभावना है। वर्ष 1995-96 के दौरान उड़ीसा में 25000 नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है।

महानगरों में टेलीफोन

6173. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार महानगरों के टेलीफोन नेटवर्क में कितनी टेलीफोन लाइनें जोड़ी गई;

(ख) क्या उक्त नगरों में टेलीफोन एक्सचेंजों की दोष सुधार सेवाओं के स्तर में बहुत गिरावट आ गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चार महानगरीय शहरों के टेलीफोन नेटवर्क में जोड़े गए टेलीफोनों की संख्या निम्नलिखित है :

	शहरों का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1.	बम्बई	107168	137179	205049
2.	कलकत्ता	26208	34386	45387
3.	दिल्ली	83558	125020	153090
4.	मद्रास	21979	30427	43155

(ख) जी नहीं, दोषसुधार सेवाएं संतोषजनक हैं।

(ग) दोष सुधारने के पश्चात और सुधार करने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :

(एक) दोषसुधार सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण करना।

(दो) बाह्य नेटवर्क का उन्नयन करना।

(तीन) प्रबंधन के उच्च स्तर को मॉनीटरिंग द्वारा निर्णयाधीन दोषों में सुधार लाने के लिए विशेष ध्यान देना।

[अनुवाद]

पोलावरम परियोजना

6174. **श्री रामकृष्ण कोंताला :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश से या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से पोलावरम परियोजना के निर्माण कार्य में भागीदारी के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला धोवनशालाएं

6175. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल कोल वाशरीज आर्गेनाइजेशन के नियंत्रण में कार्यरत कोयला धोवनशालाओं के काम-काज की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) एक विशेषज्ञ समिति ने 10 विद्यमान वाशरियों के क्रियाकलापों की समीक्षा की थी, जिसमें केन्द्रीय कोयला वाशरी संगठन (सी. सी. डब्लू. ओ.) की 4 कोयला की वाशरियां शामिल हैं और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1986 में प्रस्तुत की थी। इस समिति ने कुछ वाशरियों को डिशेलिंग संयंत्रों की स्थापना करके आधुनिकीकृत करके, फाइन कोयला सर्किट जोड़े जाने और इंस्ट्रूमेंटशन और आटोमेशन उपकरण की शुरूआत की सिफारिश की थी। एक अन्य तकनीकी दल जिसका कि सरकार द्वारा कोककर कोयला आयातों पर निर्भरता कम किए जाने के लिए एक कार्रवाई योजना करने हेतु गठन किया गया था, ने भी विद्यमान वाशरियों की क्रियाकलापों का अध्ययन किया था, जिसमें सी. सी. डब्लू. ओ. वाशरियां भी शामिल हैं और इस दल ने अपनी रिपोर्ट मई, 1993 में प्रस्तुत की थी। इस दल की कुछ मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं :

(एक) पूर्ववर्ती समिति द्वारा सुझाई गई आधुनिकीकरण योजना को शीघ्र पूरा किया जाना।

(दो) वाशरियों को बिना रोक-टोक के विद्युत की आपूर्ति किए जाने की व्यवस्था किया जाना।

(तीन) वाशरियों की वार्षिक स्थिति की जांच तथा अनुरक्षण शुरू किया जाना।

(चार) कच्चा कोयला आपूर्ति, आदि में वृद्धि किया जाना।

असम में टैलीफोन कनेक्शन

6176. **श्री प्रबीन डेका :**
श्री नुरूल इस्लाम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 में असम में दूरसंचार सुविधाओं में सुधार का योजना परिव्यय क्या था;

(ख) असम में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची में जिला-वार कितने व्यक्ति हैं;

(ग) क्या प्रतीक्षा-सूची के सभी लोगों को टेलीफोन कनेक्शन देने की कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) असम में वर्ष 1994-95 में दूरसंचार सुविधाओं के सुधार और विस्तार के लिए पूंजीगत परिव्यय 72.57 करोड़ रुपये था।

(ख) 31.3.95 की स्थिति के अनुसार असम में 15,028 व्यक्ति टेलफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षासूची में दर्ज हैं। जिलावार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

1.	कामरूप	5302	2.	बोंगाईगांव	264
3.	धुबरी	269	4.	कोकराझार	70
5.	गोलपाड़ा	20	6.	बड़पेटा	181
7.	नलबाड़ी	51	8.	जोरहाट	884
9.	शिवसागर	547	10.	गोलाघाट	322
11.	नगांव	1081	12.	मोरीगांव	142
13.	करबीअंगलोंग	137	14.	शोणितपुर	875
15.	दरांग	95	16.	लखीमपुर	308
17.	धेमाजी	89	18.	कछार	1879
19.	करीमगंज	484	20.	एन. सी. हिल्स	108
21.	डिब्रूगढ़	750	22.	तिन सुखिया	1131
23.	हैलाकान्दी	39			

1 से 23 तक कुल जोड़ = 15028

(ग) और (घ) जी, हां, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में, असम सहित समूचे देश में टेलीफोन मांगते ही 1997 तक व्यावहारिक रूप से टेलीफोन देने की परिकल्पना है। 31.3.95 की स्थिति के अनुसार असम की अधिकांश प्रतीक्षा सूची 1995-96 तक पूरी हो जाएगी।

[हिन्दी]

विदेशों के साथ समझौते

6177. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री पंकज चौधरी :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री प्रफुल पटेल :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ देशों, विशेषरूप से पाकिस्तान के साथ अवैध आव्रजन, हथियारों की तस्करी तथा सीमा पार से नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए समझौते किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इन समझौतों को कब से कार्यान्वित किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) अपराध की जांच करने और अभियोजन चलाने तथा अपराध की कमाई और तरीके (मुद्रा के हस्तांतरण करने संबंधी अपराध सहित), आतंकवादियों के धन का पता लगाने, उन पर प्रतिबंध लगाने और उसे जब्त करने के लिए यू. के. के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अपराध को रोकने में सहयोग तथा विचार-विमर्श करने तथा देश की सीमाओं के बाहर से सहयोग बनाए रखने पर रूसी परिसंघ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। संगठित अपराध, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा नशीली दवाओं तथा मनोत्तेजक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम में सहयोग के लिए बुल्गारिया तथा रोमानिया के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। आपराधिक मामलों में आपसी सहयोग के लिए कनाडा के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। पाकिस्तान के साथ कोई औपचारिक समझौता नहीं किया गया है।

(घ) ये समझौते, संबंधित देशों द्वारा सुधारात्मक औपचारिकताओं को पूरा कर लिए जाने के बाद लागू होंगे।

[अनुवाद]

पानी का जल विज्ञान संबंधी अध्ययन

6178. **श्री रमेश चेन्निथला :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग द्वारा केरल में उपलब्ध पानी का जल विज्ञान संबंधी अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भविष्य में उपयोग के लिए अतिरिक्त पानी की भंडारण की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बी. रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में तेल क्षेत्र

6179. **श्री अनंतराव देशमुख :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में धलका और वासना तेल क्षेत्रों में तेल की खोज करने के लिए अनिवासी भारतीयों के साथ समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की क्या शर्तें हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) धलका क्षेत्र के विकास के लिए एक संविदा पर भारत सरकार, लार्सन एण्ड टूब्रो, इंडिया और जोशी टेक्नालाजीज इंटरनेशनल इंक, यू एस ए के बीच हस्ताक्षर किए गए।

इन क्षेत्रों का विकास ओ एन जी सी/ओ आई एल की किसी प्रतिभागिता के बिना भारत सरकार के साथ उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के अन्तर्गत स्वयं कंपनियों द्वारा किया जाएगा। कंपनियों को रायल्टी और उपकर जैसे सांविधिक उद्ग्रहणों का भुगतान करना होगा। कंपनी के हिस्से के तेल के लिए भुगतान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य पर किया जाएगा।

वसना क्षेत्र के विकास के लिए अब तक किसी संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

प्रधान डाकघर

6180. **श्री सुकदेव पासवान :**
श्री राजूभाई ए. परमार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रधान डाकघरों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या अभी भी बिहार के कुछ जिलों में प्रधान डाकघर नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे जिलों में प्रधान डाकघर उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) जहानाबाद, खगड़िया, जामुई, अररिया, किशनगंज, सुपौल, भाभुआ, मधेपुरा, गोड्डा, गढ़वा, छतरा, लोहारडागा, कोडरमा, पाकुर और साहिबगंज के राजस्व जिलों में कोई अलग प्रधान डाकघर नहीं है। इन जिलों में प्रधान डाकघर खोलने का विभागीय मानदंडों के अनुसार औचित्य नहीं है।

(घ) प्रधान डाकघर खोलना एक अनवरत प्रक्रिया है। जब विभागीय मानदंडों के अनुसार औचित्य पाया जाता है, नए प्रधान डाकघर खोले जाते हैं।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	प्रधान डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	104
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	16
4.	बिहार	42
5.	हरियाणा	15
6.	हिमाचल प्रदेश	17
7.	गोवा	2
8.	गुजरात	42
9.	जम्मू व कश्मीर	9
10.	कर्नाटक	69
11.	केरल	51
12.	मध्य प्रदेश	52
13.	महाराष्ट्र	61
14.	मणिपुर	1
15.	मेघालय	2
16.	मिजोरम	1
17.	नागालैंड	1

क्रम सं.	राज्य का नाम	प्रधान डाकघरों की संख्या
1	2	3
18.	उड़ीसा	35
19.	पंजाब	21
20.	राजस्थान	55
21.	सिक्किम	1
22.	तमिलनाडु	92
23.	त्रिपुरा	3
24.	उत्तर प्रदेश	86
25.	पश्चिम बंगाल	44
संघ राज्य क्षेत्रों का नाम		
1.	अंडमान एव निकोबार द्वीप समूह	1
2.	चंडीगढ़	1
3.	दमन एवं दीव	शून्य
4.	दादर और नगर हवेली	शून्य
5.	लक्षद्वीप	शून्य
6.	पांडिचेरी	1
7.	दिल्ली	9
	कुल	835

[अनुवाद]

'कलेक्ट कॉल' प्रणाली

6181. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के दूरदराज इलाकों में दूरसंचार की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वायरलेस टेलीफोन स्थापित करने के व्यावसायिक तथा तकनीकी पहलुओं की जांच करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में 'कलेक्ट कॉल' प्रणाली शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) भारत में स्थलीय रेडियो और उपग्रह संचार प्रणाली के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में पहले ही बेतार टेलीफोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) देश में 'रिवर्स चार्ज ट्रंक काल' के रूप में कलेक्ट कॉल की सुविधा पहले ही उपलब्ध है जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा किसी एक व्यक्ति को सार्वजनिक कॉल घर से किसी विशिष्ट नम्बर पर काल के प्रभार का पूर्व भुगतान किए बिना ट्रंक कॉल बुक करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और यह प्रभार उस उपभोक्ता से वसूल किए जाते हैं जिसे काल की जाती है।

अरूणाचल प्रदेश में तेल की खोज

6182. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम द्वारा अरूणाचल प्रदेश में तेल की खोज की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कच्चे तेल पर राज्य सरकार को कोई रायल्टी दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। ओ आई एल अरूणाचल प्रदेश में हाइड्रोकार्बनों का अन्वेषण कर रही है। ओ आई एल के अन्वेषण प्रयासों के फलस्वरूप राज्य के खर्साग कुमचई और खेरेम क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन भण्डारों का पता लगा है। 1.1.1994 की स्थिति के अनुसार और आई एल ने अरूणाचल प्रदेश में 31.68 एम एम टी तेल और 7.36 बी सी एम गैस के स्थानिक भंडारों का पता लगा लिया है।

(ग) से (ङ) वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान ओ आई एल द्वारा अरूणाचल प्रदेश सरकार को भुगतान की गई रायल्टी (विक्रय कर के अतिरिक्त) का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	धनराशि (रुपए लाखों में)
1991-92	136.40
1992-93	266.49
1993-94	291.49
1994-95	190.52

सिंचाई परियोजनाएं

6183. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** :
श्री हरिन पाठक:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक तथा विदेशी संगठनों ने गुजरात में सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 1992-93, 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान अब तक परियोजनावार कितनी धनराशि प्रदान की है;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार से अपनी सिंचाई योजनाओं के लिए अनुदान राशि में वृद्धि करने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो केंद्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) गुजरात में निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बी. रंगय्या नायडू) : (क) एक विवरण संलग्न है

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गुजरात में, विश्व बैंक की सहायता से दो परियोजनाएं पहले ही पूरी कर ली गई हैं। दूसरी बहुराज्यीय परियोजना नामशः राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना, जिसमें गुजरात भी भागीदार था, 31 मार्च, 1995 को समाप्त हो गई। सरदार सरोवर परियोजना को 29 मार्च, 1993 से विश्व बैंक सहायता से हटा लिया गया है और इस परियोजना पर स्वदेशी संसाधनों से निर्माण कार्य किया जा रहा है।

विवरण

(राशि : मिलियन अमेरिकी डालर)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	समापन तिथि	प्रतिपूर्ति 1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1.	सरदार सरोवर जल वितरण और जल निकास परियोजना (क्रेडिट 1553-आई एन. आई डी ए)	7/92	31.56	–	–	–
2.	सरदार सरोवर बांध और विद्युत परियोजना (क्रेडिट 1552–आई एन-आई डी ए,	3/93	(क्रेडिट) 13.12	–	–	–
	ऋण-2497-आई एन-आई बी आर डी)		(ऋण) 18.49	–	–	–
3.	गुजरात मझौली सिंचाई-II परियोजना (क्रेडिट 1496–आई एन-आई डी ए)	3/94	16.70	8.25	4.20	–

टिप्पणी : (एक) क्रम संख्या 2 के समक्ष उल्लिखित परियोजना को 29.3.93 से विश्व बैंक सहायता से हटा लिया गया है।

(दो) बहुराज्यीय राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना में गुजरात भी भागीदार राज्य है। यह परियोजना अब 31.3.1995 को समाप्त हो गई है।

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

6184. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कहां-कहां पर कुल कितने डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है; और

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान कितने डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) कर्नाटक में 4 डाकघरों का पूर्णतः कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। ये हैं म्यूजियम रोड डाकघर, रवीन्द्र नाथ टैगोर नगर डाकघर, इन्दिरा नगर डाकघर (सभी बेंगलूर में) और मैसूर में सरस्वतीपुरम डाकघर।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान कर्नाटक में 11 डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

स्वयंसेवी संगठन

6185. **श्री काशीराम राणा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से विदेशों से सहायता प्राप्त कर रहे स्वयंसेवी संगठनों के संबंध में जानकारी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में जानकारी भेज दी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी अभी तक नहीं भेजने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्हें कब तक यह जानकारी भेजने को कहा गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

होमगार्ड

6186. **श्री तारा सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राजधानी में दिल्ली पुलिस को सहायता देने के लिए हजारों की संख्या में नियुक्त किये गये होमगार्डों को पिछले कुछ महीनों से अपना वेतन नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) होमगार्डों को वेतन दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग) होमगार्ड स्वयं सेवकों को वेतन नहीं दिया जाता बल्कि उन्हें ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाता है। दिल्ली पुलिस के साथ तैनात किए गए होमगार्डों को फरवरी और मार्च 1995 के भत्ते का भुगतान क्रमशः मार्च तथा अप्रैल 1995 में कर दिया गया था। अप्रैल 1995 के ड्यूटी भत्ते का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। पिछले कुछ महीनों में भुगतान में विलम्ब हुआ जिसका कारण, वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान दिनांक 24.8.1994 से ड्यूटी भत्ते को 32.85 रुपए से बढ़ाकर 53.13 रुपए प्रतिदिन करने के परिणामस्वरूप धन की कमी हो जाना था।

गुजरात में स्वतंत्रता सेनानियों को टेलीफोन

6187. **श्री हरिभाई पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय जिला-वार कितने स्वतंत्रता सेनानी टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) क्या उन्हें टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई हैं;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन स्वतंत्रता सेनानियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) स्वतन्त्रता सेनानियों (एस डब्ल्यू एस श्रेणी) को तत्काल श्रेणी के अंतर्गत टेलीफोन के पश्चात सर्वप्राथमिकता के आधार पर एक माह के भीतर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं, बशर्ते कि ऐसा तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो।

(ग) उक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) शेष स्वतन्त्रता सेनानियों को तीन माह के भीतर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे।

विवरण

क्रम सं.	टेलिकाम जिला	प्रतीक्षा सूची में दर्ज स्वतंत्रता सेनानी
1.	अहमदाबाद	शून्य
2.	अमरेली	शून्य
3.	बनासकांठा (पालनपुर)	शून्य
4.	भरूच	शून्य
5.	भावनगर	शून्य
6.	जामनगर	शून्य
7.	जूनागढ़	शून्य
8.	कच्छ (भुज)	शून्य
9.	मेहसाना	शून्य
10.	नादियाद	2
11.	पंचमहल (गोधरा)	1
12.	राजकोट	शून्य
13.	साबरकांठा (हिम्मत नगर)	शून्य
14.	सूरत	शून्य
15.	सुरेन्द्रनगर	शून्य
16.	बड़ोदरा	शून्य
17.	वलसाड	1
	कुल योग	4

भारत-ओमान गैस परियोजना

6188. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत-ओमान गैस परियोजना की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चांदमारी हेतु भूमि का आबंटन

6189. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने केन्द्र सरकार को राजधानी में चांदमारी हेतु भूमि आबंटित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह प्रस्ताव कब से लम्बित है और इसे कब तक मंजूरी दे दी जाएगी;

(घ) क्या सरकार ने दिल्ली पुलिस के सिपाहियों और हवलदारों के लिए गोलीबारी के अनिवार्य अभ्यास की पूर्णतया उपेक्षा की है;

(ङ) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने भी स्टाफ को गोलीबारी का अभ्यास न कराने के लिए दिल्ली पुलिस की आलोचना की है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सितम्बर, 1985 में एक फायरिंग रेंज स्थापित करने के लिए 404.34 एकड़ क्षेत्रफल वाली भूमि वजीराबाद में चिहित की थी। भूमि का आंशिक भुगतान कर दिया गया था और उसमें से कुछ भूमि पर जून, 1992 में कब्जा भी ले लिया गया था। संसाधनों के अभाव को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने फायरिंग रेंज के लिए भूमि की अपनी आवश्यकता को अब 70 एकड़ तक सीमित करने का निर्णय लिया है।

(घ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि प्रत्येक हैड-कांस्टेबल और कांस्टेबल द्वारा फायरिंग का सालाना अभ्यास किया जाता है। इस प्रयोजन हेतु वे अलवर और नारनौल की फायरिंग रेंज का उपयोग कर रहे हैं।

(ङ) दिल्ली पुलिस के कार्मिकों द्वारा फायरिंग अभ्यास और उसको सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर टिप्पणी करते हुए, मार्च 1991 में समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट में नियंत्रक और महालेखाकार ने टिप्पणी दी है कि गत वर्षों के दौरान फायरिंग अभ्यास करने वाले कार्मिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

(च) यह सुनिश्चत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(एक) कि सभी पुलिस कर्मी फायरिंग का अभ्यास करें।

(दो) हथियारों का संचालन और उनकी कार्यकुशलता सुविधाजनक बनाने के लिए दिल्ली के फायरिंग रेंज का निर्माण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

विदेशी डाकघर

6190. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने विदेशी डाकघर कार्यरत हैं;

(ख) 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान राज्यवार कितने विदेशी डाकघर चल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार 1995-96 के दौरान देश में ऐसे डाकघर खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार इन्हें किन-किन स्थानों पर खोला जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 4

(एक) महाराष्ट्र (बम्बई)

(दो) पश्चिम बंगाल (कलकत्ता)

(तीन) दिल्ली (दिल्ली)

(चार) तमिलनाडु (मद्रास)

(ख) कोई नहीं।

(ग) इस समय और कोई ऐसा विदेश डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम

6191. **श्री राम निहोर राय** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम का कार्य-निष्पादन कैसा रहा;

(ख) क्या निगम को स्वीकृत कार्यकारी पूंजी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो निगम की कार्यकारी पूंजी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मंजूरियों संवितरणों, योजनाओं की लागत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम के शेयर और लाभ ग्राहियों की संख्या के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का कार्य निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की अपेक्षाकृत बड़ी संख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए एन एस एफ डी सी के संसाधन आधार को सुदृढ़ किया गया है। 1994-95 के दौरान एन एस एफ डी सी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 125 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया गया। पिछले चार वर्षों में शेयर पूंजी के लिए अंशदान में वृद्धि की जाती रही है।

1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान कल्याण मंत्रालय द्वारा एन एस एफ डी सी को निर्मुक्त की गई धनराशि क्रमशः 5 करोड़, 10 करोड़, 21 करोड़ और 63.77 करोड़ रुपये रही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 65 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त 1995-96 के बाज़ार उधार दान के लिए आन्तरिक एवं अतिरिक्त संसाधन (आई ई सी आर) के अन्तर्गत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। उधार लेने और देने की लागत के अन्तर को पाटने के लिए 4.25 करोड़ रु. के ब्याज परिदान का भी प्रावधान किया गया है।

विवरण

(लाख रुपये में)

	1992-93	1993-94	1994-95
योजनाओं की संख्या	297	86	214
योजनाओं की लागत	20708.85	2971.29	12585.43
एन एस एफ डी सी का शेयर	9519.35	1489.18	6640.55
योजनाओं को पूरा करने पर लाभग्राहिकों की संख्या	47954	6138	10980
संवितरित धनराशि	4391.63	3235.45	1732.80

[हिन्दी]

के. जी. बेसिन में तेल और गैस का भंडार

6192. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा के. जी. बेसिन में उपलब्ध तेल और गैस के भण्डारों की कुल क्षमता का आकलन करने हेतु व्यापक और सघन सर्वेक्षण और ड्रिलिंग कार्यक्रम का परीक्षण कराने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) ओ एन जी सी ने 1994-97 के दौरान के जी बेसिन के भू-स्थित भाग में 9400 एस एल के 1600 जी एल के द्विआयामी और 460 एस एस के त्रिआयामी भूकम्पीय आंकड़ों को अर्जित करने और 65 अन्वेषणी कूपों और 4 विकास कूपों का वेधन करने की योजना बनाई है।

कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिनों को समाहित करते हुए पूर्वी तट अपतट में ओ एन जी सी द्वारा 8825 एल के द्विआयामी और 4300 एल के त्रिआयामी भूकम्पीय आंकड़ों की मात्रा को अर्जित किया जाना परिकल्पित है। ओ एन जी सी ने इसी अवधि के दौरान के. जी. बेसिन के अपतटीय भाग में 18 अन्वेषण कूपों का वेधन करने की भी योजना बनाई है।

[अनुवाद]

रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

6193. **श्री पी. सी. थामस** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आबंटित की गई रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार 1995-96 के दौरान ऐसी एजेंसियों और खुदरा बिक्री केन्द्रों को आबंटित करने का है;

(ग) क्या हाल ही में केरल के तेल चयन बोर्ड को समाप्त किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) तेल चयन बोर्ड का गठन कब तक कर लिया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में 35 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 21 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आबंटित की गई है।

(ख) केरल हेतु नवीन खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1993-96 में 43 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा एल पी जी विपणन योजना 1994-96 में 38 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सम्मिलित की गई हैं।

(ग) और (घ) असंतोषजनक कार्य निष्पादन के कारण तेल चयन बोर्ड (केरल) मार्च, 1994 में बर्खास्त कर दिया गया था।

(ङ) तेल चयन बोर्ड (केरल) दिसम्बर, 1994 में पहले ही पुनर्गठित कर दिया गया है।

टेलीफोन शिकायतें

6194. **श्री अनादि चरणदास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन संबंधी खराबियों के बारे में शिकायतें कम्प्यूटर द्वारा नियमित रूप से दर्ज की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो जोनवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषकर नार्थ-जोन स्थित एक्सचेंजों में जिन शिकायतों के संबंध में उसी दिन कार्यवाही नहीं होती उन्हें कम्प्यूटर से हटा दिया जाता है तथा उन्हें दूसरे दिन कार्यवाही हेतु अग्रसारित नहीं किया जाता और प्रयोक्ताओं द्वारा पूछे जाने पर उन्हें उनकी शिकायत के संबंध में नई संख्या आबंटित की जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) दिल्ली के केवल निम्नलिखित एक्सचेंजों में ही कंप्यूटर में शिकायतें दर्ज की जाती हैं जहां दोष निवारण-सेवा (फाल्ट रिपोयर सर्विस) कंप्यूटरीकृत है :

1.	राजपथ	—	केन्द्रीय क्षेत्र
2.	सेना भवन		
3.	लक्ष्मी नगर	—	जमुना पार
4.	तीस हजारी	—	उत्तरी क्षेत्र

5. चाणक्यपुरी — दक्षिण-I क्षेत्र

6. नेहरू प्लेस — दक्षिण-II क्षेत्र

7. दिल्ली छावनी — पश्चिम-I क्षेत्र

8. राजौरी गार्डन — पश्चिम-II क्षेत्र

(ग) जी, नहीं। शेष (पैंडिंग) शिकायतों पर अगले दिन ध्यान दिया जाता है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए लागू नहीं होता।

सीमा सुरक्षा बल के जवान

6195. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा सुरक्षा बल के जवान बल छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सीमा सुरक्षा बल ने इस बारे में केन्द्र सरकार को कोई रिपोर्ट पेश की है; और

(घ) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) यह सूचित किया गया है कि 20 वर्ष से अधिक अर्हक सेवा पूरी करने के प्राथमिक आधार पर 1991-94 की अवधि के दौरान 11,517 कार्मिकों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

सिंचाई परियोजनाएं

6196. **श्री के. प्रधानी :**
श्री फूल चंद वर्मा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में चल रही बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें निर्धारित समय पर पूरा नहीं किया जा सका है और जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी चल रही हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) उनमें से किन-किन परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जाएगा;

(ग) किन-किन परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया है;

(घ) क्या केंद्र सरकार का विचार इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए इन राज्यों को अधिक सहायता प्रदान करने का है;

(ङ) इनमें से प्रत्येक परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कोई नई वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना शुरू नहीं की गयी है। उड़ीसा में तीन वृहद परियोजनाएं नामशः कनुपुर, वाघ बराज और नराज तथा 2 मध्यम परियोजनाएं नामशः तितलागढ़ एवं मंजोरे आठवीं योजना में शुरू की गयी है। आन्ध्र प्रदेश में 10 नई वृहद

विवरण

उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की चल रही बड़ी एवं मझौली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	मार्च, 94 तक व्यय (प्रत्याशित)	भौतिक प्रगति (हजार हेक्टेयर)		क्या परियोजना को आठवीं योजना में पूरा कर लिए जाने का कार्यक्रम है।
			चरम क्षमता	मार्च, 94 तक सृजित क्षमता	
1	2	3	4	5	6
1. उत्तर प्रदेश					
क. वृहद					
1. मध्य गंगा नहर	506.08	339.71	178.00	123.24	—
2. सारदा सहायक परियोजना	1064.60	800.12	1582.00	1150.97	—

1		2	3	4	5	6
3.	सरयू नहर परियोजना	1256.00	384.48	1404.00	103.00	—
4.	पूर्वी गंगा नहर	308.77	169.76	105.00	37.67	—
5.	सोन पम्प नहर	72.55	41.76	65.06	28.00	—
6.	ग्यानपुर पम्प नहर	111.87	61.10	65.42	24.30	—
7.	लखवेद व्यासी डाम	369.00	142.61	—	—	—
8.	जमरानी बांध	194.00	22.33	60.00	21.00	—
9.	मौधा बांध	95.93	77.45	28.24	11.50	हां
10.	राजघाट बांध (50 % उत्तर प्रदेश का हिस्सा)	106.83	100.00	—	—	—
11.	राजघाट नहर प्रणाली	126.44	54.73	109.05	10.00	—
12.	वाणसागर बांध (उत्तर प्रदेश हिस्सा 25%)	185.00	58.60	—	—	—
13.	बाणसागर जल वाहक प्रणाली (उत्तर प्रदेश)	268.00	2.80	150.13	—	—
14.	टेहरी बांध (यूपी का हिस्सा)	79.80	155.97	270.00	—	—
15.	विवार फिडर (टीएसी)	78.79	30.31	9.80	9.80	हां
16.	कन्हर सिंचाई	174.27	37.42	33.13	—	—
17.	चित्तौरगढ़ जलाशय	30.94	24.07	13.76	13.00	—
18.	चंबल लिफ्ट	47.00	21.47	55.22	3.00	—
19.	जेरोली पंप नहर	27.54	2.89	—	—	—
20.	मंडक नहर	158.77	147.19	308.39	308.09	हां
ख. मध्यम						
1.	हिंडनकृष्णी दोआव में खरीब चैनलों की व्यवस्था	15.53	3.27	8.50	—	—
2.	गुतानाला बांध	20.60	12.32	3.00	2.50	हां
3.	पथरई बांध	15.86	8.38	2.80	—	हां
2. उड़ीसा						
क. वृहद						
1.	अपर इंद्रावती सिंचाई परियोजना	338.17	109.66	218.60	3.9	—

1		2	3	4	5	6
2.	अपर कोलाव सिंचाई	157.97	128.91	88.75	33.58	हां
3.	सुवनरेखा सिंचाई	1013.68	204.07	187.46	–	–
4.	रंगाली सिंचाई	1475.00	186.95	423.60	–	–
5.	महानदी–चित्तौर	93.07	20.53	35.95	–	–
6.	पोट्टरू सिंचाई	102.39	84.65	109.58	10.30	हां
ख. मध्यम						
1.	अपर जोंक सिंचाई	82.13	45.37	23.00	2.00	हां
2.	बदानाल्ला	92.00	59.77	13.74	4.00	हां
3.	हरिहरजोर	51.19	41.62	13.70	–	हां
4.	हरबंगी	96.00	60.50	15.97	–	–
5.	भगुआ चरण-II	39.46	18.53	3.39	–	हां
6.	देव	52.23	5.64	15.64	–	–
7.	भागालाटी	42.63	6.04	3.60	–	–
8.	सपुवा बडजोरे	33.21	6.27	3.75	–	–
9.	बरीपूआ गंगाहुटी	11.46	9.00	8.06	6.09	हां
10.	सतीगुडा	4.52	3.24	13.59	11.81	हां
3. आंध्र प्रदेश						
क. बृहद						
1.	श्रीराम सागर	1519.15	805.00	411.00	255.00	–
2.	श्रीसैलम आर/बी नहर	1185.58	309.12	768.90	–	–
3.	नागार्जुन सागर	864.00	752.30	895.28	807.54	–
4.	सिंगूर	130.42	129.80	16.00	जलप्रदाय योजना	हां
5.	गोदावरी बराज	158.00	157.74	–	स्थिरीकरण	हां
6.	येल्लरू जलाशय चरण-I	277.50	239.12	–	वही	हां
7.	सोमासिला	296.00	192.84	38.48	5.50	हां
8.	टीबीपी एचएलसी. चरण-II	193.00	140.44	89.62	47.69	हां
9.	वम्सधारा चरण-I	73.85	55.11	20.13	15.61	हां
10.	निजामसागर	34.26	19.59	–	स्थिरीकरण	हां
11.	प्रियादर्शनी जुराला	275.00	186.78	44.40	–	हां

1		2	3	4	5	6
12.	पूलीवेंदूला शाखा नहर	26.78	17.76	24.28	17.48	हां
13.	तेलुगु गंगा	1465.00	648.21	233.00	2.63	–
14.	श्री सैलम बायां तट नहर	1060.00	61.38	121.41	–	–
15.	वम्सधारा चरण-II	410.74	6.26	23.71	–	–
ख. मध्यम						
1.	थम्मिलेर	9.83	8.57	2.79	2.77	हां
2.	गुंडलावागू	7.22	6.19	1.05	–	हां
3.	थंडावा	17.20	11.58	14.83	14.52	हां
4.	कनपुर	21.30	13.91	17.81	3.32	हां
5.	छेय्यारू	33.50	18.47	7.90	–	–
6.	वर्धराजस्वामी गुडी	18.21	6.62	4.17	–	–
7.	बागुवंका	23.43	8.39	5.04	–	हां
8.	यैरुराकलवा	43.24	23.39	95.104	–	हां
9.	झंझावती	48.50	17.25	9.24	–	हां
10.	आंध्र जलाशय	16.89	6.68	1.42	–	हां
11.	मड्डूवालसा	49.47	17.47	6.47	–	–
12.	वैंगालारयासागराम	27.48	20.58	6.72	2.187	हां
13.	वोट्टीवागू	38.06	14.61	9.91	0.02	हां
14.	साथनाला	25.75	16.24	9.71	5.53	हां
15.	तेलीपेरू	38.37	26.45	14.05	4.06	हां
16.	मीड्डीगुड्डा	4.69	4.18	2.43	1.09	हां
17.	अपर कुलासानाला	22.26	5.66	4.13	–	हां
18.	छलमवागू	22.14	2.81	2.43	–	हां
19.	मद्दीलेरू	28.56	2.48	5.21	–	हां
4. मध्य प्रदेश						
क. बृहद						
1.	हसदेव बांगो	858.31	459.12	392.0	150.4	–
2.	महानदी जलाशय	1296.14	344.66	304.9	96.4	–
3.	अपर वेन गंगा	176.53	135.93	105.30	15.7	हां
4.	थनवर	24.40	20.77	18.2	17.9	हां
5.	कोलार	185.00	148.79	60.9	32.7	हां

1		2	3	4	5	6
6.	पैरी	33.54	21.67	72.8	51.0	हां
7.	जोंक	46.38	24.45	14.5	8.6	हां
8.	कोदार	49.82	26.25	23.5	21.2	हां
9.	सिन्ध फे.ज I	56.43	36.15	44.9	36.2	–
10.	हलाली (सम्राट अशोक सागर)	24.71	20.26	37.6	36.2	हां
11.	वनसागर यूनिट I	936.00	554.04	249.0	–	–
	अंतर्राज्यीय वनसागर यूनिट II	529.00	108.82	–	–	–
12.	राजघाट यूनिट I (अंतर्राज्यीय) I	133.50	86.08	116.6	5.00	–
	राजघाट यूनिट II	309.21	65.08	–	–	–
13.	वरियार पुर वायां तट नहर	143.30	43.69	43.82	2.63	हां
14.	उर्मिल (अंतर्राज्यीय)	16.50	12.81	7.7	–	हां
15.	बावनथाड़ी	161.49	16.14	29.4	–	–
16.	माही	129.70	37.28	26.4	–	–
17.	सिन्ध फेज II	607.67	54.55	162.0	7.0	–
18.	महान	103.14	27.87	19.7	–	–
19.	बर्गी यूनिट I, II (रानी अवंती बाई सागर)	742.84	115.83	157.00	–	–
20.	मान	90.00	50.82	15.00	–	–
21.	जोबट	61.68	15.57	9.85	–	–
22.	इन्द्रा (नर्मदा) सागर	752.16 (1989) (सिंचाई)	79.54	123.00	–	–
23.	वारगी व्यपवर्तन	1640.00	12.73	245.00	–	–
24.	पेंच व्यपवर्तन	184.04	4.62	78.5	–	–
25.	ओमकारेश्वर	1892.00	4.13	146.8	–	–
ख. मझौली						
1.	बुंडेला	15.00	12.01	4.5	2.5	हां
2.	तिल्लार	55.63	49.61	9.9	7.0	–
3.	मतियारी	60.16	47.08	13.7	8.0	–
4.	कन्हारगांव	15.27	15.68	3.5	3.1	हां
5.	धुंगंत्ता	44.22	36.17	13.1	6.0	–

1		2	3	4	5	6
6.	कालीसोता	36.59	33.19	10.1	3.0	–
7.	मटिया मोती	20.0	16.99	6.5	6.5	–
8.	देजलाड़ेवाडा	50.12	41.60	12.2	3.0	–
9.	गोमुख	35.13	27.68	8.1	7.8	–
10.	घोरल	32.18	29.59	5.0	4.0	–
11.	चीरापानी	31.85	30.86	19.1	3.0	–
12.	पिपरियानल्ला	13.73	11.29	6.9	6.7	–
13.	चन्डोरा	16.50	13.67	3.8	1.5	हां
14.	शिवनाथ व्यपवर्तन	12.13	7.13	5.9	1.1	–
15.	धोलवाड	18.18	17.19	6.5	3.8	हां
16.	बंकी	13.33	12.62	3.4	3.3	हां
17.	बलार	10.90	9.46	6.8	6.6	–
18.	वैजार	7.74	6.28	2.4	1.5	–
19.	वूडी	19.70	9.87	3.7	–	–
20.	वरनई	15.40	9.29	2.8	–	–
21.	बुधना	21.60	17.63	3.2	–	–
22.	लखुन्डेर	27.40	15.38	8.3	–	–
23.	गेज	29.85	12.05	4.4	–	–
24.	रामपुर खुर्द	11.70	9.59	3.1	0.2	हां
25.	वोंदियानाला	12.20	3.82	2.5	–	–
26.	मांड व्यपवर्तन	46.49	17.14	13.1	–	–
27.	बिलासपुर व्यपवर्तन	6.30	0.41	5.6	–	–
28.	कोसारटेडा	35.03	7.52	11.6	–	–
29.	कुनवारी लिफ्ट	3.80	0.27	3.9	–	–
30.	वाह	52.40	3.2	13.6	–	–
31.	सागर	32.80	1.10	12.5	–	–
32.	महुआर	43.67	4.27	13.8	–	–
33.	मकरोडा	11.65	4.87	10.5	6.8	–
34.	गोपाद लिफ्ट सिंचाई परियोजना	10.92	8.32	5.7	4.4	–
35.	बारचार	15.67	18.11	2.4	1.6	–

परियोजनाएं नामशः सनकेसुला, अलागनूर बेलेसिंग तलाशय, पुलिचिन्ताला, भीमा, मलेरू नागरी सुजाला श्रावन्ती, श्रीराम सागर चरण–II पोलावरम, हंदरीवीणा, सुजाला श्रावन्त, गन्नावरम एक्वाडक्ट (नया) और श्रीराम सागर के तट से बाढ़ प्रवाह नहर तथा 4 मध्यम परियोजनाएं नामशः पुट्टाकोनुमा, वालीगेरू जलाशय, पालेरूवागू एवं पलेम वागेर आठवीं योजना में शुरू की गयी हैं।

(घ) सिंचाई योजनाएं राज्यों द्वारा उनके स्वयं के योजना संसाधनों से वित्त पोषित की जाती है। केन्द्रीय सहायता राज्यों को एक मुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो विकास या परियोजना के किसी क्षेत्र से जुड़ी नहीं होती है।

(ङ) और (च) जैसा उक्त (क) और (ख) में यथा संदर्भित चालू परियोजनाओं के विवरण में दिया गया है। आठवीं योजना में शुरू की गई नई परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भिक अवस्था में है।

अर्द्ध सैनिक बल

6197. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती के लिए कोई विशिष्ट निर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक अर्द्ध सैनिक सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कांस्टेबल तथा उच्चाधिकारियों की कुल कितनी संख्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार अर्द्ध सैनिक बलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नई भर्ती पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती के मामले में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नौकरियों में आरक्षण देने के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

(ख) अर्द्ध सैनिक बलों कांस्टेबलों सहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारियों तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :

	अधिकारी		कांस्टेबलों सहित अन्य अधीनस्थ कर्मचारी	
	अनु. जाति	अनु. ज. जा.	अ. जा.	अ. ज. जा.
भारत तिब्बत सीमा पुलिस	60	34	4989	1947
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	56	9	10231	5891
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	148	50	26128	11098
सीमा सुरक्षा बल	230	92	21545	10780
असम राईफल्स	10	16	3984	3490

(ग) और (घ) जब कभी अर्द्ध सैनिक बलों में कोई भर्ती की जाती है तो अ. जा./ अ. जन. जा. उम्मीदवारों की भर्ती के लिए सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाता है। अर्द्ध-सैनिक बलों में कुल भर्ती के भाग के रूप में अ. जा./अ. जन. जा. उम्मीदवारों की भर्ती करना एक सतत प्रक्रिया है।

आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु अकादमी

6198. **डा. पी. वल्लाल पेरूमान :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक अकादमी स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(घ) यह अकादमी कब तक स्थापित हो जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) :

(क) से (घ) देश में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्र के स्तर में वृद्धि करके एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव अभी संरूपण स्तर पर तैयार किया जा रहा है।

शारीरिक/मानसिक विकलांग

6199. **श्री एस. एम. लालजान वाशा :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में शारीरिक/मानसिक विकलांगों हेतु कोई संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान कटक, अस्थि विकलांगों के लिए शीर्ष स्तरीय संस्थान है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान,

सिकन्दराबाद मानसिक विकलांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान के रूप में पहले से ही कार्य कर रहा है।

विवाहित महिलाओं की मौतें

6200. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली में जलाकर आत्महत्या, जहर और गोली से मारी गई महिलाओं के कितने मामले प्रकाश में आए ;

(ख) इनमें से कितने मामले दहेज प्रकोष्ट में भेजे गए; और

(ग) ऐसे मामलों में न्याय दिलाने के क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली में जलाने, आत्महत्या, जहर देने या गोली से मारी गई विवाहित महिलाओं के मामलों की संख्या निम्न प्रकार हैं :

जिससे विवाहित महिलाओं की मृत्यु हुई	1993	1994	1995 (30.4.95 तक)
(एक) जलने से	102	110	32
(दो) आत्म-हत्या	23	27	13
(तीन) जहर से	19	20	2
(चार) गोली से	1	—	—

(ख) उपरोक्त मामलों में से सात मामलों को दिल्ली पुलिस के महिलाओं के प्रति अपराध एकक (जिसे पहले "दहेज-विरोधी एकक" कहा जाता था) को भेजा गया।

(ग) जब कभी इस प्रकार की घटनाएं सूचित की जाती हैं, मामले तेजी से दर्ज करने के बाद, अपराध (महिला) एककों, जिनकी स्थापना दिल्ली के सभी पुलिस मुख्यालयों में की गयी है। द्वारा उपलब्ध नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों से विस्तृत जांच-पड़ताल की जाती है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि जांच पड़ताल इस ढंग से की जाय ताकि विचारण स्तर पर ही सफलता मिले। इन मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय भी स्थापित किए गए हैं।

भारतीय नागरिकता प्रदान किया जाना

6201. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अप्रैल, 1995 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'स्टेटलेस कैलकटन्स डिमान्ड सिटिजन शिप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन नागरिकता विहीन कलकत्ता वासियों को नागरिकता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है तथा उनको सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

स्वयंसेवी संगठनों के लिए वित्तीय सहायता

6202. **श्री छेदी पासवान** :
श्री विजय कुमार यादव :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार में कल्याण कार्यक्रमों के लिए कितने स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ;

(ख) क्या ये स्वयंसेवी संगठन अपने खातों को केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करते रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) कल्याण मंत्रालय द्वारा बिहार के स्वैच्छिक संगठनों को पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान दी गई वित्तीय सहायता की राशि निम्न प्रकार है :

वर्ष	स्वैच्छिक संगठनों की सं.	स्वीकृत धनराशि (रु. लाख में)
1992-93	39	123.31
1993-94	55	210.95
1994-95	91	290.35

(ख) से (घ) जी, हां। स्वैच्छिक संगठन प्रत्येक वर्ष कल्याण मंत्रालय की आवधिक रिपोर्ट, आय तथा व्यय के लेखा परीक्षित विवरण, भुगतान और प्राप्ति, और तुलन पत्र तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजते हैं। सामान्यतः वार्षिक सहायता अनुदान की दूसरी किश्त की मंजूरी लेखा परीक्षित लेखों तथा प्रगति रिपोर्ट के सन्तोषजनक मूल्यांकन के पश्चात् ही की जाती है।

बारात घरों की बुकिंग के मामले में कथित अनियमिततायें

6203. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली नगरपालिका समिति द्वारा चलाये जा रहे बारात घरों की बुकिंग के मामले में कथित अनियमितताओं के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले के बारे में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इसका निष्कर्ष क्या है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा संचालित बारात घरों की बुकिंग में किसी अनियमितता का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

टेलीफोन लाइनें

6204. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995-96 के दौरान अनेक राज्यों के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में और टेलीफोन लाइनें जोड़ने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) दूरसंचार विभाग की वर्ष 95-96 की वार्षिक योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय 7838.80 करोड़ रु. है। विभाग के बजट प्रस्तावों को अभी संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

विवरण

1995-96 के दौरान टेलीफोन लाइनें प्रदान करने के लिए राज्य-वार लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य	लाइनों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	134000
2.	असम	10000
3.	बिहार	40000
4.	गुजरात (दादर, दीव, दमन और नगर हवेली सहित)	145000
5.	हरियाणा	40000
6.	हिमाचल प्रदेश	20000
7.	जम्मू और कश्मीर	5000
8.	कर्नाटक	136000
9.	केरल (लक्षद्वीप सहित संघ शासित क्षेत्र)	200000
10.	मध्य प्रदेश	85000
11.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	285000
12.	उत्तरपूर्व (अरूणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित)	10000
13.	उड़ीसा	25000
14.	पंजाब (चंडीगढ़—यू. टी. सहित)	140000
15.	राजस्थान	110000
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित संघ शासित क्षेत्र)	270000
17.	उत्तर प्रदेश	145000
18.	पश्चिम बंगाल	110000
19.	दिल्ली	260000

टेलीफोन के बिलों का भुगतान

6205. **श्री जगत बीर सिंह द्रोण** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन प्रयोक्ताओं को पूरे देश में केन्द्रीय और विभागीय टेलीग्राफ कार्यालयों और दूरसंचार केन्द्रों में अपने टेलीफोन के बिलों का भुगतान करने की अनुमति है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) चुनिन्दा केन्द्रीय और विभागीय तारघरों तथा दूरसंचार केन्द्रों के माध्यम से टेलीफोन बिलों के भुगतान को प्राप्त करने का कार्य 1.11.1993 से प्रारम्भ किया गया है।

बिलों का भुगतान, टेलीफोन बिलों पर निर्दिष्ट नियत तारीख/देय तारीख तक स्वीकार किया जाता है। एम टी एन एल बंबई और दिल्ली में सभी दूरसंचार केन्द्रों तथा चुनिंदा केन्द्रीय और विभागीय तारघरों में भुगतान, केवल डिमांड ड्राफ्ट/चैक द्वारा स्वीकार किए जाते हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में तेल भंडार

6206. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में तेल के भंडारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी वर्षों के दौरान गुजरात क्षेत्र में तेल की खोज हेतु चलाई जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ओ एन जी सी ने गुजरात राज्य सहित देश में वर्ष 1994-97 के लिए अन्वेषण का कार्यक्रम बनाया गया है। इस कार्यक्रम के अनुसार अगले दो वर्षों (1995-97) के लिए गुजरात राज्य में 14575 एस एल के और 1625 जी एल के द्विआयामी भूकम्पीय आंकडे और 640 एस एस के त्रिआयामी भूकम्पीय आंकडे अर्जित करना और 451490 मीटर अन्वेषण मीटरेज का वेधन करना परिकल्पित है।

[अनुवाद]

निवेश और अतिरिक्त सिंचाई क्षमता

6207. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई, कमान क्षेत्र विकास और बाढ़ नियंत्रण के लिए निवेश और इसके साथ-साथ अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के विकास की दृष्टि से मूल और संशोधित योजना परिव्यय लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1994-95 तक वास्तविक परिव्यय कितना रहा और कितनी अतिरिक्त क्षमता विकसित की गई;

(ग) क्या परिव्यय और लक्ष्यों की प्राप्ति दोनों ही मामलों में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) :

(क) और (ख) सिंचाई के लिए आठवीं योजना (1992-97) के लिए अनुमोदित परिव्यय और आठवीं योजना के पहले तीन वर्षों, अर्थात 1992-93 से 1994-95 तक के लिए प्रत्याशित व्यय के साथ-साथ अनुमोदित परिव्यय निम्नलिखित है। सिंचाई में वृहद और मध्यम परियोजनाओं और लघु सिंचाई योजनाएं कमान क्षेत्र विकास और बाढ़ नियंत्रण शामिल है :

(करोड़ रुपए)

	आठवीं योजना (1992-97) अनुमोदित परिव्यय	1992-93 से 1994-95 अनु. परिव्यय	प्रत्याशित व्यय
सिंचाई*	28391.79	14978.53	13442.38
कमान क्षेत्र विकास	2510.13	1295.83	1141.91
बाढ़ नियंत्रण	1623.37	1015.48	870.75
योग	32525.29	17289.84	15455.04

* इसमें सचिवालय आर्थिक सेवाएं और लघु सिंचाई योजनाओं के लिए संस्थागत निवेश पर व्यय शामिल नहीं है।

आठवीं योजना (1992-97) के लिए संशोधित परिव्ययों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तदनुरूपी अवधियों में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

(मिलियन हेक्टेयर)

	आठवीं योजना (1992-97) लक्ष्य	1992-93 से 1994-95 लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि
अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन	15.80	0.17	6.73

(ग) जी हां।

(घ) कमियों के मुख्य कारण हैं : बजट (बाधाएं) और निश्चित अवधि के अंदर अनेक चालू परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण थोड़ा-थोड़ा करके संसाधनों का दिया जाना।

आंध्र प्रदेश में प्रकाशन

6208. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश में पंजीकृत समाचार पत्रों, साप्ताहिक, अर्द्ध-साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पत्रिकाओं की संख्या कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेखों के अनुसार उनके कार्यालय में 31.12.94 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश से प्रकाशित विभिन्न आवधिकताओं के 1760 समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को पंजीकृत किया गया था।

तमिलनाडु में कोयला डिपो

6209. **श्री पी. कुमारासामी** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान स्थापित किए गए कोयला डिपुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 मार्च, 1995 तक तमिलनाडु में कोयला डिपुओं की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या तमिलनाडु में ऐसे और डिपुओं की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.) ने 1993-94 के दौरान तमिलनाडु में कोई कोयला डिपो/स्टाकयार्ड स्थापित नहीं किया था। 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार को. इं. लि. का तमिलनाडु में कोई कोयला डिपो/स्टाकयार्ड विद्यमान नहीं था।

(ग) और (घ) वर्तमान नीति के अंतर्गत नए स्टाकयार्ड की स्थापना तथा प्रबंधन का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है। कोयला कंपनियां, राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रायोजकता के अनुसार इन स्टाकयार्डों में प्रेषण के लिए कोयले की पेशकश करेगी। कोयला स्टाकयार्ड उन्हें स्थापित

करना तथा कोयले के प्रायोजक संचलन के लिए आवश्यकताओं का आंकलन किए जाने का कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। कोल इंडिया लि. भी अपनी उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत थोक व्यापारियों तथा छोटे व्यापारियों को कोयेले की आपूर्ति करती है।

कोयले का आबंटन

6210. **श्रीमती दिलकुमारी भंडारी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन राज्यों को विभिन्न किस्मों के कोयले के कोटे का आबंटन कर रही है जिनमें कोयले का उत्पादन नहीं होता है; और

(ख) यदि हां, तो 1994-95 के दौरान सिक्किम को प्रत्येक किस्म के कितने कोयले का आबंटन किया गया और 1995-96 के दौरान कितना किए जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) विभिन्न उपभोक्ताओं को स्थापित संयोजन आधार पर कोयले का आबंटन/आपूर्ति की जा रही है और इसमें इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि उपभोक्ता किस राज्य से सम्बद्ध है।

(ख) कोल इंडिया लि. ने सूचित किया है कि सिक्किम के उपभोक्ताओं को स्लैक कोयला तथा साफ्ट कोयले का आबंटन/आपूर्ति की जा रही है। वर्ष 1994-95 के दौरान सिक्किम को प्रेषित किए गए विभिन्न प्रकार के कोयला/कोक की मात्रा नीचे दर्शायी गई है :

स्टीम कोयला	–	4200 टन
स्लैक कोयला	–	530 टन
साफ्ट कोक	–	2300 टन
जोड़	–	7030 टन

वर्ष 1995-96 के लिए सिक्किम राज्य को सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा जारी की गई प्रायोजकता के आधार पर प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमानुसार कोयले की पूर्ति की जाएगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति विकास निगम

6211. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति विकास निगम को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(ख) निगम ने केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता में से कितनी सहायता का उपयोग किया ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति विकास निगम को कल्याणं मंत्रालय द्वारा वर्ष 1993-94 और वर्ष 1994-95 के दौरान उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है :

वर्ष	निर्मुक्त राशि
1993-94	57.65 लाख रु.
1994-95	51.88 लाख रु.

(ख) मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम ने कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में उपलब्ध कराई गई सम्पूर्ण वित्तीय सहायता का पूर्णतया उपयोग किया है।

[अनुवाद]

असम में स्वयंसेवी संगठन

6212. **श्री नुरूल इस्लाम :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कितने स्वयंसेवी संगठनों को कल्याण कार्यक्रम शुरू करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या ये संगठन केन्द्र सरकार को अपने लेखा-विवरण नियमित रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) असम के उन स्वैच्छिक संगठनों की संख्या जिन्हें कल्याण मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है, इस प्रकार है :

वर्ष	सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की संख्या
1992-93	10
1993-94	11
1994-95	19

(ख) से (घ) जी हां। स्वैच्छिक संगठन प्रति वर्ष कल्याण मंत्रालय को आवधिक रिपोर्टें, आय-व्यय की लेखा परीक्षित विवरण, भुगतान एवं प्राप्ति तथा तुलन-पत्र और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। सामान्यतया वार्षिक सहायता अनुदान की दूसरी किस्त प्रगति रिपोर्टों के संतोषप्रद मूल्यांकन तथा परीक्षित लेखे की प्राप्ति के उपरांत ही निर्मुक्त की जाती है।

"दहेज अपराध और कानूनी सीमा" के संबंध में विचार-गोष्ठी

6213. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1995 के अन्तिम सप्ताह के दौरान "दहेज अपराध और कानूनी सीमा" के संबंध में दिल्ली में एक विचार-गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस विचार-गोष्ठी में क्या-क्या सिफारिशें/सुझाव दिए गए;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्तमान दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता की संगत धाराओं में संशोधन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में कोयला माफिया की गतिविधियाँ

6214. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री रामटहल चौधरी :
श्री शैलेन्द्र महतो :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में कोयला खनन के क्षेत्र में सक्रिय माफिया की गतिविधियों में वृद्धि होने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) अधिकारियों और दोषी पाए गए अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

पायलट परियोजना

6215. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए कुछ परियोजनाएं भेजी गई है जो केन्द्रीय भूजल बोर्ड की पायलट परियोजना के अंतर्गत कुओं/नलकूपों की खुदाई और विकास के लिए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है; और

(घ) उपरोक्त परियोजना पर कार्य कब तक चालू हो जायेगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने "पूर्वी राज्यों में भूजल के अन्वेषण और विकास" को केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत केन्द्रीय भूजल बोर्ड को निम्नलिखित भूजल संरचनाओं के निर्माण के बारे में प्रस्ताव विचारार्थ भेजे थे :

		खुले हुए कुएं	उथले नलकूप	मध्यम गहराई वाले नलकूप
1.	बिहार	2358	5625	—
2.	उड़ीसा	—	1500	590
3.	उत्तर प्रदेश	—	1000	—

(ग) और (घ) केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से पूर्वी राज्यों में भूजल संसाधनों के अन्वेषण एवं विकास की केन्द्र प्रायोजित योजना तैयार की है जिसमें बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। यह परियोजना संबंधित एजेंसियों के पास परामर्श स्तर पर है। कार्य का आरंभ संबंधित एजेंसियों द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना की स्वीकृति पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

सामाजिक क्षेत्र का विकास

6216. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी दो वर्ष के दौरान सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय/परामर्श के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) तथा (ख) सामाजिक क्षेत्रक के विकास को आठवीं योजना में पर्याप्त महत्त्व दिया गया है। ग्रामीण विकास सहित सामाजिक क्षेत्रक पर परिव्यय 434100 करोड़ रुपये (1991-92 मूल्यों पर) के कुल सार्वजनिक क्षेत्रक योजना परिव्यय का 26.1% है। वर्ष 1995-96 के लिए सामाजिक क्षेत्रकों के लिए आबंटन निम्न को देखते हुए किए गए हैं : (1) आठवीं योजना में सामाजिक क्षेत्रक के विकास को दिए गए महत्व, (2) केन्द्र (संघ राज्य क्षेत्रों सहित) तथा राज्यों के संदर्भ में समग्र संसाधन उपलब्धता। आठवीं योजना के अंतिम वर्ष (1996-97) के लिए आबंटन भी इन्हीं तथ्यों को देखते हुए किए जाएंगे।

भारत-नेपाल जल विद्युत परियोजनाएं

6217. **श्री मोहन रावले : क्या जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच चालू जल विद्युत परियोजनाओं से होने वाले लाभ के बंटवारे के संबंध में कोई मतभेद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेपाल के प्रधानमंत्री की अप्रैल, 1995 में भारत यात्रा के दौरान चालू जल विद्युत परियोजनाओं से होने वाले लाभ के बंटवारे के संबंध में कोई द्विपक्षीय वार्ता हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) निर्माणाधीन जल परियोजनाओं के लाभों के बंटवारे के बारे में भारत और नेपाल के बीच कुछ मूल मतभेद हैं। ये मुख्य रूप से सिंचाई और विद्युत के लिए जल के उपयोग के संबंध में हैं।

(ग) और (घ) भारत-नेपाल परियोजनाओं के संबंध में द्विपक्षीय विचार विमर्श नेपाल के प्रधानमंत्री के अप्रैल, 1995 के भारत के दौरे के समय किया गया था। यह सहमति हुई थी कि दोनों पक्षों को महाकाली नदी के प्रयोग से संबंधित विकास के लिए अपने प्रयास जारी रखने चाहिए।

क्षेत्रीय भाषाएं

6218. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मैथिली, राजस्थानी और भोजपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है; और

(घ) संविधान की आठवीं सूची में शामिल की जाने वाली प्रस्तावित अन्य क्षेत्रीय भाषायें कौन-कौन-सी हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (घ) राजस्थानी, मैथिली और भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित करने के लिए कुछ एसोसिएशनों और व्यक्तियों से मांगे प्राप्त हुई हैं। कुछ अन्य भाषाओं, जैसे भोटी, बोदो, धातकी, डोगरी, गढ़वाली, हो, कोक, बारक, कुराक, कुमाऊंनी, लेपचा, लिम्बू, लुसाई, मिलो, मुन्दारी, निकोबारी, पाली, सम्बलपुरी, संथाली और तुलू के बारे में इस प्रकार की मांगे प्राप्त हुई हैं। इस मामले में निर्णय लेने के लिए कोई समय-सीमा नहीं बतायी जा सकती है।

अपराध जांच हेतु भारत-इंग्लैंड समझौता

6219. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ब्रिटेन के साथ अपराधों की जांच और उनके संबंध में मुकदमा चलाने तथा अपराध की कमाई और तरीके एवं आतंकवादियों के धन का पता लगाने, उस पर प्रतिबंध लगाने और जब्त करने के संबंध में कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समझौते के कार्यान्वयन हेतु सरकार क्या अनुवर्ती कार्यवाही कर रही है;

(ग) क्या इस समझौते के पश्चात् भारत सरकार ने ब्रिटेन को कोई मामले भेजे हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) समझौते में अपराध की जांच करने और अभियोजन चलाने तथा अपराध की कमाई और तरीके (मुद्रा के हस्तांतरण करने संबंधी अपराध सहित), आतंकवादियों के धन का पता लगाने, उस पर प्रतिबंध लगाने और उसे जब्त करने के लिए पारस्परिक सहायता देने के विस्तृत उपायों का प्रावधान है। भारत की ओर से समझौते को नवम्बर, 1993 में संशोधित किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता

धन का उपयोग

6220. **श्री लोकनाथ चौधरी :** क्या योजना और कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें वार्षिक योजनाओं के लिए आबंटित धन का उपयोग नहीं कर पायी हैं;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रत्येक वार्षिक योजना के दौरान स्वीकृत और उपयोग में लाए धन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्य सरकारों द्वारा धन का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग) वार्षिक योजनाओं 1992-93, 1993-94 के लिए राज्यवार अनुमोदित परिव्ययों तथा वास्तविक व्यय और 1994-95 के लिए अनुमोदित परिव्ययों और संशोधित परिव्ययों संबंधी एक विवरण संलग्न है। अनुमोदित परिव्ययों के संदर्भ में वास्तविक व्यय में कमियां संबंधित राज्यों की अनुमोदित परिव्ययों के वित्तपोषण के लिए दिए गए अपने स्वयं के संसाधनों के अंशदान करने में असफलता के कारण रही।

विवरण

वार्षिक योजनाएं–1992-93 से 1994-95–मूल रूप से अनुमोदित/व्यय राज्य

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	वार्षिक योजना मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय	1992-93 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय	1993-94 वास्तविक व्यय	वार्षिक योजना मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय	1994-95 संशोधित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1660.00	2364.04	1851.00	2867.46	2130.00	2170.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	245.00	233.61	290.00	263.91*	335.00	332.97
3.	असम	960.00	655.44	1027.00	862.19	1051.00	997.20
4.	बिहार	2202.73	1149.18	2300.00	750.00*	2400.00	900.00
5.	गोवा	152.50	141.96	170.00	147.94	182.00	163.38
6.	गुजरात	1875.00	1939.75	2137.00	1900.00*	2240.00	2240.83
7.	हरियाणा	830.00	748.36	920.00	806.82	1025.00	1019.05
8.	हिमाचल प्रदेश	486.00	490.98	560.00	570.73	650.00	666.32
9.	जम्मू व कश्मीर	820.00	620.00	880.00	653.74	950.00	868.00
10.	कर्नाटक	1915.00	1971.41	3025.00	3025.46	3275.00	2800.00
11.	केरल	913.00	825.32	1000.00	1013.06	1260.00	1260.00
12.	मध्य प्रदेश	2400.00	1992.03	2400.00	2235.88	2750.00	2253.29
13.	महाराष्ट्र	3160.00	3372.80	3804.00	3832.80*	4400.00	4758.00
14.	मणिपुर	210.00	170.95	230.00	174.84*	240.00	214.50
15.	मेघालय	241.00	198.98	281.00	195.99	281.00	232.12
16.	मिजोरम	160.00	165.17	185.00	174.31	207.66	202.53
17.	नागालैंड	185.00	110.55	203.50	168.41*	220.00	84.39
18.	उड़ीसा	1405.00	1054.33	1450.00	1095.19*	1951.00	1464.18
19.	पंजाब	1500.00	885.30	1250.00	1142.80	1450.00	1374.46
20.	राजस्थान	1400.00	1406.67	1700.00	1743.32	2450.00	2450.75
21.	सिक्किम	110.00	102.53	120.00	121.62	135.00	135.00
22.	तमिलनाडु	1751.00	1934.59	2101.00	2234.45	2750.00	2750.75
23.	त्रिपुरा	282.00	217.94	310.00	224.16	310.00	244.57
24.	उत्तर प्रदेश	3853.00	3457.61	4050.00	3249.58	4562.00	3639.84
25.	पश्चिम बंगाल	1501.00	881.59	1550.00	1217.00	1706.00	1483.31
	जोड़ (राज्य)	30217.23	27091.09	33794.50	30671.66	38910.66	34704.69

* व्यय संबंधी ब्यौरे अभी सूचित नहीं किए गए हैं, आंकड़े संशोधित परिव्यय से संबंधित हैं।

प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति

6221. **श्री शिव शरण वर्मा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना की शुरूआत में तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत में लोगों की प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति कितनी थी; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति कितनी होने की आशा है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) प्रति व्यक्ति प्राइवेट खपत व्यय स्थिर (1980-81) कीमतों पर 1980-81, छठी योजना के प्रथम वर्ष में 1462 रु. और 1989-90, सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष में 1822 रु. था।

(ख) प्रति व्यक्ति प्राइवेट खपत व्यय 1991-92 की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1992-93 से 1996-97 के दौरान 3.49 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ने का अनुमान है।

विद्युत उत्पादन के लिए धनराशि

6222. **श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार में विद्युत उत्पादन के लिए 1993-94 तथा 1994-95 हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध करा दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, हां।

(ख) योजना आयोग द्वारा बिहार हेतु ऊर्जा क्षेत्रक के लिए 1993-94 और 1994-95 के लिए बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित क्रमशः 386.42 करोड़ रुपए और 398.26 करोड़ रुपए की तुलना में 1993-94 और 1994-95 के लिए क्रमशः 388.76 करोड़ रुपये और 398.26 करोड़ रुपये के परिव्यय. अनुमोदित किये गए थे।

भारतीय जेलों में विदेशी

6223. **श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जेलों में कितने पाकिस्तानी ईरानी और अफगानी हैं; और

(ख) 31 जनवरी, 1995 तक उनमें से कितने भाड़े के सैनिक/आतंकवादी हैं जो जम्मू और कश्मीर तथा देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) संविधान के तहत 'जेल' राज्य का विषय है इसलिए केन्द्र सरकार इस संबंध में किसी प्रकार के आंकड़े नहीं रखती है।

(ख) 31 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार जम्मू व कश्मीर में भाड़े के सैनिकों की संख्या 1,200 से 1,500 के बीच होने का अनुमान है। जबकि देश के शेष भाग के बारे में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह संख्या नगण्य होगी।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

6224. **श्री महेश कनोडिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए कोई नयी नीति अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन नीति के अन्तर्गत 31 मार्च, 1995 तक पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी मात्रा का आयात किया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। आयात और निर्यात नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और जब भी आवश्यकता समझी जाती है, तब इसमें परिवर्तन किए जाते हैं। निर्यात आयात नीति 1992-97 के अन्तर्गत केवल पांच पेट्रोलियम उत्पादों को नियंत्रण मुक्त नहीं किया गया है। पुनश्च, सरकार ने इनमें से विशेष आयात लाइसेंसों के प्रति एविएशन टर्बाइन फयूल, बिट्मिन (एस्फाल्ट) पेविंग ग्रेड और भट्टी के तेल (एल एस एच एस एल/एस डब्ल्यू आर के अलावा) के आयात की भी अनुमति दी गई है।

(ग) इंडियन आयल कारपोरेशन ने 1994-95 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लगभग 13.951 एम एम टी पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया है।

[अनुवाद]

डेल्टा माडलिंग अनुसंधान संस्थान

6225. **डा. के. वी. आर. चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने डेल्टा प्रतिरूपण के क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा आदान उपलब्ध कराने हेतु आंध्र प्रदेश में एक डेल्टा प्रतिरूपण अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का अनुरोध किया है तथा नदियों के डेल्टाओं में तेल की खोज के संबंध में व्यापक अनुसंधान कार्य शुरू किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर, भारत सरकार आंध्र प्रदेश के अंतर्गत एक विश्व विद्यालय में डेल्टा माडलिंग इन्स्टीटयूट स्थापित करने में सहायता करने के लिए सहमत हो गई हैं। इस कार्य का समन्वय करने के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन के एक अधिकारी की विशेष रूप से प्रतिनियुक्ति की गई है।

दूरसंचार विभाग का गैर-सरकारीकरण

6226. **श्री अमर पाल सिंह :**

श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय दूरसंचार विभाग के गैर-सरकारीकरण के विरुद्ध 20 अप्रैल, 1995 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) :

(क) और (ख) यद्यपि कोई भी सरकारी ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। कुछ सेवायूनियनों द्वारा प्रकाशित इन-हाउस पत्रिकाओं (जर्नल) से पता चलता है कि दूरसंचार के निजीकरण के विरुद्ध 20.4.95 को एक सम्मेलन हुआ था और कुछेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इसे संबोधित किया था।

(ग) सरकार, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के प्रति वचनबद्ध है जिसमें राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में, दूरसंचार विभाग के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, दूरसंचार सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी की परिकल्पना की गई है। हालांकि, दूरसंचार-विभाग नेटवर्क का निजीकरण नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में डाक और तार घर

6227. **डा॰ परशुराम गंगवार :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के अन्त तक उत्तर प्रदेश में कितने गांवों में डाक और तार घर नहीं हैं;

(ख) राज्य में जिला-वार कितने गांवों में डाक घर और तार घर हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में राज्य के शेष गांवों में डाक घर खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) वर्ष 1994-95 के अंत तक उत्तर प्रदेश में बिना डाकघर वाले गांवों की संख्या 119640 है।

(क) तारघरों के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) राज्य में डाकघर वाले गांवों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) डाकघर वार्षिक योजना स्कीमों के तहत उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं, बशर्ते कि विभागीय मानदण्डों की पूर्ति होती हो और संसाधन उपलब्ध रहें।

विवरण

उत्तर प्रदेश में डाकघर वाले गांवों की संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	डाकघर वाले गांवों की संख्या
1.	कानपुर सिटी	109
2.	कानपुर देहात	285
3.	उन्नाव	254
4.	फतेहपुर	237
5.	फर्रुखाबाद	252
6.	बांदा	242
7.	हमीरपुर	195
8.	अल्मोड़ा	441
9.	खेड़ी	366
10.	हरदोई	287
11.	बरेली	205
12.	बदायूं	286
13.	शाहजहांपुर	259
14.	नैनीताल	202
15.	पीलीभीत	145
16.	पिथौरागढ़	392
17.	मुरादाबाद	251
18.	रामपुर	105
19.	इलाहाबाद	470
20.	गाजीपुर	356
21.	जौनपुर	399
22.	प्रतापगढ़	337
23.	मिर्जापुर	176
24.	सोनभद्र	133
25.	वाराणसी	446
26.	फैजाबाद	604
27.	सीतापुर	377
28.	बाराबंकी	343
29.	रायबरेली	417
30.	सुलतानपुर	469
31.	लखनऊ	238
32.	आजमगढ़	379
33.	मऊ	192

क्र. सं.	जिले का नाम	डाकघर वाले गांवों की संख्या
34.	गोरखपुर	348
35.	महाराजगंज	203
36.	बस्ती	445
37.	सिद्धार्थनगर	222
38.	गोंडा	464
39.	बलिया	329
40.	बहराइच	356
41.	देवरिया	468
42.	आगरा	258
43.	अलीगढ़	419
44.	बुलन्दशहर	330
45.	एटा	283
46.	इटावा	274
47.	झांसी	172
48.	जालौन	221
49.	ललितपुर	142
50.	मथुरा	203
51.	मैनपुरी	155
52.	फिरोजाबाद	135
53.	बिजनौर	259
54.	देहरादून	182
55.	गाजियाबाद	196
56.	चमोली	332
57.	मेरठ	310
58.	मुजफ्फरनगर	274
59.	पौड़ी गढ़वाल	415
60.	सहारनपुर	172
61.	टिहरी	256
62.	उत्तरकाशी	123
63.	हरिद्वार	80
	कुल	17915

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

6228. **डा० साक्षी जी :**

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय किन-किन स्थानों पर स्वचालित और मैकेनिकल टेलीफोन एक्सचेंज अलग-अलग कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में ऐसे और अधिक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में फैक्स मशीनें

6229. **डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में फैक्स मशीनों के लिए एक लंबी प्रतीक्षा सूची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रतीक्षा सूची को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) दूरसंचार विभाग द्वारा फैक्स मशीनें प्रदान नहीं की जाती हैं। इनकी खरीद उपभोक्ताओं द्वारा टेलीफोन लाइनों पर दस्तावेज भेजने के लिए की जाती है। अतः फैक्स मशीनों के संबंध में विभाग कोई प्रतीक्षा सूची नहीं रखता है।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता

6230. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के विकास हेतु राज्यों को प्रतिवर्ष विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता के आबंटन हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ग) राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न राज्यों द्वारा इस सहायता राशि में से कितनी राशि खर्च की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन निम्नलिखित मानदंडों पर दो किस्तों में किया जाता है :

1. (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अनूसचित जाति जनसंख्या के आधार पर–40%

   (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आपेक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर–10%

2. (क) योजना में संघटित आर्थिक विकास कार्यक्रम द्वारा शामिल किए गए अनुसूचित जाति परिवारों को प्रतिशतता के आधार पर उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के योग्य बनाने हेतु–25%

   (ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनसंख्या की सूचना में वार्षिक राज्य योजना के अनुपात में विशेष संघटक योजना की प्रतिशतता के आधार पर–10%

   (ग) अनुसूचित जातियों में विशिष्ट रूप से संवेदनशील समूह के लिए यथा स्वीपर, सफाई कर्मचारियों, बंधुआ मजदूरों, खानाबदोशों, विमुक्त जाति समुदायों आदि के लिए कार्यक्रम के आधार पर–10%

   (घ) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विशेष संघटक योजना के कार्यान्वयन के आधार पर–5%

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के केन्द्र सरकार द्वारा विर्मुक्त विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग की गई धनराशि जैसाकिं उन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित किया है, को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए कल्याण मंत्री द्वारा संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता तथा उपयोग की गई राशि।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	1992-93		1993-94		1994-95
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	1937.61	2667.51	2416.06	2416.06	3255.36
2.	असम	189.44	124.51	220.51	168.73	273.34
3.	बिहार	2096.54	2328-5702	2327.11	–	–
4.	गुजरात	908.53	624.32	796.82	744.04	956.68
5.	गोवा	2.64	3.38	2.86	2.83	3.95
6.	हरियाणा	398.20	542.34	424.53	451.75	538.05
7.	हिमाचल प्रदेश	502.69	465.17	699.54	564.60	195.72
8.	जम्मू तथा कश्मीर	66.79	108.60	76.33	69.82	100.00
9.	केरल	502.74	588.78	402.84	375.79	508.81
10.	कर्नाटक	1310.06	1310.06	1282.71	1282.71	1873.76
11.	मध्य प्रदेश	1839.09	1999.65	2803.81	2713.82	2097.57
12.	महाराष्ट्र	1698.92	1550.78	1562.79	1867.15	1575.89
13.	मणिपुर	7.42	7.42	5.56	–	6.09
14.	उड़ीसा	1323.38	823.38	1075.66	1075.66	1332.84
15.	पंजाब	625.32	535.49	875.92	677.87	1626.72
16.	राजस्थान*	1162.90	929.16	1829.89	998.52	886.37
17.	सिक्किम	3.21	3.06	3.06	3.49	4.22

* जैसा कि राजस्थान सरकार ने सुचित किया है, यह उपयोग कार्यान्वयन एजेंसियों के उपयोग प्रमाण पत्र के आधार पर वास्तविक व्यय है। राज्य सरकार की सूचना के अनुसार जिला स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियों को आबंटित शेष धनराशि के बारे में उनसे उपयोग का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है।

1	2	3	4	5	6	7
18.	त्रिपुरा	57.38	47.58	58.85	68.65	100.97
19.	तमिलनाडु	1911.34	1925.00	1879.11	2540.00	2655.66
20.	उत्तर प्रदेश	5495.07	4987.02	5933.29	6380.77	6297.51
21.	पश्चिम बंगाल	2669.54	2669.50	2322.75	2114.57	2813.37
22.	चण्डीगढ़	9.44	9.96	12.39	12.39	17.40
23.	दिल्ली	148.60	109.72	184.76	172.46	244.42
24.	पांडिचेरी	13.15	23.21	14.81	25.73	19.31
	कुल	24880.00	22280.302	27211.96	24727.41	27385.00

नोट : 1994-95 के दौरान विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग का विवरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 1995-96 के दौरान प्राप्त होना है।

रसोई गैस संयंत्रों का कार्य-निष्पादन

6231. **श्री विश्वेश्वर भगत :**
श्री चेतन दीवान :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन रसोई गैस बॉटलिंग संयंत्रों के कार्य-निष्पादन रिपोर्ट की जानकारी मिली है जिनमें अधिष्ठापित क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संयंत्रों में अधिष्ठापित क्षमता के अनुरूप उत्पादन प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ख) तेल विपणन कम्पनियाँ एल पी जी भरण संयंत्रों के कार्यनिष्पादन की नियमित आधार पर समीक्षा कर रही हैं। 1994-95 के दौरान देश में एल पी जी भरण संयंत्रों का समग्र क्षमता उपयोग निर्धारित क्षमता से अधिक था। तथापि, ऐसे कुछ भरण संयंत्र है जो निर्धारित क्षमता अधिक होने के बावजूद भी केवल मांग को पूरा करने के लिए प्रचालित किए गए हैं।

(ग) जैसे ही किसी क्षेत्र में मांग बढ़ जाती है, तो निर्धारित क्षमता पर भरण संयंत्रों के प्रचालन के लिए योजनाएं होती हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के लिए विशेषज्ञ समिति

6232. **श्री श्रीकांत जेना :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना को चलाने के लिए किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के गठन का ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति के लिए विचारार्थ विषय क्या है; और

(घ) समिति कब तक अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर देगी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां। केन्द्र सरकार ने योजना के ब्यौरे तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की है।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना की जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) जहां तक संभव हो सके यह समिति अपनी अंतरिम रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करेगी और अंतिम रिपोर्ट समिति के गठन की तारीख से लेकर 3 महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी।

विवरण

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना तैयार करने संबंधी समिति की संरचना और विचारार्थ विषय

संरचना

1.	श्री बी. एन युगांधर, सचिव, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	व्यय सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3.	सचिव (कल्याण) अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
4.	सलाहकार (ग्रामीण विकास), योजना आयोग	सदस्य
5.	प्रोफेसर एस. गुहन, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज	सदस्य
6.	श्रीमती निर्मला बुच, सदस्य, पी इ एस बी	सदस्य

विचारार्थ विषय

(एक) गरीबों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता संबंधी नई केन्द्र प्रायोजित योजना की मुख्य विशेषताएं तैयार करना जिनमें निम्नलिखित तीन घटक, अर्थात् (क) वृद्धावस्था पेंशन, (ख) ग्रामीण घरेलू क्षेत्रों को एक मुश्त उत्तरजीवी, और (ग) निर्धन घरेलू क्षेत्र की महिलाओं के प्रथम दो प्रसवों के लिए प्रसव-पूर्व तथा प्रसवापरांत मातृत्व देख-भाल हेतु निर्वाह का प्रावधान।

(दो) उन व्यक्तियों की पात्रता के लिए मानदंड तैयार करना जिन्हें इन योजनाओं से लाभ मिलेगा साथ ही वह पद्धति तैयार करना जिसके अंतर्गत इन मानदंडों को क्षेत्रीय और खासकर पंचायत स्तरों पर कार्यान्वित एवं प्रशासित किया जाएगा।

(तीन) योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र और राज्यों के बीच लागतों की भागीदारी से संबंधित ब्यौरे तैयार करना।

(चार) योजना के वार्षिक और खासकर आरंभिक वर्ष 1995-96 के दौरान वार्षिक व्यय और इसके कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित उपयुक्त प्रावधान निर्धारित करना।

(पांच) दावों के सत्यापन की विधियों सहित इन लाभों की पहचान करने तथा शीघ्र संवितरण करने के लिए पंचायतों के माध्यम से निधियों का प्रवाह और संस्थागत प्रबंधों को सुनिश्चित करने संबंधी रूपरेखाएं तैयार करना।

(छः) प्रसव-पूर्व तथा प्रसवोपरान्त मातृत्व देखभाल के लिए सहायता के प्रावधान से लाभ प्राप्त करने वालों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तथा परिवार कल्याण उपायों के बीच सम्पर्क तैयार करना।

(सात) यह सुनिश्चित करने के लिए इस योजना की समुचित मानीटरिंग की जाए और इसके लाभों के वितरण एवं समुचित उपयोग की दृष्टि से राज्य के विधान मंडलों और संसद को जवाबदेह बनाया जाए, विस्तृत रूपरेखा तैयार करना।

(आठ) इनसे जुड़े कोई अन्य प्रासंगिक और महत्वपूर्ण मामले।

[हिन्दी]

संसद-सदस्यों का टेलीफोन कोटा

6223. **श्री उदय प्रताप सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टेलीफोन कनैक्शन के लिए संसद्-सदस्यों के कोटे को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वार्षिक कोटे को हाल ही में 15 से बढ़ा कर 25 कर दिया गया है। प्रतीक्षा-सूची समाप्त करने के लिए दूर संचार विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए नेटवर्क-विस्तार से हर जगह स्थिति में हुए सुधार को ध्यान में रखते हुए, कोटे में और वृद्धि करना औचित्यपूर्ण नहीं है।

उत्तर प्रदेश को हथियारों की सहायता

6234. **श्री संतोषकुमार गंगवार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कानून और व्यवस्था के प्रभावी रख-रखाव के लिए केन्द्रीय सरकार से हथियारों की सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को प्रभावी रूप से बनाए रखने के लिए, केन्द्र सरकार से शस्त्र सहायता प्राप्त करने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार का इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

कोयला खानों में सुधार

6235. **श्री नितीश कुमार :**
श्री गुमान मल लोढा :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के श्रमिकों ने कुछ कोयला खानों के सुधार के संबंध में अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के कामगारों ने पेंच-कन्हान क्षेत्र की 6 खानों में मुख्यतया इन खानों के दीर्घकालात्मक कार्य करने की संभावना हेतु एक सुधार योजना प्रस्तुत की थी।

(ख) और (ग) कोयला कंपनी ने सुझावों की जांच किए जाने के लिए तथा कामगारों के प्रतिनिधियों के साथ सम्पन्न हुई एक बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए यथोचित कार्रवाई की है।

कोयले का आयात

6236. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत पांच वर्षों के दौरान आयातित कोयले की मात्रा

में लगातार वृद्धि हो रही है और इसमें से अधिकांश कोयले का उपयोग तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित विद्युत परियोजनाओं और अन्य उद्योगों में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयातित कोयला देश के सम्पूर्ण कोयला बाजार पर कब्जा कर सकता है इसका प्रभाव देश के कोयला उद्योग पर भी पड़ेगा; और

(ग) क्या आयातित कोयले के कारण रोज़गार के अवसरों में कमी आएगी ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) इस संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1993-94 के दौरान देश में 7.39 मि. टन कुल मात्रा में कोयले का आयात किया गया, इसमें से इस्पात संयंत्रों में, जोकि निम्न राख वाले कोककर कोयले के मुख्य आयातक हैं 6.82 मि. टन कोयले का आयात किया और शेष 0.57 मि. टन का मुख्य रूप से अकोककर कोयले का आयात विद्युत गृहों, सीमेंट संयंत्रों और अन्य विविध उद्योगों द्वारा किया गया है।

(ख) और (ग) कुछ निम्न राख वाले कोककर कोयले, जिसकी कि इस्पात संयंत्रों को आवश्यकता होती है और कुछ उच्च गेड के अकोककर कोयले को छोड़कर देश में कोयले का देशीय उत्पादन लगभग विभिन्न उपभोक्ताओं की पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

गुजरात में कल्याणकारी योजनाएं

6237. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए गत दो वर्षों के दौरान भेजी गई कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) अब तक किन-किन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इनके लिए कितनी-कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) इन योजनाओं के लिए स्वीकृत शेष धनराशि कब तक दे दी जायेगी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के पास पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांग व्यक्तियों तथा समाज रक्षा की कुछ विशेष योजनाओं सहित वृद्धों, सामाजिक कुसमंजन बाल अपराध नियंत्रण, भिक्षावृत्ति निवारण, बेसहारा बच्चों तथा नशीली दवाओं के दुरुपयोग निवारण की समस्या पर योजनाएं हैं। जहां तक विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता तथा विशेष आदिवासी उपयोजना का सम्बन्ध है इसे प्रसिद्ध तथा स्थापित विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार आबंटित किया जाता है। जहां तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अन्य योजनाओं का संबंध हैं, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, पिछले अनुदानों की उपयोगिता, राज्यों के समान बजट हिस्से इत्यादि में प्रावधान पर किया जाता है। जहां तक पिछड़े वर्गों के लिए योजनाओं को संबंध है उन्हें राज्य स्तरीय विकास निगमों तथा प्राधिकृत राज्य सरकारों के एजेन्सियों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जाता है तथा विभिन्न निगमों से प्राप्त मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय निगमों के माध्यम से अन्य प्राधिकृत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से किया जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से आर्थिक विकास के लिए परिचालित निधियों के संबंध में स्थिति के बारे में है। अल्पसंख्यक समुदायों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग की एक योजना है जिसे गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

जहां तक विकलांग व्यक्तियों के कल्याण का सम्बन्ध है, कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। तथापि, विकलांगों के लिए रोजगार की एक योजना है जिसे केन्द्रीय पगायोजत योजना कहा जाता है और राज्य सरकार द्वारा राज्य के हिस्से के रूप में बजट प्रावधान करते हुए अनुदान के लिए उनसे प्राप्त मांगों के अनुसार अनुदान निर्मुक्त किया जाता है। जहां तक समाज कल्याण की योजना का संबंध है, किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण और नियंत्रण तथा भिक्षावृत्ति उन्मूलन योजनाओं को छोड़कर केन्द्र प्रायोजित योजनाएं हैं और उनकी मांग और उनके हिस्से और पहले निर्मुक्त अनुदान के उपयोग को ध्यान में रखते हुए अनुदान निर्मुक्त किया जाता है, अन्य सभी योजनाए गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं।

(ग) गुजरात राज्य सरकार को विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अधीन निर्मुक्त अनुदान के ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गुजरात सरकार को की गई निर्मुक्तियां दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र. स.	योजना का नाम	1993-94	1994-95
	अनुसूचित जाति विकास :		
1.	पी सी आर एक्ट, 1955	36.65	34.56
2.	अत्याचार अधिनियम, 1989	56.09	77.55
3.	विशेष संघटक योजना को विशेष केंद्रीय सहायता	796.82	956.68
4.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	381.82	827.10
5.	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	48.23	72.40
6.	पुस्तक बैंक	0.05	10.62
7.	कोचिंग तथा सम्बद्ध	5.53	2.57
8.	लड़कियों के होस्टल	15.05	–
9.	लड़कों के होस्टल	39.50	99.32

क्र. स.	योजना का नाम	1993-94	1994-95
10.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति	200.00	—
आदिवासी विकास :			
11.	लघु सिंचाई के लिए अतिरिक्त विशेष केंद्रीय सहायता	–	200.00
12.	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	0.55	5.33
13.	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	3.46	21.59
14.	अनुसूचित जनजाजाति के लड़कों के होटल	39.23	6.44
15.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के होस्टल	19.51	4.73
16.	लघु वन उत्पाद संचालन के लिए एस टी डी सी सी को सहायतानुदान	–	30.00
अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण :			
17.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुमोदित योजनाएं	318.00	–
समाज रक्षा :			
18.	किशोर समाज कुसमंजन के निवारण तथा नियंत्रण की योजना	–	7.50

धनराशि का आबंटन

6238. **श्री नवल किशोर राय :**
डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पेट्रोलियम क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के विकास हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आबंटित धन राशि में से कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या धनराशि का पूर्ण उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) 8वीं योजना के लिए योजना आबंटन 26,552 करोड़ रुपए था। पिछले तीन वर्षों के दौरान उपयोग लगभग 24679 करोड रुपए रहा है। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय का लगभग 93% है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

6239. **श्री अन्ना जोशी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में किन-किन स्थानों पर इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान किन-किन स्थानों पर इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाए जाने का प्रस्ताव था;

(ग) दिसम्बर, 1994 तक किन-किन स्थानों पर इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने दिए गए और इनमें से प्रत्येक एक्सचेंज कितनी-कितनी लाइनों का है; और

(घ) 31 दिसम्बर, 1994 तक महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए एक्सचेंजवार पंजीकृत लोगों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-II और III में दिए गए हैं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण I

महाराष्ट्र में उन स्थानों के नाम जहां वर्ष 1994-95 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है

क्र. सं.	एक्सचेंज का नाम
1.	शोलापुर
2.	मडगांव
3.	औरंगाबाद—II
4.	उल्हासनगर-I
5.	अमरावती
6.	मोहंशी कामा-II
7.	महाजी शिंदि-II
8.	उल्हासनगर
9.	चिन्दवाड़
10.	वी आर सी ई विश्वेश्वर्या रिजनल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग
11.	कोलापुर
12.	लाइन काईस-कोलापुर एरिया
13.	डोनापोला

क्र. सं.	एक्सचेंज का नाम
14.	नारी
15.	चिकनथाना
16.	किरखी
17.	कल्माना
18.	लोनी
19.	हुटगी रोड
20.	भुसारी
21.	डंबीवली
22.	पोरवोरिम
23.	सक्करदारा
24.	तालेगांव दब्भाड़ें
25.	कम्पटी
26.	अम्बेरनाथ
27.	आमलनेर
28.	बारामाटी
29.	पंडरपुर
30.	लटूर
31.	बम्बीवली
32.	कल्याण
33.	विवंडी
34.	सतपुर
35.	जालना
36.	गोकुलधाम-एम. टी. एन. एल., बंबई
37.	भयन्दर-एम. टी. एन. एल., बंबई
38.	मरोल-एम. टी. एन. एल., बंबई
39.	वेरसोवा-एम. टी. एन. एल., बंबई
40.	समतानगर-एम. टी. एन. एल., बंबई
41.	मोरारोड-एम. टी. एन. एल., बंबई
42.	बोरीवली-एम. टी. एन. एल., बंबई
43.	मुलंद-एम. टी. एन. एल., बंबई
44.	वागले एस्टेट-एम. टी. एन. एल., बंबई

क्र. सं.	एक्सचेंज का नाम
45.	मुम्बरा-एम. टी. एन. एल., बंबई
46.	माजगाव-एम. टी. एन. एल., बंबई
47.	बांद्रा-एम. टी. एन. एल., बंबई
48.	खर-एम. टी. एन. एल., बंबई
49.	कूपरेज-एम. टी. एन. एल., बंबई
50.	वडाला-एम. टी. एन. एल., बंबई
51.	बेलापुर-एम. टी. एन. एल., बंबई
52.	राबेल-एम. टी. एन. एल., बंबई
53.	घटकोपुर-एम. टी. एन. एल., बंबई
54.	टरभी-एम. टी. एन. एल., बंबई
55.	सिटी-एम. टी. एन. एल., बंबई
56.	पनवेल-एम. टी. एन. एल., बंबई
57.	वशी-एम. टी. एन. एल., बंबई
58.	कूपरेज-एम. टी. एन. एल., बंबई
59.	एमं. हिल-एम. टी. एन. एल., बंबई
60.	अंधेरी-एम. टी. एन. एल., बंबई
61.	पुवई-एम. टी. एन. एल., बंबई
62.	सिओन-एम. टी. एन. एल., बंबई
63.	गोदरेज-एम. टी. एन. एल., बंबई
64.	बाईक-एम. टी. एन. एल., बंबई
65.	एस. पार्क-एम. टी. एन. एल., बंबई
66.	बांद्रा-एम. टी. एन. एल., बंबई
67.	खर-एम. टी. एन. एल., बंबई
68.	घटकोपर-एम. टी. एन. एल., बंबई
69.	माजगांव-एम. टी. एन. एल., बंबई
70.	माजगांव-एम. टी. एन. एल., बंबई
71.	गांमदेवी-एम. टी. एन. एल., बंबई
72.	एस. पार्क-एम. टी. एन. एल., बंबई
73.	पुवई-एम. टी. एन. एल., बंबई
74.	गोकुलधाम-एम. टी. एन. एल., बंबई
75.	बोरीबली-एम. टी. एन. एल., बंबई

क्र. सं.	एक्सचेंज का नाम
76.	सी. परेड-एम. टी. एन. एल., बंबई
77.	गोकुलधाम-एम. टी. एन. एल., बंबई
78.	कूपरेज-एम. टी. एन. एल., बंबई
79.	मुलंद-एम. टी. एन. एल., बंबई
80.	सामानगर-एम. टी. एन. एल., बंबई
81.	कांडीवल्ल-एम. टी. एन. एल., बंबई
82.	अंधेरी-एम. टी. एन. एल., बंबई
83.	वरली-एम. टी. एन. एल., बंबई
84.	प्रभादेवी-एम. टी. एन. एल., बंबई
85.	जी-धाम-एम. टी. एन. एल., बंबई
86.	डब्ल्यू एस्टेट-एम. टी. एन. एल., बंबई
87.	गामदेवी-एम. टी. एन. एल., बंबई
88.	माजगांव-एम. टी. एन. एल., बंबई
89.	विलेपार्ले-एम. टी. एन. एल., बंबई
90.	वशी-एम. टी. एन. एल., बंबई
91.	मरीरोड-एम. टी. एन. एल., बंबई
92.	सिओन-एम. टी. एन. एल., बंबई
93.	गोरेगांव-एम. टी. एन. एल., बंबई
94.	बांद्रा-एम. टी. एन. एल., बंबई
95.	बांद्रा-एम. टी. एन. एल., बंबई
96.	फाउंटेन-एम. टी. एन. एल., बंबई
97.	चेम्बूर-एम. टी. एन. एल., बंबई
98.	मंखुर्द-एम. टी. एन. एल., बंबई
99.	धाणे घेरई-एम. टी. एन. एल., बंबई
100.	वेरसोवा-एम. टी. एन. एल., बंबई
101.	उरान-एम. टी. एन. एल., बंबई
102.	माजगांव-एम. टी. एन. एल., बंबई
103.	सिओर-एम. टी. एन. एल., बंबई
104.	बाइकुल्ला-एम. टी. एन. एल., बंबई
105.	शिवाजी पार्क-एम. टी. एन. एल., बंबई
106.	वेरसोवा-एम. टी. एन. एल., बंबई

क्र. सं.	एक्सचेंज का नाम
107.	गामदेवी-एम. टी. एन. एल., बंबई
108.	मरोल-एम. टी. एन. एल., बंबई
109.	विले पार्ले-एम. टी. एन. एल., बंबई
110.	वशी-एम. टी. एन. एल., बंबई
111.	बोरीबली-एम. टी. एन. एल., बंबई
112.	थाने चिरई-एम. टी. एन. एल., बंबई
113.	मंखुर्द-एम. टी. एन. एल., बंबई
114.	चेम्बूर-एम. टी. एन. एल., बंबई
115.	मरोल-एम. टी. एन. एल., बंबई
116.	मोरा रोड-एम. टी. एन. एल., बंबई
117.	राबेल-एम. टी. एन. एल., बंबई

विवरण II

महाराष्ट्र में दिसम्बर, 1994 तक जिन स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज संस्थापित किए जा चुके हैं, लाइनों की संख्या सहित उन स्थानों के नाम

क्र. सं.	एक्सचेंज का नाम	सज्जित क्षमता
1.	मडगांव	7000
2.	डोनापोला	1000
3.	पोखोरिम	1000
4.	कल्याण	2500
5.	वालिव	1200
6.	आइचलकर्णजी	400
7.	सावंतवाड़ी	1400
8.	नारी	2000
9.	उमरेड	600
10.	कापसी	424
11.	कान्हां	508
12.	आइकल घाट	184
13.	चिकलथाने	1500
14.	वलूज	600
15.	आश्ती	524
16.	पटोदा	424

क्र. सं.	एक्सचेंज का नाम	सज्जित क्षमता
17.	काल्ज	384
18.	जालना	300
19.	लदूर	4000
20.	उडगीर	1724
21.	ओराड शमाजनी	264
22.	भूम	184
23.	चकूर	216
24.	पुरम	400
25.	नालादुर्ग	184
26.	परांडा	184
27.	उसमानाबाद	178
28.	भोकर	384
29.	अर्धापुर	184
30.	नईगांव	184
31.	बोधेगांव	184
32.	घरगांव	184
33.	कुकाना	152
34.	निर्घाज	184
35.	राहूरी	184
36.	राजूर	152
37.	संगनेर	184
38.	श्रीरामपुर	184
39.	टिसगांव	184
40.	गम्बोरी	184
41.	अक्कलकुवा	184
42.	एम एच एस—पुणे	1000
43.	एम के—पुणे	1000
44.	लोनी	500
45.	तालेगांव दभाड़े	500
46.	माडल कालोनी	10000
47.	रलुदे	1000
48.	मोर	424
49.	इंडापुर	424
50.	अकोट	1000
51.	अमरावती	400
52.	अजनगांव	424
53.	मोहदी	184
54.	मूल	384
55.	पूसड़	1400
56.	यवतमाल	1400
57.	दहोगोने	56
58.	बोरेगांव	56
59.	खरमंडीकासर	80
60.	सोमेगांव	56
61.	जवाले (पी आर आर)	80
62.	मंगलापुर	80
63.	मानासशिवना	80
64.	नारायणगवन	80
65.	मांडवगांव	56
66.	कसर्प इम्पालगांव	80
67.	वाल्की	80
68.	भम्बोरा	80
69.	बेलपिमाल गांव	80
70.	कोलगांव	80
71.	मानिकडोंडी	80
72.	मनीजलगांव	80
73.	मिरी	80
74.	करतगांव	80
75.	भेलगांव	80
76.	हंगेवाड़ी	56
77.	वरी	80
78.	ककालीडो कासमर	80

क्र. सं.	एक्सचेंज का नाम	सज्जित क्षमता
79.	चिकहोंडीशिरल	80
80.	गेवराय	80
81.	अकोले	80
82.	कोम्बली	80
83.	खाद	80
84.	अम्भोरे	80
85.	टेलकुडगांव	80
86.	माको	80
87.	पलशी	80
88.	येसगांव	80
89.	श्री शिवाजीनगर	16
90.	भलवानी	80
91.	शिन्दे	80
92.	कंहुरपाथर	80
93.	विदापुर	80
94.	छपरागांव	80
95.	शिरडी	80
96.	अमरापुर	80
97.	शहरताकली	80
98.	गमगांव	56
99.	जालका	80
100.	भंडारा	80
101.	अलकुटी	80
102.	अंगाइंग	8
103.	लोहरी	56
104.	नागलपेन	80
105.	बहाटोन्डी	56
106.	नालेगांव	16
107.	पिंजर	88
108.	धामनी खड़ी	80
109.	ककटुमबरे	56

क्र. सं.	एक्सचेंज का नाम	सज्जित क्षमता
110.	नंदगांव के एच	8
111.	नंदगांव पेट	8
112.	वरूद	8
113.	मोरशी	8
114.	अंजनगांव	24
115.	दमनगांव रेलवे	8
116.	पथरोट	56
117.	कन्नड़	88
118.	कालमती	80
119.	अलन्द	88
120.	पठान	80
121.	घोड़ेगांव	88
122.	सुल्तानपुर	88
123.	शेन्दुरवाड़ा	88
124.	ताकल सिंह	88
125.	माडलमोही	88
126.	माडलमोही	56
127.	माजलगांव	80
128.	रायमोहा	88
129.	मडवानी	80
130.	टाकरमान	56
131.	अनलनार	88
132.	नंडूघूरघाट	88
133.	तालखेत	88
134.	ढोन्दरी 8	88
135.	पोपहली	80
136.	भमनगांव बघे	80
137.	यू पेथ	56
138.	पिम्पलगांव	80
139.	मेराबक	56
140.	नंदूरा	80

क्र. सं.	एक्सचेंज का नाम	सज्जित क्षमता
141.	पठारी	80
142.	विरूर	8
143.	भद्रावती	8
144.	भिसी	8
145.	नादरगांव	8
146.	कोलारी	15
147.	भंगारन	8
148.	अमरपुर	16
149.	पोम्भूरना	80
150.	कोठारी	8
151.	वडकालम्बी	56
152.	बोरदी	88
153.	मोती	80
154.	रवेकड़ा	80
155.	पाडलडे	80
156.	टोरखेवा	80
157.	जलेके	56
158.	विरद	56
159.	मारवाड़	80
160.	ईदगांव	56
161.	पामस्वादी	56
162.	लोहरा	80
163.	अमाडाडे	80
164.	गुडे	80
165.	मेहुनबारे	56
166.	अम्बारखेटा	80
167.	दहीवाड़	80
168.	बिंदी	56
169.	सोनवाड़	80
170.	साल्वे	80
171.	साईगांव	80

क्र. सं.	एक्सचेंज का नाम	सज्जित क्षमता
172.	बहादुरपुर	80
173.	लासूर	56
174.	लोहातर	56
175.	छहरदी	56
176.	छोटडा	128
177.	क्षमोरा	80
178.	वरदी	56
179.	मंगरूल	56
180.	पटोडा	88
181.	सतोना	88
182.	सृष्टि	88
183.	फराध	88
184.	कनवंही	56
185.	रानलूछेगांव	88
186.	छिंछखेड़	88
187.	भोपनगरी	88
188.	वागरूल	88
189.	अर्जुनवपाड़	80
190.	महागांव	80
191.	यालगुड (हुतारी)	80
192.	रूई	80
193.	गवासे	56
194.	संगांव	80
195.	पड्डनकोडोली	80
196.	अब्दुल्लत	80
197.	कस्बासंगव	80
198.	कुलासे	80
199.	तुल	80
200.	सोलनकुर	80
201.	पनगांव	64
202.	लामंजन	80

क्र. सं.	एक्सचेंज का नाम	सज्जित क्षमता
203.	वालंदी	80
204.	नीलांगो	80
205.	खाट	80
206.	चिखली	80
207.	रतोली	56
208.	बेतमोगरा	56
209.	सरसाम	80
210.	राजूरा	80
211.	वालंकी	80
212.	करखेली	80
213.	निवशा	80
214.	तालनी	80
215.	नासिकरोड़	80
216.	नीमगोव	56
217.	वरचूर	80
218.	वीरगांव	80
219.	अभाने	56
220.	मारलसोई	80
221.	महिरावणी	80
222.	आदगांव	80
223.	मनमांड	80
224.	खड़कसुकेनी	56
225.	मनमाड	8
226.	शालगांव	80
227.	जीट	56
228.	ओमेरसा	80
229.	टेर	80
230.	नरनगड़ी	88
231.	शेलगांव	56
232.	आदगांव	56
233.	पाथरी	80

क्र. सं.	एक्सचेंज का नाम	सज्जित क्षमता
234.	संसाखेड़	80
235.	फुर्ना	80
236.	रामपुरी	88
237.	वारंगा	88
238.	घेलगांव	80
239.	बोपगांव	80
240.	बाघापुर	80
241.	कादस	56
242.	पोरगांव	80
243.	शिरोली बी. के.	80
244.	बारामती	80
245.	पैट	56
246.	बारामती एमआईडीसी	80
247.	नंदकी	80
248.	एम पंडवाल	80
249.	खटदाव	80
250.	बारामती एमआईडीसी	80
251.	करजात	80
252.	परहूर पांदा	88
253.	नेरल	56
254.	महासल	72
255.	चिचनी	80
256.	बिल्लूर	80
257.	जाथ	80
258.	लंगारा	16
259.	सानी	8
260.	दरम	80
261.	मसूंचीवाड़ी	8
262.	दफलापर	8
263.	तम्बवे	80
264.	अंकाली	80

क्र. सं.	एक्सचेंज का नाम	सज्जित क्षमता
265.	वाल्वा	80
266.	खानापुर	8
267.	नगाज	80
268.	बेदास	64
269.	मनेराजूरी	8
270.	खानापुर	8
271.	जरांदी	80
272.	चरन	80
273.	मसवाड़	80
274.	मंडव	88
275.	शिखर सिंहनापुर	88
276.	फलतान	88
277.	किडगांव	88
278.	बिदी	88
279.	ससवोडे	88
280.	बुद्ध	8
281.	साखरवाड	80
282.	लिंब	80
283.	शेतफल	80
284.	बीरवाड़ी	56
285.	अकाशी	80
286.	धरोती	80
287.	सेनवा	88
288.	तालासारी	88
289.	सरावली	88
290.	दोलखंब	88
291.	करांजा	80
292.	हिंगनघाट	352
293.	समुद्रपुर	184
294.	थानेगांव	80
295.	अंतोरा	80
296.	लोही	88
297.	शेम्बल-पिम्परी	56
298.	बाड़ेगांव	88
299.	बसंत नगर	88

विवरण III

31.12.94 की स्थिति के अनुसार महानगर टेलीफोन लिमिटेड, बम्बई में इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की क्षमता

एक्सचेंज (क्षेत्रवार)	सज्जित क्षमता
दक्षिण क्षेत्र	
कफ परेड़ (आरएलयू)	12000
कूपरेज–1	16000
कूपरेज–4	20000
कूपरेज–5	13600
कूपरेज–6	7000
फांउनटेन–2	16000
फांउनटेन–3	11000
सिटी–1	20000
सिटी–4	20000
सिटी–5	23000
केन्द्रीय क्षेत्र	
मांडवी	26000
मांडवी आरएलयू	7500
गामदेवी–2	23000
गामदेवी-आरएलयू	10000
मालावार हिल–3	13500
मजगांव–3	23000
मजगांव–4	12000
उत्तरी क्षेत्र	
डिकुला–4 आरएलयू	31000

एक्सचेंज (क्षेत्रवार)	सज्जित क्षमता
बरली—3	14600
प्रभादेवी—2	24000
शिवाजीपार्क आरएलयू	2000
शिवाजीपार्क आरएलयू	8000
वाडाला—2	27000
सिओन—1	16800
सिओन—2	12000
पश्चिम—I क्षेत्र	
बांदरा—1	33000
बांदरा—2	6000
खार—1	10000
खार—3	23000
विलेपारले—3	20000
अंधेरी—1	12500
अंधेरी—3	22000
वरसोवा—आरएलयू—1	12000
वरसोवा—आरएलयू—1	16000
पश्चिम—II क्षेत्र	
मारोल—3	11000
मारोल—4	21700
मारोल—5	16000
गोरेगांव	34000
गोकुलधाम आरएलयू/एमआरएलटी	14000
पश्चिम—III क्षेत्र	
मालाद—1	20000
मालाद—आरएलयू—1	8000
सामतानगर	10000
कांडिवली—1	16000
कांडिवली—2	11000
कांडिवली—3	21000

एक्सचेंज (क्षेत्रवार)	सज्जित क्षमता
कांडिवली—4	19000
बोरिवली—आरएलयू—1	14000
बोरिवली—आरएलयू—2	11000
भायान्दर आरएलयू	11000
मीरा रोड़ आरएलयू	9000
पूर्व—I क्षेत्र	
मानखुर्द—2	10000
चेम्बूर—आर एल यू	16000
घाटकोपार—2	20000
घाटकोपार—3	14000
ऊदनोज आर एल यू	4000
पोवाई—	19000
पूर्व—II क्षेत्र	
मुलुन्द—2	15000
मुलुन्द—3	17000
ठाणे—आरएलसी	5000
ठाणे—चेराई	24000
वागले एस्टेट आरएलयू	9000
मुम्बरा आर एल यू	5000
न्यू बॉम्बे क्षेत्र	
वासी—आर एल यू	13000
तुरभे—3	7500
बेलापुर—आर एल यू	6000
आबाले—आर एल यू	4000
पानवेल	8000
नदावा	160
जे. एन. पी. टी. (आरएलयू)	1000
कालामबोली	3000
उरान आरएलयू	1000
तालोजा आर एल यू	2000

एल. टी. टी. ई. की गतिविधियां

6240. **श्री सुधीर सावंत :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल. टी. टी. ई. ने दक्षिण भारत में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एल. टी. टी. ई. ने अपनी गतिविधियां चलाने हेतु धन जुटाने के लिए स्वापक औषधों का व्यापार शुरू कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या सरकार को एल. टी. टी. ई. की आई. एस. आई. के साथ सांठ-गांठ की जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) इस आशय के कोई विशिष्ट साक्ष्य नहीं है जिनसे यह पता चलता हो कि लिट्टे ने अपना कार्य-क्षेत्र दक्षिण भारत में बढा लिया हो।

(ग) और (घ) ऐसी कोई विशिष्ट सूचना नहीं है जिससे इस बात की ओर संकेत करती हो कि लिट्टे ने अपने अभियानों को चलाने के लिए धन एकत्र करने हेतु मादक पदार्थों की तस्करी शुरू कर दी हो। तथापि, संबंधित राज्यों द्वारा कड़ी नज़र रखी जा रही है।

(ङ) लिट्टे और आई. एस. आई. के बीच तालमेल होने के बारे में भी कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(च) श्रीलंका के उग्रवादियों की अवैध गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समन्वित कार्रवाई की जा रही है। यह मानते हुए कि तमिलनाडु का एक लम्बा तटीय किनारा है, फिर भी संभावित घुसपैठ की रोकथाम करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। राज्य सरकार ने समुद्री तट के साथ-साथ सशस्त्र जांच चौकियां स्थापित करके तथा सचल गश्त तैनात करके सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। इन उपायों के अलावा, नौ सेना और तट-रक्षकों द्वारा पाक की खड़ी में निरंतर चौकसी रखी जाती है।

केन्द्र सरकार ने दिनांक 14.5.94 को लिट्टे को एक गैर-कानूनी संगठन घोषित कर दिया था। लिट्टे की गतिविधियों पर काबू पाने और इस संगठन से देश को होने वाले खतरे को समाप्त करने में केन्द्र और राज्य सरकार के हाथ मजबूत होंगे।

[हिन्दी]

यमुना नदी जल का बंटवारा

6241. **कुमारी उमा भारती :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिए जल की कितनी आवश्यकता है और इस समय जल की कितनी मात्रा सप्लाई की जा रही है;

(ख) क्या दिल्ली को जल की सप्लाई यमुना नदी जल बंटवारे के लिए सम्बद्ध (पार्टी) राज्यों द्वारा किए गये समझौता ज्ञापन के अनुसार की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दिल्ली के लिए पर्याप्त जल की सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान के अनुसार दिल्ली की वर्तमान जनसंख्या जिसमें अस्थाई जनसंख्या भी शामिल है, के लिए पेय और अन्य उद्देश्यों के वास्ते जल की आवश्यकता लगभग 3180 मिलियन लीटर प्रतिदिन (700 मिलियन गैलन प्रतिदिन) है। जल उपचार संयंत्रों के लिए कच्चा जल विभिन्न स्रोतों जैसे रावी-व्यास जल, यमुना जल, रामगंगा जल और भूजल द्वारा प्रदान किया जाता है। सभी जल उपचार संयंत्रों का इष्टतम उपयोग करके दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन संस्थान द्वारा इस समय औसत लगभग 2730 लीटर प्रतिदिन (600 मिलियन गैलन प्रतिदिन) जल की आपूर्ति की जा रही है।

(ख) और (ग) यमुना के सतही प्रवाह के आबंटन के संबंध में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच हुए 12 मई, 1994 के समझौता ज्ञापन में व्यवस्था है कि मार्च से जून की अवधि के दौरान नदी के ऊपरी पहुंचों में भंडारगृहों का निर्माण होने तक दिल्ली को 0.076 बिलियन घन मीटर यमुना जल दिया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सहित लाभग्राही राज्यों के बीच यमुना जल के आबंटन के नियमन के लिए भारत सरकार द्वारा ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का गठन किया गया था तथा इस बोर्ड के निर्देशों के अनुसार दिल्ली को यह आबंटन उपलब्ध कराया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दिल्ली की वर्तमान और भावी जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पावधिक और दीर्घावधिक उपाय परिकल्पित हैं। मार्ग में होने वाली जल क्षतियों से बचने के लिए मुनाख शीर्ष से हैदर पुर तक एक पक्की वाहक प्रणाली का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। इसके द्वारा कच्चे जल की उपलब्धता बढ़ जाएगी। दिल्ली के लिए हिमाचल प्रदेश में रेणुका बाध से तथा उत्तर प्रदेश में किशाऊ और टेहरी बांधों से अतिरिक्त कच्चे जल की आपूर्ति किए जाने की भी योजना है।

[अनुवाद]

इक्विटी होल्डिंग

6242. **श्री राम नाईक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में 'इक्विटी होल्डिंग' को भारतीय प्रतिभूतियां विनियमन बोर्ड की अनुमति के बिना बेचने की पेशकश की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) महानगर टेलीफोन निगम लि. में शेयरों के विनिवेश को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और अभी तक इक्विटी शेयरों की सार्वजनिक पेशकश (पब्लिक ऑफर) नहीं की गई है।

सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना

6243. **श्री रवि राय :**
श्री चित्त बसु :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना की संरचना संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या लाभ होंगे;

(ख) क्या इस परियोजना पर कार्य रोक दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस परियोजना पर कार्य कब तक पुनः आरंभ कर दिया जाएगा;

(ङ) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) इस परियोजना की अनुमानित लागत तथा अपेक्षित मूल्यवृद्धि कितनी है;

(छ) इस परियोजना हेतु विश्व बैंक से कितनी सहायता प्राप्त हुई है;

(ज) इस परियोजना से राज्यवार कितने लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक कितने लोगों का पुनर्वास किया जा चुका है; और

(झ) शेष विस्थापितों के पुनर्वास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों के बीच एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। इसमें तीन बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं नामशः (I) सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, बिहार (II) सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना, उड़ीसा और (III) सुवर्ण रेखा वराज परियोजना, पश्चिम बंगाल। इन परियोजनाओं के सिंचाई, नगर पालिका और औद्योगिक प्रयोग संबंधी लाभ इस प्रकार है :

	(लाख हेक्टेयर में) कृष्य कमान क्षेत्र	वार्षिक सिंचाई	(मिलियन घन मीटर में) नगर पालिका और औद्योगिक प्रयोग हेतु जल
1. सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना (बिहार)	1.548	2.368	825
2. सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना (उड़ीसा)	1.09	1.875	38
3. सुवर्ण रेखा बराज परियोजना (पश्चिम बंगाल)	1.10	1.30	—

इसमें इनके निर्माण की परिकल्पना की गई है : चांडिल बांध, खरकई बराज और नहरें, दायां तट नहर और बिहार सीमा क्षेत्र में चित्रण प्रणाली सहित गलूडीहि बायां तट नहर। इनमें से चांडिल बांध (केवल बाढ़ वितरण हिस्सा) हवाबांध, गलूडीहि बराज और दायां तट नहर उड़ीसा और बिहार के संयुक्त कार्य हैं। इनके अतिरिक्त उड़ीसा में कार्यों में ये शामिल हैं : जंभीरा एवं वोरा जलाशय का निर्माण और वलादिया जलाशय का प्रतिरूपण तथा सुवर्ण रेखा मुख्य नहर वैसिया व वेतानती शाखा नहर एवं वितरण नेटवर्क प्रणाली का निर्माण।

पश्चिम बंगाल की सुवर्ण रेखा परियोजना में शामिल हैं : 21,900 क्यूसेक के अभिकल्पित बाढ़ जल को आगे बहाने के लिए सुवर्ण रेखा नदी पर 614.43 मीटर लंबे वराज, बाएं तट पर 10 क्यूसेक की निस्सरण क्षमता वाले एक मुख्य नियामक, 109 क्यूसेक के मुख्य निस्सरण वाली 19.3 किलोमीटर लंबी बायां तट पक्की नहर और उक्त नहर की एक वितरण प्रणाली का निर्माण।

(ख) से (घ) इस परियोजना पर कार्यों को अभी नहीं छोड़ा गया है किंतु विश्व बैंक सहायता से हट जाने के पश्चात् 1989-90 से निधियों की कमी के कारण प्रगति धीमी है।

(ङ) सुवर्ण रेखा बहु-प्रयोजिनी निर्माण के उन्नत स्तर पर है और मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार इस परियोजना के विभिन्न घटकों का निर्माण कार्य इस प्रकार पूरा किया गया है :

(एक)	चांडिल बांध	97% (द्वार लगाने को छोड़कर)
(दो)	इचा बांध	30%
(तीन)	गलूडीहि वराज	98% (द्वारों को लगाने के सिवायाद्वार आंशिक रूप से लगाए गए हैं)
(चार)	खरकई वराज	शून्य
(पांच)	चांडिल (बायां तट नहर)	70%
(छः)	इचा (बायां तट नहर)	30%
(सात)	गलूडीहि (दायां तट नहर)	70%
(आठ)	इचा (दायां तट नहर)	50%
(नौ)	गलूडीहि (बायां तट नहर)	शून्य
(दस)	खरकई नहर	25%

उड़ीसा में जंभीरा बांध का निर्माण उसकी सिंचाई क्षमता (3500 हेक्टेयर) के एक हिस्से को शीघ्र प्राप्त करने के लिए एक खंडित भाग तक किया जा

रहा है। 16.50 किलोमीटर की लंबाई में चेतानती शाखा नहर और सुवर्ण रेखा मुख्य नहर का निर्माण प्रगति पर है।

(च) सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, बिहार की अनुमानित लागत (1990 के मूल्यों पर) 1486.82 करोड़ रुपए हैं। सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना, उड़ीसा की अनुमानित लागत (1993 के मूल्यों पर) 1013.68 करोड़ रुपए हैं और सुवर्ण रेखा वराज परियोजना, पश्चिम बंगाल की अनुमानित लागत (1987 के मूल्यों पर) 226.83 करोड़ रुपए हैं। परियोजना लागत और वृद्धि की सामान्य प्रवृत्ति लगभग 10 प्रतिशत सालाना है।

(छ) विश्व बैंक ने सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना के लिए 116.3 मिलियन स्पेशल ड्राइंग राइट्स (लगभग 127 मिलियन अमेरिकी डालर) की राशि प्रदान की है। इस परियोजना के संबंध में क्रेडिट करार 17 अगस्त, 1982 से 13 अप्रैल, 1989 तक प्रभावी था। सहायता की पूरी तरह प्रतिपूर्ति कर दी गई।

(ज) और (झ) बिहार में इस परियोजना के चांडिल और इचा जलाशयों से 14,164 परिवार प्रभावित हुए थे जिनमें से 4349 परिवारों को भूमि और गृह मुआवजे तथा स्थानांतरण प्रभारों का भुगतान कर दिया गया है। इनमें से 3583 परिवारों को घर बनाने के लिए अनुदान का भुगतान भी किया गया है। उड़ीसा में सुवर्ण रेखा परियोजना के निर्माण से 9044 परिवार प्रभावित होंगे जिनमें से जल मग्नता के पहले फेज के तहत आने वाले 7 गांवों के 813 परिवारों ने पुनर्वास सहायता प्राप्त की है।

सिंचाई राज्यों का विषय है। परियोजनाओं का प्रतिपादन, वित्त पोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से किया जाता है। पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन कार्य भी राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आते हैं। केंद्रीय सहायता एकमुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है जो विकास अथवा परियोजना के किसी विशेष क्षेत्र से संबद्ध नहीं होती है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

6244. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात में महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष छात्रवृत्ति के रूप में दी गई धनराशि ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : गुजरात सरकार को पिछले दो वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन दी गई केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार है :

(रु. लाख)

वर्ष	दी गई केन्द्रीय सहायता		
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1993-94	292.28	89.571	381.851
	(वर्ष 1992-93 के 7.543 लाख रु. के बकाया सहित)		
1994-95	288.85	538.259	827.109
	(वर्ष 1993-94 के 307.399 लाख रु. के बकाया सहित)		

विदेशी फर्मों का नियोजन

6245. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरसंचार विभाग ने विभिन्न सेवाओं के लिए परिचालन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में अब तक विदेशों में स्थित कितनी और किन-किन फर्मों को नियोजित किया है;

(ख) क्या ये फर्में सरकार से संचार को विभिन्न प्रणालियों में और अधिक भागीदारी देने का आग्रह कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) दूरसंचार विभाग द्वारा दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई विदेशी फर्म नियोजित नहीं की गई है। तथापि, दूरसंचार विभाग ने देश में विभिन्न मूल्यवर्धित दूरसंचार सेवाओं का प्रचालन करने के लिए कई भारतीय कंपनियों को प्रचालन-लाइसेंस प्रदान किए हैं तथा उनमें से कई कंपनियों द्वारा विदेशी कंपनियां सहयोगकर्ता अथवा संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में नियोजित हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निधियों का कथित दुरुपयोग

6246. **श्री राजेन्द्र कुमार बर्मा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विकलांगों के कल्याण में लगे संगठनों द्वारा धन के कथित दुरुपयोग के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी पाए गए संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ङ) जी, हां।

विकलांगों के कल्याण के लिए निम्नलिखित संगठनों के संबध में निधियों के दुर्विनियोजन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी :

1. हरिजन आदिवासी महिला सेवा संस्थान, बाम भारती, पूर्णिया, बिहार

2. बापू जी अंग विकलांग सेवा संघ, चित्रदुर्ग के कर्नाटक के चंलीखेर स्थित परियोजना के बारे में।

सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा जांच की गई थी, जिसके आधार पर उनके लिए सहायता अनुदान निर्मुक्त की सिफारिश नहीं की गई। अतः कल्याण मंत्रालय द्वारा उपरोक्त संगठनों के सहायता अनुदान को रोक दिया गया था।

उत्तर प्रदेश में पंचायतों को टेलीफोन सुविधा

6247. **श्री नरेश कुमार बालियान :**
डॉ. लाल बहादुर रावल :
श्री राम पाल सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिला-वार कितनी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा है और कितनी पंचायतों में यह सुविधा नहीं है;

(ख) क्या सरकार ने सभी पंचायतों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सुविधा युक्त एवं टेलीफोन सुविधा बिना पंचायत ग्रामों की संख्या क्रमश 22633 एवं 51154 है। जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) जी हां। सरकार ने 1994 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति को स्वीकार किया है जिसमें वर्ष 1997 तक पंचायत ग्रामों सहित सभी ग्रामों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

31.3.1995 की स्थिति के अनुसार देश के कुल 243555 पंचायत ग्रामों में से 155410 पंचायत ग्रामों में यह सुविधा प्रदान कर दी गई है।

विवरण

31.3.1995 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सुविधा युक्त एवं विहिन पंचायत ग्रामों की स्थिति

क्र. सं.	जिला का नाम	पंचायत ग्रामों की कुल सं.	टेलीफोन सुविधा युक्त पंचायत ग्रामों की कुल सं.	टेलीफोन सुविधा विहिन पंचायत ग्रामों की कुल सं.
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	2366	792	1574
2.	आजमगढ़	2400	443	1957
3.	आगरा	797	712	85
4.	अलीगढ़	1498	688	810
5.	अल्मोड़ा	1360	284	1076
6.	बलिया	1077	512	565
7.	बस्ती	2220	322	1898
8.	बांदा	807	288	519
9.	बहराइच	1631	352	1279
10.	बाराबंकी	1556	404	1152
11.	बरेली	1324	361	963
12.	बिजनौर	1227	443	684
13.	बुलंदशहर	1233	506	727
14.	बदायूं	1415	357	1058
15.	चमोली	632	258	374
16.	देहरादून	252	174	78
17.	देवरिया	2602	399	2203
18.	इटावा	1129	398	731
19.	एटा	1200	440	760

1	2	3	4	5
20.	फिरोजाबाद	645	128	517
21.	फैजाबाद	1840	444	1396
22.	फर्रूखाबाद	1177	371	806
23.	फर्रूखाबाद	1035	184	851
24.	गोरखपुर	1260	262	998
25.	गोंडा	2213	443	1770
26.	गाजीपुर	1287	306	981
27.	गाजियाबाद	608	505	103
28.	हरिद्वार	327	221	106
29.	हरदोई	1483	280	1203
30.	हमीरपुर	691	223	468
31.	जौनपुर	2052	483	1569
32.	झांसी	602	254	348
33.	जालौन	669	215	454
34.	कानपुर सिटी	192	148	44
35.	कानपुर देहात	1217	444	873
36.	लखनऊ	646	555	81
37.	लखीमपुर	1213	387	826
38.	ललीतपुर	448	85	363
39.	मैनपुरी	647	187	460
40.	मिर्जापुर	973	240	733
41.	मऊ	703	440	263
42.	महीरजगंज	1400	160	1240
43.	मेरठ	832	832	शून्य
44.	मुरादाबाद	1822	438	1384
45.	मुजफ्फरनगर	762	706	56
46.	मथुरा	714	362	352
47.	नैनीताल	779	430	349
48.	पिलीभीत	736	114	622
49.	पिथौरागढ़	827	178	649
50.	पौड़ी	1214	286	928

1	2	3	4	5
51.	प्रतापगढ़	1530	203	1327
52.	रायबरेली	1334	286	1048
53.	रामपुर	696	131	565
54.	सहारनपुर	934	615	319
55.	सुल्तानपुर	1730	502	1236
56.	सीतापुर	1556	279	1277
57.	शाहजहांपुर	1409	281	1128
58.	सिद्धार्थनगर	1491	177	1314
59.	सोनभद्र	586	147	439
60.	टिहरी	822	202	620
61.	उत्तरकाशी	337	61	276
62.	उन्नाव	1420	565	855
63.	वाराणसी	2194	740	1454
	कुल	73787	22633	51154

ऑप्टीकल फाइबर केबल

6248. **श्री केसरी लाल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऑप्टीकल फाइबर केबलों की सप्लाई के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए निर्धारित शर्तें क्या हैं;

(ग) किन-किन कम्पनियों ने निविदाएं भेजी हैं;

(घ) सरकार ने किन-किन कम्पनियों की निविदाएं स्वीकृत की हैं; और

(ङ) किन-किन कम्पनियों की निविदाएं स्वीकृत नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं;

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित आकारों तथा परिमाणों के ऑप्टिकल फाइबल केबल और सहायक सामग्रियों के प्रापण के लिए दिनांक 2.2.1995 को निविदा आमंत्रित की गई थी :

(एक)	24 फाइबर	2500 कि. मी.
(दो)	12 फाइबर	12575 कि. मी.
(तीन)	6 फाइबर	1150 कि. मी.

निविदा 6.4.1994 को खोली गई थी। निविदा की शर्तें बोली-दस्तावेज में दी गई हैं और यह समूल्य प्रकाशन है।

(ग) निम्नलिखित 18 कम्पनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए :

1. मैसर्स सुराना टेलीकॉम लिमिटेड
2. मैसर्स एडवांस्ड रेडियो मास्ट्स लिमिटेड
3. मैसर्स हिंदुस्तान केबल्स लिमिटिड
4. मैसर्स सीमेन्स लिमिटिड
5. मैसर्स बिरला एरिक्सन ऑप्टिकल लिमिटिड
6. मैसर्स ऑपटेल टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड
7. मैसर्स अक्ष इंडिया लिमिटेड
8. मैसर्स यूनीफलेक्स केबल्स लिमिटेड
9. मैसर्स प्लासमैक मशीन मैनुफैयरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड।
10. मैसर्स विकास हाइब्रिड्स एंड इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
11. मैसर्स आई टी आई लिमिटेड
12. मैसर्स भिलाई वायर्स लिमिटेड
13. मैसर्स आर पी जी टेलीकॉम लिमिटेड
14. मैसर्स स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (आई) लिमिटेड

15. मैसर्स गुजरात ऑप्टिकल कन्यूनिकेशन लिमिटेड

16. मैसर्स वैस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड

17. मैसर्स इंडस्ट्रियल केबल्स इंडिया

18. मैसर्स टेलीफोन केबल्स लिमिटेड

(घ) निम्नलिखित कंपनियों की निविदाएं खोली गई :

1. मैसर्स हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड

2. मैसर्स सीमेन्स लिमिटेड

3. मैसर्स बिरला एरिक्सन ऑप्टिकल लिमिटेड

4. मैसर्स ऑपटेल टेलीकम्यूनिकेशन्स लिमिटेड

5. मैसर्स अक्ष इंडिया लिमिटेड

6. मैसर्स यूनीफलेक्स केबल्स लिमिटेड

7. मैसर्स विकास हाइब्रिड्स एंड इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

8. स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड

उपर्युक्त कंपनियों के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ङ) निम्नलिखित कंपनियों की निविदाएं नहीं खोली गई क्योंकि निविदा में आप्टिकल फाइबर केबल के टाइप अनुमोदन के संबंध में निर्धारित पात्रता शर्त के अनुसार इन कंपनियों को भाग लेने के लिए पात्र नहीं माना गया था।

1. मैसर्स सुराना टेलीकॉम लिमिटेड

2. मैसर्स एडवांसड् रेडिया मास्ट्स लिमिटेड

3. मैसर्स प्लासमैक मशीन मैनुफेक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

4. मैसर्स आई टी आई लिमिटेड

5. मैसर्स भिलाई वायर्स लिमिटेड

6. मैसर्स आर पी जी टेलीकॉम लिमिटेड

7. मैसर्स गुजरात ऑप्टिकल कम्यूनिकेशन लिमिटेड

8. मैसर्स वैस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड

9. मैसर्स इंडस्ट्रियल केबल्स इंडिया

10. मैसर्स टेलीफोन केबल्स लिमिटेड

गरीबी उन्मूलन

6249. **श्री हरि केवल प्रसाद : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से गरीबी उन्मूलन के लिए कोई कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न सरकारी विभागों को धनराशि देने के संबंध में कोई अधिसूचना जारी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकरण और आचार संहिता को प्रभावी बनाने हेतु गठित कार्यदल की रिपोर्ट मिल गई है; और

(च) यदि हां, तो इस दल की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख) गरीबी उन्मूलन योजना विकास का एक केन्द्रीय उद्देश्य है। गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से देश में गरीबी उन्मूलन के लिए विशेष तौर पर किसी कार्य योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। फिर भी, ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका भली-भांति ज्ञात है। विभिन्न गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण विकास स्कीमों के अंतर्गत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों के वित्त पोषण के लिए विशेष रूप से कापार्ट बनाया गया था। कापार्ट का बजट 1986-87 में 11.68 करोड़ रुपये से बढ़कर 1995-96 में 75.01 करोड़ रुपये हो गया है। कापार्ट ने अब तक 5069 स्वयंसेवी एजेंसियों को 226.54 करोड़ रुपये दिए हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न सरकारी विभागों को निधियां देने के संदर्भ में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

(ङ) और (च) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता

6250. **श्री चित्त बसु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों, विशेष रूप से मिट्टी के तेल पर राजसहायता में काफी कमी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई परियोजनाएं

6251. **श्री राम कृष्ण कौसला : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार को 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान चालू सिंचाई परियोजनाओं, नहरों के निर्माण एवं सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किया जाएगा;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार से कोई विशेष सहायता मांगी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान आन्ध्र प्रदेश को निर्माणाधीन बड़ी मझौली और विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा क्रमशः 312.51 करोड़ रुपए और 325.55 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है 1995-96 के लिए योजना परिव्यय को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) हाल ही में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने धर्मवरम नहर, जो विस्तार की गयी तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर चरण--II का एक घटक है, के शेष कार्य पूरा करने के लिए 15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गई क्योंकि विस्तार की गई तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर चरण--II की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित नहीं की गई थी।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत	मार्च, 95 तक व्यय (प्रत्याशित)	चरम सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)	1994-95 तक सृजित	पूरा करने का संभावित वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
	क. चालू परियोजनाएं					
	बृहद					
1.	श्री राम सागर	1519.15	934.64	411.00	292.00	1998-99
2.	श्रीसैलम दायां तट नहर	1185.58	474.12	76.89	—	1997-98
3.	नागार्जुन सागर	864.00	784.67	895.25	217.34	1997-98
4.	गोदावरी बराज (एस. ए. वी. सी.)	158.00	162.31		स्थिरीकरण	1996-97
5.	सिंगुर	130.42	148.12	16.00	जल आपूर्ति योजना	1996
6.	येल्लेरू जलाशय चरण--I	335.34	249.12	27.30	स्थिरीकरण	1996-97
7.	सोमेसिला	296.00	232.84	38.48	10.50	1996-97
8.	टी. बी. पी. एच. एल. सी. चरण--II	193.00	152.74	89.62	49.69	1997
9.	वम्सधारा चरण I	73.85	61.41	20.13	17.14	1996-97
10.	निजाम सागर	34.36	20.34		18.14	1996-97
11.	प्रियादर्शनी जुराला	275.00	221.78	44.40	1948	1996-97

1	2	3	4	5	6	7
12.	पुलीवेंदुला शाखा नहर	26.78	21.76	24.28	10.13	1996-97
13.	तेलगु गंगा	465.00	818.21	233.00	—	आठवीं योजना से आगे
14.	श्री सैलम लिफ्ट वायां शाखा नहर	1060.00	68.38	121.41	—	—वही—
15.	चम्सधारा चरण—II	410.74	7.04	43.40	—	—वही—
	ख. चल रही परियोजनाएं					
	मध्यम					
1.	थम्मीलेरू	9.83	10.57	2.79	2.77	आठवीं योजना
2.	गुंडलावागू	7.22	6.34	1.05	14.63	1995-96
3.	थन्डावा	17.20	12.08	14.83	4.32	1996-97
4.	कानपुर	21.30	15.51	17.81	8.50	1996-97
5.	छेय्यरू	33.50	19.77	7.90	1.00	1998-99
6.	वर्धाराजेश्वरी गुडी	18.21	9.62	4.17	—	आठवीं योजना से आगे
7.	बुग्गावंका	25.96	11.99	5.20	—	आठवीं योजना
8.	यैराकालवा	43.24	26.89	9.10	—	आठवीं योजना से आगे
9.	झंझावती	48.50	18.50	9.24	—	आठवीं योजना
10.	आंध्र जलाशय	16.89	8.18	1.42	—	आठवीं योजना
11.	मद्दूवालसा	49.47	19.47	6.47	1.46	आठवीं योजना से आगे
12.	वेंगालराया सगाराम	27.48	24.08	6.72	4.35	1995-96
13.	वोट्टीवागू	38.06	15.51	9.91	0.02	आठबीं योजना
14.	साथनाला	25.75	18.74	9.71	8.53	आठवीं योजना
15.	तालीपेरू	38.37	30.15	14.05	8.41	1996-97
16.	मद्दीगुड्डा	4.69	4.48	2.43	1.62	1995-96
17.	अपर कुलासानाला	22.26	7.66	4.13	1.00	आठवीं योजना
18.	छालामलावागू	22.99	5.21	2.60	—	आठवीं योजना
19.	मद्दीलेरू	28.56	3.78	5.21	—	आठवीं योजना

कोयला भंडार

6252. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पुरूलिया और जांकुरा जिलों में दामोदर नदी के दाएं किनारे में विशाल कोयला भण्डार पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां खोज कार्य शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) इस संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल की पुरूलिया तथा बंकुरा जिलों में रानीगंज कोयला क्षेत्र में दामोदर घाटी के दाहिने किनारे पर कोयले के स्थायी तौर पर 1463 मि. ट. कोयले के भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। इसलिए को. इ. लि. ने अपने विस्तृत अन्वेषण के माध्यम से लगभग 500 मि. टन भंडारों को प्रमाणित किया है। इसके अलावा, को. इ.

लि. ने वर्ष 1995-96 के दौरान परबेलिया मधुबंद क्षेत्र में विस्तृत अन्वेषण किए जाने का कार्यक्रम बना लिया है।

[हिन्दी]

उपग्रह प्रणाली

6253. **श्री फूलचंद वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को अपना उपग्रह संचार नेटवर्क की स्थापना करने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं तथा इस नेटवर्क के लिए टैरिफ ढांचा क्या होगा; और

(ग) इस प्रकार के नेटवर्क के लिए आवश्यक भू-केंद्र के स्वामित्व, रख-रखाव एवं परिचालन के संबंध में दूरसंचार विभाग की क्या भूमिका होगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र यूनिटों को मामला दर मामला आधार पर इनसेट प्रणालियों के माध्यम से अपने स्वयं के अधीनवर्ती (कैप्टिव) उपग्रह व्यापार संचय नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति दी जा रही है।

(ख) उपग्रह आधारित अधीनवर्ती नेटवर्क की प्रमुख शर्तों निबंधनों तथा मौजूदा शुल्क-दर ढांचे के ब्यौरे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं।

(ग) अधीनवर्ती उपग्रह संचार नेटवर्क के लिए आवश्यक भू-केन्द्रों के स्वामित्व के अधिकारों उनके संस्थापन, अनुरक्षण तथा प्रचालन के मामले में दूरसंचार विभाग की भूमिका का उल्लेख संलग्न विवरण-II में किया गया है।

विवरण I

इनसेट के माध्यम से अधीनवर्ती उपग्रह संचार संबंधी विस्तृत मार्ग-निर्देश

दूरसंचार विभाग ने उदयीमान संगठनों के समर्पित प्रयोग के लिए आवश्यक भू-केन्द्रों के स्वामित्व, संस्थापना, अनुरक्षण तथा प्रचालन के मामले में पूर्णतः लचीला रूख अपनाया है। ऐसे भू-केंद्रों में शामिल हो सकते हैं :

(क) दूरसंचार विभाग द्वारा अधिकृत संस्थापित, प्रचालित तथा अनुरक्षित।

(ख) प्रयोक्ता द्वारा अधिकृत किंतु दूरसंचार विभाग द्वारा संस्थापित प्रचालित एवं अनुरक्षित।

(ग) प्रयोक्ता द्वारा अधिकृत परन्तु दूरसंचार विभाग द्वारा संस्थापित, तदुपरांत प्रयोक्ता द्वारा प्रचालित तथा अनुरक्षित।

2. **सामान्य शर्तों एवं निबंधन** : प्रयोक्ता द्वारा भू-केन्द्र का प्रचालन एवं अनुरक्षण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :

(क) मौजूदा भारतीय तार नियमावली के अनुसार, ऐसे भू-केंद्रों से उद्भूत सर्किटों को दूर संचार विभाग के सार्वजनिक नेटवर्क से कोई सम्पर्क प्रदान नहीं किया जाता है।

(ख) प्रयोक्ता, सदैव दूरसंचार विभाग के नेटवर्क प्रचालन एवं नियंत्रण केंद्र (एन ओ सी सी) की अपेक्षाओं तथा अनुदेशों के अनुरूप व्यवहार करेगा।

(ग) अन्य किसी भी विवादग्रस्त/गैर-निर्धारित क्षेत्रों की स्थिति में भारतीय तार अधिनियम के उपबंध का पालन करना।

(घ) दूरसंचार विभाग अपने पास निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित रखेगा :

- कतिपय तात्कालिक आवश्यकता के दौरान, जनहित में अंतरिक्ष खण्ड क्षमता (स्पेस सैगमैंट कैपेसिटी) कम करना,
- कतिपय तात्कालिक आवश्यकता के दौरान, जनहित में भू-केंद्रों के प्रचालन तथा अनुरक्षण कार्य को अपने अधिकार में लेना,
- किसी भी समय प्रतिष्ठापनों का दौरा या उनका निरीक्षण करना। और
- जनहित में उपयुक्त संबर्धन युक्त सुविधा का उपयोग करना।

(ङ) दूरसंचार विभाग को उपयुक्त लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना,

(च) अतिरिक्त खंड-प्राप्ति संबंधी प्रभारों तथा दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य प्रभार का भुगतान।

3. **अधीनवर्ती नेटवर्क की शुल्क-दर**

समग्र ट्रांसपोण्डर की अनंतिम शुल्क दर प्रति वर्ष 2.75 करोड़ रु. है।

विवरण II

बंधक भू-केंद्रों के स्वामित्व, संस्थापन, अनुरक्षण तथा प्रचालन के मामले में दूरसंचार विभाग (डीओटी) की भूमिका

भले ही, प्रयोक्ताओं को उनके पास उपलब्ध मूलभूत अवसंरचना के आधार पर उपग्रह आधारित नेटवर्क की योजना उसके संस्थापन और अनुरक्षण की अनुमति दे दी गई हो, फिर भी दूरसंचार विभाग निम्नलिखित ऐसे कार्यों के प्रति सचेत रहेगा, जिसके लिए विभाग द्वारा अलग से उपयुक्त प्रभार लगाए जाएंगे–

(क) उपस्कर विनिर्देशनों सहित प्रणाली इंजीनियरी की समग्र सूक्ष्म जांच

(ख) सचिवों की इनसेट-समन्वय-समिति (आईसीसी) से संरूपण एवं पहुंच संबंधी अनुमोदन,

(ग) अन्तरिक्ष खंड (स्पेस सैगमेंट) का आवंटन

(घ) एन्टिना विवरण-पद्धति सहित नए भू-केंद्रों का अनिवार्य परीक्षण,

(ङ) प्रचालनों के दौरान नेटवर्क प्रचालन एवं नियन्त्रण केंद्र (एनओसीसी) के माध्यम से नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण;

(च) मासिक सूचना प्रणाली (एमआईएस) हेतु निष्पादन नजर रखना,

(छ) निष्पादन पैरामीटरों का लेखा जोखा तथा विश्लेषण करना,

(ज) जन शक्ति का प्रशिक्षण (वैकल्पिक),

(झ) दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिष्ठापनों के दौरे या निरीक्षण,

(ञ) प्रतिष्ठापनों के लाइसेंस देना,

प्रयोक्ता को आवृत्ति आबंटन की स्थायी सलाहकार समिति (एस ए सी एफ ए) से सीधे ही अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम क्षेत्र में परिव्यय

6254. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये योजना आयोग को कितने परिव्यय का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) योजना आयोग ने कितने परिव्यय की स्वीकृति दी है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेट्रोलियम क्षेत्र में परियोजना के कार्यान्वयन पर लागत में वृद्धि का कितना प्रभाव पड़ा है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी की जाने वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं को योजना अवधि में पूरा करने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री-(कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) मंत्रालय द्वारा आठवीं योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय 58174.42 करोड़ रुपए था।

(ख) अनुमोदित परिव्यय 26552 करोड़ रुपए है।

(ग) परियोजनाओं के अन्तर्गत लागत वृद्धि सामान्यतः अनुमोदित परियोजना अवधि कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा दर में हुए उतार चढ़ाव, सांविधिक उदग्रहणों तथा मूल्य वृद्धि जैसे स्वीकार्य पहलुओं के कारण है। कोई भी परियोजना धन की आवश्यकता अथवा धन की कमी के कारण प्रभावित नहीं हुई है।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विविध स्तरों पर स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी की जाती है तथा जानकारी में आए अवरोधों को दूर करने के संबंध में कार्रवाई की जाती है। मंत्रालय में भी एक निगरानी प्रकोष्ठ है जो क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं की मासिक प्रगति की पुनरीक्षा करता है। इसके अलावा मंत्रालय में की जाने वाली त्रैमासिक कार्यनिष्पादन पुनरीक्षा बैठकों में भी परियोजनाओं के संबंध में चर्चा की जाती है। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा पेट्रोलिय क्षेत्र परियोजनाओं सहित केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं के क्रियान्वयन की भी निगरानी की जाती है।

आन्ध्र प्रदेश में अस्थायी कनैक्शन

6255. **डा. आर. मल्लू :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जनवरी से अक्टूबर, 1994 तक की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश के तकनीकी रूप से असाध्य क्षेत्रों में अस्थायी टेलीफोन कनैक्शन जारी किए गए हैं;

(ख) क्या संसद-सदस्यों द्वारा इस संबंध में किए गए अनुरोधों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दूरसंचार सेवाएं

6256. **श्री ए. वेंकटेश नायक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में दूरसंचार सेवाएं राष्ट्रीय औसत से कम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राज्यों में राष्ट्रीय औसत के समान दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने-संबंधी कोई योजना विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) दूरसंचार सेवाओं का निष्पादन विभिन्न पैरामीटरों द्वारा मापा जाता है। सभी राज्य कुछ पैरामीटरों में औसत से अधिक निष्पादन कर रहे हैं।

(ग) और (घ) राज्यों से संबंधित विभिन्न पैरामीटरों तथा संपूर्ण राष्ट्रीय औसत में सुधार के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। निष्पादन को सर्किल स्तर पर मानीटर किया जाता है और साथ ही इसका अधिकतम स्तर बनाए रखा जा रहा है।

दूरसंचार सेवाओं में और अधिक सुधार के लिए क्रमिक वार्षिक पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सेवाओं के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण हेतु नेटवर्क में नई तथा आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों को शुरू किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खोज और ड्रिलिंग परियोजनाएं

6257. **श्री राम प्रसाद सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान क्रमशः प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रत्येक राज्य में कौन-कौन सी प्रमुख खोज तथा ड्रिलिंग परियोजनाएं पूरी की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : सर्वेक्षणों और बेधन के माध्यम से हाईड्रोकार्बनों के लिए अन्वेषण एक सतत् प्रक्रिया है। वर्ष 1992-93 , 1993-94 और 1994-95 के दौरा भूकम्पीय सर्वेक्षणों और बेधन के संबंध में ओ एन जी सी और ओ आई एल के राज्यवार कार्यनिष्पादन क्रमशः संलग्न विवरण I से VI में दिए गए हैं।

विवरण I

1992-93 के दौरान किया गया राज्यवार भूकम्पीय सर्वेक्षण

ओ एन जी सी

राज्य	1992-93		
	विभागीय		संविदात्मक
	2डी (एल एल के)	3डी (एसएस के)	(जी एल के)
भूमि पर			
आंध्र प्रदेश	3972	120	1505
आसाम और नागालैंड	2902	113	25
बिहार	559	–	–
गुजरात	7970	223	806
हिमाचल प्रदेश	707	–	–
मध्य प्रदेश	1684	–	–
राजस्थान	4832	–	–
तमिलनाडू	1220	171	1004
त्रिपुरा	485	–	–
उ. प्र.	2204	–	–
प. बंगाल	210	7	–
योग ओ एन जी सी भूमि पर	26745	634	3340

अपतटीय

	2डी (एल के)	3 डी(एल के)	संविदात्मक (एल के)
पं. तट	23670	4976	–
पूर्वी तट	4660	–	–
योग ओ एन जी सी अपतटीय	28330	4976	–

ओ. आई. एल

राज्य	1992-93		
	विभागीय		संविदात्मक
	2डी (एलएलके)	3डी (एसएस के)	(जीएलके)
भूमि पर			
आसाम और अरुणाचल प्रदेश	2900	3.5	–
राजस्थान	–	–	1113
उ. प्र.	–	–	910
ओ आई एल योग	2900	3.5	2023

विवरण II

1993-94 के दौरान किया गया राज्य-वार भूकम्पीय सर्वेक्षण

ओ एन जी सी

राज्य	1993-94		
	विभागीय		संविदात्मक
	2डी (एल एल के)	3डी (एसएस के)	(जी एल के)
भूमि पर			
आंध्र प्रदेश	2842	343	458
असम और नागालैंड	2887	136	18
बिहार	511	–	–
गुजरात	7501	364	753
हिमाचल प्रदेश	954	–	–
मध्य प्रदेश	2237	–	–
राजस्थान	2343	–	–
तमिलनाडु	3082	–	1379
त्रिपुरा	514	–	–
उत्तर प्रदेश	1288	–	–
पश्चिम बंगाल	561	58	–
योग ओ एन जी सी भूमि पर	24720	901	2608

अपतटीय

	2डी (एल के)	3डी (एल के)	संविदात्मक (एल के)
पश्चिमी तट	20899	7392	–
पूर्वी तट	4218	–	–
योग ओ एन जी सी अपतटीयः	25117	7392	–

ओ आई एल

राज्य	1993-94		
	विभागीय		संविदात्मक
	2डी (एल एल के)	3डी (एसएस के)	(जी एल के)
भूमिपर			
असम और अरूणाचल प्रदेश	2230	219	–
उत्तर प्रदेश	–	–	952
ओ आई एल (योग)	2230	219	952

ओ आई एल

राज्य	1994-95		
	विभागीय		संविदात्मक
	2डी (एस एल के)	3डी (एसएस के)	(जी एल के)
भूमिपर			
असम और अरूणाचल प्रदेश	1866	151	–
उत्तर प्रदेश	–	–	746
ओ आई एल (योग)	1866	151	746

विवरण III

1994-95 के दौरान किया गया राज्यवार भूकम्पीय सर्वेक्षण

ओ एन जी सी

राज्य	विभागीय	1993-94	संविदात्मक
	2डी (एल एल के)	3डी (एसएस के)	(जी एल के)
भूमिपर			
आंध्र प्रदेश	4091	301	–
असम और नागालैंड	3029	142	–
बिहार	555	–	–
गुजरात	11036	502	125
हिमाचल प्रदेश	915	–	–
मध्य प्रदेश	2400	–	–
राजस्थान	2564	–	–
तमिलनाडु	5271	–	456
त्रिपुरा	480	–	–
उत्तर प्रदेश	474	–	–
पश्चिम बंगाल	706	57	–
योग ओ एन जी सी तटीय	31521	1002	581

अपतटीय

	2डी (एल के)	3डी (एल के)	संविदात्मक (एल के)
पश्चिमी तट	16356	22902	–
पूर्वी तट	896	–	–
योग ओ एन जी सी अपतटीय	17152	22902	–

विवरण IV

1992-93 के दौरान वेधन किया गया राज्य बार मीट्रेज (000 मीटर)

राज्य	1992-93		
	अन्वेषणात्मक	विकास	योग
I. ओ एन जी सी			
क. भूमिपर			
गुजरात	187.77	230.76	418.53
राजस्थान	8.91	0.45	9.36
आसाम	28.43	117.96	146.39
नागालैंड	11.12	2.87	13.99
मेघालय	2.16	–	2.16
मिजोरम	1.90	–	1.90
प. बंगाल	4.72	–	4.72
त्रिपुरा	11.30	–	11.30
बिहार	0.59	–	0.59
आंध्र प्रदेश	48.75	12.13	60.88
तमिलनाडु	71.61	3.02	74.63
हिमाचल प्रदेश	1.23	–	1.23
उ. प्र.	1.18	–	1.18
ख. अपतटीय			
कॅम्बे की खाड़ी	8.32	–	8.32
पूर्वी तट	24.80	4.00	28.80
पश्चिमी तट	151.35	70.81	222.16
योग ओ एन जी सी (तटीय+अपतटीय)	564.14	442.0	1006.14

II ओ आई एल (000 मीटर)

राज्य	1992-93		
	अन्वेषणात्मक	विकास	योग
क. भूमिपर			
आसाम और अरूणाचल प्रदेश	21.865	74.241	96.106
राजस्थान	3.062	–	3.062
ख. अपतटीय	–	–	–
योग ओ आई एल (तटीय+अपतटीय)	24.927	74.241	99.168

विवरण V

1993-94 के दौरान वेधन किया गया राज्य वार मीट्रेज (000 मीटर)

राज्य	1993-94		
	अन्वेषणात्मक	विकास	योग
I. ओ एन जी सी			
क. भूमिपर			
गुजरात	154.73	290.91	445.64
राजस्थान	5.71	1.12	6.83
असम	31.67	132.33	164.00
नागालैंड	9.36	5.26	14.64
मेघालय	0.38	–	0.38
मिजोरम	0.12	–	0.12
प. बंगाल	3.96	–	3.96
त्रिपुरा	12.86	–	12.86
आंध्र प्रदेश	57.70	1.37	59.07
तमिलनाडु	59.25	10.68	69.93
ख. अपतटीय			
पूर्वी तट	35.21	–	35.21
पश्चिमी तट	61.06	263.43	324.49
योग ओ एन जी सी (तटीय+अपतटीय)	432.03	705.10	1137.13

II ओ आई एल (000 मीटर)

राज्य	1993-94		
	अन्वेषणात्मक	विकास	योग
क. भूमिपर			
असम और अरूणाचल प्रदेश	31.594	67.553	99.147
राजस्थान	6.502	–	6.502
ख. अपतटीय	–	–	–
योग ओ आई एल (तटीय+अपतटीय)	38.096	67.553	105.649

विवरण VI

1994-95 के दौरान वेधन किया गया राज्य वार मीट्रेज (000 'मीटर)

राज्य	1994-95		
	अन्वेषणात्मक	विकास	योग
1. ओ एन जी सी			
क. भूमिपर			
गुजरात	202.952	252.4	456.352
राजस्थान	4.368	–	4.368
मध्य प्रदेश	1.424	–	1.424
असम	59.378	113.83	173.208
नागालैंड	1.535	0.563	2.098
पश्चिमी बंगाल	4.187	–	4.187
त्रिपुरा	15.587	–	15.587
आंध्र प्रदेश	51.848	10.043	61.891
तमिलनाडु	59.439		–59.439
ख. अपतटीय			
पूर्वी तट	21.36	–	21.36
पश्चिमी तट	94.782	87.974	182.756
योग ओ एन जी सी (तटीय+अपतटीय)	516.86	464.81	981.67

II ओ आई एल (000 मीटर)

राज्य	1994-95		
	अन्वेषणात्मक	विकास	योग
क. भूमिपर			
असम और अरूणाचल प्रदेश	16.839	60.889	77.728

राज्य	1994-95		
	अन्वेषणात्मक	विकास	योग
राजस्थान	9.979	–	9.979
ख. अपतटीय	–	–	–
योग ओ आई एल (तटीय+अपतटीय)	26.818	60.889	87.707

विस्तार योजना

6258. **डा॰ अमृतलाल कालिदास पटेल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन का गुजरात राज्य में अपनी सेवाओं का विस्तार करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की विस्तार योजना की मुख्य परियोजनाएं निम्नवत् हैं :

	परियोजना	लागत अनुमान (करोड़ रुपए में)
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड		
(एक)	गुजरात रिफाइनरी में 3 एम एम टी पी ए विस्तार	624.00
(दो)	अहमदाबाद में 66 टी एम टी पी ए क्षमता वाले एल पी जी भरण संयंत्र	37.39
(तीन)	गांधार में 68 एम एम टी पी ए क्षमता वाला एल पी जी भरण संयंत्र	36.28
(चार)	कांडला की 600 टी एम टी पी ए क्षमता की एल पी जी आयात सुविधाएं	160.82
(पांच)	हजीरा में 51.000 कि. ली. टैंकेज सहित नया विपणन टर्मिनल	40.84
(छः)	भावनगर में 44 टी एम टी पी ए क्षमता वाला एल पी जी भरण संयंत्र	37.53
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड		
(एक)	सिक्का में विपणन टर्मिनल	603.30
(दो)	वाडीनार में कच्चे तेल का टर्मिनल मध्य भारत रिफाइनरी परियोजना	411.00
(तीन)	ओखा में पेट्रोलियम उत्पादों की साज-संभाल/ आयात के लिए मूलभूत सुविधाएं	15.00

विशेष केन्द्रीय सहायता

6259. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुदान/आसान शर्तों के ऋण के रूप में 500 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्र द्वारा सामना की जा रही वित्तीय बाधाओं के कारण और समग्र माइक्रो-आर्थिक प्राथमिकताओं जैसे स्फीति नियंत्रण तथा वित्तीय घाटे में कमी करने के कारण, अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है।

चौबीसों घंटे का दूरदर्शन चैनल

6260. **श्री तारा सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौबीसों घंटे की दूरदर्शन सेवा आरंभ करने को कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक आरंभ कर दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰ पी॰ सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। । दूरदर्शन अंतर्राष्ट्रीय सेवा जो उपग्रह चैनल होगी, को पी. ए. एस. 4 उपग्रह जिसे इस वर्ष छोड़ा जाना निर्धारित है, पर ट्रांसपोंडरों को किराए पर लेकर शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) वर्तमान में इस प्रयोजनार्थ कोई निश्चित समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में कोयला खानें

6261. **श्री बीर सिंह महतो :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कोयला खानों का ब्यौरा क्या है और इन खानों में कितने श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) 1993-94 के दौरान इन खानों से कितने कायेले का उत्पादन हुआ; और

(ग) 1992-93 की तुलना में 1993-94 में इन खानों को कितना मुनाफा हुआ ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.) से प्राप्त सूचना के अनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. तथा भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा पश्चिम बंगाल में चलाई जा रही खानों के संबंध में खानों के ब्यौरे, श्रमशक्ति, उत्पादन तथा उठाए गए घाटे को नीचे दर्शाया गया है :

कंपनी	खानों की संख्या	श्रमशक्ति	1993-94 के दौरान उत्पादन (मि. ट.)	कमाया गया लाभ (+) 1992-93	उठाया गया घाटा(-) 1993-94 (करोड़ रु. में)
ई.को.लि.	110	1,32,802	15.42	(-) 231.18	(-) 316.25
भा.को.को.लि.	3	2,829	0.90	(+) 9.55	(-) 7.29

सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

6262. **श्री दत्ता मेघे** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की समस्त सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिए कोई विशेष सहायता प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने 27.66 करोड़ रुपए के परिव्यय पर आठवीं योजना में 7 बड़ी परियोजनाओं नामशः कृष्णा नहर का विस्तार, खोड़सी में गेटवाला वीयर, संगोला शाखा नहर, भाटघर का सुदृढ़ीकरण, दरना का सुदृढ़ीकरण, एकरूख का सुदृढ़ीकरण और राधानागरी का सुदृढ़ीकरण के लिए विस्तार/नवीकरण प्रस्ताव शामिल किये हैं। पुरानी बड़ी परियोजनाओं और पुरानी मझौली परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए महाराष्ट्र की आठवीं योजना में 20 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। इनमें से, योजना आयोग ने घाटघर परियोजना के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव को 4.66 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर मई, 1977 में निवेश स्वीकृति दी थी। केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी आर्थिक जांच के पश्चात् संगोला शाखा नहर परियोजना को 37.01 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर सलाहकार समिति द्वारा मई, 1989 में इस शर्त पर स्वीकार पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल चयन बोर्ड

6263. **श्री राम निहोर राय** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम, डीजल, रसोई गैस और मिट्टी के तेल की डीलरशिप आबंटित करने के लिए तेल चयन बोर्डों का गठन किया है;

(ख) क्या सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान कुछ बोर्डों को भंग कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों के तेल चयन बोर्डों को भंग किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) अप्रैल, 1994 से अप्रैल, 1995 तक की अवधि के दौरान राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के तेल चयन बोर्डों को असंतोषजनक कार्य निष्पादन के कारण बरखास्त कर दिया गया।

[हिन्दी]

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

6264. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने आन्ध्र प्रदेश की सरकार को गुरूत्वाकर्षण, चुंबकीय तथा भूकंपीय सर्वेक्षणों और बेसिन में अब तक खोदे गए कुओं के संबंध में सारी रिपोर्टें भेद दी है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने कावेरी-गोदावरी बेसिन में तेल और गैस की परीक्षण/विकास ड्रिलिंग तथा उत्पादन के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डी. पी. आर.) भी भेज दी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) ओ एन जी सी आंध्र प्रदेश के राज्य कार्यक्रम बोर्ड को अन्वेषण क्रियाकलापों के संबंध में प्रतिवर्ष एक नोट प्रस्तुत करता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। चूंकि ऐसा करने की कोई सांविधिक आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह नहीं भेजी गई हैं।

अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

6265. **डा॰ मुमताज अंसारी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1995-96 के दौरान अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक योजना पर 1995-96 के दौरान कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पुलिस कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

6266. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों में विभिन्न श्रेणियों के पुलिस-कर्मियों के लिए पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रणाली पर एक आदर्श नियमावली तैयार करने तथा लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों की कार्यप्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन किए जाने की संभावना है; और

(घ) केन्द्र तथा राज्यों में पुलिस-कर्मियों के लिए सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपने पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु एक आदर्श पाठ्य तालिका संस्तुत की गई है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध मार्ग दर्शन और वित्तीय सहायता के अनुसार अपने प्रशिक्षण संस्थानों के कार्य-कलापों में सुधार करें। केन्द्र तथा राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यकलापों की पुनरीक्षा, एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें, विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों द्वारा सुझाए गए सुधारों/परिवर्तनों को शामिल करने के साथ-साथ केन्द्रीय तथा राज्य स्तरीय नीति निर्माता प्राधिकारियों के बीच पारस्परिक ताल-मेल को शामिल किया जाता है।

सिंचाई परियोजनाएं

6267. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने आन्ध्र प्रदेश सिंचाई-दो परियोजना के कार्यान्वयन पर नई आपत्तियां उठाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश सिंचाई-तीन परियोजना के लिए विश्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना पर 271.00 मिलियन अमेरिकी डालर की विदेशी सहायता के लिए 28.5.86 को हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना 30 जून, 1994 को समाप्त हो गई हैं। बैंक ने परियोजना पर कार्यान्वयन समाप्ति रिपोर्ट तैयार की है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो परियोजना के समाप्त होने पर बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से की जाती है। राज्य सरकार, कार्यान्वयन अभिकरण होने के नाते इसका अंतिम मूल्यांकन यथासंभव पूरा करेगी जिसमें परियोजना के अगले चरण जो प्रतिपादन के उन्नत स्तर पर है में प्रारम्भ की जाने वाली कार्रवाइयों का उल्लेख किया जायेगा।

(घ) आन्ध्र प्रदेश III सिंचाई परियोजना 1540 करोड़ रुपए की विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने के लिए पहले ही प्रतिपादन के उन्नत स्तर पर है जिसका कार्यान्वयन 5 वर्ष की अवधि में किया जाना है। राज्य सरकार कुछ मामलों जैसे परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम, संशोधित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिनों के अनुरूप अध्ययन, कुछ कार्रवाइयों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है इससे सितम्बर, 1995 में बैंक द्वारा अंतिम मूल्यांकन करने में सुविधा होगी, जिससे नई परियोजना की बातचीत के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

[हिन्दी]

बच्चों के साथ बलात्कार

6268. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय-सरकार का विचार देश में बच्चों के साथ बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को कठोर दण्ड देने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा विधेयक कब तक पुरःस्थापित किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार करने वालों को कड़ा दंड देने के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 तथा 376 में पहले से ही प्रावधान है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना

6269. **डा. कृपा सिन्धु भोई** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना के दूसरे

चरण का कार्य हाथ में लेने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना का पहला चरण पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना के पहले चरण और दूसरे चरण में हाथ में ली गई और ली जाने वाले योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ङ) विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना चरण-I के तहत 10 भागीदार राज्यों में 89 योजनाएं शुरू की गई थीं। राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना चरण-I अब 31.3.1995 को समाप्त हो गई है। विवरण संलग्न है।

सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना का दूसरा चरण शुरू करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना-2 के तहत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के तौर तरीके शुरू किये जा रहे हैं।

विवरण

राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के तहत उप परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/कार्यक्रम भागीदार राज्य	राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के तहत शामिल उप-परियोजनाओं की संख्या	कृष्य कमान क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	कुल अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	मार्च, 1995 तक प्रत्याशित व्यय*
1.	आन्ध्र प्रदेश	10	2.43	61.30	45.78
2.	कर्नाटक	30	3.71	86.77	100.01
3.	तमिलनाडु	10	2.22	67.97	118.55
4.	केरल	5	0.49	13.99	17.34
5.	बिहार	2	1.67	41.41	6.78
6.	मध्य प्रदेश	20	4.78	78.71*	48.67
7.	उत्तर प्रदेश	1	19.94	61.64	7.40
8.	उड़ीसा	8	5.87	34.09	11.55
9.	हरियाणा	1	11.84	112.00	106.57
10.	गुजरात	2	0.45	14.69	0.62
	उप-योग (1)	89	33.12	567.57	463.27
II. अन्य कार्यक्रम					
	जल प्रबन्ध कक्ष	–	–	1.18	1.39
	महाराष्ट्र प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	–	–	8.32	3.98
	संस्थागत सुदृढ़ीकरण और प्रशिक्षण कोष	–	–	22.00	35.72
	उप-योग	–	–	37.50	41.09
	योग	89	33.12	605.07	504.36

वर्ष 1994-95 के व्यय के ब्यौरे अनन्तिम हैं।

भारतीय ध्वज संहिता

6270. **कुमारी सुशीला तिरिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) भारतीय ध्वज संहिता में तत्काल संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 31 अगस्त,

1993 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वतः समादेश जारी करके उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया था कि वह उच्च न्यायालय के कनिष्ठ न्यायधीशों की कारों पर राष्ट्रीय ध्वज लगवाएं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ सरकार ने 30 नवम्बर, 1993 को उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जो अभी भी लम्बित है।

फरवरी, 1995 में श्री नवीन जिंदल नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसमें प्राइवेट नागरिकों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराने पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई है। यह याचिका भी अभी तक लम्बित है।

उपर्युक्त मामलों में अंतिम रूप से लिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करने की आवश्यकता पर विचार किया जाएगा।

शुल्क मुक्त आधुनिक उपस्करों का आयात

6271. **श्री जे. चोक्का राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य में 'लिट्टे' से मुकाबला करने के लिए अन्य देशों से शुल्क मुक्त आधुनिक उपस्करों के आयात के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार द्वारा आधुनिक उपकरणों का आयात करने के लिए हाल ही में केन्द्र सरकार से ऐसी कोई विशिष्ट अनुमति नहीं मांगी है। तथापि, तमिलनाडु सरकार ने अतिविशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा कवच प्रदान करने और आतंकवाद, विद्रोह और तस्करी का मुकाबला करने के लिए संचार उपकरणों के आयात पर से सीमा शुल्क का भुगतान करने से छूट पाने के लिए जून, 1994 में हमसे अनुमति मांगी थी। सुरक्षा के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वित्त मन्त्रालय द्वारा यह छूट प्रदान की गई थी।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

6272. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांख्यिकी विभाग ने वर्ष 1980-81 से 1985-86 तक औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की गणना हेतु मूल प्रयोग (बेस यूज) में परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक क्षेत्र की सही स्थिति को दर्शाता है। वर्षों से, औद्योगिक क्षेत्र की संरचना में परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे नए उत्पादों का उत्पादन होना तथा पुराने उत्पादों का अप्रचलित हो जाना। इन संरचनात्मक परिवर्तनों को पकड़ने तथा औद्योगिक क्षेत्र की मूल वास्तविकताओं हेतु सूचकांक को प्रभावी बनाने के आधार को और अधिक तर्कसंगत वर्ष बनाने के लिए आवधिक स्थानांतरण के जरिए मद समूह तथा भार रेखाचित्र का पुनर्गठन अपेक्षित है।

(ग) सांख्यिकी विभाग अखिल भारत औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी) की वर्तमान शृंखला के आधार वर्ष 1980-81 को 1985-86 पर बदलने के लिए संशोधन करने की दिशा में प्रगतिशील है।

विवादास्पद टेलीफोन बिल

6273. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 को राज्य-वार टेलीफोन बिलों के कितने विवादित मामले उपभोक्ता संरक्षण फोरम में लम्बित थे;

(ख) इसके कारण सरकार को अनुमानतः कितनी हानि हुई है; और

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना मंगवाई गई है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

रोजगार सृजन

6274. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमित रोजगार की परिभाषा वर्ष में कम से कम 180 दिन के रोजगार के रूप में की गई है; और

(ख) यदि हां, तो आंशिक रूप से रोजगार में लगे लोगों का सरकारी आंकड़े के अनुसार रोजगार की श्रेणी में क्या प्रतिशत है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एन एस एस) के अनुसार किसी व्यक्ति के सामान्य प्रिंसिपल स्टेटस वर्कर होने पर विचार किया जा सकता है यदि वह स्त्री/पुरुष सर्वेक्षण के दिन से पहले के 365 दिनों की संदर्भ अवधि में अपेक्षाकृत एक लम्बे समय तक रोजगार प्राप्त है। बहरहाल 1991 जनगणना में अपनाए गए दृष्टिकोण में जनगणना तारीख से पहले के एक वर्ष की संदर्भ अवधि में यदि किसी पुरुष/स्त्री ने 183 या अधिक दिन कार्य किया है तो उस व्यक्ति को मुख्य वर्कर के रूप में परिभाषित किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (1987-88) के 43 वें दौर के अनुसार सामान्य प्रिंसिपल स्टेटस वर्कर्स का लगभग 16% अर्ध रोजगार प्राप्त थे अर्थात वर्ष में वे कुछ समय के लिए बेरोजगार थे अथवा अतिरिक्त कार्य के लिए उपलब्ध थे।

क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार

6275. **श्री धर्मभिक्षम :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार का समय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रावासों के लिए वित्तीय सहायता

6276. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1994-95 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु मध्य प्रदेश सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) इस सहायता से 1994-95 के दौरान राज्य में कितने नये छात्रावासों का निर्माण किया गया ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए होस्टलों के निर्माण हेतु वर्ष 1994-95 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता निम्न प्रकार है :

योजना	दी गई वित्तीय सहायता (रुपए लाख में)
अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल	शून्य
अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए होस्टल	130.65
अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल	115.83
अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल	16.90

(ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

निजी विमान सेवाओं को ईंधन

6277. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की निजी विमान सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स के विमानों को आपूर्ति किए जा रहे ईंधन के दोगुनी से भी अधिक दर पर ईंधन की आपूर्ति की जाती है;

(ख) क्या निजी विमान सेवाएं केवल ईंधन की अधिक दर के कारण पड़ोसी देशों को विमान सेवा चलाने के लिए बाध्य है;

(ग) क्या सरकार का विचार निजी विमान सेवाओं को भी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स को आपूर्ति किए जाने वाले ईंधन की दर पर ईंधन उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) विमान टरबाइन ईंधन (ए टी एफ) समेत पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्यों की संरचना ऐसी की गई है ताकि इनके अनावश्यक उपयोग को हतोत्साहित किया जा सके, अन्तर ईंधन प्रतिस्थापन की प्रोन्नति की जा सके तथा सामाजिक-आर्थिक कारणों से समाज के कमजोर वर्गों के लिए आवश्यक ईंधन पर राजसहायता दी जा सके। इसलिए ए टी एफ के घरेलू मूल्य की तुलना अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित मूल्य से नहीं की जा सकती है।

(ख) पड़ोसी देशों को उड़ाने भरने हेतु निजी एयरलाइनों को अभी तक अनुमतिं नहीं दी गई है।

(ग) से (ङ) सरकार की विशेष आयात अनुज्ञप्ति (एस आई एल) योजना के अधीन ए टी एफ के आयात को पहले ही अनुमति दे दी गई है।

प्राकृतिक गैस का आबंटन

6278. **डा. के. वी. आर. चौधरी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में काकिनाडा और जेगुरूपाडु स्थान पर निजी पार्टियों द्वारा स्थापित की जाने वाली गैस आधारित परियोजनाओं को कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस का आबंटन किया गया;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इन विद्युत परियोजनाओं को गैस के आबंटन में कटौती की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) काकिनाडा और जेगुरूपाडु में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक विद्युत परियोजना को 0.75 एम एम एस सी एम डी गैस आबंटित की गई है।

(ख) और (ग) गैस की कम उपलब्धता के कारण पहले के आबंटनों में कटौती करनी पड़ी।

(घ) और (ङ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए आबंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है। इस अनुरोध पर गैस की उपलब्धता में सुधार होने पर विचार किया जा सकता है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में कोयले की आवश्यकता

6279. **श्री एस. एम. लालजान बाशा :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के रामगुंडम स्थित बिजलीघर को प्रतिदिन 30,000 टन कायेले की आवश्यकता पड़ती है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के कोयला उपक्रम इस बिजलीघर को उसकी आवश्यकता के अनुसार कोयले की सप्लाई कर रहे हैं; और

(ग) आंध्र प्रदेश में बिजलीघरों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) वर्ष 1994-95 के लिए राष्ट्रीय तापीय विद्युत गृह (एन. टी. पी. सी.) के रामामुंडम सुपर तापीय विद्युत गृह (एल. टी. पी. एस.) की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कोयले की कुल आवश्यकताएं 9.43 मि. टन का मूल्यांकन किया गया है, जबकि इसकी तुलना में कोयले का प्रेषण 9.108 मि. टन (अनंतिम) किया गया था। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सम्पूर्ण वर्ष 1995-96 के लिए रामागुंडम एस. टी. पी. एस. की कोयले की आवश्यकताओं का 9.59 मि. टन का मूल्यांकन किया गया था।

(ख) और (ग) एन. टी. पी. सी. का रामागुंडम एस. टी. पी. एस. मुख्य रूप से सिं. को. कं. लि. के साथ संयोजित है। कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। संयोजित स्रोतों से कोयले की आपूर्ति में कमी होने की स्थिति में कोयले की आपूर्ति की वैकल्पिक स्रोतों से प्रतिपूर्ति की जाती है।

विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति किए जाने के मामले में उच्च प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें रामागुंडम एस. टी. पी. एस. भी शामिल है। विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति की स्थिति की प्रत्येक सप्ताह एक अन्तर-मंत्रालययी समिति द्वारा समीक्षा की जाती है और जहां कहीं भी आवश्यक होता है, कोयले की आपूर्ति में वृद्धि किए जाने के लिए कार्रवाई की जाती है।

दूरदर्शन के कार्यक्रमों में विस्तार

6280. **श्रीमती वसुंधरा राजे :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान दूरदर्शन के कार्यक्रमों में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान दूरदर्शन के कार्यक्रमों में देश में तथा विशेष रूप से राजस्थान में कितना विस्तार होने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) :

(क) और (ख) जी, हां। इस अवधि के दौरान दूरदर्शन द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों में ग्यारह क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय भाषा उपग्रह सेवा शुरू करना, डीडी-1 तथा डीडी-2 दोनों चैनलों की स्थलीय पहुंच में प्रगामी रूप से बढ़ोतरी करना और 'मूवी क्लब' नामक फिल्म चैनल शुरू करना शामिल है।

(ग) हालांकि वर्तमान में कोई विशिष्ट ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। तथापि, दूरदर्शन विगत की भांति अपने दर्शकों के व्यापक प्रतिनिधि समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपने चैनलों पर कार्यक्रम उपलब्ध कराने का सतत् आधार पर प्रयत्न करेगा।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पंचायतों को टेलीफोन

6281. **डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे :**
श्री नरेश कुमार बलियान :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिले-वार कितनी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है और कितनी ग्राम पंचायतों में यह सुविधा नहीं है;

(ख) क्या सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 31.3.1995 को स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में टेलीफोन सुविधा प्राप्त 18559 और बिना टेलीफोन के 6193 पंचायत ग्राम हैं। जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी हां। सरकार ने यह नीति अपनाई है कि 1997 तक देश के पंचायत ग्रामों सहित सभी ग्रामों में उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन सुविधा प्रदान की जाए।

(ग) 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 243555 पंचायत ग्रामों में से 155410 ग्रामों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा चुकी है। जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, 24752 पंचायत ग्रामों में से,18559 ग्रामों में यह सुविधा प्रदान कर दी गई है।

विवरण

31.3.1995 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र में टेलीफोन सुविधा प्राप्त और बिना टेलीफोन सुविधा के पंचायत ग्रामों के ब्यौरे

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल पंचायत गांवों की सं.	टेलीफोन सुविधा प्राप्त कुल पंचायत ग्रामों की सं.	ऐसी पंचायतों ग्रामों की सं. जहां टेलीफोन सुविधा नहीं है
1.	अकोला	936	671	265
2.	अमरावती	804	581	223
3.	भण्डारा	1046	618	428
4.	बुड़ढ़ाना	828	618	428
5.	चन्द्रपुर	804	497	307
6.	गढ़चिरोली	458	137	321
7.	वर्धा	481	444	37
8.	यवतमाल	1123	592	531
9.	जलगांव	1062	853	209
10.	रायगढ़	660	645	15
11.	रत्नागिरि	768	430	338
12.	सिन्धूदुर्ग	388	207	181
13.	गांगली	631	626	5
14.	सतारा	1213	880	333
15.	सोलापुर	931	920	11
16.	नासिक	1224	1208	16
17.	धूले	962	799	163
18.	अहमदनगर	1160	1075	85
19.	औरंगाबाद	693	594	99
20.	जालना	557	513	44
21.	बीड	924	341	583
22.	लातूर	637	456	181
23.	ओसमानाबाद	544	356	188
24.	नादिड़	1163	703	460
25.	परभंनी	1073	642	431
26.	थाणे	882	816	66
27.	कोल्हापुर	913	876	37
28.	नागपुर	710	701	9
29.	पुणे	1177	760	417
	कुल	24752	18559	6193

[अनुवाद]

टेलीफोन बिलों का भुगतान

6282. **श्री मोहन रावले :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में प्रयोक्ताओं द्वारा टेलीफोन बिलों को बैंकों के माध्यम से भुगतान करने संबंधी सुविधा समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली में बैंकों द्वारा टेलीफोन बिलों का भुगतान स्वीकार न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई नए दिशा निर्देश जारी किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स तथा इण्डियन ओवरसीज बैंक की सभी 56 अधिकृत शाखाओं में ऐसे टेलीफोन का भुगतान प्राप्त किया जा रहा है जिनमें भुगतान की नियत तारीख का उल्लेख होता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को प्रशिक्षण

6283. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न तकनीकी और व्यवसायिक महाविद्यालयों/संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के इच्छुक अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को निः शुल्क प्रशिक्षण देने के संबंध में कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) भारत सरकार 1992-93 से अल्पसंख्यकों और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की कोचिंग को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मानदंड़ों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग की योजना को क्रियान्वित कर रही है। योजना का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी, व्यावसायिक, अभियांत्रिकी चिकित्सा, कृषि प्रबंध पाठ्यक्रमों इत्यादि में दाखिले को शामिल करते हुए विभिन्न प्रतियोगी/प्रवेश परीक्षाओं में समानशर्तों पर भाग लेने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए त्वरित समूह के उम्मीदवारों को कोचिंग/प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह योजना इस क्षेत्र में सुविज्ञता प्राप्त विख्यात राष्ट्रीय और राज्य स्तर के व्यवसायिक कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अपतटीय प्लेटफार्म परियोजना के लिए ठेका

6284. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अपतटीय प्लेटफार्म परियोजना के लिए ऊँची बोली लगाने वाले को ठेका देकर अन्तर्राष्ट्रीय निविदा मानदंडों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी विदेशी कम्पनी ने कोई विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में इस मामले की जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मजदूर संघों की मांग

6285. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. के मजदूर संघों की लम्बे समय से यह मांग रही है कि कोल इंडिया लि. की विभिन्न कोयला खानों में कार्यरत श्रमिकों की सेवानिवृत्ति के बाद उनके परिवार के एक आश्रित को रोजगार दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

6286. **श्री नवल किशोर राय :**

श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक वृद्धि की दर कितनी थी;

(ख) क्या देश के सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि की दर को देखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों की मांग की वार्षिक दर अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता की स्थिति को देखते हुए इनकी मांग पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वार्षिक वृद्धि की दरें नीचे दी गई हैं :

वर्ष	प्रतिशत वृद्धि
1992-93	3.4
1993-94	3.0
1994-95	7.4 (अनन्तिम)

(ख) और (ग) पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि की दर अनेक परिवर्तनीय चरों पर निर्भर करती है जिनमें सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) भी शामिल है, जो कि एक महत्वपूर्ण चर है। पेट्रोलियम उत्पादों की उपभोग में वृद्धि का सकल घरेलू उत्पाद से सह-सम्बन्ध होता है। सकल घरेलू उत्पाद के परिवर्तनीय संघटन का भी पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है।

(घ) और (ङ) सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय आरम्भ किए हैं। पी सी आर ए और तेल कंपनियों ने ऐसे विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाया है जिनमें पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग का इष्टतमीकरण किया जा सकता है। इनमें अकुशल बायलरों को बदलना, लांग ड्रेन हाई-टेक स्नेहकों को आरम्भ किया जाना, अन्तः ईंधन प्रतिस्थापन आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में तार घर

6287. **श्री अन्ना जोशी :**
श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कुल कितने तारघर काम कर रहे हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) हिन्दी और मराठी में तार भेजने की सुविधा कितने तारघरों में प्रदान की गई है;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में ऐसे कुछ और अधिक तारघर खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ये तारघर कब तक खोले जाएंगे और कहां-कहां खोले जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) महाराष्ट्र में कार्यरत तार घरों की कुल संख्या 2884 है। उनकी अविस्थति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) जिन तार घरों में हिंदी तथा मराठी में टेलीग्राम भेजने की सुविधा प्रदान की गई है उनकी संख्या 2884 है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रस्तावित तार घर 31.3.87 तक स्थापित किए जाने की संभावना है। प्रस्तावित अवस्थितियां विवरण II में दर्शाई गई हैं।

विवरण I

क्र. सं.	जिला	महाराष्ट्र में कार्यरत तार घरों की कुल संख्या
1.	अहमदनगर	90
2.	अकोला	72
3.	औरंगाबाद	42
4.	अमरावती	74
5.	बीड	27
6.	भंडारा	58
7.	बंबई	78
8.	बुल्धाना	162
9.	चंद्रपुर	120
10.	धूले	45
11.	गरचिरोली	67
12.	जलना	15
13.	जलगांव	213
14.	कोल्हापुर	86
15.	लातूर	26
16.	नागपुर	88
17.	नानदेद्र	111
18.	नासिक	82
19.	ओसमानाबाद	30
20.	परमनी	106
21.	पूणे	238
22.	रागड	118
23.	रत्नागिरि	69
24.	सांगली	99
25.	सतारा	186
26.	सिन्धु दुर्ग	134
27.	सोलापुर	109
28.	थाने	106
29.	वार्धा	110
30.	यवतमाल	123
	जोड़	2884

विवरण II

क्र. सं.	जिला	महाराष्ट्र में 1995-96 और 1996-97 के दौरान हरेक साल खोले जाने वाले लक्षित तार घरों की संख्या
1.	अहमदनगर	2
2.	अकोला	2
3.	औरंगाबाद	2
4.	अमरावती	2
5.	बीड	2
6.	भंडारा	2
7.	बंबई	4
8.	बुल्धाना	2
9.	चंद्रपुर	2
10.	धूले	4
11.	गरचिरौली	2
12.	जलना	2
13.	जलगांव	4
14.	कोल्हापुर	4
15.	लातूर	2
16.	नागपुर	2
17.	नानदेद्र	4
18.	नासिक	4
19.	ओसमानाबाद	2
20.	परमनी	2
21.	पुणे	4
22.	राग्रगड	4
23.	रत्नागिरि	2
24.	सांगली	2
25.	सतारा	2
26.	सिन्धु दुर्ग	2
27.	सोलापुर	4
28.	थाणे	2
29.	वर्धा	2
30.	यवतमाल	2
	जोड़	78

गुजरात में विकलांग बालिका गृह

6288. **श्री हरिसिंह चावडा :**
डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में विकलांग बालिकाओं के लिए केन्द्र (विकलांग बालिका गृह) कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1995 में इनकी संख्या कितनी थी;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इन केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों को प्रतिवर्ष कितनी सहायता प्रदान की गई और इसकी क्या उपलब्धियां रहीं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) कल्याण मंत्रालय गुजरात में विकलांग बालिका गृह का प्रत्यक्षतः संचालन नहीं करता। तथापि गुजरात सहित देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विकलांग लड़कियों सहित विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा व्यवसायिक प्रशिक्षण रोजगार, स्थापन और पुनर्वास के उद्देश्य से विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत उक्त स्वयंसेवी संगठन को सहायतानुदान प्रदान किया जाता है।

गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान संगठनों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त अनुदान

(लाख रु. में)

क्र. सं.	संगठन का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1.	सोसायटी फार द मेन्टली रिटार्डेड पी. ओ. मालविया कालेज कैम्पस, गमडोल रोड़, राजकोट–360004	1.74	2.06	1.75
2.	श्री के. एल. बधिर संस्थान, 51, विद्या नगर भावनगर, गुजरात	1.21	1.78	3.5
3.	ब्लाईडमेन्स एसोसियेशन, डॉ. विक्रम साराभाई रोड़, वस्त्र पुर, अहमदाबाद	8.03	8.27	9.64
4.	श्री डी. एस. परिख डीफ एंड डम्ब स्कूल, नियर न्यू जैन क्लिनिक, सुरेन्द्र नगर–363001	0.04	0.41	0.42
5.	मैडिकल केयर सेन्टर चिल्ड्रेन्स हॉस्पीटल, वदोदड़ा–390018	1.28	1.94	1.99

क्र. सं.	संगठन का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
6.	अन्धजन विविधायी, तालीम केन्द्र, एयरोड्रम रोड जाम नगर, गुजरात	3.95	4.18	3.84
7.	अन्धकन्या प्रकाश गृह ड्राइव इन रोड़ मेम नगर अहमदाबाद	1.76	2.33	2.96
8.	अन्ध अपंग कल्याण केन्द्र, नन्दिनी सोसायटी साबरमती 'डी' केबिन अहमदाबाद—19	0.47	0.53	0.59
9.	अन्ध कल्याण केन्द्र अहमदाबाद		0.25	—
10.	रचनात्मक अभिगम ट्रस्ट			1.54
11.	अपंग परिवार कल्याण केन्द्र			0.54
12.	मानव कल्याण केन्द्र			1.50
13.	श्रीमती और श्री सी. एस. विरानी स्कूल			2.50
14.	सुपन स्कूल फार एम. आर.			0.57
15.	सहभाग कुष्ट व्यज्ञ ट्रस्ट			0.19
16.	माता लक्ष्मी, रोटरी चैरिटेबल सोसायटी			0.06

इन संगठनों की एक मात्र उपलब्धि उनके द्वारा विकलांग लोगों के पुनर्वास में अदा की गई भूमिका है। जिसके फलस्वरूप विकलांग व्यक्ति समाज के साथ स्वीकृत हो रहे हैं।

तमिलनाडु में टेलीफोन सुविधा

6289. **श्री पी. कुमारासामी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति वर्ष टेलीफोन कनेक्शन देने, ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन और ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज लगाने के संबंध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान वास्तव में कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) मद्रास टेलीफोन जिले सहित तमिलनाडु के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

1.	सीधी एक्सचेंज लाइनें	634200
2.	ग्रामीण सार्वजनिक फोन	6526
3.	ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज लाइनें	85000

मद्रास टेलीफोन जिले सहित तमिलनाडु सर्किल के संबंध में योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1.	सीधी एक्सचेंज लाइनें					
	लक्ष्य	65000	96700	152000	270000	लक्ष्य अभी
	उपलब्धियां	63295	94116	149899	—	निर्धारित किए
2.	ग्रामीण फोंस					जाने हैं
	लक्ष्य	2000	3000	1500	600	
	उपलब्धियां	2157	1777	1573	—	—वही—
3.	टैक्स क्षमता					
	लक्ष्य	7000	4000	11000	45000	
	उपलब्धियां	6500	4500	11500	—	—वही—

[हिन्दी]

एस. टी. डी. सुविधा

6290. **श्री नरेश कुमार बालियान :**
श्री जे. चोक्का राव :
श्री अमर रायप्रधान :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा 1995-96 के दौरान प्रत्येक राज्य में किन-किन स्थानों पर एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : 1995-96 के दौरान, निधियों, भूमि, भवन और उपस्कर आदि जैसे संसाधन उपलब्ध होने पर, जिन स्थानों पर एस. टी. डी. सुविधा प्रदान करने की योजना है, उनके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1995-96 के दौरान एस. टी. डी. सुविधा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित स्थानों के राज्यवार ब्यौरे।

राज्य	स्थानों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	209
असम	15
बिहार	70
गुजरात	203
हरियाणा	50
हिमाचल प्रदेश	57
जम्मू एवं कश्मीर	39
कर्नाटक	400
केरल	70
मध्य प्रदेश	57
महाराष्ट्र	80
गोवा	—
अरूणाचल प्रदेश	6
मणिपुर	5
मेघालय	3
मिज़ोरम	1
नागालैंड	—
त्रिपुरा	3
उड़ीसा	50
पंजाब	22
राजस्थान	39
तमिलनाडु	219
उत्तर प्रदेश	117
पश्चिम बंगाल	161
सिक्किम	3
अंडमान तथा निकोबार	5

गुजरात के लम्बित विधेयक

6291. **श्री एन. जे. राठवा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात विधान सभा द्वारा पारित उन विधेयकों का ब्यौरा क्या है जो अप्रैल, 1995 तक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) ये विधेयक कब से लम्बित पड़े हैं; और

(ग) राष्ट्रपति द्वारा इन विधेयकों पर कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) 30 अप्रैल, 1995 को गुजरात विधान सभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रति व्यक्ति विकास दर

6292. **श्री छेदी पासवान :**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री अर्जुन सिंह यादव :
डा. लाल बहादुर रावल :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि, उद्योग तथा सेवा (सर्विस) क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल तथा प्रति व्यक्ति विकास दरों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या वर्ष 1980 की तुलना में ये विकास दरें बहुत कम हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रति व्यक्ति एनएसडीपी विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न कारणों से अलग-अलग हैं जैसे आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक असमान विकास, विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक और उद्यमी विकास वर्ष दर वर्ष, वर्ष में भिन्नता और परिणामस्वरूप सूखा एवं बाढ़ और जनसंख्या वृद्धि।

(घ) राज्यों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकारें विकास योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं, केन्द्र सरकार एक फार्मूले के अनुसार राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराती हैं जिसमें उन राज्यों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है जिनकी प्रति व्यक्ति आय कम है।

विवरण

1980-81 और अंतिम तीन वर्षों के दौरान कृषि, उद्योग एवं सेवाएं सेक्टर में राज्यवार कुल एवं प्रति व्यक्ति विकास दर।

	पिछले वर्ष से प्रति व्यक्ति एन एस डी पी में विकास दर				पिछले वर्ष से कुल एन एस डी पी में विकास दर।			
वर्ष	कृषि	उद्योग	सेवाएं	जोड़	कृषि	उद्योग	सेवाएं	जोड़
आन्ध्र प्रदेश								
1979-80								
1980-81	0.0	0.7	7.2	2.5	2.0	2.7	9.4	4.6
1990-91								
1991-92 (आर)	0.1	-1.7	2.0	0.5	2.1	0.3	4.0	2.5
1992-93 (पी)	-7.5	-4.4	-0.5	-4.0	-5.9	-2.7	1.3	-2.2
1993-94 (ओ)	2.1	3.7	4.3	3.6	3.9	5.5	6.1	5.2
अरूणाचल प्रदेश								
1979-80								
1980-81	11.0	-14.8	7.3	3.3	14.1	-12.5	10.2	6.1
1990-91								
1991-92 (पी)	14.9	5.7	7.7	10.5	18.2	8.7	10.7	13.6
1992-93 (पी)	-4.8	0.6	4.6	-0.7	-2.4	3.1	7.2	1.8
1993-94 (ओ)	3.3	11.3	4.1	5.2	5.8	14.0	6.6	7.8
असम								
1979-80								
1980-81	10.9	9.5	3.3	12.1	20.7	13.1	6.7	15.8
1990-91								
1991-92 (पी)	0.4	5.2	8.2	4.5	2.7	7.7	10.7	7.0
1992-93 (ओ)	-1.3	2.0	7.6	3.1	0.9	4.3	10.0	5.4
1993-94	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.

वर्ष	कृषि	उद्योग	सेवाएं	जोड़	कृषि	उद्योग	सेवाएं	जोड़
बिहार								
1979-80								
1980-81	20.9	-8.6	2.4	8.0	23.7	-6.4	4.8	10.5
1990-91								
1991-92 (पी)	-18.0	-3.5	1.7	-7.9	-16.2	-1.4	3.9	-5.9
1992-93 (ओ)	-1.0	6.5	-4.4	0.0	1.2	8.9	-2.3	2.2
1993-94	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
गोआ								
1979-80								
1980-81	2.2	33.6	6.4	14.8	3.7	35.5	8.0	16.5
1990-91								
1991-92 (पी)	69.7	2.0	-4.7	4.3	72.5	3.7	-3.1	6.0
1992-93 (पी)	3.5	3.6	3.4	3.5	5.5	5.7	5.5	5.6
1993-94 (ओ)	0.8	-1.4	1.4	0.2	2.7	0.6	3.4	2.2
गुजरात								
1979-80								
1980-81	1.0	-2.1	1.7	0.4	3.4	0.3	4.2	2.9
1990-91								
1991-92 (पी)	-21.4	-1.8	0.8	-5.7	-19.9	0.1	2.8	-3.9
1992-93 (ओ)	50.1	1.1	3.7	12.7	52.6	2.8	5.4	14.6
1993-94	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
हरियाणा								
1979-80								
1980-81	19.3	1.7	2.1	10.3	22.2	4.3	4.6	13.0
1990-91								
1991-92 (पी)	-3.2	-2.3	5.3	-0.3	-0.9	0.0	7.8	2.0
1992-93 (पी)	0.4	-3.6	-2.0	-1.3	2.6	-1.4	0.2	0.9
1993-94 (ओ)	1.5	-0.2	4.2	2.0	3.8	2.0	6.5	4.2

वर्ष	कृषि	उद्योग	सेवाएं	जोड़	कृषि	उद्योग	सेवाएं	जोड़
हिमाचल प्रदेश								
1979-80								
1980-81	19.3	-3.9	1.5	8.9	22.8	-1.1	4.5	12.1
1990-91								
1991-92 (पी)	-4.2	-13.9	2.0	-3.6	-1.4	-11.3	5.1	-0.7
1992-93	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
1993-94	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
जम्मू और कश्मीर								
1979-80								
1980-81	4.8	8.1	1.4	4.2	7.5	11.0	4.1	7.0
1990-91								
1991-92 (पी)	-3.2	1.3	5.1	1.1	-0.7	3.9	7.8	3.7
1992-93 (ओ)	-1.2	0.2	5.0	1.8	1.1	2.5	7.4	4.1
1993-94	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
कर्नाटक								
1979-80								
1980-81	-9.2	-3.9	-1.7	-5.8	-6.8	-1.5	0.9	-3.4
1990-91								
1991-92 (पी)	16.5	8.7	5.4	10.1	18.3	10.5	7.1	11.8
1992-93 (पी)	1.3	4.8	2.6	2.7	2.9	6.4	4.3	4.3
1993-94 (ओ)	1.6	-1.3	5.9	2.6	3.2	0.2	7.5	4.1
केरल								
1979-80								
1980-81	-2.6	5.5	3.7	1.4	-0.7	7.4	5.7	3.4
1990-91								
1991-92 (पी)	1.9	0.2	-0.3	0.6	3.2	1.5	1.1	1.9
1992-93 (पी)	5.7	3.7	3.8	4.5	7.1	5.1	5.2	5.9
1993-94 (ओ)	2.6	2.4	4.0	3.1	4.1	3.9	5.5	4.6

वर्ष	कृषि	उद्योग	सेवाएं	जोड़	कृषि	उद्योग	सेवाएं	जोड़
मध्य प्रदेश								
1979-80								
1980-81	51.9	6.2	10.5	26.4	55.0	8.4	12.8	29.0
1990-91								
1991-92 (पी)	-13.3	1.0	2.2	-5.1	-11.3	3.3	4.6	-2.9
1992-93 (पी)	6.0	4.6	-2.4	2.9	8.2	6.7	-0.4	5.0
1993-94 (ओ)	8.2	0.8	2.8	4.6	10.6	2.8	4.9	6.7
महाराष्ट्र								
1979-80								
1980-81	-8.3	-1.9	-2.0	-3.7	-5.5	1.1	1.1	-0.7
1990-91								
1991-92 (पी)	-22.7	-2.3	9.8	-1.7	-21.1	-0.2	12.2	0.5
1992-93 (ओ)	31.2	5.4	4.3	9.3	33.8	7.5	6.3	11.5
1993-94 (ओ)	5.0	5.9	5.5	5.5	7.1	8.0	7.6	7.6
मणिपुर								
1979-80								
1980-81	-4.3	9.3	4.6	1.1	-0.4	13.7	8.9	5.2
1990-91								
1991-92 (पी)	9.7	11.4	6.4	8.2	11.9	13.6	8.5	10.4
1992-93	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
1993-94	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
मेघालय								
1979-80								
1980-81	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
1990-91								
1991-92 (पी)	27.5	-4.5	2.3	8.0	31.4	-1.5	5.5	11.4
1992-93 (ओ)	9.2	-2.6	4.1	4.7	12.1	0.0	6.8	7.5
1993-94 (ओ)	4.5	22.3	4.3	7.1	7.5	25.8	7.3	10.2

वर्ष	कृषि	उद्योग	सेवाएं	जोड़	कृषि	उद्योग	सेवाएं	जोड़
नागालैंड								
1979-80								
1980-81	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
1990-91								
1991-92 (पी)	5.0	-9.0	1.7	0.5	8.8	-5.7	5.3	4.1
1992-93	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
1993-94	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
उड़ीसा								
1979-80								
1980-81	23.7	-23.9	6.6	10.5	25.6	-22.7	8.2	12.2
1990-91								
1991-92 (पी)	13.1	5.6	7.7	9.3	15.2	7.6	9.8	11.4
1992-93 (ओ)	-11.2	1.3	-1.0	-4.6	-9.5	3.2	0.9	-2.8
1993-94	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
पंजाब								
1979-80								
1980-81	-3.8	-28.9	19.5	-0.8	-1.0	-26.8	23.0	2.1
1990-91								
1991-92 (पी)	5.7	1.7	-0.3	3.1	7.7	3.6	1.6	5.0
1992-93 (ओ)	0.3	4.4	3.5	2.1	2.2	6.4	5.4	4.0
1993-94 (ओ)	1.3	3.7	4.0	2.6	3.1	5.7	5.9	4.5
राजस्थान								
1979-80								
1980-81	8.6	-9.5	-1.2	1.9	12.0	-6.7	1.8	5.0
1990-91								
1991-92 (पी)	-18.5	0.6	-6.0	-10.8	-16.7	2.8	-4.0	-8.9
1992-93 (ओ)	16.7	0.5	5.6	9.5	19,3	2.7	7.9	11.9
1993-94 (ओ)	-17.2	0.6	-2.7	-8.9	-15.4	2.8	-0.6	-6.9

वर्ष	कृषि	उद्योग	सेवाएं	जोड़	कृषि	उद्योग	सेवाएं	जोड़
सिक्किम								
1979-80								
1980-81	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
1990-91								
1991-92	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
1992-93	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
1993-94	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
तमिलनाडु								
1979-80								
1980-81	-16.3	-16.3	-6.1	-12.6	-15.3	-15.3	-5.0	-11.6
1990-91								
1991-92 (पी)	8.0	2.3	4.7	4.6	9.3	3.5	5.9	5.9
1992-93 (ओ)	0.2	-1.5	3.6	1.2	1.3	-0.5	4.7	2.2
1993-94	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
त्रिपुरा								
1979-80								
1980-81	7.5	1.4	4.7	6.1	9.6	3.3	6.7	8.1
1990-91								
1991-92 (पी)	-6.4	10.0	6.8	1.3	-3.9	13.0	9.6	4.0
1992-93	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
1993-94	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
यू. पी.								
1979-80								
1980-81	35.8	7.1	4.5	20.2	39.4	9.9	7.3	23.3
1990-91								
1991-92 (पी)	0.8	-4.8	-2.4	-1.5	2.8	-2.9	-0.5	0.5
1992-93 (पी)	-3.9	-0.1	4.5	-0.1	-2.2	1.7	6.3	1.7
1993-94 (ओ)	2.1	0.9	0.2	1.1	3.9	2.7	2.1	3.0

	पिछले वर्ष से प्रति व्यक्ति एन एस डी पी में विकास दर				पिछले वर्ष से कुल एन एस डी पी में विकास दर।			
वर्ष	कृषि	उद्योग	सेवाएं	जोड़	कृषि	उद्योग	सेवाएं	जोड़
पश्चिम बंगाल								
1979-80								
1980-81	15.9	0.9	6.0	8.8	18.3	3.0	8.2	11.1
1990-91								
1991-92 (पी)	6.9	-0.4	4.0	3.5	9.3	1.8	6.3	5.9
1992-93 (ओ)	2.3	-1.1	4.4	2.0	4.6	1.1	6.8	4.3
1993-94	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह								
1979-80								
1980-81	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
1990-91								
1991-92 (पी)	-0.8	-20.5	-32.7	-12.0	2.8	-17.6	-30.2	-8.8
1992-93 (ओ)	20.5	9.3	-19.7	10.2	25.0	13.4	-16.8	14.3
1993-94	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
दिल्ली								
1979-80								
1980-81	-2.7	20.4	0.6	5.1	1.4	25.5	4.9	9.6
1990-91								
1991-92 (पी)	2.4	10.1	0.7	3.3	6.3	14.3	4.5	7.3
1992-93	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
1993-94	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
पांडिचेरी								
1979-80								
1980-81	0.8	2.2	-3.8	0.2	4.7	6.2	0.0	4.1

वर्ष	कृषि	उद्योग	सेवाएं	जोड़	कृषि	उद्योग	सेवाएं	जोड़
1990-91								
1991-92 (पी)	5.2	0.2	1.8	1.3	7.3	2.2	3.9	3.4
1992-93 (ओ)	0.1	0.1	-0.2	0.0	2.1	2.1	1.8	2.0
1993-94	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.

टिप्पणी :

1. कृषि में वन, रोपण और मछली पालन भी शामिल है। उद्योग में विनिर्माण, खनन, निर्माण और विद्युत, गैस और जल आपूर्ति क्षेत्रक शामिल हैं। सेवाओं में अवशिष्ट क्षेत्रक शामिल हैं।
2. 1980-81 के दौरान विकास दरें 1970-71 की कीमतों पर एन एंड डी पी के अनुमानों पर आधारित हैं और शेष वर्षों की विकास दरें 1980-81 की कीमतों पर आधारित हैं।
3. गोवा के संबंध में 1980-81 के दौरान विकास दर में दमन और दीव शामिल है।
4. मिजोरम राज्य सतत कीमतों पर एन एस डी पी के अनुमान तैयार नहीं करता।
5. संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप इन अनुमानों को तैयार नहीं करता।
6. कृषि, उद्योग और क्षेत्रकों में प्रति व्यक्ति एस डी पी की कुल जनसंख्या पर आधारित है।

स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों के अर्थ शास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय।

डाक और तार घर

6293. **श्री राजेश कुमार :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में डाक और तार घर खोलने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक वर्ष-वार कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) डाकघर

जी हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5350 डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसकी तुलना में 4516 डाकघर मंजूर किए गए थे। सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(क) तारघर :

जी नहीं। तथापि, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मांग, आवश्यकता व व्यवहार्यता के आधार पर 209 तारघर खोले गए।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) डाकघर :

जनवरी, 1984 से पदों के सृजन की प्रक्रिया में परिवर्तन आया और ऐसे पदों के सृजन में अंतः मंत्रालयी परामर्श शामिल होता है। परिणामतः सातवीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान जितने डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उतने डाकघर नहीं खोले जा सके।

तारघर : उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) डाकघर :

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1440 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 650 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के संबंध में अर्थात् 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान लक्ष्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) तारघर :

जी नहीं। वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान मांग, आवश्यकता व व्यवहार्यता के आधार पर खोले गए तारघरों की संख्या क्रमशः 13, 40 और 18 है।

विवरण I

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाकघर खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्य और लक्ष्य-प्राप्ति

क्र. सं.	सर्किल का नाम	लक्ष्य	प्राप्ति
1.	आन्ध्र प्रदेश	250	145
2.	असम	327	308
3.	बिहार	455	384
4.	दिल्ली	15	17
5.	गुजरात	170	67
6.	हरियाणा	60	42

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये संस्थाएं कहाँ-कहाँ है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का विकार अल्पसंख्यकों के लिए ऐसी और संस्थाएं खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ये संस्थाएं कब तक खोल दी जाएंगी और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (च) अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग की एक योजना 1992-93 से उन ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय व्यावसायिक कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वयानाधीन है जो उस क्षेत्र में सामर्थ्य रखते हों। वर्ष 1994-95 के दौरान चार कोचिंग केन्द्रों को 6.30 लाख रु. के सहायता-नुदान की मंजूरी दी गई जिसका ब्यौरा संलग्न है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1995-96 के लिए 2 करोड़ रु. का आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

संगठन का नाम और अवस्थिति	रुपए में मंजूर की गई धनराशि
मखदुम शैक्षणिक सोसायटी, मोदासा जिला, सांबरकण्ठा	1,35,090/-
सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर, तालुक आनन्द, जिला खेड़ा	99,090/-
अंजुमन-ए-तालिमी इदारा चैरिटेबुल ट्रस्टव कोर्ट रोड, भड़ौच	2,97,270/-
नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, राजमहल रोड, पाटन	99,090/-

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

6299. **श्री तारा सिंह** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कम्प्यूटर नेटवर्क के दोषपूर्ण कार्यान्वयन से कोयला प्राप्त करने वाले अनेक छोटे और मझौले उद्योगों पर भारी प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच करायी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार का क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ङ) कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.) ने सूचित किया है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई. को. लि.) में कम्प्यूटर नेटवर्क का कार्यान्वयन किया जाना दोषयुक्त नहीं है। कम्प्यूटरीकृत सड़क बिक्री पद्धति के 23 विभिन्न क्षेत्रों को कलकत्ता स्थित ई. को. लि. के बिक्री कार्यालय से जोड़ा हुआ है। किसी भी यूनिट में खराबी होने की स्थिति में कंपनी की डाक के माध्यम से फ्लोपी द्वारा कलकत्ता बिक्री कार्यालय को बिक्री संबंधी आंकड़े भेजे जाते हैं जिसमें केवल एक दिन का समय लगता है। इस प्रणाली से उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इस संबंध में कोई जांच करने/उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

[हिन्दी]

नशीली दवाओं का सेवन करने वालों के लिए कार्यरत संगठन

6300. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में नशीली दवाओं का सेवन करने वालों के कल्याणार्थ इस समय कितने संगठन कार्यरत है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या कुछ नई स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान मंजूर करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इन संगठनों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में नशीली दवाओं के व्यसनियों के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों की संख्या और कल्याण मंत्रालय द्वारा उन्हें दी गई वित्तीय सहायता तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्न प्रकार है :

वर्ष	कार्य कर रहे संगठनों की सं.	वित्तीय सहायता की राशि
1992-93	10	4529362.00 रु.
1993-94	10	4784711.00 रु.
1994-95	20	6304605.00 रु.

(ग) तथा (घ) नशीली दवाओं के निर्व्यसन, पुनर्वास और परामर्श के अतिरिक्त केन्द्रों की वर्ष 1995-96 के दौरान मंजूरी की योजना के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

(ङ) इन संगठनों से वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान क्रमश 6845 तथा 12640 नशीली दवाओं के व्यसनियों को लाभ मिला।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में आधारभूत दूरसंचार सेवा

6301. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार आयोग ने अमेरिका की एक कंपनी को तमिलनाडु और अन्य स्थानों पर आधारभूत दूरसंचार सेवाओं का संचालन करने हेतु आशय-पत्र जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, दूरसंचार आयोग द्वारा यू एस वैस्ट इण्डिया लि. नामक एक भारतीय कंपनी को तमिलनाडु में 4 गौण स्विचन क्षेत्रों में प्रायोगिक परियोजना के लिए एक आशय-पत्र जारी किया है।

पुलिस बल के लिए दंगा नियंत्रण तरीके

6302. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुलिस बलों में दंगा नियंत्रण हेतु अत्याधुनिक तरीके लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या अन्य देशों में आधुनिक पुलिस बल भीड़ नियंत्रण हेतु कदाचित ही गोला-बारूद का प्रयोग करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आज की आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस बल को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने और सशस्त्र बनाने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्। देश में पुलिस बलों के प्रयोग के लिए अनेक दंगा नियंत्रक उपकरण, जैसे दंगा-विरोधी गन, रबड़ की गोलियां, वाटर कैनन, शॉक बैटक, दंगा-विरोधी वाहन पहले ही शुरू कर दिए गए हैं। अश्रु-गैस, गोला-बारूद की 18 नई किस्मों के उत्पादन को भी अनुमोदित किया गया है।

(ख) इस विषय में हमारे पास कोई प्रमाणिक सूचना नहीं है।

(ग) पूरे देश में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

ईंधन बचाने वाले स्नेहकों (फ्यूएल एफिसियेंट) का प्रयोग किया जाना

6303. **श्री शिव शरण वर्मा :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा देश में ईंधन बचाने वाले और पर्यावरणानुकूल स्नेहकों के प्रयोग करने हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत कोई ए एस्ट्रा एनर्जी एफिशिएंट लांग ड्रेन इंजन आयल—सर्वो सुपीरियर, एक्स ई. ई. एस. एच., बाजार में लाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने "सर्वो सुपीरियर एक्स ई. ई. एस. एच. 4 आई ओ डब्ल्यू-40" ब्रान्ड नाम के तहत अतिरिक्त ऊर्जा-कुशल गैसोलीन इंजिल आयल आरम्भ कर दिया है। यह उत्पाद पर्यावरणीय दृष्टि से एक अनुकूल उत्पाद अथवा लांग ड्रेन आयल के रूप में वर्गीकृत नहीं है। यह अद्यतन अमरीकी पेट्रोलियम संस्थान के विनिर्देशन ए पी आई एस एच/सी डी तथा ई सी–II स्तर को पूरा करता है जो कि मानक परीक्षण शर्तों के तहत 2.7 प्रतिशत की न्यूनतम ईंधन मितव्ययता सूचित करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्नेहक मानकीकरण तथा अनुमोदन समिति विनिर्देशन आई एल एस ए सी जी-I को भी पूरा करता है।

कृष्णा नदी से जल उठाना

6304. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के महबूब नगर जिले में सिंचाई के लिए कृष्णा नदी से फालतू पानी उठाने के बारे में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह प्रस्ताव कब से लम्बित है और लम्बित रखने के कारण क्या हैं;

(घ) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) जी, हां। भीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परियोजना रिपोर्ट मई, 1991 में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु केंद्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। परियोजना में कृष्णा जल विवाद अधिकरण द्वारा आंध्र प्रदेश को आबंटित 75% विश्वसनीय प्राप्ति के लगभग 800 टी. एम. सी. जल के अतिरिक्त वार्षिक रूप से 20 हजार मिलियन घन फुट अधिशेष कृष्णा जल के उपयोग की परिकल्पना की गई है। परियोजना पर 359 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और इससे आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में 2150 हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई की परिकल्पना की गई है।

(घ) केंद्रीय जल आयोग में परियोजना की जांच से पता चलता है कि परियोजना आयोजना में बड़ी कमियां हैं। और जल उपलब्धता दीर्घकालीन आधार पर स्थापित नहीं की गई है। परियोजना अगस्त, 1991 में राज्य को इस अनुरोध के साथ लौटा दी गई थी कि केंद्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करने के बाद संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

(ङ) परियोजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा पर्यावरणीय/वन/पुनर्वास और पुनर्स्थापन स्वीकृतियां जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने के अलावा, विभिन्न केंद्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करने पर निर्भर करती है।

जाली पासपोर्ट बनाने वाला गिरोह

6305. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अप्रैल, 1995 के अन्तिम सप्ताह के दौरान राजधानी में जाली पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस गिरोह की कार्य-पद्धति क्या है;

(ग) क्या इन जाली पासपोर्ट धारकों में से कुछ लोग इन पासपोर्टों पर विदेशों में जा चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सारी कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं अथवा किये जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की दिल्ली स्थित भ्रष्टाचार विरोधी शाखा ने 26.4.95 को भा. दं. सं. की धारा 420/467/468/471 के साथ पठित धारा 120-ख, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) (घ) के साथ पठित धारा 13 (2) और पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 12 के अधीन, 6 व्यक्तियों के खिलाफ, उनके द्वारा पासपोर्ट लेने के लिए तथ्यों को जानबूझ कर तथा छलपूर्वक छिपाने के आधार पर एक मामला दर्ज किया। यह पता चला है कि 1993 के दौरान, कुछ आवेदकों ने कुछेक सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचा जिसके परिणामस्वरूप झूठी सत्यापन रिपोर्टों के आधार पर तथा धोखाधड़ी वाले साधनों से पासपोर्ट जारी किए गए। अभियुक्त से अनेक अभिशंसी दस्तावेज भी बरामद किए गए।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अभियुक्तों में से एक श्री गोशा सिंह मामला दर्ज किए जाने के समय, तथाकथित रूप से हांगकांग में ठहरा हुआ था। दूसरा अभियुक्त श्री सुखजिंदर सिंह भी विभिन्न पासपोर्टों पर हांगकांग की यात्रा करता रहा था। इन दोनों व्यक्तियों के पासपोर्ट, महत्त्वपूर्ण जानकारी को दबाने के कारण, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10 (3) (ख) के अधीन जब्त कर लिए गए हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली ने भारत के सभी पासपोर्ट कार्यालयों को 1.5.95 को सावधान कर दिया कि वे प्रस्तुत किए जाने पर, इन पासपोर्टों को जब्त कर लें। हांगकांग स्थित भारतीय उच्चायोग को विदेश मंत्रालय ने यह निदेश दिया है कि वे 'आपात् प्रमाण-पत्र' जारी करें ताकि गोशा सिंह और सुखजिंदर सिंह को हांगकांग से भारत में वापस भेजे जाने/स्वदेश वापसी में सहायता मिल सके।

(ङ) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए किए गए उपायों में आसूचना व्यवस्था को मजबूत बनाना और जब भी ऐसा कोई मामला ध्यान में आए तो जोर-शोर से अनवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।

अघातक गोला बारूद

6306. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अप्रैल, 1995 के "द इकोनोमिक टाइम्स" में "ब्यूरोक्रेसी ए स्टम्बलिंग ब्लॉक टू कन्ट्रोलिंग द मोबूस द नॉन लीथल वे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) दंगाइयों से निपटने के लिए और अधिक प्रभावी, अघातक गोला बारूद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) टी. एस. यू., टेकनपुर की उत्पादक क्षमता 60,000 टी. एस. एम. प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,00,000 टी. एस. एम. प्रतिवर्ष कर दिए जाने संबंधी सी. सु. बल का प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन रहा है परंतु विभिन्न कारणों से कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। तथापि, हाल ही में इसकी उत्पादन क्षमता 80,000-85,000 टी. एस. एम. के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 1.50 लाख टी. एस. एम. प्रतिवर्ष कर देने का निर्णय लिया गया है। मामला इस समय वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

(ग) दंगा नियंत्रक बंदूकों, रबड़ की गोलियों, प्लास्टिक पैलेटों, वाटर कैनन, शॉक बेटन, दंगा नियंत्रण वाहनों आदि जैसे विभिन्न अघातक गोली बारूद का प्रयोग देश के पुलिस बलों में पहले ही शुरू कर दिया गया है। सद्य-विकसित 18 टी. एस. एम. के उत्पादन को भी मंजूरी दे दी गई है।

कल्याण योजनाएं

6307. **डा. के. वी. आर. चौधरी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निराश्रय बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस पर राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य-वार कितने स्वयंसेवी संगठन लगे हुए हैं; और

(घ) उक्त अविध में इन संगठनों को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) कल्याण मंत्रालय (1) बेसहारा बच्चों के कल्याण सम्बन्धी योजना और (2) वयोवृद्धों से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना कार्यान्वित कर रहा है।

वयोवृद्धों से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र में कम से कम दो वर्षों से कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को वृद्धावस्था गृहों की स्थापना के लिए दिवा देखभाल केन्द्रों और

सचल चिकित्सा देखभाल केन्द्रों तथा वयोवृद्धों के कल्याणार्थ गैर-संस्थागत सेवाओं में 90% सहायतानुदान (आदिवासी क्षेत्रों के मामले में 95%) दिए जाते हैं।

बेसहारा बच्चों के कल्याण की योजना के अन्तर्गत बेसहारा बच्चों की देखभाल, संरक्षण और विकास के लिए समेकित समुदाय आधारित गैर-संस्थागत सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को 90% सहायतानुदान दिया जाता है। प्रत्येक स्वयंसेवी संगठन से 300 बच्चों के लिए एक परियोजना कार्यान्वित करने की अपेक्षा की जाती है। प्रत्येक परियोजना को व्यावसायिक योग्यताओं एवं रखरखाव की सुविधाओं सहित आवश्यक स्टाफ, पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं पठन सामग्री का समर्थन प्राप्त होता है।

(ख) से (घ) उक्त दो योजनाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

विवरण I

बेसहारा बच्चों के कल्याण की योजना (1993-94 से शुरू की गई)

क्र. सं.	राज्य का नाम	गैर-सरकारी संगठनों की सं.		निर्मुक्त अनुदान (लाख रु.)	
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	6	0.62	22.17
2.	असम	–	2	–	3.08
3.	गुजरात	3	5	8.05	22.92
4.	कर्नाटक	3	6	6.44	22.09
5.	केरल	–	2	–	1.85
6.	मध्य प्रदेश	–	5	–	9.23
7.	महाराष्ट्र	8	10	17.11	44.42
8.	मणिपुर	–	1	–	5.54
9.	मिजोरम	–	1	–	1.23
10.	उड़ीसा	–	1	–	1.23
11.	राजस्थान	–	2	–	2.47
12.	तमिलनाडु	6	6	20.95	42.37
13.	उत्तर प्रदेश	4	4	12.32	22.65
14.	पश्चिमी बंगाल	7	24	27.74	76.96
15.	दिल्ली	7	6	18.22	23.53
	योग	39	81	111.45	301.74

विवरण II

वयोवृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना

क्र. सं.	राज्य का नाम	गैर-सरकारी संगठनों की सं.			निर्मुक्त अनुदान (रु. लाख में)		
		92-93	93-94	94-94	92-93	93-94	94-95
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	आन्ध्र प्रदेश	21	44	101	26.30	60.84	145.52
2.	असम	2	1	2	0.75	2.10	2.08
3.	बिहार	1	2	3	0.36	4.50	3.16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	गुजरात	—	2	2	—	0.97	3.35
5.	हरियाणा	7	7	10	3.60	5.37	10.16
6.	हिमाचल प्रदेश	1	1	1	0.15	0.37	1.08
7.	कर्नाटक	2	4	10	2.53	3.08	11.00
8.	केरल	1	—	5	0.23	—	4.77
9.	महाराष्ट्र	6	4	8	2.69	4.17	7.7
10.	मध्य प्रदेश	2	2	8	4.34	1.44	9.01
11.	मणिपुर	5	12	15	5.85	22.73	17.45
12.	उड़ीसा	16	19	29	21.25	41.10	63.84
13.	पंजाब	1	2	1	0.13	0.73	0.60
14.	राजस्थान	5	2	2	2.45	2.17	4.56
15.	तमिलनाडु	16	30	39	18.45	43.04	57.34
16.	त्रिपुरा	2	2	2	5.86	7.27	16.31
17.	उत्तर प्रदेश	15	42	58	5.94	49.61	79.82
18.	पश्चिम बंगाल	24	35	43	32.52	51.96	82.91
19.	दिल्ली	6	5	6	13.32	4.37	5.75
20.	पांडिचेरी	1	—	1	1.95	—	0.62
	योग	134	216	346	148.87	305.82	528.50

परियोजनाओं को पूरा किया जाना

6308. **श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हाल ही में अनुमान लगाया है कि बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 70,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी ?

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए योजना आयोग किस प्रकार धन जुटाएगा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख) मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबोधन प्रणाली पर कुल 1,19,973.5 करोड़ रु. की अनुमानित लागत की 154 मेगा तथा बड़ी परियोजनाएँ थीं। मार्च, 1995 के अंत तक का अनुमानित व्यय 55039.7 करोड़ रु. है। इन परियोजनाओं को पूरा करने में शेष लागत का अनुमानित व्यय 64933.8 करोड़ रुपयों का है।

(ग) इन योजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था योजना आबंटन से किया जाना प्रस्तावित है जिसमें वर्तमान कम्पनियों के आंतरिक संसाधन, बजटीय सहायता तथा अतिरिक्त बजट सहायता शामिल हैं।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता सेवाएं

6309. **श्री मोहन रावले :**

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने उपभोक्ता सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने दिल्ली में जून, 1995 तक नए टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए कोई निर्णय

लिया था,

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है,

(ङ) क्या नए टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची को जून, 1995 तक निपटा दिया जाएगा, और

(च) यदि नहीं, तो उक्त प्रतीक्षा सूची को निपटाने के और मांग पर टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु कब तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग 'ग' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) महानगर टेलीफोन निगम लि. दिल्ली में किस तारीख तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे, इसके बारे में अभी निर्णय लिया जाना है। महानगर टेलीफोन निगम लि. का स्वयं का यह उद्देश्य है कि 1995 के अंत तक सभी मौजूदा प्रतीक्षा-सूची को निपटा दिया जाए बशर्ते कि समय पर उपस्कर सामग्री और वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, महानगर टेलीफोन निगम लि. की यह योजना है कि 1995-96 के दौरान 2.6 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 में दिल्ली सहित संपूर्ण देश में वर्ष 1997 तक मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना शामिल है।

विवरण

उपभोक्ता सेवा में सुधार के लिए उठाये गये कदम

1. **वाणिज्यिक कार्यों का विकेन्द्रीकरण** : पहले वाणिज्यिक मुख्यालयों पर संपादित किए जा रहे निम्नलिखित कार्यों को मंडल स्तरों पर क्विक कस्टमर सर्विस केन्द्रों पर विकेन्द्रीकृत किया गया है।

स्थानीय शिफ्ट

ओ. बी. जारी होने पर पते में परिवर्तन

90 दिन तक सेफ कस्टडी में टेलीफोन काटना/जोड़ना

एस. टी. डी./आई एस डी बार करना

एस. टी. डी./डायनेमिक एस. टी. डी. का प्रावधान/दोबारा चालू करना।

सहायक सामग्री की व्यवस्था करना/हटाना

फोन प्लस सेवा का प्रावधान।

2. प्राइवेट वायर, पट्टे के सर्किटों, डाटा लाइनों आदि के आवेदनों को एक स्थान पर निपटाने के लिए व्यापार संचार मंडल का खोला जाना।

3. मोबाइल टेलीफोन बिल संकलन वाहनों का शुरू किया जाना।

4. रात्रि में आपातकालीन सहायता सुविधा शुरू करना।

5. दिल्ली से बंबई और मद्रास के नंबरों के लिए आन लाइन डाइरेक्टरी पूछताछ सेवा शुरू करना।

6. बिल तैयार करने की पद्धति और वाणिज्यिक प्रचालनों में पर्याप्त रूप से सुधार लाने के लिए 1995-96 के दौरान, विस्तृत कंप्यूटरीकृत वित्त प्रबंध प्रणाली लागू की जा रही है।

7. 1995-96 के दौरान कंप्यूटरीकृत एफ. आर. एस. व्यवस्था का शेष एक्सचेंजों में विस्तार किया जा रहा है जो कि इस समय दिल्ली के आठ और बंबई के 19 एक्सचेंजों में उपलब्ध है।

8. 1995-96 के दौरान परिवर्तित नंबरों की सूचना देने वाली विकेन्द्रीकृत आटोमेटिक प्रणाली के कार्यान्वयन की योजना बनाई गई है।

9. डाइरेक्टरी पूछताछ सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से 1995-96 के दौरान विकसित डाइरेक्टरी पूछताछ प्रणाली के कार्यान्वयन की योजना बनाई गई है।

10. दिल्ली के एक एक्सचेंज में 1995-96 के दौरान प्रायोगिक आधार पर एक इंटरऐक्टिवग्राफिक प्रणाली की योजना बनाई गई है, जिससे केबिल की योजना बनाने, नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने और केबिल पेयरों के आवंटन में सहायता मिलेगी। बाद में, सफल परीक्षण के पश्चात् यह प्रणाली अन्य एक्सचेंजों में प्रदान की जाएगी। बंबई के लिए पहले से ही इंटर-ऐक्टिव-ग्राफिक प्रणाली प्राप्त हो चुकी है।

गुजरात में टेलीग्राम सेवा

6310. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सीधी टेलीग्राफ सेवा किन-किन स्थानों पर उपलब्ध है;

(ख) निकट भविष्य में यह सेवा किन-किन स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएगी, और

(ग) राज्य में टेलीग्राफ सेवा में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण "I" में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण "II" में दिये गये है।

(ग) राज्य में तार सेवा के सुधार के लिए किए गए और किए जा रहे उपाय इस प्रकार हैं :

(एक) अहमदाबाद और राजकोट में क्रमशः एक एस एफ एम एस 128 लाइन प्रणाली तथा एक एस एफ एम एस 32-एल प्रणाली संस्थापित की गई है।

(दो) सूरत में एक टेलीप्रिंटर कनसनस्ट्रैटर और अहमदाबाद में एक फोनोग्राम कनसेन्ट्रेटर संस्थापित किया गया है।

(तीन) अहमदाबाद, बड़ोदरा, भड़ोंच, राजकोट, जामनगर, आनंद, भावनगर, गोधरा और सूरत में इलेक्ट्रानिक की बोर्ड कनसनट्रेटर संस्थापित किए गए हैं।

(चार) राजकोट, बड़ोदरा और भावनगर में 1995-96 के दौरान टेलीप्रिंटर कनसनट्रेटर संस्थापित करने की योजना है।

(पांच) 1995-96 के दौरान 72 इलेक्ट्रानिक की-बोर्ड सहित इलेक्ट्रानिक की-बोर्ड की 8 मदें संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

विवरण I

बड़ी और छोटी कंप्यूटरीकृत प्रणालियों के माध्यम से जिन स्थानों पर डाइरेक्ट टेलीग्राफ सुविधा प्रदान की गई है उनके नाम

अहमदाबाद	धरंगधरा	राजकोट
अहमदाबाद--महीनगर	डीसा	राजकोट-भक्तीनगर
अहमदाबाद--नवरंगपुरा	दोहोद	रानदेर
अहमदाबाद--रारायणपुरा	दमान	राजपीपला
अहमदाबाद--रारोडा	धारोल	सूरत
अहमदाबाद--रेलवेपुरा	युमास	सुरेन्द्र नगर
अहमदाबाद--शाहीबाग	गंधीधाम	सावरकुंडला
अहमदाबाद--वासन	गोधरा	सर-नानपुरा
अहमदाबाद--बापूनगर	कांधीधाम	सिलवासा
अहमदाबाद--वाटवा	गोंडल	सापन
अहमदाबाद--ओधव	हिम्मतनगर	थगाढ़
अमरेली	जामनगर	उन्झा
आनंद	जामनगर-दिगविजयप्लाट	उना (सोरठ)
अतुल	जूनागढ़	उपलेटा
अमोड	जोतपुर	उधना
अंकलेश्वर	जंबूसर	इकाई
बड़ौदा	कान्डी	वेटावल
बड़ौदा--एललीरापार्क	कालोल (उत्तर गुजरात)	विसनगर
बड़ौदा--फतेहगंज	किम	वापी
बड़ौदा--माकरपुरा	कांडला	वीरमगांव
बड़ौदा--फर्टीलाइजरनगर	कोडीनार	व्यारा
बड़ौदा--पेट्रो केमिकल	कच्छ (माडवी)	वलसाड
बड़ौदा--जवाहर नगर	केलोड	वांकनेर
भावनगर	महेसांणा	अंजार
भड़ौंच	महुवा	बिलीमोरा
भुज	मोरबी	धोराजी
बोटाड	माधी	कालील (पी एम)
बारदोली	नाडियाड	ओलपाड
चलथान	नवासरी	पालनपुर
छोटा उदयपुर	पोरबंदर	--
बावला	पाटन	
धोलका	पाढारी	
	पालोज	

विवरण II

उन स्थानों के नाम जहां डाइरेक्ट टेलीग्राफ सर्विस प्रदान किए जाने की संभावना है

अंबाजी	लाखंपट
अबदासा	लिलिया
अमलसाद	मोहमेदाबाद
भचाऊ	मुन्दास
भेसन	मेडारडा
बोरसाड	मालियारतिना
बाबरा	मूली
चिखली	नालिया
चोटीला	नाखद्राना
बन्नासमा	पाडरी
धरमपुर	रानवाव
दांता	राजूला
डाकोर	राफंर
घाटी	राधनपुर
धनेटा	सामी
दिऊ	संजान

फोर्ट सोनागढ़	सयाला
हालबाड	थारा
इदार	तलाला
जाफराबाद	थसारा
काठलाल	उमरगांव
करमासाद	वडगांव
कुटियाना	वीजापुर
खंबा	विसवादर
कपाडयंज	वेनथाली
कोडीनार	वाव
खेरालू	वांसदा
खेडा	वाघवन
कुनकवाब	साबरमती और ड्राइव-इन-रोड
लिंबडी	अहमदाबाद
लखतार	राजकोट में कालावाड रोड
लाठी	

तमिलनाडु में पंचायतों को टेलीफोन

6311. श्री पी. कुमारसामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में इस समय कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है, और

(ख) राज्य में सभी पंचायतों को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु राज्य की कुल 13288 ग्राम पंचायतों में से केवल 480 ग्राम पंचायतों में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) सरकार ने संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, वर्ष 1997 तक ग्राम पंचायतों सहित सभी ग्रामों में उत्तरोत्तर रूप से सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की नीति (राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994) अपनाई है।

वार्षिक योजना

6312. श्री एन. जे. राठवा :
डॉ. अमृतलाल कालिदास पटेल :
श्री काशीराम राणा :
श्री हरिलाल ननजी पटेल :
श्री नुरूल इस्लाम :
श्री कुंजी लाल :
श्री खेलन राम जांगडे :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी वार्षिक योजना परिव्यय मंजूर किया गया या दिया गया;

(ख) 1995-96 के लिए विभिन्न क्षेत्रों हेतु राज्यवार/संघ राज्य-क्षेत्रवार कितना वार्षिक योजना परिव्यय मंजूर किया गया।

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से केन्द्रीय सहायता की राशि बढ़ाने के लिए आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ङ) नीचे दिए गए ब्यौरे विवरण I, II और III संलग्न हैं :

(1) विवरण I वर्ष 1992-93 से 1995-96 तक के लिए सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के, जैसा भी मामला हो, मूल/संशोधित अनुमोदित परिव्यय तथा वास्तविक/प्रत्याशित व्यय तथा

(2) विवरण II और III सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 1995-96 के क्षेत्रकवार परिव्यय।

राज्यों के लिए निवल केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित एक फार्मूले के आधार पर तय की जाती है, जिसमें विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 30 प्रतिशत अलग रखने के बाद शेष राशि को जनसंख्या, प्रतिव्यक्ति आय, निष्पादन तथा विशेष समस्याओं से संबंधित मानदंड के आधार पर गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के बीच वितरित कर दी जाती है।

विवरण I

वार्षिक योजनाएं 1992-93 से 1994-95 मूलरूप से अनुमोदित/संशोधित परिव्यय/व्यय–राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 1992-93			वार्षिक योजना 1993-94			वार्षिक योजना 1994-95		वार्षिक योजना 1995-96	
		मूलरूप से अनुमोदित परिव्यय	अनुमोदित संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	मूलरूप से अनुमोदित परिव्यय	अनुमोदित संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	मूलरूप से अनुमोदित परिव्यय	अनुमोदित संशोधित परिव्यय	प्रत्याशित परिव्यय परिव्यय	मूलरूप से अनुमोदित परिव्यय
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	आंध्र प्रदेश	1660.00	1675.00	2364.04	1851.00	1851.00	2867.46	2130.00	2170.00	2170.00	3159.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	245.00	235.35	233.61	290.00	263.91	263.91*	335.00	332.97	$	471.00
3.	असम	960.00	700.00	655.44	1027.00	872.00	862.19	1051.00	997.20	1052.98	1418.32
4.	बिहार	2202.73	1100.00	1149.18	2300.00	750.00	750.00*	2400.00	900.00	$	@
5.	गोवा	152.50	153.42	141.96	170.00	144.50	147.94	182.00	163.38	163.38	210.00
6.	गुजरात	1875.00	1875.00	1939.75	2137.00	1900.00	1900.00*	2240.00	2240.83	$	2610.00
7.	हरियाणा	830.00	804.57	748.36	920.00	839.08	806.82	1025.00	1019.05	1079.90	1250.00
8.	हिमाचल प्रदेश	486.00	490.50	490.98	560.00	5620.82	570.73	650.00	666.32	660.32	750.00
9.	जम्मू व कश्मीर	820.00	623.00	620.00	880.00	684.00	653.74	950.00	868.00	950.00	1030.00
10.	कर्नाटक	1915.00	1915.00	1971.41	3025.00	3025.00	3025.46	3275.00	2800.00	3396.94	3575.00
11.	केरल	913.00	750.00	825.32	1000.00	1019.77	1013.06	1260.00	1260.00	1386.10	1550.00
12.	मध्य प्रदेश	2400.00	1792.00	1992.03	2400.00	2018.21	2235.88	2750.00	2253.29	2549.59	2900.00
13.	महाराष्ट्र	3160.00	3208.80	3372.80	3804.00	3832.80	3832.80*	4400.00	4758.00	$	@
14.	मणिपुर	210.00	171.30	170.95	230.00	174.84	174.84*	240.00	214.50	$	300.00
15.	मेघालय	241.00	241.00	198.98	281.00	281.00	195.99	281.00	232.12	220.35	306.52
16.	मिजोरम	160.00	165.18	165.17	185.00	181.90	174.31	207.66	202.53	192.41	227.00
17.	नागालैंड	185.00	110.19	110.55	203.50	168.41	168.41 *	220.00	84.39	134.36	240.00
18.	उड़ीसा	1405.00	1055.00	1054.33	1450.00	1095.19	1095.19 *	1951.00	1464.18	$	1650.00
19.	पंजाब	1500.00	856.50	885.30	1250.00	1140.00	1142.80	1450.00	1374.46	1450.00	1675.00
20.	राजस्थान	1400.00	1410.00	1406.67	1700.00	1704.76	1743.32	2450.00	2450.00	2450.00	3200.00
21.	सिक्किम	110.00	110.00	102.53	120.00	100.12	121.62	135.00	135.00	136.05	192.00
22.	तमिलनाडु	1751.00	1766.75	1934.59	2101.00	2102.21	2234.45	2750.00	2750.75	2795.26	3200.00
23.	त्रिपुरा	282.00	240.00	217.94	310.00	220.03	224.16	310.00	244.57	250.30	350.00
24.	उत्तर प्रदेश	3853.00	3149.99	3457.61	4050.00	2800.00	3249.58	4562.00	3639.84	3870.31	5477.50
25.	पश्चिम बंगाल	1501.00	703.50	881.59	1550.00	1020.94	1217.00	1706.00	1483.31	1483.31	2065.00
	जोड (राज्य)	30217.23	25302.05	27091.09	33794.50	28752.49	30671.66	38910.66	34704.69		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
संघ राज्य संघ क्षेत्र											
26.	अ. और नि. द्वीपसमूह	155.00	155.00 #	125.83	156.50	156.50	154.13	205.00	200.00	199.49	215.00
27.	चण्डीगढ़	68.00	68.00 #	65.32	80.00	80.00 #	79.83	88.00	88.00 #	88.00	100.00
28.	दादरा और नगरहवेली	18.15	18.15 #	18.16	22.00	22.00 #	23.96	25.00	27.00	25.99	29.00
29.	दमन और द्वीव	14.50	14.50#	14.45	16.00	16.00 #	15.64	18.50	21.50	25.22	23.00
30.	दिल्ली	920.00	909.63	911.07	1075.00	980.00	959.83	1560.00	1560.00 #	$	1720.00
31.	लक्षद्वीप	25.00	25.00 #	19.32	32.00	32.00 #	23.30	32.00	32.00 #	32.67	388.60
32.	पांडिचेरी	90.00	90.00	87.77	108.00	108.00	108.00*	135.00	135.00	135.00	175.52
जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)		1290.65	1280.28	1241.92	1489.50	1394.50	1364.69	2063.50	2063.50		
जोड़ (राज्य+संघ राज्य)		31507.88	26582.33	28333.01	35284.00	30146.99	32036.35	40974.16	36768.19		

* व्यय के ब्यौरे सूचित नहीं किए गए हैं। अनुमोदित संशोधित परिव्यय का उपयोग किया गया।

$ उपलब्ध नहीं।

\# संशोधित की मांग नहीं, अनुमोदित परिव्यय दोहराये गये।

@ योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

विवरण II

वार्षिक योजना 1995-96 परिव्यय (मुख्य-शीर्ष-वार) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	ग्रामीण विकास	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	ऊर्जा	उद्योग और खनिज
1.	असम	16600	9600	357	9604	20368	8048
2.	गोवा	1119	315	0	3548	·1780	708
3.	हरियाणा	8964	3427	762	24836	26185	5618
4.	हिमाचल प्रदेश	10769	2532	0	3176	14086	2015
5.	कर्नाटक	23735	19055	10000	88262	68906	21295
6.	मेघालय	3812	1830	328	1873	3665	1399
7.	मिजोरम	2190	3735	123	252	3000	991
8.	नागालैंड	2110	3414	178	370	2165	907
9.	पंजाब	10789	4648	1376	15143	70362	6565
10.	राजस्थान	31740	19674	752	47941	81522	13519
11.	सिक्किम	1942	976	0	267	2637	1695
12.	तमिलनाडु	26565	19510	0	13773	77075	35000

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	ग्रामीण विकास	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	ऊर्जा	उद्योग और खनिज
13.	त्रिपुरा	4758	3555	2200	1250	4879	1725
14.	पश्चिम बंगाल	10278	15493	2175	17100	61512	20558
15.	अंडमान व निको. द्वीपसमूह	1573	319	0	212	1690	1003
16.	चंडीगढ़	260	180	0	20	1010	147
17.	दादरा व नगर हवेली	522	57	0	156	489	89
18.	दमन व द्वीव	160	20	0	102	344	50
19.	दिल्ली	1360	5925	0	1667	44000	700
20.	लक्षद्वीप	683	109	0	185	404	180
21.	पांडिचेरी	2240	493	0	633	4043	2092

टिप्पणी 1 : आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश हेतु वार्षिक योजना–1995-96 के राज्यवार ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

टिप्पणी 2 : महाराष्ट्र और बिहार हेतु वार्षिक योजना 1995-96 के आकार और क्षेत्रकवार ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण III

वार्षिक योजना 1995-96 परिव्यय (मुख्य शीर्ष-वार) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रुपए)

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परिवहन	संचार	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	सामान्य आर्थिक सेवाएं	सामाजिक सेवाएं	सामान्य सेवाएं	जोड़
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	असम	12310	0	474	4444	58169	1826	141800
2.	गोआ	3245	0	80	312	8570	1323	21000
3.	हरियाणा	6694	0	241	1942	45538	793	125000
4.	हिमाचल प्रदेश	7596	100	122	6872	26223	1509	75000
5.	कर्नाटक	18224	0	599	1260	102564	3600	357500
6.	मेघालय	7245	0	120	979	8351	1050	30652
7.	मिजोरम	3347	0	40	1405	5674	1943	22700
8.	नागालैंड	3049	0	32	3468	7359	948	24000
9.	पंजाब	6108	0	552	4128	44409	3420	167500
10.	राजस्थान	25108	0	520	8107	87504	3613	320000
11.	सिक्किम	1863	0	104	267	5040	4409	19200

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
12.	तमिलनाडु	30753	0	606	768	114415	1535	320000
13.	त्रिपुरा	3490	37	106	1062	11538	400	35000
14.	पश्चिम बंगाल	15080	0	219	2141	57831	4113	206500
15.	अंडमान और निको. द्वीपसमूह	9096	0	54	803	6316	434	21500
16.	चंडीगढ़	355	0	44	275	7661	48	10000
17.	दादरा व नगर हवेली	381	0	5	102	1063	36	2900
18.	दमन व दीव	300	0	13	230	891	190	2300
19.	दिल्ली	18141	0	86	1223	92154	6744	172000
20.	लक्षद्वीप	1306	15	49	137	686	106	3860
21.	पांडिचेरी	1264	0	65	244	6119	359	17552

मिट्टी के तेल और रसोई गैस के मूल्य

6313. **श्री राजेश कुमार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मिट्टी के तेल और रसोई गैस के मूल्यों को नियंत्रण मुक्त करने का है, और

(ख) यदि हां, तो इन उत्पादों की बिक्री में कितनी राजसहायता अन्तर्ग्रस्त है और इन उत्पादों को नियंत्रणमुक्त करने का क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्तमान समय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, मिट्टी के तेल और एल पी जी दोनों के लिए एक समानान्तर विपणन योजना 1993 से लागू है।

(ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिए इन दो उत्पादों पर राजसहायता की धनराशि निम्नानुसार रही है :

	करोड़ रुपए में	
	1993-94 (अनुमानित)	1994-95 (अनुमानित)
मिट्टी का तेल (घरेलू)	3773	3740
एल पी जी (घरेलू)	1261	1410

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शन

6314. **डॉ. आर. मल्लू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 1994-95 के दौरान नए टेलीफोन कनेक्शन आबंटित करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) फरवरी, 1995 के अंत तक उनमें से कितने टेलीफोनों ने कार्य करना शुरू कर दिया था;

(ङ) क्या इस संबंध में वर्ष 1995-96 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) नए टेलीफोन कनेक्शनों (सीधी एक्सचेंज लाइनें) के लिए निवल लक्ष्य 14.26 लाख लाइनों का था।

(ग) जी हां। वर्ष 1994-95 के दौरान जोड़े गए नए टेलीफोन कनेक्शनों को निवल संख्या 14.26 लाख लाइनों के लक्ष्यों की तुलना में 17.69 लाख है।

(घ) फरवरी, 1995 के अंत तक 11.39 लाख कनेक्शन प्रदान किए गए थे।

(ङ) और (च) जी हां। वर्ष 1995-96 में सीधी एक्सचेंज लाइनों के लिए निर्धारित लक्ष्य 20 लाख लाइनों का है।

भूकम्पीय सर्वेक्षण

6215. **श्री रामप्रसाद सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ. आई. एल.) ने 1994-95 के दौरान कोई भूकम्पीय सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान क्या उपलब्धियां रहीं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भूकम्पीय सर्वेक्षण का ब्यौरा निम्नानुसार है :

राज्य	इकाई	1994-95 में वास्तविक उपलब्धि
असम और अरूणाचल प्रदेश	2डी एस एल के एम	1865.30
	3डी एस क्यू के एम	151.21
उत्तर प्रदेश (पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काशीपुर)	2डी जी एल के एम	746.45

[हिन्दी]

बाढ़ नियन्त्रण

6316. **श्री दत्ता मेघे :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को बाढ़ तथा भूमि कटाव नियंत्रण हेतु कोई योजना स्वीकृति हेतु भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से मूल्यांकन और स्वीकृति के लिए बाढ़ नियंत्रण और भूमि कटाव संबंधी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

स्मारक टिकट

6317. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव बाड़े :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रतिष्ठित कवि स्वर्गीय श्री गुर्रम जाशुवा के शताब्दी समारोह के अवसर पर एक स्मारक टिकट निकालने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं। स्व. श्री गुर्रम जाशुआ पर स्मारक डाक-टिकट जारी करना स्मारक डाक-टिकटों के कार्यक्रम में शामिल नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्व. श्री गुर्रम जाशुआ पर डाक-टिकट प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर स्मारक डाक-टिकट जारी करने के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है।

अर्द्ध-सैनिक बलों का पुनर्गठन

6318. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अर्द्ध-सैनिक बलों का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा एवं उद्देश्य क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

गगनचुंबी इमारतें

6319. **श्री शिव शरण वर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में गगनचुंबी इमारतों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन सभी इमारतों में आग बुझाने संबंधी पर्याप्त उपकरण लगायें गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) राजधानी में इस समय लगभग 800 गगन चुम्बी इमारतें हैं।

(ख) ऐसी 18 इमारतों के सिवाय शेष सभी इमारतों में पर्याप्त रूप में अग्नि-शमन उपकरण लगाए गए हैं।

(ग) जिन इमारतों में अग्नि-शमन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप में पूरा नहीं किया जाता है, उन गगन-चुम्बी इमारतों के मालिकों/दखलदारों को दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 के तहत समय-समय पर नोटिस जारी किए जाते हैं। इन उपकरणों को लगाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। कुछ मामलों में दण्ड देने की कारवाई भी शुरू की गई है।

भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा प्रतिस्पर्धा

6320. **श्री एस. एम. लालजान बाशा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग ने टेलीफोन उपकरणों के विदेशी निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी, हां। आई टी आई लिमिटेड, अपने ढांचे का पुनर्गठन कर रहा है और बेहतर सेवा तथा दक्ष कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए स्विचन, संचारण, टर्मिनल उपस्कर, माइक्रो-इलैक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर, नेटवर्क प्रणालियों आदि के क्षेत्रों में कुशल व्यापार दलों का गठन कर रहा है।

कंपनी, अतिरिक्त (इन-हाउस) अनुसंधान एवं विकास प्रयासों अथवा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करारों के माध्यम से विकसित स्टेट ऑफ दी आर्ट प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके, समुचित उत्पादों में विविधता लाने और उनके विनिर्माण पर विचार कर रही है। कंपनी, बाजार-व्यवस्था को भी सुदृढ़ बना रही है।

तमिलनाडु में डाक तथा तार सुविधाएं

6321. **श्री पी. कुमारासामी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में डाक तथा तार की सुविधा वाले गांवों की जिलावार

संख्या कितनी है;

(ख) 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान राज्य में जिलावार तथा वर्षवार कितने गांवों में डाक तथा तार सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान राज्य के जिन-जिन गांवों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी; उनका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) डाकघर : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

तारघर : तमिलनाडु के उन गांवों की जिलावार संख्या, जहां तारघर सुविधाएं उपलब्ध हैं, विवरण-I में दी गई है।

(ख) राज्य के उन गांवों की जिलावार और वर्षवार संख्या क्रमशः विवरण-II और III में दी गई है, जहां 1993-94 और 1994-95 के दौरान डाक व तार सुविधायें सुलभ कराई गई हैं।

(ग) **डाकघर** : आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए डाकघर खोलने के लक्ष्य को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

तारघर : तार सुविधा मांग और परियात की मात्रा पर आधारित औचित्य होने पर सुलभ कराई जाती है।

विवरण I

क्रम सं.	जिले का नाम	उन गांवों की संख्या जहां डाकघरों में तार सुविधायें सुलभ हैं
1.	कोयम्वतूर	441
2.	सलेम	324
3.	परियार	165
4.	धर्मापुरी	352
5.	नीलगिरी	58
6.	तिरूचिरापल्ली	497
7.	पुडुकोट्टई	188
8.	वेल्लूर अम्बेडकर	295
9.	तिरूवन्नामलाई सम्बूवरयार	96
10.	रामासामी पदयाची	172
11.	दक्षिण आर्काट वल्लार	248
12.	मदुरै	399
13.	अन्ना	219
14.	रामनाथपुरम	434
15.	पासुमपोन	434
16.	कमराजार	245
17.	पांडिचेरी	18
18.	तंजावुर	502
19.	कैदेमीलात	44
20.	कट्टाबोम्मन	320
21.	वी. ओ. छिदम्बरनार	443
22.	कन्याकुमारी	417
23.	चेंगलपट्ट एम जी आर	560
24.	मद्रास	10
	कुल	6447

विवरण II

तमिलनाडु राज्य में 1993-94 और 1994-95 के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या

क्रम सं.	जिले का नाम	1993-94 के दौरान खोले गए डाकघर	1994-95 के दौरान खोले गए डाकघर
1.	चेंगलपट्टी	–	–
2.	कोयम्बतूर	–	–
3.	धर्मापुरी	1	–
4.	डिंडीगुल अन्ना	–	–
5.	कमराजार	–	–
6.	कन्याकुमारी	–	–
7.	मद्रास	–	–
8.	मदुरै	–	–
9.	एन. क्यू. मिल्लेथ	–	–
10.	नीलगिरी	2	–
11.	एन. ए. अरवेधार	–	–
12.	पी. एन थेवूर	–	–
13.	पेरियार	–	–
14.	पुदुकोट्टा	2	–
15.	रामनाथपुरम	1	2
16.	सलेम	–	–

क्रम सं.	जिले का नाम	1993-94 के दौरान खोले गए डाकघर	1994-95 के दौरान खोले गए डाकघर
17.	एस. ए. वेल्लूर	2	–
18.	थंजावुर .	1	–
19.	तिरनेलिरापट्टी	–	–
20.	टिकाट्टेबोमेन	2	–
21.	टी. वमाला साबूयार	–	–
22.	वी. रे. पादयुजन	–	–
23.	वोछीडेबोरा	–	–
	कुल	11	2

		1993-94	1994-95
8.	तिरूवन्नामलाई सम्बूवरयार	4	–
9.	रामसामी पदयाची	3	–
10.	दक्षिण आर्काट वल्लार	5	1
11.	मदुरै	4	1
12.	अन्ना	7	2
13.	रामनाथपुरम	3	2
14.	पासुमपोन	7	1
15.	कमराजार	4	1
16.	तंजावुर	2	–
17.	केदेमीलात	1	–
	कुल	53	11

विवरण III

क्रम सं.	जिले का नाम	गांवों की संख्या जिनमें निम्नलिखित वर्षों के दौरान तार सुविधा उपलब्ध कराई गई	
		1993-94	1994-95
1.	कोयम्बतूर	2	1
2.	सलेम	1	–
3.	परियार	–	1
4.	धर्मापुरी	–	1
5.	तिरूचिरापल्ली	1	–
6.	पुडुकोट्टई	1	–
7.	वेल्लूर अम्बेडकर	8	–

[हिन्दी]

गुजरात में दूरसंचार-सुविधाएं

6322. **श्री एम. जे. राठवा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के जनजाति-बहुल महत्त्वपूर्ण पर्यटक-स्थलों पर दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हाँ।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गुजरात में जनजाति-बहुल पर्यटक-स्थानों पर दूरसंचार सुविधाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	पर्यटक स्थान का नाम	दूरसंचार टेलीफोन एक्सचेंज	उपलब्ध सुविधा
1.	अम्बाजी	720 लाइन एन ई ए एक्स	एसटीडी सुविधा सहित
2.	बलराम	128 पी सी डॉट (चित्रासानी में)	ग्रुप डायलिंग सुविधा सहित
3.	कुंभारिया	720 लाइन एन ई ए एक्स (अम्बाजी में)	एसटीडी सुविधा-सहित
4.	शुक्लातीरथ	128 पी सी-डॉट	ग्रुप डायलिंग सुविधा सहित
5.	चान्दोद्र	128 पी सी-डॉट	ग्रुप डायलिंग सुविधा सहित
6.	मालसर	–	(1995-96 के लिए ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन की योजना)
7.	सुवर्णेश्वर	512 पी आई-एलटी (केवाडिया कॉलोनी में)	एसटीडी सुविधा सहित
8.	सरदार सरोवर डैम (केवाडिया डैम)	512 पी आईएलटी	एसटीडी सुविधा सहित
9.	पावगढ़	128 पी सी-डॉट	एसटीडी सुविधा सहित

1	2	3	4
10.	रतनमहल	128 पी सी-डॉट (धानपुर में)	
11.	इदार	1400 सी-डॉट	एसटीडी सुविधा सहित
12.	देव नी मोरी	128 पी सी-डॉट (शामलजी में)	एसटीडी सुविधा सहित
13.	शामलजी	128 पी सी-डॉट	
14.	तिथल	2X1200 सी-डॉट 2400 एम ए एक्स II (वलसादु में)	एसटीडी सुविधा सहित
15.	विलसन हिल	1996-97 के लिए विलसन हिल से 2 कि. मी. पांगार वारडी में टेलीफोन एक्सचेंज को भेजना है)	
16.	उदायडा	512 आई एल टी	एसटीडी सुविधा सहित
17.	उनाई	128 पी सी-डॉट	
18.	सपुतारा	128 पी सी-डॉट	एसटीडी सुविधा सहित

[अनुवाद]

टेलीफोन डायरेक्टरी

6323. **डॉ. आर. मल्लू :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियमित समयावधि पर मानक टेलीफोन डायरेक्टरियां निकालने के संबंध में कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि डायरेक्टरी सूचना नियमित रूप से उपलब्ध नहीं है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि टेलीफोन डायरेक्टरियां पूर्ण सूचना सहित नियमित आधार पर प्रकाशित की जाएं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। टेलीफोन डायरेक्टरियां हर वर्ष प्रकाशित की जानी होती हैं।

(ख) जी नहीं। डायरेक्टरी सूचना को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाता है तथा यह सूचना डायरेक्टरी पूछ-ताछ सेवा में निःशुल्क उपलब्ध होती है।

(ग) टेलीफोन डायरेक्टरियों को समय पर प्रकाशित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। जब कभी येलो पेजेज स्कीम के अंतर्गत ठेकेदार की मार्फत उन्हें मुद्रित कराने में अनावश्यक विलम्ब होता है तो उन्हें विभागीय रूप से मुद्रित कराने के भी प्रयास किए जाते हैं।

सांख्यिकीय प्रणाली का पुनर्गठन

6324. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सांख्यिकीय प्रणालियों के पुनर्गठन के अपने कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता माँगने का है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं जिसके परिणामस्वरूप व्यापक कम्प्यूटरीकरण और सांख्यिकीय कार्मिकों को प्रशिक्षण मिलने की आशा है; और

(ग) विश्व बैंक से अनुमानतः कितनी धनराशि मिलेगी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमांग) : (क) से (ग) सांख्यिकी विभाग भारत में सांख्यिकीय प्रणाली को आधुनिकतम बनाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसमें हार्डवेयर तथा सोफ्टवेयर की सप्लाई, सोफ्टवेयर के उत्पादन में प्रशिक्षण, आधुनिक सांख्यिकीय तकनीक संबंधी प्रशिक्षण, प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना तथा अध्ययन दौरों जैसी मदों को शामिल किया जायेगा। प्रस्ताव अभी तैयारी के प्रारंभिक स्तर पर है। अभी वित्त प्रबंध करने का पता लगाना बहुत जल्दी होगा।

इसी बीच में, वर्षों से आर्थिक विकास की दीर्घकालीन पृष्ठभूमि तथा हाल ही में जारी किए गए मुख्य आर्थिक सुधारों के संदर्भ में राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में अपेक्षित परिवर्तनों की अलग से जाँच की जा रही है। विश्व बैंक से इस संबंध में उनकी तरफ से वित्तीय सहायता सहित और क्या मदद मिल सकती है, की सलाह माँगी गई थी। बैंक ने अपने दो अधिकारियों की आवश्यकताओं को समझने तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, अध्ययन दौरों, विशेषज्ञ सलाह आदि के लिए और आगे प्रबंध कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रतिनियुक्त किया था। इस कार्य के लिए सरकार को कोई भुगतान नहीं करना है। यह कार्य अभी प्रगति पर है।

[हिंदी]

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंज

6325. श्री दत्ता मेघे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ये एक्सचेंज कहां-कहां पर स्थित हैं और स्थापना किए जाने वाले एक्सचेंज किस किस्म के होंगे;

(ग) इनकी स्थापना कब तक कर दी जाएगी; और

(घ) इन पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एम. टी. एन. एल. बंबई सहित महाराष्ट्र में 20,36,556 लाइनों की निवल स्विचन क्षमता बढ़ाने की योजना है। अब तक 9,79,298 लाइनें जोड़ी जा चुकी हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान 10,57,528 लाइनें लगाने का प्रस्ताव है। विस्तार किए जाने वाले एक्चेंजों की संख्या तथा स्थापित किए जाने वाले नये एक्सचेंजों की किस्म विभिन्न प्रकार के उपस्करों की उपलब्धता तथा क्षेत्र विशेष में टेलीफोन की कुल मांग पर निर्भर करता है, तथा इसका निर्धारण वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर किया जाता है।

(घ) 8वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान एम. टी. एन. एल. बंबई सहित महाराष्ट्र में अतिरिक्त लाइनें लगाने में लगभग 4900 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है।

[अनुवाद]

भारत रिजर्व बटालियन

6326. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत रिजर्व बटालियन नामक एक नया बल बनाने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस नए बल की संरचना क्या होगी;

(ग) बल में भर्ती के तरीके क्या होंगे; और

(घ) यह बल कब तक बनाया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) राज्य सरकारों द्वारा अपनी सशस्त्र पुलिस बटालियनों के समान संरचना, भर्ती-इत्यादि करके केन्द्रीय सहायता से इण्डिया रिजर्व बटालियनें गठित की जाती हैं। विभिन्न राज्यों के लिए स्वीकृत की गई बटालियनें, गठन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र

6327. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न स्तरों के दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) देश में विभिन्न स्तर के दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या 40 है। विभिन्न स्तरों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

(एक)	शीर्ष स्तर	–	2
(दो)	क्षेत्रीय स्तर	–	11
(तीन)	सर्किल/जिला स्तर	–	27
	कुल जोड़		40

(ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(एक) जयपुर और पुणे में दो क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए योजना बनाई गई है।

(दो) ग्रुप 'ग' और 'घ' के पुनर्गठित संवर्गों के प्रशिक्षण का अत्यधिक भार वहन करने के उद्देश्य से विद्यमान सर्किल प्रशिक्षण केन्द्रों की आवश्यकतानुसार शाखाएं खोली जा रही हैं।

12.02 म. प.

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारी वर्षा और बवंडर तथा कुछ जगहों पर इसके परिणामस्वरूप बांधों में दरार पड़ने के कारण पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में, विशेषकर मिदनापुर तथा 24 परगना के दक्षिणी और उत्तरी जिलों के साथ-साथ उत्तरी बंगाल के कुछ क्षेत्रों में, भारी नुकसान हुआ है। महोदय, आपके माध्यम से मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह शीघ्र एक दल वहाँ भेजे जिससे हमारी सरकार इस विकट स्थिति से निपट सके तथा प्रभावित लोगों को शीघ्र उचित राहत प्रदान कर सके।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर): महोदय, हम सभी इसका समर्थन करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, हमने आम सहमति की नीति को अपनाया है तथा हम दूसरे राज्यों की समस्याओं का समाधान किये जाने का समर्थन करते हैं, और मुझे विश्वास है कि सरकार द्वारा शीघ्र कदम उठाये जाने के बारे में यह सभा सर्वसम्मति से अनुरोध करेगी।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : अध्यक्ष जी, कश्मीर का मामला कई बार इस सदन में और बाहर भी उठता आया है। पिछले दिनों चरार-ए शरीफ के संबंध में भी यहाँ पर व्यापक चर्चा हुई है। लेकिन चर्चा के बाद कोई भी ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए गए जिससे उनकी जान और माल की सुरक्षा हो सके। यहाँ तक कि 24 मंदिर तोड दिए गए, जला दिए गए। अध्यक्ष महोदय, ये मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं थे। चरार-ए-शरीफ की दरगाह को नुकसान पहुंचा, उसके लिए निंदा की गई, ठीक है निंदा की जानी चाहिए थी लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी प्रतिक्रिया में 24 मंदिरों को तोड़ दिया जाए। आज कश्मीर के अंदर अघोषित युद्ध चल रहा है। सीमा के उधर भी और इधर भी दोनों ओर अघोषित युद्ध हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री की आपस में कुछ मिलीभगत है। दोनों मिलकर ऐसे काम कर रहे हैं जिससे उनको राजनैतिक लाभ हो। क्या कारण है कि आए दिन कश्मीर में मंदिर टूट रहे हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार चुप बैठी है और उसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप 15 करोड़ रुपया चरार-ए-शरीफ को बनाने के लिए दे रहे हैं लेकिन मंदिरों के संबंध में कोई भी सहायता नहीं दी गई। यहाँ तक कि संवेदना में दो शब्द भी उनके लिए नहीं कहे गए। पिछले दिनों हमने निवेदन किया था कि 500 करोड़ रुपए का एक वित्त निगम बनाया जाए।

मैंने कहा था जम्मू-कश्मीर के जो निवासी हैं, वे भी अल्पसंख्यकों में आते हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाये। ऐसी कोई आपदा आती है तो उनको उस कोष से सहायता दी जाये। अगर जुल्फीकार भुट्टो को पाकिस्तान में फांसी दी जाती है तो यहाँ हैदराबाद के अंदर घरों को जला दिया जाता है। कश्मीर के अंदर आग लगा दी जाती है। मक्का-मदीना के अंदर संघर्ष होता है तो उसकी प्रतिक्रिया हिन्दुस्तान के अंदर होती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने आपको कश्मीर तक ही सीमित रखिए। मैं यहाँ ऐसे किसी वक्तव्य की अनुमति नहीं दूंगा। जिससे सदस्यों में रोप उत्पन्न हो।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : यह बड़ा संवेदनशील मामला है, यह टाला नहीं जा सकता है।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मीर्जापुर) : गम्भीर मामला है, इसको सुना जाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे किसी बात की अनुमति नहीं दूंगा जिससे सदस्यों में तथा बाहर रोष उत्पन्न हो।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : मैं सदस्यों की भावना को चोट पहुंचाने की बात नहीं कर रहा हूँ।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कम-से-कम कुछ सदस्यों को तो यह अहसास होना चाहिए कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। सरकार उनसे चर्चा में व्यस्त है। वह जो कह रहे हैं उसे आप सुन तो लीजिए।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : अगर इराक में युद्ध होता है तो...

अध्यक्ष महोदय : आप कितनी भी आवाज उठाये, मैं अलाऊ करने वाला नहीं हूँ।

श्री विनय कटियार : अगर कहीं युद्ध होता है तो हिन्दुस्तान के अंदर प्रतिक्रिया होती हैं। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के सम्मान की बात कर रहा हूँ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में जब आप बोल रहे हों तो भाषा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। इससे समाज के किसी वर्ग के सदस्यों की भावना को ठेस पहुंचती है इसलिए मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पता नहीं सरकार इन बातों को कैसे बरदाश्त करती है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में इसे शामिल नहीं किया जा रहा है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : आपके द्वारा व्यवस्था दिए जाने के कारण मैं बोलने के लिए नहीं उठा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से मंत्रियों को ही नहीं अपितु अन्य सदस्यों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभा में क्या कहा जा रहा है।

श्री राजेश पायलट : यह बहुत दुःखद बात है। लेकिन जैसे ही आपने व्यवस्था दी हम चुपचाप बैठ गए। नहीं तो, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच संबंध है, हम जरूर प्रतिरोध करते और कहते कि यह बिलकुल असत्य है। माननीय प्रधानमंत्री ने दोनों सभाओं में सरकार की स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से बयान दिया है। इसलिए,.अभी-अभी माननीय सदस्य ने जो कहा कि दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच राजनैतिक संबंध है, बिलकुल

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

असत्य है। हम दोनो सभाओं में अपने इरादों को स्पष्ट कर चुके हैं तथा सरकार के इरादे के बारे में माननीय प्रधानमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं। मंदिर के संबंध में हम कह चुके हैं कि...

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मंदिरों के बारे में बताये।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं लोगों को उकसाने के लिए मंच के रूप में इस संसद का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सत्ता पक्ष के सदस्यों से भी अनुरोध करता हूँ कि इस सभा में जो कुछ भी कहा जा रहा है उस पर वे ध्यान दें, और मैं अन्य सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे भी इन बातों पर ध्यान दें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : जो कुछ इन्होंने कहा है उसके लिए क्या ये क्षमा मांगने को तैयार है। यह एक देश से दूसरे देश की बात है।

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष जी, मैं आपकी बात का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूँ...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुद्दे पर आइए। यदि कोई मंदिर प्रभावित होता है तो आपको उस पर बोलने का अधिकार है। लेकिन इसको इस हद तक ने बढ़ाये जिससे कुछ अन्य लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : अध्यक्षजी, मैं समझता हूँ माननीय सदस्यों को पहले मेरी पूरी बात सुननी चाहिए। मैं हाउस को इसका मंच नहीं बनाना चाहता हूँ। यह कोई मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है। जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यकों का उत्पीडन हो रहा है, मैं समझता हूँ इस सदन के अंदर प्रत्येक सदस्य की भावना उसके साथ जुड़ी हुई है। जिस प्रकार से चरार-ए-शरीफ की घटना की यहाँ एकमत से निंदा की गई, उसी प्रकार से वहाँ जो 24 मंदिर तोड़े गये हैं, उसकी भी सदन को एक स्वर के साथ निंदा करनी चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे यह तो कह सकते है किन्तु उससे अधिक कुछ नहीं कह सकते।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : मंदिर तोड़े जाने पर सरकार क्या कर रही है, क्या वह चाहती है कि उसकी प्रतिक्रिया देश के अंदर हो ?

अध्यक्ष महोदय : आप यह समझकर बोलिये कि आप संसद सदस्य हैं और संसद में बोल रहे हैं।

श्री विनय कटियार : इसलिए यह कोई मामूली मन्दिर नहीं है। वहाँ पर मन्दिर तोड़े गये हैं। जिस प्रकार से आई एस आई के बारे में भारत सरकार के पास सूचना थी, फिर भी सरकार ने मन्दिरों की रक्षा और सुरक्षा के संबंध में कोई कठोर कदम नहीं उठाये हैं जो भी उपासना स्थल ओर व्यापारिक प्रतिष्ठान नष्ट कर दिये गये हैं, उनके घरों को नष्ट कर दिया गया और उस समय जो समाचार मिला, जो आतंकवादी पकड़े गये हैं उनकी जेब से यह समाचार मिला है कि 6 ऐसे प्रमुख मन्दिर, जिनका नाम पहले से,ही था, उनको तोड़े जाने के संबंध में सरकार को जब यह समाचार मिल गया था तो उन मन्दिरों की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की बनती थी, वह करना चाहिये था। उसमें जो पुराने मंदिर हैं किश्तवाड़ का शिव मन्दिर और अब भद्रवाह के बारे में यहाँ चर्चा हुई है, डोडा के संबंध में यहाँ चर्चा हुई है...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षिप्त में कहिए।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : ऐसे कई स्थल हैं जैसे वुलर मन्दिर है, बड़ात का मन्दिर हैं, जिनमें एक ही जिले के चार मन्दिर हैं, उनको तोड़ दिया गया। श्रीनगर का राम मन्दिर, काका दरवाजा रेखाड़ी, कोटा बडगाम, उस जिले में तीन मन्दिरों को तोड़ दिया गया और अनंतनाग के संबंध में क्या कहना। वहाँ पहले से ही शंकर समाज को निकाल दिया गया और ढाई लाख से अधिक लोग यहाँ आये हैं और जो बचे-खुचे मन्दिर थे उनको भी तोड़ दिया गया...।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में कहिए।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : अयोध्या का ढांचा गिर जाता है तो देश में हल्ला मच जाता है, सारे लोग उसकी निन्दा करते हैं लेकिन आज कश्मीर के अन्दर 24 मन्दिरों को तोड़ दिया गया तो भारत सरकार... **(व्यवधान)*** ...उसके संबंध

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

में कोई कठोर कदम नहीं उठा रहीं है, उसके संबंध में कोई बयान नहीं आ रहे हैं। अध्यक्ष जी, हाउस की चर्चा होती उसके पहले भारत सरकार ने इस संबंध में जिस प्रकार चरार-ए-शरीफ के लिये 15 करोड़ दिया गया...।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया तोल कर बोलिए। यह न समझिए कि आप सभा की कार्यवाही को ज्यादा देर तक रोक सकते हैं। यह कोई बाहरी मंच नहीं है।

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : यह भावनाओं का सवाल है, श्रद्धा का सवाल हैं, इसे केवल धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिये। धर्म का सवाल नहीं हो सकता है...।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपसे ऐसे शब्दों की आशा नहीं थी। इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष जी, में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। हमारी मांग है कि गृह मंत्री इस पर बयान दें...।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप बहुत बोले हैं, हमारी सुनिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त में आपको उनके बाद बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, इसका बहुत कुछ उसी मुद्दे से संबंध है। मैं केवल यही कहूँगा कि यहाँ अनेक ऐसे माननीय सदस्य हैं जो कश्मीर घाटी में मंदिरों के भविष्य के प्रति चिंतित है। इस मामले को केवल लटकाए नहीं रखा जाना चाहिए। क्योंकि बाहर के लोग यह समझेंगे कि इसके संबंध में बहुत से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, सदस्य बहुत उत्तेजित है तथा सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। लेकिन माननीय सदस्य मुझे ऐसा नहीं करने दे रहे हैं...(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मेरा सुझाव है कि यदि गृह मंत्रालय को कोई सूचना मिली है तो...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : जी हां, हमे सूचना मिली है...(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा सुझाव है कि यदि चरार-ए-शरीफ घटना के उपरान्त घाटी के मंदिरों में हुई आगजनी के संबंध में गृह मंत्रालय के पास कोई सूचना उपलब्ध है तो वह उसके बारे में सभा को बताया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष जी, हमारा तो निवेदन है कि जो बात हमारे वरिष्ठ सदस्य ने कहीं है, उस संदर्भ में हम इसका समाचार बाहर दूसरे रूप में नहीं देना चाहते हैं। हम तो प्रार्थना करना चाहते हैं कि सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुये, जो भी घटना हुई है, उस पर सरकार और गृहमंत्री बयान दे और जो नूकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति करें और इसकी निन्दा करे।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : सभा को गुमराह किया गया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ठीक कह रहे हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा और आप बोलेंगे भी। यदि आपके पास अभी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है तो आप इसे एकत्रित कर बाद में दे सकते हैं।

श्री राजेश पायलट : आज मेरे पास जो भी सूचना उपलब्ध है उसे बताना चाहता हूँ। महोदय, यह वास्तविकता है कि 11 और 13 तारीख के बीच 24 मंदिरों पर तो नहीं, हां तीन-चार मंदिरों पर ....(व्यवधान) मुझे बोलने दें.... (व्यवधान) इस अवधि में हमने सभी स्थानों को सुरक्षा प्रदान की थी। (व्यवधान) मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूँ। इन मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। उनका कहना ठीक है कि किश्तवार स्थित मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया तथा कुछ मस्जिदों को भी नुकसान पहुंचाया गया ये सब घटनाये हो रही थी और चरार-ए-शरीफ की घटना के उपरान्त हमारा सारा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विशेषकर बड़गाम, अनन्तनाग और क्षीतवार की आरे लगाया क्योंकि ये घटनायें वहीं घटी थीं।

मैं सभा को विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार ने 12 तारीख से ही सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। जहां तक 15 करोड़ रुपये की राशि का संबंध है, माननीय सदस्य ने कहा है कि यह राशि चरार-ए-शरीफ को दी गई थी, यह राशि चरार-ए-शरीफ के लिए नहीं थी यह राशि प्रभावित अथवा पीड़ित लोगों के लिए दोबारा से घर बनाने और उनके पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को दी गई थी। जहां तक चरार-ए-शरीफ का संबंध है, मेरे विचार से सरकार ने पूरी तरह से यह राज्य सरकार पर छोड़ दिया कि उसे जैसा अच्छा लगे और वह जिस ढंग से मदद करना चाहे करे...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह बताया है कि यदि मस्जिद प्रभावित हुई है तो उसे पुनः बना देंगे और यदि मन्दिर प्रभावित हुआ है तो...

श्री राजेश पायलट : हां, महोदय, उन्होंने ठीक ही बताया हैं उन्होंने इसे ठीक ढंग से लिया है। लेकिन सरकार के पास मन्दिर तथा मस्जिद के संबंध में एक जैसी नीति है और सरकार उनकी उसी ढंग से देखभाल करेगी जैसाकि कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप और कोई जानकारी देना चाहते हैं तो आपको इस बात की अनुमति दे दी जायेगी।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

पिछली 15 तारीख को इंटरनेशलन रिलेशन्स कमेटी ऑफ यू. एस. हाउस ऑफ रिप्रजेण्टेटि्व्स में एक प्रस्ताव पारित हुआ है और उसमें कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन्स में जो सवाल अमेरिका उठाता है, उस बारे में कम से कम 25 प्रतिशत सवालों के बारे में कोई भी राष्ट्र जब अमेरिका का साथ नहीं देगा तो अमेरिका की सहायता उस राष्ट्र के लिए बंद हो जाएगी। यह प्रस्ताव पारित होने के बाद सारे मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि हिनदुस्तान के लिए यह बहुत अपमानजनक स्थिति हैं।

मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि क्लीवनैण्ड के सीनेटर शेरूड ब्राऊन ने इस बारे में क्या कहा है। वह डेमोक्रेट सीनेटर है और वह क्या महसूस करते हैं, यह मैं सदन को बताना चाहता हूँ। वह कहते हैं कि :–

[अनुवाद]

"यह भाषा भारतीय-अमेरिकी समाज का निरादर करती है। इस विधेयक की भाषा भारत सहित इराक, उत्तर कोरिया तथा सीरिया पर कटु प्रहार है। यह स्वयं में हास्यास्पद है और मैं इस बात से चिंतित हूँ कि गिलमैन इस तरह को अनाप-शनाप भाषा को कैसे स्वीकार करेंगे। यह पाकिस्तान के प्रति झुकाव रखने से भी कहीं ज्यादा खराब है और भारत इसकी कटु आलोचना करता है।"

12.20 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, मैं इसलिए भारतीय संसद में यह बात बोल रहा हूँ कि इस तरह का एक प्रस्ताव इंटरनेशनल रिलेशन्स कमेटी ऑफ यू. एस. हाऊस ऑफ रिप्रेजेण्टेटिव्स में पारित हुआ है और वह कांग्रेस में भी पारित हो जाएगा, लोग ऐसी शंका करते हैं। हिन्दुस्तान के जो ऐम्बेसडर वहाँ हैं, उन्होंने कहा है कि वह उम्मीद करते हैं कि हिन्दुस्तान के दोस्त लोग इसके खिलाफ वोट देंगे। यह सबसे ज्यादा तकलीफ की बात है और हिन्दुस्तान हमारी संसद जो सार्वभौम है, यह हमारी सार्वभौमिकता को चुनौती है कि अमेरिका कहता है कि हमारे साथ तुम वोटिंग नहीं करोगे, 25 प्रतिशत सवालों पर साथ नहीं दोगे तो अमेरिका हमें जो सहायता देता है वह बंद कर देगा। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग इस बार विदेश मंत्रालय की मांगों पर चर्चा नहीं कर पाये हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि इस बारे में वास्तविक स्थिति क्या है। विदेश मंत्री अगले सप्ताह यूनाइटेड स्टेट्स जाने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से बयान आना चाहिए।

हम लोग ससंद में बैठे हैं, बजट सत्र चल रहा है और अमरीका की एक कमेटी में हिन्दुस्तान और हिम्दुस्तान जैसे और देशों के बारे में इस तरह का प्रस्ताव पारित हुआ है। एक अमरीकन सीनेटर कहते हैं कि यह इंडिया बेशिंग है। मेरा कहना है कि यह बहुत ब्लेटेंट है, बहुत खराब है। यह हमारे लिए और पार्लियामेंट के लिए एक अपामनजनक बात है। उपाध्यक्ष जी, मैं चाहूँगा कि आप इस बारें में सरकार से बयान दिलवाये।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं श्री रवि राय द्वारा उठाये गये मुद्दे के समर्थन में कुछ कहना चाहता हूँ।

यह एक गंभीर मामला है। यह समिति संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस की एक समिति है। यह वहाँ की सभा की एक सरकारी समिति है। जैसा कुछ गैर सरकारी लोगों ने इसे समझा है यह वैसी समिति नहीं है। इसने एक संकल्प पारित किया है जिसमें इसने भारत के खिलाफ गंभीर आरोप लगाये हैं। उसने यह भी निर्णय लिया है कि यह प्रेसलर संशोधन अधिनियम में संशोधन की सिफारिश करेगी ताकि पाकिस्तान एफ-16 विमान खरीद सके और पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में एक बार छूट दी जा सके। तथा एक बार पाकिस्तान को दी गई मदद में छूट दी जायेगी विशेषत : उस स्थिति में जब पाकिस्तान ने जानबूझकर तथा सुनियोजित ढंग से भारत विरोधी अभियान छेड़ रखा है–न केवल भारत विरोधी अभियान अपितु यह हमारे आन्तरिक मामलों में भी खुल्लम-खुल्ला दखलअंदाजी कर अडचन पैदा कर रहा है सभा इस संबंध में सरकार से यह जानना चाहती है कि वास्तविक स्थिति क्या है ?

एक तरफ तो सरकार यह कह रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे संबंध सुधर रहे हैं और वे इस संबंध में अपनी सतुष्टि जाहिर करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रतिवेदन में भी उन्होंने यही कहा है, उन्होंने पूर्ण संतुष्टि व्यनत की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे सम्बंधों में स्पष्ट सुधार हुआ है। दूसरी ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल है और मैं कहूँगा कि वहीं समितियां और वही नेता भारत विरोधी अभियान छेड़े हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है, क्या हमारी सरकार ने इसे अत्यधिक संकट की घड़ी में जब हमारी प्रभुसत्ता पर आक्रमण किया जा रहा है, इन घटनाओं पर ध्यान दिया है। अतः सरकार को इस संबंध में वक्तव्य देना चाहियें।

हमें तो केवल समाचारपत्रों से ही पता चला है। हमने पढा है कि हमारे विदेश मंत्री चर्चा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जा रहे हैं। यह समाचार पत्र की खबर है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्थाई समिति के सभापति हैं। यह सभा तथा स्थाई समिति के सदस्य भी यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार उनको विश्वास में लेगी। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंध बिगाड़ना

नहीं चाहते हैं। लेकिन हम यह भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक बड़े आका की तरह व्यवहार करे और हम पर हुक्म चलाए तथा हमारे दुश्मनों–जिन्हें हम दुश्मन भी नहीं कह सकते–अथवा जो दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं को प्रोत्साहित करे।

अतः माननीय अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दिया है कि वे हमारी भावनाएं विदेश मंत्री तक पहुंचा दें। मेरा निवेदन है कि वे इस स्थिति पर वक्तव्य दें ताकि सभा को वास्तविक जानकारी मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी।

त्रिपाठी जी, आप जानते हैं कि जिन्हें कल चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला था, उन्हें बोलने के लिए काफी समय मिला था अब अन्त में अन्य सदस्यों को डेढ मिनट का समय भी नहीं मिल पा रहा है। हम एक बजे तक बैठेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप अपने भाषणों को संक्षिप्त करने की कृपा करें। आप केवल अपनी समस्या तथा सुझावों का ही वर्णन करें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी (केसर गंज) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में भारत सरकार ने सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया है और उसमें लक्ष्य बनाया कि इसका पैसा ऐसे क्षेत्रों में खर्च किया जाये जहां इससे विकास हो सके तथा जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्राप्त हो सके। उसके लिए एक दिशा निर्देशन भी दिया कि ग्रामीण अंचलों के श्रमिकों को कितनी मजदूरी दी जाएगी और किस प्रकार से कार्य कराया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का दुरूपयोग किया है तथा विभिन्न जनपदों में, विशेषत : मेरे जनपद बहराईच में, सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना में केन्द्र की ओर से जो धनराशि दी जा रही है, उसके 80 प्रतिशत भाग का गबन किया जा रहा है, केवल 20 प्रतिशत धनराशि से ही काम हो रहे हैं और वे कार्य भी ठेकेदारी प्रथा द्वारा कराये जा रहे हैं। वे कार्य समाजवादी पार्टी के लोग और उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। धन का भारी अपहरण हो रहा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि यहां से एक केन्द्रीय टीम भेजकर, सी.बी. आई. की टीम भेजकर, इस मामले की जांच कराई जाये। जांच के काम में मैं सहयोग करने को तैयार हूं। इस संबंध में, मैं कई शिकायतें कर चुका हूं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस पर ध्यान देकर अविलम्ब जांच कराये जाने के आदेश जारी करे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे सामान्य चर्चा में परिवर्तित करना नहीं चाहता हूं। विषय हमारे समक्ष हैं। नाम भी हमारे समक्ष है। मैंने ही द्वारकानाथ दास का नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह (रामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय...**(व्यवधान)***

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके नाम पुकारूंगा। नाम मेरे सामने हैं। यदि आप सहयोग देंगे तो हम एक बजे तक इस सूची को पूर्ण कर सकते हैं। बार-बार टोका-टाकी से कोई फायदा होने वाला नहीं है।

श्री द्वारकानाथ दास (करीमगंज) : इस समय बेरोजगारी विशेषकर ग्रामीण बेरोजगार युवकों में बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है। राज्य तथा केन्द्रीय सरकार की सेवाओं और रेलवे में भी रोजगार के अवसर बहुत ही सीमित हैं।

जवाहर रोजगार योजना शुरू होने के बाद, केवल कुछेक युवकों को ही इसका लाभ मिल रहा है। अतः समस्या तो वहीं की वहीं है।

ऐसी स्थिति में युवाओं के लिए स्व राजेगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस मामले पर विचार करे और वह यह देखे कि प्रत्येक जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये गए है ताकि बेरोजगार ग्रामीण शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल सकें।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप डेढ़ मिनट तक ही बोले ताकि अन्य सदस्य भी बोल सकें।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक लोकमहत्व के सवाल की तरफ सदन और सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। हमारे अत्यंत पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्र देवरिया और बलिया में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां रहने वाले लोगों को गैस के सिलेंडर नहीं मिलते और उन्हें गैस भरवाने के लिये 70 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर दूर तक यात्रा करनी पड़ती है। मैं भारत सरकार के केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री को कई चिट्ठियां लिख चुका हूं कि मेरे क्षेत्र सलेमपुर और बिन्धरा रोड़ में गैस की एजेंसी स्थापित की जायं क्योंकि वहाँ के लोगों को गैस लेने के लिये, सिलेंडर भरवाने के लिये आने जाने में बहुत परेशानी होती है और इसके साथ साथ धन का भारी अपव्यय करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से पेट्रोलियम मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मेरे क्षेत्र के बिन्धरा रोड़ और बलिया जिले के सलेमपुर के आबादी घनत्व वाले क्षेत्र में गैस की एजेंसी स्थापित करने की शीघ्र व्यवस्था की जाये।...**(व्यवधान)***

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामनिहोर राय (राबर्ट्सगंज) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, सदन और सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, बनारस मंडल के भदोही जिले, वाराणसी जिले, मिर्जापुर और सोनभद्र में कालीन का बहुत बड़ा उद्योग है।

उपाध्यक्ष महोदय, बालश्रमिकों के सम्बन्ध में एक जो प्राईवेट संस्था हैं, जर्मनी और अमरीका में जो प्राईवेट लोग हैं ओर जो मशीनों से कालीन बनाने वाले लोग हैं इन्होंने एक षड्यन्त्र रचा है। दिनांक 7.5.95 को यह समाचार ''आज'' और ''इंडियन एक्सप्रैस'' में निकला है कि बालश्रम की विरोधी एक संस्था ने विदेशियों के दबाव में आकर जर्मनी के बाल कल्याण और श्रम मंत्री को भारत सरकार के क्षम और कल्याण मंत्री के साथ वाराणसी ले जाकर मुआयना कराया और इस प्रकार से जो गरीब लोग हैं जो अपनी रोजी-रोटी कमा रहे थे, उनको उससे महरूम करने का काम किया है क्योंकि उन मंत्री महोदय ने जर्मनी में जाकर कहा है कि जो भारत से कालीन मंगाने वाले देश हैं वे कालीन न मंगाएं। इससे उनकी रोजी रोटी समाप्त हो गई है और वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। महोदय, आज 50 वर्ष से उस क्षेत्र के लोग दुखी थे, लेकिन अब कालीन उद्योग के कारण उनको धंधा मिला और उनको रोटी तथा घर मिलने लगे, तो उनको इस प्रकार से अपने धंधे से हटने पर मजबूर किया जा रहा हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि कृपया इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : राम निहोर जी, यह विषय सभा में चर्चा के लिए लाया गया था और इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई थी।

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डल (गींड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। वे कृपया ध्यान दें। बिहार के झारखंड एरिया में 191 प्रखंड हैं और 191 प्रखंडों में से 113 ट्राइबल सबप्लान के अन्तर्गत आते हैं और बाकी 78 प्रखंड ऐसे हैं जहां पर ट्राइबल लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं और पिछड़े क्षेत्र के लोग भी रहते हैं। वहाँ पर भारत सरकार का अनुदान नहीं पहुंचता है और वह इलाका अभी तक अविकसित है। अभी जब झारखंड औटोनामस कौंसिल बनाने की बात आई, तो उस आधार पर वह एरिया फिफ्थ शेड्यूल में आता है। उन प्रखंडों को सब जगह इस प्रकार से बांटा गया है कि आधा इधर कर दिया और आधा उधर कर दिया गया है जिसके कारण उन सब को नान ट्राइबल प्रखंड बना दिया गया है। अभी वहाँ के राज्यपाल महोदय ने केन्द्र सरकार के गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है कि सब प्रखंडों को ट्राइबल घोषित किया जाए। वह चिट्ठी कल्याण मंत्रालय की अनुशंसा के साथ पुनः मंत्रालय को भेजी गई है। यहाँ पायलट साहब बैठे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रकरण में सहानुभूति पूर्वक विचार करें और इन 191 प्रखंडों को ट्राइबल सबप्लान के अन्तर्गत लाने की जो बात है, इस पर फाइल को मंगवाकर उस पर गम्भीरता से विचार करें और सभी 191 प्रंखडों को ट्राइबल सबप्लान के अन्तर्गत घोषित करने की कृपा करें। ताकि जिन लोगों का विकास नही हो पाया हैं, उनका विकास हो सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया एक मिनट का समय मुझे भी दें। मैं भी इनकी बात का समर्थन करना चाहता हूँ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर सभा में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। इसे दुहराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं इसे सामान्य चर्चा में बदलना नहीं चाहता हूँ। ऐसा करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान बिहार राज्य की ओर दिलाना चाहता हूँ। बिहार इस देश का पिछड़ा राज्य है जिसकी आबादी 10 करोड़ है, लेकिन मान्यवर दुख की बात है कि बिहार राज्य में आज एक भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। समय-समय पर इस सदन में बिहार के सांसदों द्वारा इस बारे में मांग की जाती रही है कि बिहार में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। क्योंकि बिहार का शिक्षा स्तर बहुत कम है। वहाँ केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का अभाव है। जिस अनुपात में वहाँ विद्यालय चाहिए, उतने नहीं हैं। वहाँ न तो केन्द्रीय विद्यालय खोला गया है और न ही नवोदय विद्यालय। अगर वहाँ एक भी विद्यालय खोला जाये तो उससे बिहार की जनता को फायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि बिहार की राजधानी पटना जो कि बहुत ऐतिहासिक व प्राचीन शहर है। पटना यूनिवर्सिटी वहाँ की नामी यूनिवर्सिटी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि भारत सरकार की ओर से पटना में एक विश्विद्यालय की स्थापना कराई जाये।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो मामला उठाने जा रहा हूँ, वह मैं उठाना नहीं चाहता था लेकिन जब मैं सरकार को लिखते-लिखते थक गया, तो उस मामले को आपके सामने ला रहा हूँ। मैं सरकारी पार्टी का सांसद हूँ इसलिए मुझे यह मामला उठाते हुए कष्ट हो रहा है।...**(व्यवधान)** दरवाजे तो कहीं भी किसी के लिए बंद नहीं हैं। आप भी आ जाइये।

श्री कालकादास (करोलबाग) : आप तो पहले ही दुखी हैं। आपकी हालत हमने देखी है।...**(व्यवधान)**

* कार्यकारणी वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

श्री सूर्य नारायण यादव : यह कालका भगवान कुछ बोलने दें तो मैं कुछ बोलूं।

श्री कालकादास : आपका दुख देखकर मुझे तरस आ रहा है।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, तेज नारायण सांची नाम का एक व्यक्ति मेरे संसदीय क्षेत्र में रहता है जो कि रेलवे में सरकार कर्मचारी है। ये यू.सी. रेलवे कटिहार में पेस्टिड था। उनके ऊपर जान लेवा हमला किया गया जिसके कारण वह ड्यूटी से फरार हो गया। उन्होंने विभाग को सूचना दी थी कि मेरे ऊपर जान लेवा हमला हुआ है इसलिए मेरा यहाँ से कहीं और स्थानांतरण कर दिया जाये। इसके बाद वह ड्यूटी पर नहीं गया। उन्होंने विभाग को तीन बार पत्र लिखा लेकिन फिर भी उनका न तो कहीं स्थानांतरण किया गया और न ही कहीं और ज्वाइनिंग कराई गयी। वह ड्यूटी से फरार रहा। उसके बाद इनकी पत्नी ने भी डिपार्टमेंट को पांच बार पत्र लिखा, लेकिन उस कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके अलावा एक धारा के तहत उनकी नौकरी लेने की साजिश भी रेलवे विभाग द्वारा की गयी।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद वह दिल्ली आया। दिल्ली में उन्होंने रेल मंत्रालय को तीन वार पत्र लिखा। दो बार मैंने भी लिखा लेकिन मंत्री जी ने अपने हर लैटर में यही जवाव दिया कि हम मामले को दिखवा रहे हैं, उस पर जांच हो रही है। यह लिखवाने और जांच करवाने में दो वर्ष गुजर गये। आज उसके घर में भुखमरी की हालत है। डेढ़ कट्ठा जमीन पर सिर्फ उसका मकान ही है। चूंकि यह मेरे संसदीय क्षेत्र का रहने वाला है, इसलिये मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। इनको अव कोई भी नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। जिस गरीव कर्मचारी के पास नौकरी न हो तो उसको कोई भी नौकरी में रखने के लिए तैयार नहीं होता। हमने वहाँ के डीएमआर और जीएम को भी लिखा लेकिन उसका कोई भी जवाव हमें नहीं मिला। रेलवे विभाग वाले कहते हैं कि वह ड्यूटी पर नहीं आता। मैंने उसे वहाँ ले जाकर उनसे कहा कि अव इसे ड्यूटी ज्वाइन कराओ। तब वहाँ हड़कम्प मच गयी।

अध्यक्ष महोदय, ये समस्याये गरीबों के लिए बहुत बड़ी समस्यायें हैं। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय के संसदीय मंत्री से मांग करता हूँ कि वह रेल मंत्रालय को निर्देश दें कि अगर वह व्यक्ति दोषी है तो उसे नौकरी से डिस्चार्ज करें और अगर वह दोषी नहीं है तो उसे पुनः नौकरी पर लिया जाये, उसका स्थानांतरण किया जाये और जिस पदाधिकारी ने इस गरीव कर्मचारी को तवाह करने का काम किया है, उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा नहीं किया गया या मंत्रालय ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो वह व्यक्ति कोर्ट में जाने के लिए विवश हो जायेगा। मैं संसदीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अगर वह व्यक्ति कोर्ट में चला गया तो मैं उसी दिन से लोकसभा में अनशन पर बैठ जाऊंगा।...**(व्यवधान)** मंत्री जी क्या आप इस रिपोर्ट पर कुछ नही कहेंगे ? यह बहुत गंभीर मामला है।... **(व्यवधान)** आप कुछ वताइये ना। इस पर नोटिस ही ले लें ... **(व्यवधान)** यह मामला गंभीर है। वह भूखा मर रहा है। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव, आप विना उचित सूचना दिये मंत्री महोदय से सभा पटल पर उत्तर की आशा नहीं कर सकते। फिर भी आपके विचार सरकार तक पहुंच गए हैं और यदि कोई अन्याय हुआ है तो सरकार निश्चित रूप से उसका प्रत्युत्तर देगी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : उपाध्यक्ष जी, वैसे आज यहाँ दूरदर्शन की कार्यप्रणाली पर बहुत चर्चा हो चुकी है। मैं एक ऐसा ही मामला उठा रही हूँ। दूरदर्शन पर राष्ट्रीय एकता या सर्व धर्म समभाव पर आधारित विज्ञापन दिखाए जाते हैं। वे कई बार सरकार एजैंसी के द्वारा भी तैयार किए और करवाए जाते हैं। कुछ विज्ञापन अच्छे भी होते हैं जैसे क्रिकेट खिलाड़ी के एक हाथ में मशाल लेकर मेरा भारत महान् निकाला हैं वह बहुत अच्छा विज्ञापन है। लेकिन कुछ विज्ञापन ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी एक विचारधारा पर प्रहार किया जाता है। ऐसे ही एक विज्ञापन कि ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। रात 10.20 बजे ए.टी.एन चैनल जो वास्तविक रूप से युवाओं द्वारा देखा जाता है, पर और जी.टी.वी. पर भी मैंने कई बार देखा है, एक विज्ञापन 'वतन हिन्दुस्तान हमारा' आता है। वह भी सरकारी विज्ञापन जैसा ही है। उसमें पहले तो यह दिखाया जाता है कि जीवन ठीक चल रहा है, हिन्दु-मुसलमान आपस में मिलकर रह रहे हैं उसके बाद यह दिखाया जाता है कि एक जीप भरकर कुछ लोग आते हैं जिनके हाथ में शस्त्र हैं, गले में दुपट्टा है। उनमें से एक व्यक्ति मस्जिद की तरफ इशारा करता है। जलती हुई आग भडकती है और सब जगह हो-हल्ला मच जाता है जैसे वही लोग दंगा करवा रहे हैं। बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी का फोटो दिखाया जाता है। इस प्रकार के विज्ञापन राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के बजाए राष्ट्रीय एकता में खनन डालते हैं। क्या ऐसे विज्ञापन बार-बार दिखाकर हमारा दूरदर्शन और सरकारी एजेसियां वास्तव में राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहती हैं या उसमें खनन डालना चाहती हैं ?

मैं मांग करना चाहूँगी कि ऐसे विज्ञापनों पर तुरन्त रोक लगाई जानी चाहिए। इतना ही नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए कि इस प्रकार के विज्ञापन कौन सी एजैंसी द्वारा तैयार करवाए गए हैं और उन्हें दिखाने के लिए किसके द्वारा परमीशन दी गई हैं। ये सब बातें उजागर होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति दंडित भी होने चाहिएं, यह मेरी मांग हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका सिर्फ पन्द्रह मिनट और मिले हैं। सूची में कई नाम हैं इसलिए कृपया समय बचायें। अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। मैं जानता हूं कि आप वहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और आपका योगदान बहुत अमूल्य है। लेकिन सीमित समय में कहने की कोशिश कीजिए तो अच्छा होगा।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र दानापुर छावनी परिषद की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। दानापुर छावनी परिषद काफी लम्बे-चौड़े इलाके में फैला हुआ है। पिछले दस वर्षों से वहाँ की सड़कें टूटी-फूटी पड़ी हैं, गन्दगी का अम्बार लगा हुआ है, पीने के पानी का घोर संकट हैं, जहां-तहां पाइप लाइन फटी हुई है। मेरे कई बार पत्र लिखने और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के बावजूद भी आज तक वहाँ कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं आपके माध्यम से पुनः सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि दानापुर छावनी की जनता को राहत देने के लिए वहाँ सफाई की व्यवस्था की जाए, जो सड़कें जर्जर हालत में है, उन्हें ठीक करवाया जाए और पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जाए। वह छावनी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत आती है। मेरा भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से निवेदन हैं कि वहाँ के लिए समुचित मात्रा में राशि उपलब्ध करवाएं जिससे वहाँ की सड़कें ठीक हो सकें। सफाई और पानी की पूर्ति हो सके और लोगों को राहत मिल सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : दो मिनट का ही समय लें तो बेहतर होगा ताकि सभी सदस्य बोल सकें।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्पूर्ण सवाल आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ। बिहार में जहानाबाद संसदीय क्षैत्र 24 साल से एक संवेदनशली क्षेत्र रहा है। अभी केन्द्रीय सरकार की जो प्रधान मंत्री सुनिश्चित श्रमिक रोजगार योजना चल रही है या जो दूसरी योजनाएं चल रही हैं, उसमें कुछ प्रखण्डों को लिया गया है। हमारा क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हैं। जिसमें पटना जिले का एक विधान सभा क्षेत्र आता है। इसमें मसौढ़ी, छनखग्रा दो व्यापक हैं, मसौढ़ी को नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

[हिन्दी]

डिस्टर्व करना अच्छा नहीं लगता है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : वहाँ 24 साल से उग्रवादियों का एक संगठन काफी सक्रिय रहा है। आज भी वह संगठन है और वहाँ वह अपनी एक समानान्तर सरकार चला रहा है। आज उस ब्लाक को सुनिश्चित श्रमिक रोजगार योजना में नहीं लिया गया है ओर जहानाबाद में जो 7-8 ब्लाक्स हैं, उनमं से मात्र दो व्लाक काको और कुरथी लिये गये हैं। बाकी मकदमपुर, घोसी, अरबल और करपी जहानाबाद, खिजखराद नहीं लिये गये हैं। यह इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है।

मैं सरकार से मांग करूंगा कि उन सब ब्लाक्स को भी प्रधान मंत्री की सुनिश्चित श्रमिक योजना के अन्दर लिया जाय, जिससे उग्रवाद को वहाँ से समाप्त किया जा सके। जब तक आप वहाँ विकास नहीं करवाते हैं, तब तक वह उग्रवाद वहाँ से हटने वाला नहीं है। वह और वढ़ेगा और सरकार को इससे बहुत कठिनाई होगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समय बचाने की और अपने मित्रों को अवसर देने की कोशिश कीजिये। श्री दत्तात्रेय बंडारू।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : महोदय, सरकार कहती है कि हथकरघा बुनकरों को सालभर रोजगार देने के लिए 1500 लाख किलोग्राम धागे की आवश्यकता है। मार्च 1993 में भारत के उच्चतम-न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की थी कि भारत में हथकरघों के लिए 5660 लाख किलोग्राम सूती धागे की जरूरत है। वर्ष 1994-95 में सूती धागे का उत्पादन 12720 लाख किलोग्राम था। सरकार कहती है कि 4080 किलोग्राम सूती धागा मिलों को दिया था। यह मात्रा केवल 4080 लाख मीटर कपड़े के उत्पादन के लिए पर्याप्त है। सरकार कहती है कि वर्ष 1994-95 में 5840 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन हुआ। यह अतिश्योक्ति सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों को उचित कीमतों पर सूती धागा देने में हुई भूल को छुपाने के लिए थी। धागे के कीमतों में अचानक वृद्धि नवम्बर, 1993 में शुरू हुई, यह पता नहीं कि वस्त्र मंत्रालय को निर्यात के लिए 10 लाख किलोग्राम धागे की सीमा नियत करने के लिए किस बात ने प्रेरित किया। जब हमारे देश में और अधिक धागे की आवश्यकता है तो सरकार ने वर्ष 1994-95 में 2150 लाख किलोग्राम धागे को निर्यात की अनुमति दे दी।

महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि धागे के निर्यात को 750 लाख किलोग्राम तक सीमित करके धागे की कीमत कम की जाय और देश के हथकरघा बुनकरों को निर्यात योग्य कपड़े की किस्मों के उत्पादन सक्षम बनाया जाये। इसलिए मेरी मांग है कि केन्द्रीय सरकार हथकरघा बुनकरों की समस्या को हल करने के लिए पहल करे।

[हिंदी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेडा) : उपाध्यक्ष जी, यह खुशी की बात है कि सरकार ने पूरे देश के जनमत को देखते हुए टाडा कानून को फिर से एक्सटेण्ड नहीं करने का निर्णय लिया है। 23 तारीख को टाडा जैसा काला कानून स्वतः समाप्त हो जायेगा।

लेकिन इसमें दो तीन मुद्दे बच जाते है। पहला मुद्दा तो यह है कि टाडा के अंदर जो लोग बंद है, उनका क्या होगा ? चूंकि सरकार के दिमाग में अभी दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि सरकार फिर टाडा जैसा कानून लाने पर विचार कर रही है, कुछ अगर मगर लेकिन लगाकर, और मैं समझता हूँ कि टाडा विभिन्न फार्म में इस देश में रहा है, चाहे उसका नाम मीसा हो, चाहे उसका नाम डी. आई. आर. हो, चाहे उसका नाम टाडा हो, फिर सरकार उसमें कोई न कोई कानून लायेगी या फिर आइ पीसी में संशोधन करने का काम करेगी। वह बाद की बात है लेकिन जनता दल उसका पूरी तरह विरोध करता है और हम किसी फार्म में भी टाडा को पुनर्जीवित नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो लोग टाडा के अंदर बंद हैं, उनका क्या होगा ? क्या सरकार यह आश्वासन देने को तैयार है कि उनको छोड़ दिया जायेगा जो जनरल कानून है, आइ पी सी की धारा है, उसके तहत उनके ऊपर ट्रायल होगा या जब तक किसी नये कानून का फ्रेम नहीं बनेगा, तब तक वह इसी तरह से टाडा के बीच में झूलते रहेंगे ?

मैं सोचता हूँ कि यह बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न हैं, सीरियस प्रश्न है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो लोग टाडा के अन्दर बन्द हैं, सरकार ने जब निर्णय ले लिया है कि टाडा को हम रिपील करते हैं तो उनके खिलाफ टाडा हटे और जरूरत पड़े तो जनरल कानून के तहत उनके खिलाफ

मुकदमा चलाया जाये या उनके खिलाफ कार्यवाही हो लेकिन टाडा के तहत लोगों को बंद रखना ठीक नहीं है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी कहा है कि यह एक काला कानून है और इसे वापस लेना चाहिये। सरकार अच्छी नियत से इसे वापस लेने का प्रयास करे। वह इस मामले में दोहरी नीति न अपनाये। वह ऊपर से गरीब को दिखाये कि हमने टाडा को वापस ले लिया है लेकिन भीतर से वह ज्यों का त्यों जिन्दा रहे, इसका हम विरोध करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में सदन में स्पष्टीकरण देकर एक वक्तव्य दे। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : एक बजे के बाद समय बढ़ाना संभव नहीं है। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए। यह गैर-निर्धारित समय 1 बजे खत्म होता है।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, कल स्पीकर साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि आज मुझे बोलने का मौका दिया जायेगा लेकिन आज भी मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा हैं। हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठियें।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, कल स्पीकर साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि आज मुझे बोलने का मौका दिया जायेगा लेकिन मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपका नाम लिस्ट में हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मेरा नाम लिस्ट में है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपका नाम सूची में है तो मैं आपका नाम पुकारूंगा। यह आप पर है कि आप सभा का समय बचाये। आप अनावश्यक रूप से बहुत समय लेते हैं जिसके परिणामस्वरूप कुछ सदस्य जिनका नाम सूची में है, बोलने के अवसर से वंचित रह जाते है। इन सब बातों के लिए एक सीमा होती है।

मंत्री महोदय क्या आप कुछ कहना चाहेंगे।

मानव संसाधान विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि गृह मंत्री... **(व्यवधान)**

श्री सत्येदेव सिंह (बलरामपुर) : महोदय, अन्य लोगों को वे कहते है कि मंत्री को सदैव नौटिस देने की आवश्यकता होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : पीठासीन अधिकारी मंत्री को पूछेंगे और यदि मंत्री तैयार हो तो वे उत्तर दे सकते हैं। यदि वे तैयार न हो तो उनको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं हैं। पीठासीन अधिकारी की ओर से कोई दबाव नहीं है।

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि गृह मंत्री ने राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है और इस बैठक में श्री राम विलास पासवान द्वारा दिये गए सुझाव पर विचार किया जा सकता है, हम उनके द्वारा व्यक्त विचारों से उन्हें अवगत करा सकते हैं। किंतु, मैं आपको आश्वासन नहीं दे सकता कि क्या दृष्टिकोण अपनाया जायेगा और क्या प्रतिक्रिया होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सभा की भावानाओं को वहाँ तक पहुंचाइए।

श्री मुकुल वासनिक : गृह मंत्री जी की राजनीतिक दलों के सभी नेताओं के साथ एक बैठक होगी और उस स्तर पर मामलों पर चर्चा की जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शर्मा (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, झांसी जिले में लगभग 8 महीने पहले एक पेट्रोल टैंकर के एक्सीडेंट में 50 लोगों की मृत्यु हो गई थी। पिछले सप्ताह झांसी में रेलवे साइडिंग पर 9 तारीख को बड़ी भयंकर आग लगी। उसमें 50 आदमी मर गये। वहाँ पर कम से कम 15 बार एक्सीडेंट हो चुका है। रेलवे साइडिंग शहर के अन्दर है। यह 50 वर्ष पहले की बनी हुई है। इसके चारो तरफ बस्ती हैं इसके बारे में निरन्तर अखबारों में भी आता है। मैंने सभी अखबारों की कटिंग भी पेश की। इसके बारे में कई वर्षों से चर्चा चल रही है। मेरा रेल मंत्रालय से आग्रह है कि वह इसके बारे में डायरेक्शन दे कि जिन-जिन नैशनलाइज कम्पनियों के डिपोज एक साथ हैं, वे उनको वहाँ से शीघ्र हटाये। अगर इस संबंध में ढिलाई बरती जायेगी तो भोपाल ट्रैजडी इसके सामने साइकिल ऐक्सीडेंट के बराबर होगी।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार के सम्बन्ध में इस सदन में कई बार माननीय सदस्यों ने अपनी भावना व्यक्त की। 16 तारीख को मेरे निर्वाचन क्षेत्र फिरोजाबाद में जिला परिषद के अध्यक्ष के चुनाव से पहले बहुत धांधली हुई। जिलाधिकारी और तमाम पुलिस प्रशासन के समक्ष कुछ अराजक तत्व हमारे प्रस्तावित कैंडिडेट श्री भगवान शंकर संख्वार को जिला कम्पाउंड से किडनैप करके मारुति वैन में ले गये। उसे रात के साढ़े आठ-नौ बजे छोड़ा गया। वह नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सका।

जिलाधिकारी के सामने ही जिला कम्पाउंड के ग्राउंड में करीब ढाई सौ बंदूकधारियों ने फायरिंग की।....**(व्यवधान)** पूरा पुलिस प्रशासन देखता रहा। सत्ता पक्ष का जो कैंडीडेट था उसको निर्विरोध घोषित कर दिया। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे किडनैप की एफ आइ आर दर्ज की जाए, पर थोड़ी देर बाद पता चला कि जिलाधिकारी ने उसकी कॉपी भी फाड़ कर फेंक दी और कहीं भी एफ आई आर दर्ज नहीं की गई। वैसे फैक्स मैसेज चारों तरफ सारे अधिकारियों को दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 22 तारीख को वोटिंग हो रही है, इस समय वहाँ जो सरकार है उनके द्वारा

उसमें पूरी धांधली होने की संभावना है।...(**व्यवधान**) वहाँ सरकारी तंत्र निष्क्रिय हो गया ...(**व्यवधान**) उत्तर प्रदेश सरकार हम लोगों का उत्पीड़न कर रही है।

महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूँ, राजेश पायलट जी भी यहाँ बैठे हुए हैं वह प्रदेश सरकार से हस्तक्षेप करके तुरंत इसकी जानकारी मंगवाएं जिससे इसकी पुनरावृत्ति न हो सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने समस्या का जिक्र किया है। यह माननीय मंत्री की मर्जी है कि वह इसका जवाब दे अथवा नहीं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिलचर) : मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जायेगी।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मालूम होना चहिए कि अन्य माननीय सदस्य भी यहाँ पर मौजूद है। जिन्हें चर्चा में भाग लेना है। मेरे पास केवल आपका विषय ही नहीं है, जिसे प्राथमिकता दी जाये। आप अपनी समस्या का जिक्र कर चुके हैं। सरकार ने भी इसे नोट किया हैं। यह एक तरह की पुनरावृत्ति है। जो लम्बे समय तक बोलते हैं उनके नाम कार्यवाही सूची के अन्त में रखे जायेंगे । जो बहुत थोड़े समय तक बोलते हैं, मेरे विचार से उनके नाम शुरु में रखे जायेंगे ताकि सबके साथ न्याय किया जा सके।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : मैं न केवल असम में अपितु उत्तर पूर्वी राज्यों में मलेरिया से मची तबाही के संबंध में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह पूर्वोत्तर लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृपया मुझे थोड़ा सा और समय दें।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक असम में मलेरिया का संबंध है, इसकी बहुत वार सभा में चर्चा की जाती रही है। अतः आप कह सकते हैं कि मलेरिया के बहुत से मामले हैं ओर सरकार को इस समस्या को हल करने के लिए आगे आना चाहिए।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : सभा में चर्चा किये जाने के बाद से तो स्थिति और भी विगड़ गई है और यही कारण है कि इस पर सभा में चर्चा किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है।

गुजरात में मलेरिया का प्रकोप फैला। बीमारी फैलती रही। लेकिन अब सारा पूर्वोत्तर क्षेत्र मलेरिया से प्रभावित है। लगभग एक हजार लोग मर गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री शिवाजी पटनायक बोलेंगे।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या आप मुझे समय नहीं दे रहे है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको समय दे दिया गया है और जो कुछ आप बोलना चाहते हैं, बोल चुके हैं। सुझाव सरकार को दिया गया है। यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल है।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : आप मेरे साथ अन्याय कर रहे है। पूर्वोत्तर में मलेरिया का फैलना एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या हैं। सभा को इसे जरूर सुनना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : शायद आप इस बात से वाकिफ है कि यह मुद्दा सभा में उठाया गया था। इस पर चर्चा की गई थी। माननीय मंत्री ने सभा मे ही इसका उत्तर दे दिया था।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थः यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे और बोलने की अनुमति अवश्य दी जाये। मुझे आपकी अनुमति नहीं मिल सकी। अतः मैं सभा से बाहर जा रहा हूँ।

12.58 म.प.

(इस समय श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ सभा भवन से बाहर चले गये)

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा कर्मकारों की अन्तरिक सहायता की दूसरी किस्त तथा महगाई भत्ते को वेतन के साथ विलय करने से संबंधित अपनी रिपोर्ट 2 मार्च, 1995 को केन्द्र सरकार को दे दी है।

कर्मचारियों ने अन्तरिम सहायता की दूसरी किस्त के रूप में 460 रुपये तथा 1240 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 97 फीसदी मंहगाई भत्ते की थी। मंहगाई भत्ते का सभी प्रयोजनों के लिए वेतन के साथ विलय करने की मांग की थी।

मेरा पहला निवेदन यह है कि सरकार को इस संबंध में विलम्ब नहीं करना चाहिये और इस पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि सामान्यतया वेतन आयोग की रिर्पोट को गोपनीय नहीं रखा जाता है जैसा कि इस समय रखा गया है।

1.00 म. प.

सामान्यतया इसे सरकार को प्रस्तुत किया जाता है, इसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार कर्मचारी संघ को भी भेज दी जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसे गोपनीय चीज बना रखा है। मुझे यह मालूम नहीं है कि इसके पीछे क्या राज है और ऐसा क्यों किया जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल समाप्त हो गया है। अब पत्र सभा पटल पर रखे जायें।

(व्यवधान)

* यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। आप बहुत समय ले चुके हैं। यदि अनावश्यक बाधा पैदा न की जाती तो मेरे विचार से बहुत से सदस्य इसमें भाग ले सकते थे। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यह संभव नहीं है, यह एक बजे से ज्यादा नहीं चल सकता है। अब पत्र सभा पटल पर रखे जायें।

1.03 म.प.

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कोयला खान नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1995

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, मैं श्री अजित पांजा की ओर से कोयला खान नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1995 जो 9 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.क.नि.20(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एलटी. 7595/95]

भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा ओर इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

1.(एक) भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 7596/95]

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1995

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : महोदय, मैं केन्द्रीय सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1995, जो 14 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां. का नि. 19 में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 7597/95]

1.04 म.प.

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

चौबीसवां और पच्चीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्रीमती दिल कुमार भण्डारी (सिक्किम) : महोदय, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ :—

(1) "अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत योजनाएं और उपभोक्ता" के बारे में चौबीसवां प्रतिवेदन तथा तत्संबंधी कार्यवाही सारांश।

(2) "कोयला लिंकेण—नीति और उसका कार्यान्वयन-दल परीक्षण" के बारे में पच्चीसवां प्रतिवेदन तथा तत्संबंधी कार्यवाही सारांश।

1.05 म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) करेल में एक क्विलोन और पथनामथिट्टा जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों को शीघ्र चालू करने की आवश्यकता

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : उपाध्यक्ष महोदय, केरल में अडूर निर्वाचन क्षेत्र, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, के अन्तर्गत दो जिले है—क्विलोन और पथनामथिट्टा। इन दोनों जिलों में काजू के अनेक कारखाने हैं तथा इस क्षेत्र में दो लाख से ज्यादा मजदूर कार्यरत है। इनमें ज्यादातर मजदूर गरीब हैं और अनुसूचित जाति के हैं।

इन कर्मचारियों को उचित चिकित्सा सुविधाये नहीं मिल रही हैं। इस समय तीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं और मै उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कर्मचारी एवं बीमा निगम ने आंचल, कदमपनाद्, कुन्नीकोड, मायलोप, कोट्टाराकारा, पोममपल्ली आदि विभिन्न जगहों पर इ.एस.आई. अस्पताल खोलने का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए भूमि बहुत पहले अधिग्रहित की जा चुकी है तथा कुछ जगहों पर चारदिवारी भी की जा चुकी थी। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों के लिए भवन निर्माण अभी भी एक सपना बना हुआ है। इसके लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये मांग हजारों कर्मचारियों की ओर से बहुत पहले से की जा रही है जो उचित चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं।

इसलिए, मैं केन्द्रीय सरकार से कर्मचारी राज्य बीमा निगम को उचित दिशा-निर्देश देकर इ.एस.आई. अस्पताल के भवन का निर्माण करके इसे शीघ्र शुरू करने का अनुरोध करता हूँ।

(दो) राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर के आस-पास की उर्वरा भूमि में पानी जमा न होने देने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मनफूल सिंह (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर के आसपास हजारों एकड़ कृषि जमीन में लेगिंग (सेमा) आ गया है और घाघर नदी के पानी से भरे हुए अठारह (18) डिपरेशनों के पानी से भी लगभग 25-30 गांवों की कृषि भूमि इससे प्रभावित हो गई है। वाटर लोगिंग बराबर बढ़ता जा रहा है और हजारों एकड़ भूमि सेमे से खराब होती जा रही है। इस सब के लिए सेम नाले निकालने की जरूरत है। इस तरह से पंजाब सरकार ने सेमा खत्म करने के लिए जगह-जगह सेन नाले निकाल कर सेमे से प्रभावित कृषि भूमि को कृषि लायक बना दिया है।

इसी तरह राजस्थान सरकार भारत सरकार से मदद लेकर सेम नाले बना दे तो इंदिरा गांधी नहर और घाघर नदी एरिआ की जमीनें, जो खराब हुई पड़ी हैं, वे सब कृषि लायक बन सकती है। भारत सरकार को इस गंभीर समस्या की जांच करवाने के लिए इंजीनियर्स की एक टीम भेजनी चाहिए। इस समस्या का तुरंत हल जरूरी है, वरना बहुत उपजाऊ भूमि, जो पहले सिंचित थी, अब दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है।

(तीन) यमुना नदी पर बैराज के निर्माण और आगरा में पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : आगरा ज़िले का भूगर्भ जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है, इसका कारण हरियाली कम हो रही है। राजस्थान की ओर से आने वाली रेतीली हवाएं ताजमहल से टकराकर उसके सौंदर्य व जीवन को क्षति पहुंचा रही हैं। वृक्षों के अभाव में तेज रेतीली हवाओं की गति पर न तो नियंत्रण होता है और न रूक ही पाती है।

आगरा महानगर तथा ग्रामीण अंचल के व्यक्ति गरमी के मौसम में बूंद-बूंद पानी को तरस जाते हैं। गांवों में मवेशियों को भी पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाता इसके कारण किसान पशुओं को या तो सस्ते दामों में बेच देता है जो अन्ततोगत्वा कटी-खाने के हवाले हो जाते हैं या फिर बीमारी के कारण पशु मर जाते हैं।

आगरा में यमुना नदी पर बांध (बैराज) बनाने की योजना केन्द्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार में लागत राशि के व्यय को वहन करने पर सहमति न हो पाने के कारण पड़ी हुई है। आगरा में यमुना पर बैराज बनाये जाने से आगरा नगर की जनता को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होगा। इसके साथ सूखी यमुना से उड़ने वाली रेत से ताजमहल को होने वाली क्षति रुकेगी। भूगर्भ जलस्तर भी ऊंचा होगा जिससे यमुना के निकटवर्ती क्षेत्रों में वृक्षारोपण सफलता से हो सकेगा ओर ताज सुरक्षित हो सकेगा।

इसी प्रकार आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में अनेक बरसाती व स्थायी बहने वाली नदिया हैं उन पर स्थान-स्थान पर (चैक डैम) तटबंध बना दिये जावें तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भूगर्भ जलस्तर ऊंचा उठ जायेगा। रेगिस्तान पर अंकुश लग जायेगा और सघन वृक्षारोपण हो सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र की नदियों के तटबंधों को दस लाख कूप योजना या इस प्रकार की अन्वेषणकारी योजना के तहत ग्रामीण विकास की राशि के धन उपलब्ध कराया जा सकता है जिससे पेयजल, सिंचाई, खेती उत्पादन तथा रेगिस्तान की समस्या का निराकरण हो सकता है।

अतः मेरा शासन से अनुरोध है कि आगरा में यमुना नदी पर (बैराज) बांध तथा ग्रामीण अंचल में नदियों पर तट बंध बनाने के काम को प्राथमिकता के आधार पर कर आगरा को रेगिस्तान में बदलने तथा ताज को नष्ट होने से बचावें।

(चार) उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में नगीना रेलवे स्टेशन पर एक उपरी पुल के निर्माण और पंजाब मेल (गोल्डन एक्सप्रेस) को रोकने की आवश्यकता

श्री मंगलराम प्रेमी (बिजनौर) : मेरे संसदीय क्षेत्र बिजनौर के नगीना विधान सभा क्षेत्र में नगीना रेलवे स्टेशन पर, नगीना बिजनौर मार्ग पर ओवर ब्रिज न होने के कारण से जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बरेली, नैनीताल, अल्मोड़ा तथा लखनऊ आदि की ओर आकर हरिद्वार, देहरादून जाने वाले समस्त वाहन इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं और ट्रेन आने-जाने पर फाटक बंद रहने के कारण कई-कई घंटे तक यातायात जाम रहता है एवं जो लोग नौकरी आदि के कार्य से रोजाना आते-जाते हैं, उनको भी भारी कठिनाई होती हैं और अपने कार्यालय में पहुंचने में देरी होती है। इसी के साथ में यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि नगीना आवनूस के काम का एक बहुत बड़ा केन्द्र है, जहां से विदेशों तक में हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं बन कर जाती हैं, इसलिए इस स्टेशन पर पंजाब मेल (गोल्डन एक्सपैस) का ठहराव न होने के कारण से भी लोगों को परेशानी रहती है। इस मांग को मैं पहले भी सदन में उठा चुका हूँ, परन्तु इस ओर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त बातों को देखते हुए नगीना रेलवे स्टेशन पर पंजाब मेल (गोल्डन एक्सपैस) के दो मिनट के ठहराव हेतु योग्य निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

(पांच) बिहार में मुजफ्फरपुर में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आई.डी.पी.एल.) की इकाई को पुनः चालू करने का उपाय करने की आवश्यकता

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : मुज्जफ्फरपुर (बिहार) में केन्द्रीय सरकार का एक औषधियां बनाने का कारखाना (आई.डी.पी.एल) है। उसमें हजारों कर्मचारी काम करते थे। आज देश में दवाई की आवश्यकता दिनों-दिन बढ रही है। पर यह कारखाना सन् 1993 के अगस्त माह से ही बंद पड़ा है। बार-बार सरकारी आश्वासनों के बाद भी यह दवा का कारखाना आज भी बंद है। अभी भी उसमें काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों को बैठा कर पैसा दिया जा रहा है।

मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जनहित में वह मुजफ्फरपुर के दवा के कारखाने को खुलवाये और उसका और विस्तार करने के लिए कारगर कदम उठावे।

(छः) बिहार में कोसी नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उत्तर बिहार के सहरसा कमिशनरी क्षेत्र एक बाढ़ प्रभावित तथा सुखाड़ ग्रस्त क्षेत्र हैं। यहाँ पर नेपाल राज्य से आने

वाली नदियों के द्वारा जलकटाव भी होता है जिससे हजारों एकड़ फसल योग्य भूमि बेकार भी हो जाती है। कोसी नदी हर वर्ष अपना क्षेत्र भी बदलती जा रही है। जिससे सहरसा तथा सुपैल जिले की हजारों एकड़ जमीन खराब हो रही है। नेपाल सरकार की तरफ से भारत सरकार को जल विद्युत के दोहन किये जाने के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव आये हैं परन्तु सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस नीति भी नहीं बनाई जा रही है। जिसके कारण उत्तरी बिहार देश के अन्य क्षेत्रों से अत्यधिक पिछड़ता चला जा रहा है। उत्तरी बिहार में आने वाली नदियों पर यदि भारत सरकार बैराज बनाये तथा कोशी नदी पर एक बड़ा बांध बनाया जाये तो इस बांध के द्वारा नेपाल राज्य को जल मार्ग भी प्रदान किया जा सकेगा वहीं जल विद्युत का भी बहुत ही कम कीमत पर उत्पादन हो सकेगा जिससे देश में विद्युत संकट की समस्या का भी समाधान हो जायेगा।

अतः मेरी भारत सरकार से मांग है कि वह नेपाल देश की सरकार के साथ जल्द से जल्द वार्ता करके कोशी नदी में एक बांध बनाये जाने तथा जल विद्युत का उत्पादन करने के लिए धनराशि का व्यवस्था करें जिससे उत्तरी बिहार, के सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, मधुबनी तथा दरभंगा आदि जिलों का विकास हो सके और यहाँ की जनता को हर वर्ष की इन त्रासदियों से बचाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अब पेट्रोलियम मंत्री यहाँ मौजूद हैं और आपने परसों यहाँ देखा है कि दक्षिण भारत के लगभग सभी सदस्यों ने डीजल के अभाव की कड़ी शिकायत की है और यह स्थिति अभी भी बनी हुई है तथा इसको देखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने मंत्री को निर्देश देते हुए यह कहा कि वह सभा को वहाँ की ताजा स्थिति के बारे में समय-समय पर सूचित करते रहें। डीजल के अभाव उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश तथा जिला स्तर पर भी जारी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अखबारों में यह निकल रहा है कि उसकी व्यवस्था हो गई है। मथुरा रिफाइनरी काम कर रही है, यही समय है जब किसानों की अपनी फसल की थ्रेसिंग करनी है या गन्ने आदि फसलों को सिंचाई करनी है। मंत्रीजी बताये कि क्या व्यवस्था हुई है ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अभी-अभी, शून्य काल समाप्त हुआ है। हम निर्धारित विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अब, सभा स्थगित करनी होगी। यदि आप इसे फिर से शुरू करना चाहते है तो मेरे विचार से ऐसा नहीं कि.....

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : आप मई, 1984 के आधार पर राजस्थान को पेट्रोल की सप्लाई कर रहे हैं, जबकि वहाँ वाहनों की संख्या में हर साल 15 प्रतिशत वृद्धि होती है। वहाँ पम्पों पर लम्बी-लम्बी लाइनें लगी है। राजस्थान में पेट्रोल के अभाव में परिवहन व्यवस्था ठप हो गई है।

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं जब अजमेर गया था तो वहाँ लोगों ने मेरा घेराव किया था। राजस्थान में पांच दिन से लगातार बड़े-बड़े शहरों में पेट्रोल नहीं है। राज्य के सभी अखबारों में छपा है कि पेट्रोल ओर डीजल का घोर संकट बना हुआ है। वैगनों की सप्लाई कांडला से नहीं हो रही है।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : मंत्रीजी मैं आपके ध्यान में सब यह बात लाना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों की समस्या काफी भिन्न है। यह पर्यटक मौसम है लेकिन वहाँ स्थिति खराब है। वहाँ पर भारत तथा विदेशों से अनेक पर्यटक आए हुए हैं। उन्हें पेट्रोलियम अथवा डीजल नहीं मिल पा रहा है और इसका असर सार्वजनिक वितरण प्रणाली सेवा पर भी पड़ रहा है। अतः, मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र उत्तरांचल पर विशेष ध्यान दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : पेट्रोल और डीजल, खासकर डीजल की समस्या बिहार में भी अत्यधिक गम्भीर है। वहाँ बिजली की कमी की वजह से डीजल पर किसान निर्भर है। इस अभाव को देखते हुए मैं मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि आप अपने स्तर पर बिहार में डीजल की व्यवस्था करें जिससे किसानों तथा अन्य उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 15 दिनों से डीजल और पेट्रोल का घनघोर संकट न केवल बिहार बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में व्याप्त है। इस सदन में कुछ दिन पहले डीजल और पैट्रोल की कमी को देखते हुये रूलिंग दी गयी थी लेकिन यह बहुत ही दुख की बात है कि इस रूलिंग के बाद भी सरकार के मंत्री या सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है। आज किसानों द्वारा खेत की मढाई का काम चल रहा है औई उधर बरसात भी आने वाली है। यदि बरसात आ गयी तो किसानों की खलिहान में पड़ी हुई फसल नष्ट हो जायेगी। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार के पास पॉवर है। यहाँ पर पहले ही से रूलिंग के द्वारा आदेश हो गया कि डीजल और पेट्रोल की व्यवस्था की जाये। अतः किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुये डीजल की आपूर्ति अविलम्ब की जाये अन्यथा वहाँ पर खलिहान में पड़ी रबी की फसल नष्ट हो जायेगी ओर महामारी फैल जायेगी और देश के सामने एक और समस्या पैदा हो जायेगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह वास्तव में विषय से अलग हटना है। फिर भी मैंने आपको समय दिया।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जाना चाहिए। यह एक अत्यन्त आसाधारण स्थिति है।

[हिन्दी]

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : पंजाब खेती प्रधान सूबा है और इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है। वहाँ के लोग जमीदार है, जमीनों के मालिक हैं और हरिजन खेतों में काम करते हैं। पंजाब में इस वक्त जितनी दिक्कत आ रही है कि डीजल के लिये एक एक मील तक ट्रैक्टर लाईन में लगे हुये हैं। सरकार इस दिक्कत की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। पंजाब के दो मिनिस्टर्स श्री बूटा सिंह और श्री बलराम जाखड़ से चार बार मिलकर कह चुका हूँ लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दोनों की ज्वांयट रैस्पांसिब्लिटी है। पंजाब में बगावत हो जायेगी। मैंने आपसे कह दिया है कि अगर पंजाब में डीज़ल नहीं मिला तो पंजाब से 10-15 दिन में लोग ट्रेक्टर लेकर दिल्ली आने के लिए तैयार हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : दिल्ली आने के लिए डीजल नहीं मिलता है।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. सी. बालयोगी (अमालपुरम) : हाल में आये तूफान के कारण आन्ध्र प्रदेश में भी किसान और जनता पेट्रोल और डीजल प्राप्त करने में बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। खरीफ की फसल भी जल्दी तैयार होने वाली है। समुद्र तटीय जिलों में भी किसान पेट्रोल और डीजल प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवदेन करता हूँ कि पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सही तरीके से करने के लिए समुचित कदम उठायें।

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे निर्देश दिया है कि मैं इसके बारे में व्यापक वक्तव्य दूँ, जैसाकि सभा को ज्ञात है कि मैंने सदन में इसके बारे में व्यापक वक्तव्य दिया है, फिर भी मैं वास्तविक स्थिति को बताना चाहूँगा। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ। मथुरा तेलशोधक कारखाने के बंद होने के कारण सम्पूर्ण उत्तर भारत प्रभावित हुआ था, किन्तु अब स्थिति में तेज से सुधार हो रहा है, टैंक वैगनों की आवश्यकता के मामले में हमें रेलवे से पूर्ण सहयोग मिल रहा है। बन्दरगाहों पर पोतघाट की सुविधा भी एक समस्या थी, अब जलभूतल परिवहन मंत्रालय से पूर्ण सहयोग मिल रहा है। हमें आवश्यक संख्या में रोड़ टैंकर मिल गए है अब जिन्हें उपयोग में लाया जा रहा है। अद्यतन स्थिति यह है कि मैं इसके बारे में लगातार जानकारी प्राप्त करता रहता हूँ और निरन्तर इसका निरीक्षण भी करता रहता हूँ। सभी कदम युद्ध स्तर पर उठाये गए है। अभी कल जो जानकारी मिली है उसके अनुसार स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति में सुधार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल ओर डीजल लेने के लिए जो लम्बी कतारें लगी हुई थी, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम होनी प्रारम्भ हो गई है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कुछ स्थानों पर पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से भी सम्पर्क बनाये हुए हैं। मैंने अपने मंत्रालय में विभिन्न राज्यों के साथ सम्पर्क करने के लिए विशेष दल गठित किये हैं।

जी हां, मैं पंजाब के माननीय सदस्य से सहमत हूँ। किंतु उत्तर प्रदेश में स्थिति में सुधार हो रहा है, मैं पंजाब आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पर्वतीय क्षेत्रों के माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूँ कि आगामी दो दिनों में वे स्थिति सुधार पायेंगे। हम फसल की कटाई भडाई के मौसम और किसानों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं के बारे में जानते हैं, इस कार्य में मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित हूँ। मैं प्रतिदिन एक समीक्षा बैठक कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उत्तर प्रदेश के बारे में तो आपने बता दिया। राजस्थान के बारे में भी कहे।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : राजस्थान की बात भी मैंने की है। राजस्थान में भी स्थिति इंप्रूव होगी, बिहार में भी होगी। पूरे उत्तर भारत की बात में कर रहा हूं। अभी एक सदस्य ने हैदराबाद की बात कहीं है। वहाँ हमारी रिफाइनरी में बहुत बड़ा तुफान आ गया था। सारी रेलवे लाइने बाढ़ में डूब गई थी। वह लोकलाइज़ प्रोबलम थी। हैदराबाद में भी स्थिति अब ठीक हो गई है।....

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : 2.25 बजे म. प. पर पुनः समवेत होने के लिए सभा स्थगित होती है।

1.21 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.25 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.36 म.प.

मध्याहन भोजन के पश्चात् लोकसभा 2.36 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वित्त विधेयक, 1995*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधायी कार्य लेंगे। वित्त विधेयक, 1995 के सभी तीन प्रक्रमों के लिए दस घंटें आवंटित किये गए हैं। यदि सभा सहमत है तो हम सात घंटे सामान्य चर्चा के लिए, दो घंटे खंडवार विचार के लिए और एक घंटा तृतीय प्रक्रम को दे सकते हैं।

श्री मनमोहन सिंह विधेयक को विचार करने के लिए पेश करेंगे।

वित्तमंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूँ :—

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, 15 मार्च, 1995 को बजट प्रस्तुत करते समय मैंने वित्त विधेयक में अन्तर्विष्ट प्रावधानों की मुख्य विशेषताएं स्पष्ट की थी। मुझे हार्दिक प्रसन्नता

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग दो, खंड-2 दिनांक 18.5.1995 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

है कि बजट में काफी दिलचस्पी दिखाई गई, सविस्तार हुई चर्चा और काफी वाद विवाद हुआ, दोनों सदनों के माननीय सदस्यों ने उपयोगी सुझाव दिये हैं। कई सदस्यों ने मुझे अपने सुझाव लिख भेजे भी हैं। जन प्रतिनिधियों, मजदूर संघों, वाणिज्यिक संघों, व्यावसायिक निकायों और स्वैच्छिक संगठनों से भी काफी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूँ कि सभी उठाये गए मुद्दों पर हमने सावधानी से विचार किया है। इन सुझावों पर की गई चर्चा के आधार पर इस सदन में वित्त विधेयक पर कतिपय संशोधन पेश किये, जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इन संशोधनों के स्वरूप को स्पष्ट करने में माननीय सदस्य मुझे सहयोग दें।

महोदय 15 मार्च, 1995 को अपने बजट भाषण में मैंने परिवहन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए इस क्षेत्र को पांच वर्ष तक कर मुक्त रखने का प्रस्ताव किया था। प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत पांच वर्ष की अवधि उस वर्ष से गिनी जायेगी जिस वर्ष से सम्बंधित अवसंरचना सुविधायें कार्य करना प्रारम्भ करती हैं। पांच वर्ष के बाद अगले पांच वर्ष के लिए 30 प्रतिशत की दर पर छूट देने की अनुमति दी गई है।

जल भूतल परिवहन मंत्रालय और आधार भूत उद्योगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह बताया गया है कि प्रारम्भ के वर्षो में अवक्षयण और परिचालन संबंधी खर्चों के कारण बहुत कम लाभ होने की संभावना है, इसीलिए इतना अधिक लाभ होना सम्भव नहीं है जिससे प्रस्तावित कर-मुक्त योजना से फायदा हो सके। इसलिए जिस वर्ष से उद्यमी पांच वर्ष तक करों में छूट प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें उस वर्ष को चुनने की अनुमति दी गयी है। करों में छूट उद्योग आरम्भ होने के प्रारम्भिक बारह वर्षों में लेनी पड़ेगी।, इसका तात्पर्य है कि कोई उद्यमी यदि उद्योग के परिचालन के चौथे वर्ष को करों में छूट के लिए प्रारम्भिक वर्ष चुनता है तो उसे पांच वर्षों अर्थात् चौथे वर्ष से आठवें वर्ष तक, करों में पूरी छूट मिलेगी और शेष चार वर्षों अर्थात् नौवें वर्ष से बारहवें वर्ष तक करों में 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

कराधार को व्यापक बनाने के लिए वित्त विधेयक में से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा व्यष्टि और हिंदू अविभक्त कुटुंब वर्ष के दौरान वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के बीस हजार से अधिक के संदाय पर दस प्रतिशत की दर से स्रोत पर कटौती करने का प्रस्ताव है। मुझे वृत्तिकों के विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि दस प्रतिशत की दर बहुत अधिक हैं इसलिए मैं इस दर को दस प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

वर्ष 1995-96 के बजट में मैंने विज्ञापन रेडियो से प्रसारण टेलीविजन प्रसारण, परिवहन और खान-पान सेवा के ठेकों के अनुसरण में व्यष्टि और हिन्दू अविभक्त कुटुंब से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किए गए संदाय को सम्मिलित कर स्रोत पर कर कटौती की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव किया था। प्रस्तावित कर कटौती की दर सकल प्राप्तियों पर दो प्रतिशत थी। विज्ञापन क्षेत्र से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर हमने इस क्षेत्र की प्राप्तियों और ऊपरिशीर्षों का विश्लेषण किया है और पाया कि किसी विज्ञापन एजेंसी में कमीशन के अतिरिक्त प्राप्तियां प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया को चली जाती हैं। इसलिए मैंने विज्ञापन एजेंसी के मामलें में इस कटौती को सकल प्राप्तियों के दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह प्रस्तावित कटौती तब लागू होगी जब कोई ग्राहक किसी विज्ञापन एजेंसी को भुगतान करता है, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसे वृत्तिक ओर तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर कर में पांच प्रतिशत की कटौती की जाती है उसी तरह जब कोई विज्ञापन एजेंसी अपने माडलों, कलाकारों, छायाकारों आदि को भुगतान करते हैं तो उन्हें कर में पाच प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

दिनांक 15 मार्च, 1995 को यथा पुरःस्थपित वित्त विधेयक में कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 से कारबार से आय के लिए लेखा मानको को निर्धारित करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार, को शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है। कुछ व्याख्याकारों ने कहा है कि सरकार को आय निर्धारण के लिए विस्तृत लेखा मानकों को निर्धारित नहीं करना चाहिए क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मानक ही उचित हैं।

सदस्य जानते है कि आयकर अधिनियम में कर योग्य लाभ की संगणना के लिए जो भी सुस्पष्ट नियम हैं उनका पालन अनिवार्य है। उदाहरणार्थ कर योग्य लाभ के निर्धारण के लिए तुलना पत्रों जैसे वित्तीय विवरणों में प्रदत्त नियमों का पालन नहीं किया जाता वरन् आयकर नियमों के अन्तर्गत और अधिक उदार अवक्षयन मोक सम्बंधी प्रावधान का पालन किया जाता है। चूंकि वित्तीय रिर्पोटिंग के उद्देश्य कर विधानों से भिन्न होते हैं इसलिए लाभ ओर कर योग्य आय की संगणना के लिए एक ही मानकों का होना व्यावहारिक नहीं है। इसी कारण अमरीका और कनाडा सहित कई देशों में कर योग्य आय के निर्धारण के लिए आयकर अधिकारियों ने विस्तृत लेखा मानक तैयार किए हैं। मेरा विश्वास है कि सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यह सही दिशा में एक कदम है। निस्सदेह सरकार ऐसे मानक बनाते समय इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स जैसे विशेषज्ञ निकायों से परामर्श करेगी।

वित्त विधेयक में यह भी प्रावधान है कि अब से 5000 रू. से कम मूल्य के संयंत्र और मशीनरी संपत्तियों के समूह के अंग होंगे तथा उन पर आय-कर नियमों मे विनिर्दिष्ट दरों पर मूल्य ह्रास की अनुमति होगी। मुझे व्यावसायिक निकायों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि यह संशोधन सख्त होगा क्योंकि व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए खरीदी हुई पुस्तकों के मूल्य को अब वर्ष की कुल खरीद में से पूर्णतः घटाने की अनुमति नहीं होगी। मैं इस बात को भली-भांति समझता हूँ कि हमारे व्यवसायिओं को अपने ज्ञान को निरंतर अद्यतन बनाए रखने की आवयकता होती है। ज्ञान पर कर लगाने अथवा व्यावसायिक प्रयोजन हेतु पुस्तकों की खरीद को हतोत्साहित करने के लिए इस प्रावधान का प्रयोग करने का मेरा अभिप्राय नहीं था। इसीलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि किसी खरीद वर्ष में व्यापसायिक प्रयोजनों के लिए क्रय की गई पुस्तको की लागत के 100 प्रतिशत अवमूल्यन की अनुमति दी जाए। इसके लिए आय-कर नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, जिन मामलों में तत्काल राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता थी, उनमें मैं पहले ही कार्यवाही कर चुका हूँ। मैं किए गए परिवर्तनों के बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा।

1995-96 के लिए बजट प्रस्तावों में सूती हौजरी पर विक्रय कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया था। कई माननीय सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर यह अनुरोध किया था कि इस पर दी जा रही छूट को बरकरार रखा जाए क्योंकि हौजरी ऐसी मद है जिसका उत्पादन अधिकतर

अत्यधिक विकेन्द्रित क्षेत्र में किया जाता है। उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए मैंने सूती हौजरी पर दी जा रही छूट को बहाल रखा है। मैंने प्रावधान किया है कि यदि किसी कारखाने में ब्लीचिंग, प्रिंटिंग ओर डाईंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो कतिपय वस्त्र निर्माण प्रक्रियाओं जैसे केलैंडरिंग, स्टेंटरिंग आदि पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट लागू नहीं होगी। मेरे ध्यान में यह बात लाई गई है कि इन प्रावधानों के कारण उद्योग के लिए कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। अब मैंने अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट को पुनः बहाल कर दिया है जैसी कि 1995-96 का बजट पेश किए जाने से पूर्व लागू थी।

मैंने दस्त शुल्क धागे से बनाए गए डबल यार्न को भी मूल उत्पाद शुल्क से छूट दे दी है, चाहे उस धागे को बाद में रंगा जाए, ब्लीच किया जाए, छापा जाए अथवा उसका मर्सरीकरण किया जाए।

मूल बजट प्रस्तावों में मैंने सभी ब्रांड वाली प्रकीर्ण खाद्य वस्तुओं पर 20 प्रतिशत का एकसमान उत्पादशुल्क लगाने का प्रस्ताव किया था। मुझसे यह अभयावेदन किया गया कि इसका दुष्प्रभाव मिठाई और अल्पाहार बनाने वालों पर भी पड़ेगा जबकि मेरा ऐसा अभिप्राय नहीं था। परिणामस्वरूप मैंने मिठाई तथा अल्पाहार पर उत्पाद-शुल्क के भुगतान से पूरी छूट दे दी है।

मैंने गैस डिस्चार्ज ट्यूबों ओर थर्मिस्टरों के निर्माण में काम आने वाले कई आदानों पर भी आयत शुल्क घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। स्वदेशी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड उद्योग को बढ़ावा देने हेतु, प्रिंटेड सर्किट बोर्डों के लिए कॉपर क्लैड लेमीनेटों के लिए आदानों पर आयत शुल्क जो 40 से 50 प्रतिशत के बीच था, को भी घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है।

पहले ही किए जा चुके परिवर्तनों के अलावा, यहाँ उठाए गए मुद्दों के अनुसरण में मैं कुछ और रियायतों की घोषणा करना चाहता हूँ। दिनांक 15 मार्च, 1995 के अपने बजट प्रस्तावों में मैंने अपवंचन विरोधी उपाय के रूप में फाइबर अथवा फिलामेंट अपशिष्ट पर 11.50 रु. प्रति किलोग्राम की दर से न्यूनतम उत्पाद शुल्क का प्रस्ताव किया था। अब मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ये दरें केवल मूल रूप से फाइबर और फिलामेंट धागे के निर्माण वालों के राज्यों में ही लागू होंगी। बुनाई एककों द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई कताई से पैदा अपशिष्ट के संबंध में मेरा प्रस्ताव है कि सभी प्रकार के अपशिष्ट पर मूल्यानुसार 20 प्रतिशत एक समान मूल शुल्क नियम किया जाए।

महोदय, कॉफी, इलायची, काली मिर्च और कोको के बागानों में कॉपर सल्फेट का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। मेरा प्रस्ताव है कि कॉपर सल्फेट पर उत्पाद शुल्क की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत की जाए।

मैं यह भी प्रस्ताव कर रहा हूँ कि निम्नलिखित प्रकार के फाइबरों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट को पुनः बहाल किया जाए :—

— वोवन पाईल फैब्रिक, शनील फेब्रिक्स और टफ्टेड फेब्रिक्स जिसका प्रसंस्करण विद्युत या भाप की सहायता के बिना किया जाता है।

— नैरो निटेट अथवा क्रोशेटिड फेब्रिक्स जिसका कोई प्रसंस्करण नहीं किया गया है।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि ब्रेड्स, ओरनामेंटल ट्रिमिंग आदि, जिन्हें संसाधित नहीं किया जाता तथा रबड़युक्त फेब्रिक्स को मूल उत्पाद शुल्क से पूर्णतः छूट दी जाए।

बजट में मैंने चीनी और पोर्सिलेन के बर्तनों पर उत्पाद-शुल्क घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया था। अब मेरा प्रस्ताव है कि कांच से निर्मित किचन वेयर और टेबलवेयर आदि पर उत्पाद शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया जाए।

मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ कि आयत शुल्क के भुगतान से पूर्णतः मुक्त औषधियों की सूची में 31 जीवन रक्षक औषधियां और जोड़ दी जाएं।

मेरा यह भी प्रस्ताव है कि दंत चिकित्सा तथा कान और गले के उपचार में प्रयोग आने वाले कई चिकित्सा उपस्करों को आयात शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाए।

प्रेशर कुकर के विनिर्माताओं ने अभ्यावेदन दिया है कि अल्युमीनियम सर्किलों के मूल्य अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा हैं। एक राहत उपाय के रूप में मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अल्युमीनियम सर्किलों सहित पिटवां अल्युमीनियम पर आयात शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया जाए।

मैंने छपाई उद्योग की सहायता करने के उद्देश्य से 1995-96 के लिए मूल बजट प्रस्ताव में पेपर और पेपर बोर्ड पर आयात शुल्क को 65 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया था। तथापि मुझे बताया गया है कि कागज की अंतराष्ट्रीय कीमतों में अतिशय वृद्धि के कारण शुल्क में की गई यह कमी पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ कि पेपर ओर पेपर बोर्ड पर आयात शुल्क में और कमी करके 40 प्रतिशत के स्थान पर बीस प्रतिशत किया जाए।

अनाज के उचित भंडारण में सहायता करने तथा उसके नुकसान को कम करने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि कृषि साईलो पर आयात शुल्क की दर को घटाकर 25 प्रतिशत किया जाए। यह दर उद्योगों के लिए पूंजीगत माल पर लागू शुल्क की सामान्य दर के बराबर होगी।

मैंने 'मोडवेट' योजना को ओर सरल बनाया है। 'मोडवेट' नियमों में निम्नलिखित ढील दी जा रही है :—

— भट्टी तेल तथा कारखानों में वाष्प उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले लो सल्फर 'हैवी स्टॉक' पर 'मोडवेट क्रेडिट' की अनुमति प्रदान करना,

— 'मोडवेट' योजना के अंतर्गत कार्यरत आपूर्तिकर्ताओं से संबंद्ध सभी जॉब कार्य के लिए जॉब कर्मकारों को उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान करना।

इलेक्ट्रोनिक घड़ियों तथा कैमरों में बटन सेल उपयोग किये जाते हैं तथा प्रायः इनकी तस्करी की जाती है। मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ कि बटन सेल पर आयात शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया जाए।

मूल बजट प्रस्ताव में श्वेत श्याम पिक्चर ट्यूब पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत किया गया था। अब मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ऐसी श्वेत श्याम पिक्चर ट्यूबों के कांच के कलपुर्जे तथा शैल पर भी आयात शुल्क 30 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत किया जाए।

कागज पर छपी पत्रिकाएं तथा पुस्तकें सीमा शुल्क से पूर्णतः मुक्त हैं परन्तु यदि वे कम्प्यूटर पर पढ़ने हेतु किसी माध्यम जैसे सी.डी, रोम ओर फ्लोपी डिस्कों के रूप में आती हैं तो उन पर शुल्क की दर 50 प्रतिशत है। ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि पत्रिकाएं और पुस्तकें यदि कम्प्यूटर पर पठनीय माध्यम से आती हैं तो भी उसे आयात शुल्क के भुगतान से छूट दी जाए। तथापि, स्वेदशी दृष्टिकोण को मद्देनज़र रखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सीडी, रोम और फ्लोपी डिस्कों पर आयात शुल्क को घटाकर 25 प्रतिशत किया जाए।

कई माननीय सदस्यों ने मेरा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था कि कार्बन ब्लैक पर आयात शुल्क को घटाकर 50 प्रतिशत करने तथा इसके कच्चे माल कार्बन ब्लैक फीडस्टॉक पर लागू 40 प्रतिशत शुल्क से दोनों पर शुल्क में अंतर काफी कम हो गया है। अतः मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ कि कार्बन ब्लैक फीडस्टॉक पर बजट में प्रस्तावित 40 प्रतिशत की बजाय बजट पूर्व लागू 30 प्रतिशत के आयात शुल्क की दर पुनः लागू की जाए। नेप्थलीन जो कि कच्चा माल है, पर भी बजट पूर्व की 30 प्रतिशत की दर पुनः लागू की जा रही है।

मैंने अपने 15 मार्च, 1995 के बजट प्रस्तावों में 'प्लास्टिक रेजिन' पर 40 प्रतिशत आयात कर कम किया था। सिलीकॉन रेजिन के निर्माताओं ने अपने कच्चे माल पर आयात कर कम करने का अनुरोध किया है जो कुछेक मामलों में 50 प्रतिशत है। मैं सिलीकॉन उत्पाद में इस्तेमाल होने वाले विनिर्दिष्ट कच्चे माल पर आयात कर 40 प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

मैं सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में कुछ परिवर्तन करने के लिए वित्त विधेयक में कुछ संशोधन किये जाने का भी प्रस्ताव कर रहा हूँ। सामान्यतया ये संशोधन तकनीकी किस्म के हैं और इनका कोई राजस्व महत्त्व नहीं होता है।

अप्रत्यक्ष कराधान में उपरोक्त परिवर्तनों के संबंध में छूट संबंधी अधिसूचनाएं यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेंगी।

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं मुद्रण की उन दो त्रुटियों का जिक्र करना चाहूँगा जो वित्त विधेयक के 32 वें खण्ड की टिप्पणियों में हुई थीं। अनुच्छेद 2 (ब), अथवा 273 को छोड़ दें। अनुच्छेद 2 (1) में 'पन्द्रह दिन के भीतर' को 'इतने समय में ही' पन्द्रह दिनों से कम नहीं जैसा की सूचना में विनिर्दिष्ट है पढ़ा जाये।"

मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इन प्रस्तावित परिवर्तनों के फलस्वरूप बजट में किये जाने वाले कर संबंधी परिवर्तनों से अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा और एक आम आदमी पर कोई भार नहीं पड़ेगा तथा वस्तुतः कुछ नाजुक क्षेत्रों में मदद भी मिलेगी। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के साथ वित्त विधेयक का समर्थन करें।

उपाध्यक्ष महोदय : निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया

"कि वर्ष 1995-96 के केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री निर्मलकांति चटर्जी (दमदम) : राजस्व संबंधी निहितार्थ क्या है ?

श्री मनमोहन सिंह : बिलकुल असंगत

श्री निर्मलकांति चटर्जी : जब कभी कोई रियायत अथवा संशोधन किये जाते हैं तब मंत्री महोदय को राजस्व संबंधी निहितार्थ के बारे में वक्तव्य देना पड़ता है। लेकिन वे तो इस संबंध में चुप बैठे हैं। उन्हें यह कहना चाहिये कि यह असंगत है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अंत में सभी आवश्यक जानकारी दे देंगे। मैं एक बार फिर आपके ध्यान में ला दूँ कि चर्चा के लिए नियत समय दस घण्टे, सामान्य चर्चा के लिए--सात घंटे--चर्चा हेतु समायोजन समय 35 मिनट, सामान्य चर्चा के लिए छः घण्टे पच्चीस मिनट--खण्डवार विचार करने हेतु दो घण्टे तथा तीसरे वाचन के लिए एक घण्टे का समय होता है। प्रत्येक राजनैतिक दल के लिए नियम समय इस प्रकार है :

कांग्रेस	–	तीन घंटे 9 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	–	एक घण्टा 28 मिनट
सी. पी. आई. (एम)	–	26 मिनट
जनता दल	–	17 मिनट
सी. पी. आई.	–	10 मिनट
समता पार्टी	–	10 मिनट
ए आई ए डी एम के	–	9 मिनट
जनता दल	–	7 मिनट
तेलुगू देशम	–	9 मिनट तथा
जे. ये. एम	–	4 मिनट।

हमारा अनुभव है कि पहले वक्ता ज्यादा समय ले लेते हैं जिसके परिणामस्वरूप जिनके नाम पीछे आते हैं उनको बहुत कम समय मिल पाता है। अतः सभा में अनावश्यक अशोभनीय गतिविधियां बढ़ जाती है। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वे एक दूसरे को संमजित करने का प्रयास करें। नाम केवल व्हिप के माध्यम से ही आयेंगे। केवल व्हिप को यह निर्णय लेना चाहिये कि पहले किसका नाम पुकारा जाये। पीठासीन अधिकारी को स्वतंत्र रूप से भेजी गई पर्चियां कठिनाई पैदा करती हैं।

अब मैं श्री राम कापसे को चर्चा करने के लिए पुकारता हूँ।

श्री राम कापसे (ठाणे) : माननीय उपाध्यक्ष महादेय, मुझे खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री ने दो माह बाद कुछ हिदायतों की घोषणा की हैं। मुझे आशा है चर्चा के अन्त में वे हमारे कुछ प्रस्तावों पर सहमत हो जायेंगे जो वस्तुतः आम आदमी के हित में हैं।

यह स्पष्टतः चुनावी-वर्ष का बजट था लेकिन मेरा भाषण चुनावी वर्ष के राजनैतिक भाषणों से संबंधित नहीं होगा। मैं केवल मुद्दो की बात करूँगा और मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री उद्देशात्मक ढंग से उत्तर देंगे, आखिरकार वे एक अर्थशास्त्री पहले हैं और एक राजनेता बाद में और हाल ही के महीनों में वे राजनेता बने थे।

मैं दो विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूँ, (एक) न्यूनतम आयकर

छूट सीमा 50,000 रुपये तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता तथा (दो) मेरे वक्तव्य के दौरान विशिष्टतः इस विशिष्ट उद्देश्य के साथ यह दिखाने के लिए कि यह वित्त विधेयक एक आम आदमी के खिलाफ कैसे है, बैंकों में जमा धनराशि पर मिलने वाले ब्याज पर स्रोत पर ही आयकर की कटौती। अब वे यह कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ किया है वह आम आदमी के हित में है। मेरे विचार से ये दोनों बातें यह समझने के लिए पर्याप्त हैं कि आम आदमी का हित वित्त विधेयक में नज़र अंदाज किया गया है। पिछले चार वित्त विधेयक एक उद्योगतंत्रवादी ने तैयार किये थे और हमें राज्य के चुनावों के परिणाम आने के बाद अन्तिम कुछ महीनों में इसका अनुभव हुआ है। परिवर्तन होना ही था। उनके दल को दस महीनों से भी कम समय में निर्वाचकों का सामना करना है। निर्वाचकों ने राज्य चुनावों में उसके दल को पहले ही नकार दिया है और इसी पुनरावृत्ति की संभावना काफी है। लेकिन मैं एक मित्र के नाते, माननीय मन मोहन सिंह जी को महाराष्ट्र के अपने अनुभव के बारे में याद दिलाना चाहूँगा।

पिछले एक वर्ष में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने निर्वाचकों का दिल जीतने का बड़ा प्रयास किया—आये दिन एक नयी घोषणा की जाती थी और वे बुरी तरह असफल रहे। यदि हम यह देखें कि वह क्यों असफल हो गये तो हमारी आँखें खुल जायेंगी। इसका कारण राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और सत्तासीन लोगों की अकार्यकुशलता तथा उनमें गहरी पैठी असंवेदनशीलता की भावना है।

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ था कि पिछले चार वर्षों में संसद को दिये गए तथा लोगों को दिये गए अपने बहुत से आश्वासनों को वे भूल गये। उदाहरण के तौर पर निगमित कर पर उपशुल्क को खत्म करने संबंधी प्रस्ताव अथवा बीमा क्षेत्र को विनियमित न करने संबंधी प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में उनकी असफलता को ही लीजिए। ये उनके इरादे थे। उन्होंने यह घोषणा की थी कि ससंद में और संसद के माध्यम से वे लोगों तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन उन्होंने तो संसद में दिए गए अपने भाषण में न ही वित्त विधेयक में और न ही बजट संबंधी भाषण में विगत चार वर्षों में लोगों से किया गया अपना वादा पूरा न करने के सम्बन्ध में जिक्र किया है। इस भूल के लिए उन्हें राष्ट्र को एक स्पष्टीकरण देना चाहिये।

मुख्य मुद्दा मुद्रा स्फीति है। वित्त मंत्री महोदय यह कहते रहते हैं कि कीमतें बढ़ाने के संबंध में उन्होंने कुछ नहीं किया है। लेकिन जिस चीज को छुपाने का वे प्रयास करते रहते हैं वह यह है कि उन्होंने कीमतें घटाने अथवा उन्हें नियंत्रणधीन रखने के संबंध में कुछ नहीं किया है। अतः यद्यपि उन्होंने भूल करने का कोई पाप नहीं किया है फिर भी वे चूक करने के पापों के दोषी हैं। उन्होंने मुद्रा स्फीति की समस्या को नयी दिशा प्रदान करने के संबंध में कुछ नहीं किया है। इससे तर्क संगत ढंग से यह बात सामने आती है कि आयकर ढांचो को पुनर्गठित किया जाये। यदि रुपये की क्रय शक्ति ऐसे नाटकीय ढंग से घटी है तो क्या वास्तविक मध्यम वर्ग जिसने हाल के वर्षों में बड़ी वृद्धि की है को इसका जायज हक नहीं दिया जाना चाहिए। यदि 1981 में आयकर छूट सीमा 15,000 रुपये थी और यदि उन 15,000 रुपये की कीमत आज 51000/- रुपये है तो छूट 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की जाये और 40,000 रुपये करने का तो वे पहले ही प्रस्ताव रख चुके हैं। लेकिन

3.00 म० प० वास्तव में, मुद्रास्फीति को देखते हुए 1981 में 15,000 रुपये की जो कीमत थी वह आज नहीं है। चालिहा समिति की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि 40 प्रतिशत की शीर्ष दर को दो लाख रुपये से ऊपर की आय वाले लोगों पर लागू किया जाये जबकि इस वर्ष बजट में इसे 1,20,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। 40 प्रतिशत की शीर्ष दर के बारे में चालिहा समिति की सिफारिश इस तथ्य के मद्देनज़र इस वर्ष लागू हो जानी चाहिए थी कि मुद्रास्फीति की वर्तमान दर के आगामी वित्तीय वर्ष में बढ़ने की संभावना है।

मुद्रा प्रसार में वृद्धि का एक कारक सरकार के गैर-योजनागत व्यय में लगातार वृद्धि है। वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 5.5 प्रतिशत के लक्ष्य को पार कर लेने की संभावना है। अतः उचित यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत कराधान के बारे में दिए गए संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाए। विकलांग के आश्रितों के लिए 20,000 रुपये तक के वृतिदान पर छूट दिए जाने के लिए प्रशंसनीय उपबंध करने का महत्व इस कारण कम हो गया है क्योंकि कर निर्धारित की आय पर उस दशा में कर लगाया जाएगा यदि विकलांग के आश्रित की मृत्यु कर निर्धारित करने से पहले हो जाती है यह उपबंध कठोर, अनुचित और ऐसे वृतिदानों को हतोत्साहित करने वाला है हमने ऐसे मामलों में कर देयत की सीमा 'फ्लेट दर के आधार पर' 10 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव किया है। इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

3.01 म० प०

[श्रीमती संतोष चौधरी पीठासीन हुईं]

मुझे आशा है कि वित्त मंत्री कम से कम इस संशोधन के बारे में कठोर रूख नहीं अपनायेंगे। मैं यह नहीं समझ सका कि सरकार बैंकों में और सामान्यतया साहूकारों के पास जमा करने वाले लघु जमाकर्ताओं की समस्याओं से पूरी तरह अनभिज्ञ कैसे हैं।

वित्त विधेयक, 1991 में बैंकों में जमा राशियों पर दिए जाने वाले ब्याज को शामिल करके स्रोत पर ही कर की कटौती के दायरे को बढ़ाने के बारे में उपबंध किया गया था। उस समय स्रोत पर कर की कटौती के उपबंध जब 2500 रुपए अथवा उससे अधिक के ब्याज के भुगतान पर लागू होते थे। हमने इसका जोरदार विरोध किया था तथा अगले वर्ष इसको वापस ले लिया गया। लेकिन इस वर्ष उसी योजना को पुनः लागू कर दिया है, केवल राशि को 2500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है।

सरकार यह अपेक्षा करती है कि यदि बैंक्र जमाकर्ताओं से मिलने वाली वार्षिक ब्याज की राशि 10,000 रुपए से अधिक है तो बैंकों को सरकार की ओर से कर संग्रह करना चाहिए। बैंक गोपनीयता के सिद्धान्त पर कार्य करते हैं। लेकिन यह सरकार इस सिद्धान्त के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ है। सरकार बैंक के लिपिक से भी यह अपेक्षा करती है कि वे जमाकर्ताओं द्वारा जमा की गई प्रत्येक रकम के बारे में जानकारी रखें। इस कार्य को करने के लिए बैंकों द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक व्यय के बारे में भी सरकार अनभिज्ञ है। आप साहूकारों को ऐसा कार्य करने को कह रहे हैं जिसकी उनसे आशा नहीं की जा सकती है। उन्हें प्राथमिक वर्ग के शिक्षकों की भाँति कोई भी कार्य करने को कहा जा रहा है चाहे वह जनगणना का कार्य हो अथवा परिवार नियोजन का अतः, आप साहूकारों से आयकर विभाग का कार्य करने की उम्मीद करते हैं। वास्तविक प्रश्न यह है कि आप कितना संग्रह कर पाएंगे क्या यह नगण्य है ? यदि यह नगण्य है तो वित्त मंत्री से मैं उम्मीद करता हूं कि वह वरिष्ठ नागरिकों, पेंशन भोगियों, आम आदमियों तथा सेवा निवृत व्यक्तियों पर ऐसी रीति से कर नहीं लगायेंगे तथा साथ ही बैंकों को इस झंझट में नहीं डालेंगे

हवाला लेन-देन से जुटे असली अपराधी और अन्य व्यापारी खुले घूम रहे हैं। वे अभी भी पूरी सरगर्मी से कार्यरत हैं। वित्त मंत्री से मैं उम्मीद करता हूँ कि वह कम से कम मध्यम आयवर्ग के लोगों जिन्होंने एक लाख रुपए तक की राशि जमा की है और जिनका बैंकों के माध्यम से पता लगाया जाता है को परेशान न किया जाए। कृपया इस योजना को लागू न किया जाए और बैंकों तथा सामान्य आदमी का बचाव किया जाए।

इस वित्त विधेयक में उल्लिखित सभी योजनाओं का बैंकिंग उद्योग द्वारा विरोध किया गया है। आपकी स्रोत पर कर की कटौती के परिणामस्वरूप यदि आम आदमी को समस्या होती है तो वह निश्चय ही इस योजना का विरोध करेंगा। यह चुनाव वर्ष है। आपको अनेक राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था। आप आम आदमी के लिए अच्छा बनना चाहते हैं। यदि आप अपना भला चाहते हैं तो इस प्रस्ताव को शीघ्र वापस लीजिए। 1991 में आपने यह योजना प्रारंभ की थी और 1992 में आपने इस योजना को वापस ले लिया था। 1995 में आपने इस योजना को पुनः प्रारम्भ कर दिया। लेकिन क्या हम इससे अगले वर्ष के वित्त विधेयक के बारे में कुछ कर सकते हैं ? हम नहीं जानते कि अगले वर्ष आप यहाँ होंगे या नहीं। अगले वर्ष क्या स्थिति होगी हम नहीं जानते। दसवीं लोकसभा का यह अंतिम वर्ष है। इसलिए, कृपया इस योजना को वापस ले लीजिए। इससे बैंकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में बैंकों ने आपको अपना ज्ञापन भी दिया है। लेकिन उनकी चिंता का विषय संचयी जमा राशियों पर ब्याज की कटौती तथा एक बैंक से दूसरे बैंक में जमा राशियों पर मिलने वाला ब्याज है। साहूकारों पर लगाए जाने वाला कराधान विचारणीय है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पूरे मामले पर फिर से विचार करें।

अवसंरचना के विकास में कार्यरत औद्योगिक उपक्रमों को लाभ और अभिलाभ के संबंध में करावकाश की दृष्टि से धारा 80 (1 क) में संशोधन का मैं स्वागत करता हूँ। 'बौट' और 'बूट' की विचारधारा प्रारम्भ की जा रही है। यह एक अच्छी बात है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि औद्योगिक आधुनिकीकरण के लिए व्यापक विस्तार और अवसंरचना में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। हमारे देश में एक्सप्रेसवेज, हाइवेज पत्तनों और त्वरित शहरी रेल परिवहन प्रणालियों जैसी आधारभूत ढांचागत सुविधायें बहुत कम हैं। यथोचित समय के भीतर भारत को इन आवश्यकताओं को पूरी करने हेतु अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। दूसरे देशों में नई अवसंरचना का विकास करने के लिए "निमितिय, संचालन और हस्तांतरण अथवा निमितिय, स्वामित्व, संचालन और अंतरण" की धारणा का उपयोग किया गया है। इसीलिए यह छूट दी जा रही है यह एक अच्छा विचार है, परंतु प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री नाना पालकीवाला ने कुछ उद्योगपतियों द्वारा पूछे गए इस प्रश्न 'क्या हम भारत सरकार पर विश्वास कर सकते हैं,' को पुनः दोहराकर ठीक ही किया है। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री इस सभा में इस बात की घोषणा करते हैं कि हमारी नीति उन लोगों को संरक्षण प्रदान करेगी जो वर्तमान कानूनों में विश्वास रखकर कार्य करते हैं। पिछले चार वर्षों में भी ऐसा हुआ है।

साल दर साल वित्त विधेयकों में इस सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया है। यहाँ तक कि आयकर में दी गई छूट भी वापस ले ली गई थी। इसलिए मेरा सुझाव है कि डॉ. मनमोहन सिंह इस संबंध में घोषणा करें।

अंत में, मैं लघु उद्योगों के बारे में बात कहूंगा। लघु उद्योग पिछले कई वर्षों से न्याय की मांग कर रहे हैं। यदि अंततोगत्वा सरकार चाहती है कि उन युवाओं के हित में जो कि लघु उद्योगों में रोजगार प्राप्त करते हैं, रोजगारोन्मुख लघु उद्योग उन्नति करें तो उन्हें अधिसूचना जारी करते समय स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। गत वर्ष हर महीने अधिसूचनाये जारी की गई थीं तथा इनसे अव्यवस्था पैदा हो गई थी।

अतः मेरा विनम्र अनुरोध है कि अधिसूचनायें एक बार और स्पष्ट भाषा में जारी की जाए। उनकी यह मांग कि 1 करोड़ रुपए तक प्रभावी दर में 10 प्रतिशत की कमी तथा 2 करोड़ रुपए तक प्रभावी दर में 5 प्रतिशत की कमी होनी चाहिए को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

कुछ ऐसे लघु उद्योग हैं जो विशेष छूट दिए जाने के पात्र हैं। पेंट और प्रेशर कुकर तथा प्लास्टिक पुनः प्रयोग उद्योग तथा रद्दी माल से समान का निर्माण करने वाले निर्माताओं का प्रतिनधित्व करने वाले संघों ने पहले ही अभ्यावेदन दे रखें हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने प्रेशर कुकर के बारे में ध्यान रखा है। परन्तु आपने उनकी मांगों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। इन उद्योगों को बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ असंतुलित प्रतियोगिता करनी पड़ रही है। अतः उन युवाओं, जो लघु उद्योग में रोजगार प्राप्त करते हैं, के हित में मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विषय में यथोचित कार्यवाही की जाए। यदि लघु उद्योगों का विकास होता है, तो यह देश के लिए अच्छा है। अनियंत्रित मुद्रा प्रसार तथा ऋण के खतरे के बारे में हमें मेक्सिको के अनुभव से सचेत होना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था मेक्सिको की अर्थव्यवस्था से काफी सुदृढ़ है परन्तु लगभग दो अंकों में मुद्रा प्रसार की दर तथा बढ़ता हुआ बाहरी और आन्तरिक ऋण चिंता का विषय है। उदारीकरण और विश्वीकरण की बार-बार बातें की जाती हैं किन्तु हमारे उद्योगों को पश्चिमी देशों की प्रौद्योगिकी क्यों नहीं उपलब्ध करायी जाती ? क्या हम पुर्जों के समुच्चय करने के स्तर तक ही पड़े रहेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार तथा खाद्य उत्पादन में वृद्धि होने की शेखी बघारी जाती है। यह स्थिरता भ्रामक है तथा इससे और ज्यादा अस्थिरता पैदा हो सकती है। यह समय है कि हमें सजग हो जाना चाहिए अभी बहुत देर नहीं हुई है लेकिन शीघ्र ही बहुत देर हो जाएगी। वर्तमान सरकार पुरानी सरकार द्वारा वसीयत में दिए गए भारी ऋण बोझ का रोना रोती रहती है। क्या वह आगे आनेवाली सरकार को वसीयत में दिए जानेवाले और बढ़ते हुए भारी बोझ में कमी करने के लिए कुछ करेगी।

धन्यवाद।

डा॰ देबी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महादेया, मैं वित्त विधेयक, 1995 का समर्थन करता हूँ। 1991 में जो कराधान नीति बनाई गई थी उसी के कतिपय मूलभूत प्रस्तावों को ध्यान में रखकर वित्त विधेयक बनाया गया है तथा यह उसे ही कार्यान्वित करता है। ऐसा सुझाव देना गलत है, जैसा कि विपक्ष के सदस्य यह दावा करने का प्रयास कर रहे थे, कि वर्तमान बजट एक चुनाव पूर्ण बजट है। ऐसा सुझाव देना केवल गलत होगा कि जून, 1991 में सत्ता में आई वर्तमान सरकार द्वारा जारी कराधान नीति के तहत ही वित्त मंत्री कराधान संबंधी उपायों को जारी रखा है तथा इनमें गरीबी उन्मूलन विरोधी कार्यक्रमों पर बल देने के सहित उसी नीति को दर्शाया गया है। अब, यह नई कराधान नीति क्या है जिसे हमें ध्यान में रखना है ? इस कराधान नीति में

अभी भी बहुत गुंजायश है। इसमें कतिपय आर्थिक दर्शन को क्रियान्वित करने का प्रावधान है। नई आर्थिक नीति के अन्तर्गत स्वीकारी गयी कतिपय आर्थिक और वित्तीय विचारधाराओं को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। नई आर्थिक और कराधान नीति के अन्तर्गत कर प्रस्तावों का उचित रूप से पालन करने के लिए कर दरों को आसान बनाने तथा कर दरों को कम करने की दृष्टि से समूची कर संरचना को फिर से उदीयमान किया गया है तथा इसके साथ-साथ कृषि, उद्योग और अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर पैदा करके निवेश में वृद्धि करने पर बल दिया गया है। इसका मूल उद्देश्य यही है तथा इन्हीं दोनों उद्देश्यों को पूरा करने हेतु 1991 से ही वर्तमान कराधान नीति का अनुकरण किया जा रहा है। कृषि और उद्योग में निवेश बढ़ाने हेतु वित्त मंत्री ने वर्तमान में कतिपय मूल विचारधाराओं को लागू किया है। वर्तमान बजट कृषि निवेशों, औद्योगिक निवेश सीधे विदेशी निवेशों, विदेशी विनिमय मुद्रा भंडार तथा रोजगार के अवसरों में लगातार वृद्धि को दर्शाता है। वर्तमान कराधान नीति की ये ही मूलभूत विचारधारायें तथा विशेषतायें हैं जिन्हें वित्त विधेयक में दर्शाया गया है। मैं विभिन्न राज्यों में हुए विधान सभा चुनावों में हमारे दल को सफलता न मिलने के बारे में विपक्षी सदस्य की उत्कंठा को समझ सकता हूं। ऐसा नई आर्थिक नीति की घोषणा करने तथा उसे क्रियान्वित करने के कारण नहीं हुआ है। यह हो सकता है कि ऐसा कट्टरवादी विचारधाराओं तथा स्थानीय मुद्दों जैसे विभिन्न कारणों के कारण हुआ हो। लेकिन विपक्षी सदस्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह लोगों का अंतिम निर्णय नहीं है, नई आर्थिक नीति को पूरे देश में स्वीकार किया गया है। वामपंथी शासित पश्चिम बंगाल, जिन्होंने इससे पहले नई आर्थिक नीति को, देश की आर्थिक संप्रभुता को विदेशी हाथों में सौंपने की बात कही थी, ने भी इसे अपनाया है। पश्चिम बंगाल में उद्योगों को उन्नत करने के लिए इस नीति को अपनाना एक अच्छी बात है। पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को फिर से सक्रिय करने तथा उसके विकास की दृष्टि से नई आर्थिक व्यवस्था को अपनाना उनके लिए एक अच्छी बात है। अतः, वित्त मंत्री द्वारा पिछले चार या पांच वर्षों से जारी नई आर्थिक नीति को वामपंथी दलों ने भी अपना लिया है। हमारी बजट अथवा कराधान नीति में कतिपय योजनायें हैं। यह कोई चुनावी बजट नहीं है। 1991 में जब हमने सत्ता संभाली थी तब अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित संकट से घिरी हुई थी जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानता है। इस संकट से उबरने के लिए अल्पकालिक उपाय किए गए थे। जब यह संकट समाप्त हो गया तब औद्योगिक नीति, व्यापार नीति, वित्तीय मामलों तथा वित्तीय क्षेत्र में वृहत आर्थिक उपायों को अपनाया गया था। अर्थव्यवस्था एक सही रूख अपना चुकी है। अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने के पश्चात् पिछले दो वर्षों से बजट नीतियों में बजट उपायों के फलस्वरूप लाभ प्राप्त हुए हैं तथा अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई तथा इस वर्ष भी गरीबी उन्मूलन योजना पर बल दिया गया है। सभी वित्तीय नीतियों का यही उद्देश्य था।

वित्तीय नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था से मिले लाभ को आम लोगों तक पहुंचाना है। यही योजना थी। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री अपने दृष्टिकोण में अधिक व्यावहारिक रहे हैं। पिछले वर्ष कर छूट की सीमा को 30,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए कर दिया गया है। इसे पुनः बढ़ाकर 40,000 कर दिया गया है। यदि इसकी सीमा और बढ़ा दी गई होती तो निश्चित रूप से हमें खुशी हुई होती। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि धारा 80 तथा अन्यथा के अंतर्गत पूर्ण छूट दी जाती तो उस स्थिति में 50,000 रुपए तक की आय वाले व्यक्ति को बिल्कुल कोई कर नहीं देना पड़ेगा।

अब विपक्षी सदस्य उल्लेख कर रहे थे कि 1981 में कराधान सीमा 15000 रुपये थी तथा वर्तमान मुद्रा स्फीति की बढ़ती दर से तुलना करने पर यह लगभग 51,000 रुपये के समान साबित होती है, अब यदि कुल छूट को ध्यान में रखें तो निर्धारिती की आय 50,000 रुपये होने पर उसे किसी प्रकार के कर का संदाय नहीं करना पड़ता है तथा यदि किसी कामकाजी महिला की आय 54000 रुपये है तो उसे किसी प्रकार के कर का संदाय नहीं करना पड़ता है, यही नहीं धारा 80 (ठ) के अन्तर्गत कटौती को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 13,000 रुपये कर दिया गया है। आम आदमी की सहायता के लिए ही ये उपाय किये गए हैं जिससे राजस्व अधिकारी उनकी 50,000 रुपये तक की आय को न छुएं।

यह सत्य है कि वित्त मंत्री ने निगमित क्षेत्र के लिए एक वायदा किया था कि निगमित कर के अधिकार पर पांच प्रतिशत की कटौती की जायेगी। किंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उद्योगों की वृद्धि और उनके विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा रोजगार सृजन के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में व्यापक आर्थिक स्थिरता आयी है।

उद्योगों का व्यापक आर्थिक स्थिरता से अपेक्षाकृत अधिक संबंध होता है जिसके फलस्वरूप वे उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर निवेश कर सकते हैं। इसलिए निगमित क्षेत्र में प्रभार पर पांच प्रतिशत की कटौती न करने पर भी उस पर इसका कोई खास प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेंगे क्योंकि वे अर्थव्यवस्था में व्यापक आर्थिक स्थिरता तथा औद्योगिक विकास में जो तेजी से वृद्धि हुई है उसी से प्रसन्न हैं। औद्योगिक विकास में सचमुच काफी वृद्धि हुई हैं।

मैं अवसंरचना उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तमंत्री द्वारा किये गए उपायों की प्रशंसा करता हूं क्योंकि यदि देश को आर्थिक वृद्धि और विकास का प्रयास करना है तो इसके लिए अवसंरचना का विकास एक अत्यंत आवश्यक शर्त है। यह वित्त मंत्री ने एक व्यावहारिक उपाय किया है कि धारा 80 (i) (क) में समुचित संशोधन किया गया है जिससे रेलमार्गों या सड़कों, पुलों, विमानपत्तनों और अन्य एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण जैसे अवसंरचना उद्योगों में किये गए निवेश पर पांच वर्ष तक कर में छूट दी गई है और उसके बाद कर में 30 प्रतिशत की कटौती की गई है।

मैंने परामर्शदात्री समिति में इसका उल्लेख किया और मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि वित्त मंत्री ने इस मूलभूत आवश्यकता को पहचाना और स्वीकार किया है कि पांच वर्ष तक कर में छूट दिया जाना उचित है क्योंकि उस अवधि में अवसंरचना उद्योग में धन निवेश करने वाले निगमित क्षेत्र को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आज जिस संशोधन की घोषणा वित्त मंत्री ने की है उससे कर में छूट एक भ्रम मात्र प्रतीत होता है जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं है।

उन्होंने व्यावहारिक आवश्यकता को पहचाना है। इसीलिए उन्होंने यह छूट दी है कि कर में जो छूट दी जायेगी उसे प्रारम्भिक पांच वर्षों में से किसी भी वर्ष को कर में छूट लेने का आरम्भिक वर्ष चुन सकते हैं। पांच वर्ष की अवधि उस विशेष अवधि से आरम्भ मानी जायेगी जब आप उत्पादन शुरू करेंगे आप किसी भी विशेष वर्ष को चुन सकते है ताकि जिस वर्ष आपने कोई लाभ नहीं कमाया, वह वर्ष पांच वर्ष की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए नहीं लिया जायेगा। मैं वित्त मंत्री द्वारा किये गए इस उपाय का स्वागत करता हूं, यह

अधिकांश आशंकाओं को दूर कर देगा, किंतु मैं माननीय वित्त मंत्री से एक बात पर विचार करने के लिए पुनः निवेदन करूंगा। धारा 80 (झ क) में उपबंध है कि जिस निगमित क्षेत्र ने अवसंरचना उद्योग में धन निवेश किया है उसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों या कानूनी निकाय के साथ करार करना होगा जिससे करार की अवधि के भीतर उन्हें अवसंरचना सुविधाओं को अंतरित करना होगा। अवसंरचना सुविधायें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को अंतरित की जायेंगी। अतः संविधि में यह कहीं भी उल्लिखित नहीं है कि किस प्रयोजन के लिए इनका अंतरण किया जायेगा। अवसंरचना के विकास और निर्माण के प्रयोजन के लिए भारी निवेश आवश्यक है, यदि अवसंरचना सुविधायें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को अंतरित भी की जाती हैं तो निगमित क्षेत्र को पर्याप्त संरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र द्वारा किया गया पूंजीगत निवेश असुरक्षित न हो। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस मामले पर ध्यान देने का निवेदन करता हूँ और यदि संभव हो तो निगमित क्षेत्र को कुछ संरक्षण दिया जाये जिससे निगमित क्षेत्र अवसंरचना उद्योग में धन निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो।

अब स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में कराधान नीति का एक उद्देश्य कर तन्त्र को व्यापक बनाना है जिससे कर की दर को कम किया जा सके और कर-तन्त्र व्यापक बनाया जा सके। यह सामान्य अनुभव है कि जब तक स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाती तब तक इसकी पुनः वसूली या दोषी कर-दाताओं का पता लगाना संभव नहीं होता है। कभी-कभी वे अपनी वास्तविक आय को बताते ही नहीं है। इन लोगों को पकड़ने के लिए यही तरीका है कि कर की स्रोत पर कटौती की जाए और उस विधि को लगभग सभी आधुनिक देशों ने स्वीकार किया है जिससे कर वूसली आसान बन सके तथा करदाता कर-निर्धारण करने के समय पैसा देने की परेशानी से भी बच सके। यह कोई ऐसा उपाय नहीं है जिस पर कोई आपत्ति न हो, किंतु जिस कर दर पर कटौती की जाती है कभी-कभी वह अधिक भी हो सकती है।

मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अनुरोध को स्वीकार किया है कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों, डॉक्टरों, चिकित्सकों, वकीलों वास्तुविदों जैसे वृत्तिकों के मामले में कर की दर दस प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत की जाए। मैं वित्त मंत्री को सुझाव देना चाहता हूं कि यदि संभव हो तो इस परिदृश्य का एक बार फिर अवलोकन करें। जिस प्रकार ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के मामले में स्रोत पर कर कटौती मात्र दो और एक प्रतिशत है, क्या उसी प्रकार वृत्तिकों के मामले में भी इसमें और कमी करने की संभावना है ? किंतु इसके साथ ही मैं, वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे एक बात ध्यान में रखें। अब सभी स्तरों पर कर की कटौती स्रोत पर की जाती है। यहां तक कि यूनिट ट्रस्ट, म्यचुअल फंड तथा बैंकों में, जहां धन संचय किया जाता है एक विशेष स्तर के बाद कर की कटौती आय के स्रोत पर की जाती है। यदि कर कटौती प्रमाणपत्र समय पर नहीं दिया जाता है तो क्या होगा ?

आयकर अधिनियम की धारा 203 के अन्तर्गत करदाता से कर की कटौती करने और कोषागार में इसका भुगतान होने के बाद करदाता को अनिवार्यतः प्रमाणपत्र दिए जाने के बारे में उपबंध किया गया है। किंतु दंड का कोई विधान नहीं है तथा इसके लिए कोई प्रावधान भी नहीं है, यदि कर-कटौती प्रमाणपत्र समय पर प्राप्त नहीं होता है तो यह कठिनाई होती है कि कोई व्यक्ति जो वृत्तिक या ठेकेदार है उसकी धन कटौती आय के स्रोत पर कर की कटौती तो की जाती है किंतु प्रमाणपत्र नहीं मिलता है और इसीलिए उसकी आय से संबंधित ब्यौरे में सामंजस्य नहीं होता है क्योंकि संदाय की गई राशि व्यक्ति की ओर से भुगतान की जाती है तथा जिसकी आय से इसकी कटौती होती है वह कर कटौती का लाभ नहीं उठाता है। जो व्यक्ति कर की कटौती करवाता है उसको इसका लाभ नहीं मिलता है।

एक दांडिक खंड का प्रावधान होना चाहिए कि यदि स्रोत पर कर की कटौती और इसका सरकारी कोषागार में भुगतान होने की तारीख से एक माह के भीतर यदि प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है तो या तो पूरी राशि उसे वहन करनी पड़ेगी तथा कर निर्धारण करने के बाद भी संशोधन कर के करदाता को कम से कम कटौती किए गए कर का दावा करने का लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी जैसा कि आयकर अधिनियम की धारा 155 के अन्तर्गत कई अन्य मामलों में अक्सर किया जाता है।

मैं तलाशी और अभिग्रहण के बारे में वित्त मंत्री के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। अनुभव के आधार पर यह पाया गया कि जब कहीं तलाशी की जाती है तो एक लम्बी अवधि व्यतीत हो जाती है। जब इसके लिए शीघ्रातिशीघ्र मोटे तौर पर कर निर्धारण किया जाता है किंतु काफी लम्बे अरसे तक नियमित निर्धारण नहीं किया जाता है इसीलिए करदाता बहुत अनिश्चयात्मक स्थिति में होता है। इन सारी जटिलताओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए वित्त मंत्री ने निर्धारिती के संबंध में कर निर्धारण करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया आरंभ की है। जब किसी व्यक्ति की अप्रकटित सम्पत्ति की तलाशी या अधिग्रहण किया जाता है तो निर्धारण एक वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए तथा निर्धारिती को सूचना दी जानी चाहिए। अधिकरण में नियमित रूप से अपील करने का प्रावधान है तथा अप्रकटित आय के 60 प्रतिशत पर कर निर्धारण किये जाने का प्रावधान किया गया है आय छुपाने या ब्याज का संदाय न करने आदि पर और कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा यह एक प्रशंसनीय उपाय है क्योंकि इससे लोग अपनी प्रकटित आय को 60 प्रतिशत की समान दर पर कर-निर्धारण करवाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और इससे राजकोष में धन की वृद्धि होगी।

विभिन्न चैम्बर्स ऑफ कामर्स सहित विभिन्न क्षेत्रों से एक सुझाव प्राप्त हुआ है तथा यदि सरकार अप्रकटित आय का पता लगाकर और अधिक धन प्राप्त करना चाहती है तो मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग स्वैच्छिक रूप से अपनी आय जिसका अभी तक पता नहीं लगा है, को प्रकट करना चाहते हैं, उन लोगों को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाय इस उपाय से न केवल लोग अपनी अप्रकटित आय को प्रकट करने के लिए आगे आयेंगे अपितु इससे सरकार को भी अधिक धन प्राप्त होगा। इसे स्वीकार करने में कुछ भी गलत नहीं है कि तलाशी और अभिग्रहण के मामले में कर की दर कुछ अधिक अर्थात 5 प्रतिशत या अधिक हो अन्यथा भेदभाव नहीं होगा। जिनके घर की तलाशी ली जाती है, वे 60 प्रतिशत की दर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने समस्त कर दायित्वों का भुगतान कर सकते हैं किंतु जिन लोगों के घरों की तलाशी नहीं ली जाती है किंतु कर-निर्धारण नियमित रूप से किया जाता है उनकी अब तक अप्रकटित आय का निर्धारण होगा और उनके कर-दायित्व सौ प्रतिशत से अधिक हो सकते हैं। मेरा सविनय निवेदन है कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा इस भेदभाव पर विचार किया जाना आवश्यक है।

अब बहियों पर अवक्षयण के मामले में दिये गये सुझाव को स्वीकार करने

के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री का आभारी हूँ। एक सामान्य शिकायत रही है कि जब तक डाक्टरों, वास्तुविदों, इंजीनियरों, वकीलों आदि जैसे वृत्तिकों द्वारा सामान्यतया प्रयुक्त बहियों पर शत प्रतिशत अवक्षयण नहीं किया जाता, बहुत सी कठिनाइयां होंगी क्योंकि वृत्तिक क्षेत्र में दो वर्ष बाद बहियां अप्रचलित हो जाती हैं, मैं वित्त मंत्री का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस सुझाव को स्वीकार किया है तथा आज घोषणा की है कि वृत्तिकों द्वारा प्रयुक्त बहियों के मामले में शत-प्रतिशत अवक्षयण की अनुमति होगी।

नियत जी. डी. ए. एक अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दा है जी. डी. ए. के संबंध में मैं वित्तमंत्री से निवेदन करता हूँ कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। कारबारियों, जिनकी आय कारबार वृति या अन्य स्रोतों से है, द्वारा अपनाई गई लेखा पद्धतियों के अंतर्गत सामान्यतया अब तक ऐसी आय की संगणना रोकड़ या वाणिज्यिक या ऊंची बोली प्रणाली के आधार पर की जाती है क्योंकि कुछ आय के मामले में रोकड़ के आधार पर और कुछ में वाणिज्यिक आधार पर संगणना करना संभव है, इसे सदैव स्वीकार किया गया है, जब इस पद्धति को नियमित रूप से अपनाया जा रहा है तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस पद्धति को पूर्णतः त्याग दिया जाए। इससे कठिनाई उत्पन्न होगी, मुझे प्रसन्नता है और मैं वित्तमंत्री का आभारी हूं कि लेखा मानकों को बनाने के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा लेखाओं को रखने के प्रयोजन में मानकों को बनाने हेतु अंततः इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउन्टेन्ट जैसे विशेषज्ञ निकायों से परामर्श लिए जाने का प्रावधान किया गया है।

अप्रत्यक्ष करों के बारे में सरकार की नीति, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने की है, विसंगतियों को यथासंभव कम कर, करदाताओं को प्रोत्साहित कर और उत्पादकों को आदान की लागत कम कर अन्ततः करदाता को मोडवेट योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाने की है। ये समेकित आयोजना/योजना है और मुझे आशा है कि उनके परिणामस्वरूप न केवल आदानों का उत्पादन करने वाले उत्पादकों पर उत्पाद शुल्क का भार कम होगा अपितु विनिर्माताओं के लिए भी उत्पादों की लागत कम होगी, किंतु असली प्रश्न यह होगा कि यदि विनिर्माता के लिए उत्पादों की लागत में कमी करने की मंशा हो तो सरकार को देखना चाहिए कि लागत में कमी उपभोक्ताओं को उत्पादों की कीमतों में कमी के रूप में परिलक्षित होनी चाहिए, क्योंकि उत्पाद-शुल्क और आदान लागत में कमी करने का अन्तिम उद्देश्य यही है। लागत कम करने के लिए मोडवेट योजना का विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किया गया है जिससे उपभोक्ता इसका लाभ प्राप्त कर सकें। अनुभवों के आधार पर पाया गया कि यद्यपि उत्पाद-शुल्क को काफी कम किया गया है फिर भी लागत में ऐसी कमी का लाभ उपभोक्ताओं को बिलकुल नहीं मिला या बहुत कम मिला है। इसलिए सरकार को किसी न किसी प्रकार का पर्यवेक्षी नियंत्रण रखना चाहिए ताकि उत्पाद शुल्क में की गई कमी का प्रभाव दिखाई दे सके तथा इसका लाभ वास्तविक उपभोक्ताओं तक पहुंच सके।

हमें सदैव यह बताया जाता है कि आयात शुल्क में कमी किए जाने से भारतीय विनिर्माताओं के लिए अत्यधिक जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। इस संबंध में अनुभव यही रहा है कि आयात शुल्क में कमी करने पर भी आयात में ज्यादा वृद्धि नहीं होती है। वित्त मंत्री जी ने निवेश को बढ़ावा देने हेतु मशीनों तथा पूंजीगत सामान पर आयात शुल्क 65 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है परंतु जोखिम होने के कारण पूंजीगत माल क्षेत्र में निवेश को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा तथा इससे कुछ सीमा तक जटिलताएं भी पैदा होंगी तथा भारतीय उद्योग आत्मनिर्भर हो जाएगा। सभी बजटीय योजनाओं तथा वित्त विधेयक का उद्देश्य न केवल कर की दरों में कमी एवं बेहतर कर भुगतान अनुपालन के द्वारा देश के राजस्व में वृद्धि करना है अपितु साथ ही साथ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करना भी है।

वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि विगत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा घोषित शहरी निर्धनता उन्मूलन कोष (अर्बन पावर्टी रिडक्शन फंड) के लिए दिए गए अंशदान पर भी शत प्रतिशत कटौती की अनुभूति होगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोष के लिए अंशदानों पर भी शतप्रतिशत छूट दी जाएगी। इन कटौतियों पर पूर्ण छूट की अनुमति होगी।

ये उपाय ग्रामीण जनता की दशा सुधारने हेतु किए गए हैं तथा वर्तमान बजट में मुख्य जोर ग्रामीण रोज़गार में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने पर दिया गया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अन्य देशों में पूंजी की वृद्धि दर 7 से 8 प्रतिशत तक है। यदि भारत में भी यही मानक प्राप्त करना है तो हमें उद्योगों एवं कृषि का और अधिक विकास करना होगा तथा इसके लिए विदेशी पूंजी के सीधे निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के फलस्वरूप सीधे विदेशी निवेश में काफी वृद्धि हुई है तथा यह निवेश उपभोक्ता सामान उद्योग में नहीं किया गया है। अपितु यह निवेश मुख्य उद्योगों जैसे विद्युत तथा अन्य मुख्य उद्योग क्षेत्रों में किया गया है जहां इस क्षेत्र में विदेशी भागीदारी बढ़ रही है।

जून, 1991 में सत्ता में आने के बाद से वर्तमान सरकार की ये उपलब्धियां हैं। यह कहना गलत है कि ये उपाय आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर किए गए हैं। यह उपाय उस नीति के अंतर्गत किए जा रहे हैं जो कि जून 1991 से अपनाई जा रही है।

जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने 1995 के बजट के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था, यह बजट आर्थिक विकास तथा वर्तमान सरकार द्वारा 1991 से अपनाई जा रही नीतियों के अनुसरण में है। इस बजट से आम जनता को अधिकाधिक लाभ पहुंचेगा तथा इसमें ग्रामीण क्षेत्र के विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास तथा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की दशाओं में सुधार किए जाने पर जोर दिया गया है। ऐसा इस बजट में ही नहीं अपितु 1994-95 के बजट में भी किया गया था। 78,000 करोड़ रुपए के योजना व्यय के पचास प्रतिशत से भी अधिक की राशि ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर व्यय की जा रही है तथा 1,23,000 करोड़ रुपए के गैर-योजनागत व्यय का अधिकांश भाग खाद्य पदार्थों एवं उर्वरक के लिए राज सहायता पर व्यय किया गया है। यह सब आम आदमी की दशा सुधारने के लिए किया गया है।

इसलिए मैं वित्त विधेयक का स्वागत करता हूँ तथा अनुशंसा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा पुरःस्थापित विधेयक यथा उपांतरित पारित किया जाए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं आज नहीं बोलना चाहता। मैं महसूस करता हूँ कि न तो इस समय गणपूर्ति है और न ही पर्याप्त संख्या में वक्ता उपस्थित हैं।

सभापति महोदय : परंतु उन्होंने बोलने के लिए अपने नाम दिए हैं। इसी कारण मैं उनके नाम पुकार रहा हूँ।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं आज भी अपनी बात करने का प्रयास करूंगा तथा पुनः एक और अवसर चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने के लिये जो समय दिया, उसके लिये मैं आभारी हूं। वित्त विधेयक पर अभी माननीय सदस्यों ने जिस तरह अपने विचार प्रकट किये लेकिन मैं इसे चुनाव बजट मानता हूं। यहां कहा जा रहा है कि इस साल के बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किये गये हैं, जिनकी अभी चर्चा की गयी, यदि उनको सही तरीके से धरती पर उतारा जाये तो मैं समझता हूं कि उनका हमारे लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हमारे मंत्री जी का कहना है कि वर्तमान बजट आर्थिक विकास के लिए है, देश से गरीबी हटाने के लिये है और इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा कई दूसरी चीजों का जिक्र भी मंत्री जी ने किया। यदि उन सब कार्यक्रमों और स्कीमों पर ठीक तरह से अमल किया जाए, उन्हें इम्पलीमेंट करने के लिए सही तरीके से कदम उठाए जायें, सिर्फ प्रचार मात्र न किया जाये, तभी जनता को उनका लाभ मिल सकता है। यहां मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। अभी जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना चल रही है और गरीबी हटाने के लिये बहुत सी रोजगार योजनायें चल रही हैं लेकिन उनके रिजल्ट के बारे में अभी तक इस सदन में सही-सही तरीके से नहीं बताया गया।

सभापति महोदया, इस सदन में यह जरूर कहा गया है कि इतने अरब और इतने खरब रुपए गरीबी हटाने पर खर्च किए गए हैं, लेकिन इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। मानिटरिंग नहीं की गई है जिससे वास्तव में यह पता लगे कि यह जो रुपया खर्च किया गया है इससे गरीबी हटी कि नहीं। अगर गरीबी हटी है, तो हम समझेंगे कि ठीक है, लेकिन जिस इलाके से मैं आता हूं वहां पर भी बहुत खर्च हुआ है, परन्तु वहां पर गरीबी नहीं हटी, बल्कि गरीबों की समस्याएं और बढ़ी हैं।

सभापति महोदया, हमारे वित्त मंत्री जी बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैंने कई बार इस चीज को यहां हाउस में कहा है कि आप अगर कोई चीज करते हैं और उसका फल सही मिलता है, तो वह सार्थक है और यदि उसका फल सही नहीं मिलता है, तो वह निरर्थक है। भले ही हम इस सदन में एक कागज लेकर आ जाएं और बता दें कि इतना खर्च किया गया है। वहां जो योजनाएं चलीं वे लूट में बदल गईं। आप कोई भी योजना चलाइए, लेकिन भ्रष्टाचार रोकिए। इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को कमजोर कीजिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा, तब तक सारे साधन बेकार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको उस पर गौर करना पड़ेगा। यह बात नहीं है कि मैं सिर्फ यहां सदन में बोल रहा हूं और इसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि आपकी योजनाओं के बाद वहां गरीबी और बढ़ गई है। लोग पहले से ज्यादा परेशान हो गए हैं।

सभापति महोदया, उनके विकास के लिए, उनके सुधार के लिए जो-जो सामान दिए गए वे सब के सब नकली दिए गए, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। इसका सबूत यह बात है कि जितने रुपए दिए गए, उनका कोई रिटर्न नहीं मिला है। आपको उनमें से कुछ भी वापस नहीं मिला है। इसका कारण क्या है। क्या सब के सब लोग खराब नीयत के हैं ? ऐसी बात नहीं है। खराब नीयत के लोग कहां थे, इसी बात की मानिटरिंग करनी है। जो वहां आपने नौजवानों को लाउडस्पीकर वगैरह के बजाने के सामान दिए वे सबके सब घटिया किस्म के दिए। जो पेशेवर लोग हैं, जो बाजा बजाने वाले लोग हैं, उनको घटिया सामान दिया गया जिसके कारण वे सब परेशान हैं। इसी प्रकार से जानवर दिए गए, वे भी घटिया नस्ल के दिए गए और एक ही जानवर कई-कई लोगों को दे दिया गया। अगर आप इसकी मानिटरिंग नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका लोगों को कितना फायदा हुआ ?

सभापति महोदया, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अभी प्रधानमंत्री जी की रोजगार की एक स्कीम चली है। उसमें क्या हो रहा है। उसमें आपके बैंक वाले क्या कर रहे हैं। एक तो जिले में बहुत दरख्वास्त आती हैं। इसके कारण उनमें से लाटरी सिस्टम के द्वारा आवेदन पत्रों का चयन किया जाता है। जिनका लाटरी में नाम निकल आता है, उनको उद्योग विभाग मंजूरी देकर बैंक को भेजता है, लेकिन बैंक में साल-साल भर और छः-छः महीने तक नौजवान लोग परेशान होते हैं, लेकिन उनको बैंक से ऋण नहीं मिलता है। वे थक कर बैठ जाते हैं। तो क्या इस स्कीम का यही मतलब है। जैसे हमारे जहानाबाद में एक इलाहाबाद बैंक की शाखा है। उसका मैनेजर एक लड़के को छः महीने से परेशान कर रहा है, लेकिन उद्योग विभाग की मंजूरी के बाद भी उसे ऋण उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। हमने पत्र भी लिखा है कि उद्योग विभाग ने यह योजना इसके नाम से मंजूर की है, तो भी उसको ऋण उपलब्ध नहीं करवाया गया है।

सभापति महोदया, इस तरह से यदि काम चलेगा, तो कैसे योजनाएं सफल होंगी। यदि ऐसा ही होगा, तो यह नयी योजना जो प्रधानमंत्री जी के नाम पर चली है, यह भी निष्फल हो जाएगी जैसे पहले हो गई थी। इसलिए इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को रोकना बहुत जरूरी है। यदि भ्रष्टाचार को नहीं रोकेंगे, उसको कमजोर नहीं करेंगे, तो सारी की सारी योजनाएं फेल हो जाएंगी।

श्री अयूब खां (झुंझुनू) : यह तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि वह भ्रष्टाचार को रोके।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मैं तो बैंक के मैनेजर की बात कर रहा हूं कि वह ऋण उपलब्ध नहीं करवा रहा है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की बात कहां आ गई। क्या बैंक का मैनेजर भी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। बैंक का मैनेजर तो केंद्र सरकार के क्षेत्र में आता है। आप तो हर चीज को स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देते हैं।

दूसरी चीज आपने सबसिडी की आशा जाहिर की है, उससे लगता है कि हमको बहुत लाभ मिलेगा। जहां तक आर्थिक सुधार की बात है, मैं समझता हूं कि आपने जो सुधार किये हैं लेकिन उसका एक असर होना चाहिए। आज मूल्यवृद्धि बहुत तेजी से बढ़ रही है जिससे चीजों के जो भाव हैं। यह तेजी क्यों आ रही है ? यदि हमारे पास दौलत बढ़ेगी तो हमारी मुद्रा मजबूत होगी और हम मार्केट पर कंट्रोल कर सकेंगे। यह एक वित्तीय नियम है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमारे पास विदेशी मुद्रा काफी हो गयी है, हमने आर्थिक मामले में बहुत सुधार कर लिये हैं, तो भाव इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं ? उसकी यह हालत क्यों हो रही है ? इस चीज से आपको पता चल जाएगा कि आपने जो कहा है, वह कहां तक सही है और कहां तक गलत। मैं कुछ चीजों के लिए आपसे कह रहा हूं।

आज गरीबों की क्रय शक्ति खत्म हो गयी है। वह कुछ भी नहीं खरीद

सकता है। आज धोती और साड़ी के लिए जो कपड़ा बनता है, उसकी क्या हालत है ? पहले हम एक धोती 46 रुपए में खरीदते थे, लेकिन आज वही धोती 66 रुपए में मिलती है। 20 रुपए उसके दाम में बढ़ गए हैं। जनता उसे कैसे खरीदेगी ? जनता जो कपड़ा तैयार करती है, उस पर उसको छूट मिलनी चाहिए ताकि वही कपड़ा गरीब खरीदकर अपने शरीर को ढक सके। लेकिन आप यह भी नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीजों को मैं यहां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, आपको आर्थिक जानकारी है। यह मैं ही नहीं बल्कि सभी लोग कहते हैं कि आप एक विद्वान व्यक्ति हैं। आपकी इस विद्वता से देश को फायदा नहीं होता तो फिर क्या फायदा ? आपकी इस विद्वता से देश को और गरीबों को फायदा होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदया जी, जहां तक उद्योग की बात है, आप जो उद्योग लाए हैं, जो आप कहते हैं कि हमारा वित्तीय सुधार है, तो उससे उद्योग खड़े कीजिए। आपका जो लघु उद्योग है, वह राष्ट्र में सबसे ज्यादा आमदनी का स्रोत है। उससे राष्ट्रीय आय ज्यादा होती है लेकिन आजकल यह लघु उद्योग मृतक की तरह हो गए हैं। उसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। मैं यह समझता हूं कि आपकी जो नयी आर्थिक नीति है, उस आर्थिक नीति के कारण जो विदेशी कंपनियां हैं, जिनका हमारे यहां बढ़ने की संभावना है, वे लघु उद्योग को खत्म कर देंगी, उसे खा जायेंगी। सवाल यह उठता है कि जैसे एक आदमी साबुन बनाने की फैक्टरी खोले हुए है, विदेशी कम्पनियों के आने के बाद यदि वही साबुन एक अच्छी मशीन से बनेगा तो दोनों की क्वालिटी में फर्क आ जाएगा। यहां के लघु उद्योग से बने साबुन की लागत ज्यादा होगी जबकि उस साबुन की लागत कम होगी। इस प्रकार वह लघु उद्योग मार्केट में खत्म हो जायेगा। इसके अतिरिक्त भी आपको इस तरफ ध्यान देना होगा कि जो चीज इस देश में बनती है, वह विदेशी कंपनियां न बनायें क्योंकि अगर वह बनायेंगी तो बाजार में उसकी डिमांड ज्यादा होगी। तब आप ही बताइये कि हमारा क्या होगा ?

आज बुनकरों का सवाल है। बुनकरों की कितनी बड़ी जमायत है। आज बुनकर खत्म हो रहे हैं वह इसलिए हो रहे हैं कि जब उनका सामान बनता है तो मार्केट नहीं होती। जब तक आप उनको मार्केट नहीं देंगे तब तक उनका कोई सामान लेने वाला नहीं है। वह घर-घर, गांव-गांव में उसे ले जाकर घूमता है लेकिन उसे मुनाफा नहीं होता। अंत में नतीजा यह होता है कि वह अपने कर्जे को भी नहीं उतार पाता। मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आपका जो वित्त विधेयक है, जिसका आपने खूब ढिंढोरा पीटा है, वह केवल ढिंढोरा ही न रह जाए, वह धरती पर आना चाहिए जिससे हम गरीबों को रोजगार मुहैया करा सकें। आज आपका नौजवान, जिसको काम नहीं मिल रहा है, गांव से भाग रहा है। यह देश के लिए बहुत बड़ा सिर दर्द है कि आज हमारे देश के नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है। अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो वह किसी न किसी खुराफात में चला जाएगा। जब वह खुराफात में चला जाएगा तो आपके लिए और परेशानी बढ़ जाएगी। आप उसे रोकने के लिए फौज या पलटन भेजेंगे और उसे रोकने या दबाने के लिए काफी पैसा खर्च करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उस पर जो खर्च होगा, यदि उसी पैसे से आप उनके लिए कोई उद्योग खड़ा कर दें तो उससे उनको काम मिल जाएगा तथा आपने उनको काम के लिए जो कर्जा दिया है, उसे वापिस करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसमें कमी होनी चाहिए, वह एकदम न हो। तभी वह लड़का खड़ा होकर अपना रोजगार कर सकता है। यदि वह 25-30 प्रतिशत बांट ही देगा तो बाकी के पैसे से क्या रोजगार करेगा, यह सोचने की बात है। इस पर आपको ध्यान देना होगा। आपने बहुत-सी चीजों पर छूट दी है। वह ठीक है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मुझे एक ही बात कहनी है कि देश तभी बचेगा, गरीबी तभी मिटेगी, जब इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा। आपकी पार्टी ने भ्रष्टाचार को बहुत मजबूत कर दिया है, भ्रष्टाचार ने सब कुछ खत्म कर दिया है। मेरा अनुरोध है कि जो नौजवान नौकरी की तलाश में मारे-मारे फिर रहे हैं, उनको काम मुहैया करवाएं जिससे वे गलत रास्ते पर न जाएं।

मैंने यह देखा है कि जब तक स्थिति बिगड़ नहीं जाती तब तक कुछ नहीं किया जाता। आपकी सोच तभी बनती है जब देश बर्बाद होने लगता है। आप पहले से ही क्यों नहीं सोचते। यदि आप पहले से सोचते तो कश्मीर, असम, और पंजाब में जो समस्या उठी, वह न उठती। सबसे अहम बात यह है कि नौजवानों को काम दिया जाए जिससे वे सही रास्ते पर चलें। इससे देश की वित्तीय हालत भी ठीक होगी। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री वी. एस. विजयराघवन** (पालघाट) : सभापति महोदया, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूँ। इस बजट में इस सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में अपनाई गई आर्थिक नीति की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। यह एक वास्तविकता है कि उदारीकरण की नीति के कारण सरकार की अत्यधिक आलोचना हुई है। परंतु सरकार के आलोचकों ने एक संगत मुद्दे को जानबूझकर अनदेखा किया है और वह है ग्रामीण विकास को दिया गया महत्त्व। इस वर्ष के बजट प्रावधानों में ग्रामीण विकास हेतु 3000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विश्वास था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। वह एक महान स्वप्नदृष्टा थे और उनका यह विचार था कि ग्रामों के विकास पर मुख्य ध्यान दिया जाना चाहिए। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारतीय गाँवों के विकास की नींव डाली। इंदिराजी ने अपने तेजस्वी पूर्ववर्ती की कल्पना को साकार करने का बीड़ा उठाया और भारतीय गांवों के पूर्णोद्धार हेतु विभिन्न परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया। श्री राजीव गांधी ने इन कार्यक्रमों को जारी रखा तथा गांवों को पिछड़ेपन से मुक्ति दिलाने पर जोर दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव के गतिशील नेतृत्व में हमारी सरकार भी इसी दिशा में अग्रसर है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि डा. मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत बजट में ग्रामीण विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। यह नोट करने योग्य बात है कि ग्रामीण विकास के लिए कभी भी इतनी बड़ी राशि आबंटित नहीं की गई। सभापति महोदया, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ।

उदारीकरण के फलस्वरूप स्थिति में यह परिवर्तन आया है कि लोग औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करते हैं जबकि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में निवेश कर रही है। यदि सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में इतना भारी निवेश किया होता तो

* मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

ग्रामीण क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में निवेश नहीं हो पाता। यदि सरकार की आर्थिक नीति को सही परिप्रेक्ष्य में देखना है तो हमें यह बात समझनी चाहिए कि कुल रोजगार अवसरों के दो तिहाई अवसर ग्रामीण क्षेत्र में पैदा किए गए हैं। प्रत्येक वह व्यक्ति जो राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि के प्रति समर्पित है उसे सरकार की नीति का महत्त्व समझना होगा और समर्थन भी करना होगा। अतः सभापति महोदया, मैं यह कहूंगा कि यह बजट सामाजिक असमानता तथा गरीबी को समाप्त करने की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण है।

आइए हम इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों की जांच करें। अप्रैल, 1995 से नाबार्ड में ग्रामीण विकास निधि गठित कर दी गई है। राज्य सरकार में इस 'निधि' से ऋणों का लाभ उठाने की पात्र हैं। इस 'निधि' के मुख्य उद्देश्य भूमि संरक्षण तथा लघु और मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को नई ऋण सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इस उद्देश्य के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। खादी ग्रामोद्योग योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। इससे इस क्षेत्र का विकास निश्चय ही तेजी से होगा।

एक अन्य उल्लेखनीय बात हथकरघा जो गंभीर संकट का सामना कर रहा है को दी गई मदद के बारे में है। नाबार्ड के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र को धन देने की योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि लघु दर्जे के उद्योगों को दी गई बड़ी-बड़ी ऋण सुविधाएं इस क्षेत्र को और अधिक उन्नत करेंगी। उन विभिन्न योजनाओं तथा प्रावधानों जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की समग्र वृद्धि और विकास के बढ़ जाने की आशा है, के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को एक विनम्र सुझाव देना चाहता हूं। मैं यह महसूस करता हूं कि उचित यही होगा कि जो इन सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंध रखने वाले संगठनों के कार्यकलाप की समीक्षा तथा विश्लेषण करने के लिए एक निगरानी प्रकोष्ठ बनाया जाना उचित होगा। मैं यह माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ग्रामीण विकास के लिए आबंटित धनराशि का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिचौलिए और एजेंटों द्वारा अपनी जेबों में रख लिया गया है। बहुत से मामले ऐसे हैं जहाँ उन वंचित वर्ग के लोगों तक धन पहुँच ही नहीं पाता है जिनके लाभार्थ ये परियोजनाएं बनायी गयी हैं।

मैं आयकर सीमा को 35,000 रुपए से 40,000 रुपए तक बढ़ाए जाने का स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही मैं माननीय वित्त मंत्री से इसे 50,000 रुपए करने का अनुरोध करता हूँ। जनता को और अधिक राहत देने के लिए विभिन्न उपभोक्ता सामान पर उत्पाद-कर कम कर दिया गया है। उद्देश्य यही होना चाहिए कि शनैः-शनैः माल-दर-माल कर दरों को कम किया जाए। यह तभी हो सकता है जब उत्पादन को बढ़ाया जाए तथा कर प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

सभापति महोदया, मैं अपने राज्य की कुछ महत्त्वपूर्ण समस्याओं को माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाने के लिए इस अवसर का सदुपयोग करना चाहता हूं। कृषि उत्पाद यथा काली मिर्च, इलायची, नारियल आदि के मूल्यों में एकदम गिरावट आने के कारण केरल के किसान भारी संकट का सामना कर रहे हैं। मूल्यों में तेजी से गिरावट आना एक आम बात हो गई है जिसे रोकने का इस समय कोई साधन नहीं है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि इन उत्पादों की देखरेख करने तथा उनके लिए न्यूनतम मूल्य समर्थन निर्धारित करने के लिए कृषि मूल्य आयोग के समान कोई प्रणाली निर्धारित की जाए।

बेरोजगारी एक और विकट समस्या है जिससे राज्य को जूझना पड़ रहा है। इस समस्या की भयावहता इस तथ्य से स्पष्ट है कि 50 लाख से भी ज्यादा शिक्षित युवक राज्य में बेरोजगार हैं हालांकि तीस करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए आबंटित किए गए हैं। मेरा निवेदन है कि ग्रामीण विकास की योजनाएं बनाते समय इस राज्य में बड़ी भारी संख्या में विद्यमान बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुए केरल को उचित हिस्सा दिया जाए।

इस राज्य में औद्योगिक विकास अत्यंत मंथर गति से हो रहा है। कायम कुलम में थर्मल पॉवर स्टेशन का कार्य बहुत से वर्षों से बड़ी धीमी गति से चल रहा है। एज़िमाला में नौसेना अकादमी परियोजना की भी यही हालत है। इन्स्ट्रूमैंटेशन कम्पनी लिमिटेड की पलक्कड़ स्थित इकाई शुरू से ही लाभ कमाती आ रही है। इस कम्पनी की उन दूसरी इकाइयों के साथ ही जो घाटे में चल रही थी इस मुनाफा कमाने वाली इकाई का भी निजीकरण किये जाने का प्रस्ताव है। मैं यह कहने के लिए बाध्य हो गया हूँ कि यह पलक्कड़ इकाई के अत्यंत फुर्तीले और कार्यकुशल मजदूरों के साथ अन्याय होगा। उन्हें नाहक ही दंडित किया जा रहा है। यह इकाई या तो एक स्वतंत्र इकाई में परिवर्तित कर दी जाये या फिर इसे 'भेल' में मिला दिया जाए। मैं एक बार फिर दुहराऊंगा कि पलक्कड़ इकाई मुनाफे में चल रही है और यदि अन्य इकाइयों के मजदूरों की अकुशलता के कारण उस इकाई के मजदूरों को नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी तो यह सरासर अन्याय होगा। महोदया, मुझे यह आशंका है कि इस प्रस्ताव से जो सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको यह गलत संकेत मिलेगा कि सरकार उनके हितों पर सम्यक् ध्यान नहीं दे रही है। इस समय कम्पनी की पलक्कड़ इकाई 'बी. आई. एफ. आर.' के विचाराधीन है।

पुयमकुट्टी सिंचाई परियोजना उन परियोजनाओं में से एक है जिसे केरल ने साइलैण्ट वैली परियोजना को छोड़कर अधिगृहीत किया है। जब केरल सरकार को साइलेण्ट वैली परियोजना छोड़नी पड़ी थी तो उस समय उसे एक वचन दिया गया था जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। एक अन्य परियोजना जिसकी मंजूरी के लिए पर्यावरण और वन विभाग प्रतीक्षा कर रहा है, यह कुरियार कुट्टी-कैराप्पारा परियोजना है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन दोनों परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाए जिन्हें साइलेण्ट वैली परियोजना के स्थान पर राज्य को देने का वादा किया गया था। एक अन्य परियोजना, जिसका कार्य रोका जा रहा है वह अट्टाप्पडी घाटी सिंचाई परियोजना है। जब परियोजना को त्याग दिया गया था उस समय सरकार परियोजना के प्रारम्भिक कार्य जिसमें अतिथि गृह भी शामिल है, में लाखों रुपए खर्च कर चुकी थी। यह परियोजना यदि पूरी हो जाती तो अत्यंत पिछड़े जनजातीय क्षेत्र अट्टाप्पड़ी के विकास में योगदान देती। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद परियोजनाओं को बीच में ही छोड़ देते रहने के इस अभ्यास के कारण सरकारी खजाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि अट्टाप्पड़ी सिंचाई परियोजना को जारी रखें तथा इसे बीच में ही न छोड़ें।

नारियल के संबंध में सरकार की कोई सुस्पष्ट नीति नहीं है। पिछले वर्ष के बजट में नारियल के विकास के लिए 20 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई थी। वर्तमान बजट में भी उतनी ही धनराशि आबंटित की गई है। जबकि खजूर के तेल के मामले में वर्ष 1994-95 के बजट में नियत धनराशि 23.5 करोड़ रुपये को बढ़ाकर वर्ष 1995-96 में 25 करोड़ रुपए कर दिया

गया था। इससे यह स्पष्ट है कि नारियल के प्रति सरकार उपेक्षा का रुख अपना रही है। उसके विकास के लिए काफी लंबे अरसे से माँग की जाती रही है कि नारियल को तिलहन के रूप में घोषित किया जाए। नारियल को तिलहन घोषित किया गया अथवा नहीं इस बारे में परस्पर विरोधी बयान रहे हैं। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अब तक नारियल पैदा करने वालों को कोई लाभ नहीं हुआ है। मेरी मांग है कि खजूर तेल के साथ ही नारियल को भी 'प्रौद्योगिकी मिशन' में शामिल किया जाए। नारियल के प्रति दर्शाया जाने वाला भेदभाव अब समाप्त हो जाना चाहिए। नारियल को या तो 'राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना' में या फिर 'तिलहन उत्पादन न्यास कार्यक्रम' में शामिल किया जाए। मेरी मांग यह और है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कम-से-कम 300 रुपए तक बढ़ाया जाए।.

सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उर्वरकों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस वर्ष के बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद 'फक्टोमफोस' का मूल्य प्रति टन 65000 रुपये से बढ़कर 72000 रुपये हो गया। 'पौटाश' का मूल्य 3700 रुपये से बढ़कर 4700 रुपये हो गया। सभापति महोदया, मैं यह कहने के लिए बाध्य हो गया हूँ कि यह गरीब किसानों के प्रति किया गया अन्याय है। इसी तरह से अल्पकालिक कृषि ऋणों के लिए ब्याज की दर 11.5% से 14.5% बढ़ गई। मैं सभी दूसरे पहलुओं पर माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूँ, किंतु यह कहते हुए मुझे इस सम्माननीय सभा में दुःख होता है कि बजट के प्रावधान इस देश के किसानों को दुःख देने के सिवाय और कुछ नहीं है। एक कृषक परिवार से होने के कारण मेरा यह विचार है कि इस सभा को कृषक समाज के दुःख तकलीफों के बारे में बताना मेरा परम कर्तव्य है। वे बजट के कुछ प्रावधानों के भार को वहन करते हैं क्योंकि जब उर्वरकों की कीमत बढ़ती है तो कृषि ऋणों के लिए ब्याज की दरें बढ़ जातीं हैं और उनको अपने उत्पादों यथा नारियल, इलायची तथा धान के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय इन बातों पर ध्यान देंगे और उर्वरकों की कीमतें कम करने, कृषि ऋणों के ब्याज की दर घटाने तथा कृषि उत्पादों यथा नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने के लिए, बजट के कुछ प्रावधानों पर पुनः विचार करेंगे ताकि उर्वरकों का मूल्य कम किया जा सके, कृपि ऋण के लिए ब्याज की दर को कम किया जा सके तथा नारियल जैसे कृपि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की जा सके। मेरा विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय, इस देश के गरीब किसानों पर धान देंगे। मेरा एक बार फिर मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इन बातों को सबसे ज्यादा महत्त्व दें तथा जनता की तकलीफ को कम करें क्योंकि इस वर्ष के बजट ने उन पर तीखा प्रहार किया है।

सभापति महोदया, अपने राज्य तथा अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की कुछ मूल आवश्यकताएं माननीय वित्त मंत्री महोदय के ध्यान में लाने का यह अवसर देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

4.00 म. प.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति महोदया, मैं सबसे पहले वित्त मंत्री महोदय से आयकर की छूट की सीमा को बढ़ाने की बात कहना चाहता हूं। आज यह विषय चर्चा का बना हुआ है। केन्द्र और राज्य सरकार के मध्यम वर्ग के कर्मचारियों की तरफ से बराबर यह मांग आ रही है कि आयकर की छूट की सीमा को बढ़ाया जाये। आपने 35 से 40 हजार करने की बात अभी मानी है। मेरी पार्टी की मांग है कि आयकर की छूट की सीमा को बढ़ा कर 60,000 कर दिया जाये। अगर इतनी छूट देना सम्भव नहीं है तो इसे कम से कम 50,000 कर दें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि आप कुटीर उद्योगों को भी रियायन दें।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि आपने पिछड़े इलाकों को जो छूट देने की बात कही है, उसमें तीन राज्यों को भी शामिल करें। राजस्थान के 11 जिले रेगिस्तानी हैं। सभापति महोदया, राजस्थान, गुजरात और आपका पड़ोसी राज्य हरियाणा जिनकी सीमायें आपस में मिलती हैं, उनको आयकर की छूट दें और उनको पिछड़े राज्यों में जोड़ें।

इसके बाद एचयूएफ की जो छूट 18 हजार की है उसको आप 24 हजार करें, यह मेरी मांग है। आपने जो प्रोपर्टी की छूट के बारे में कहा कि 2 लाख से 5 लाख कर देंगे। आप जानते हैं कि 5 लाख में कोई प्रोपर्टी नहीं बन सकती। इसमें आप छूट देकर वाह-वाही लूटना चाहते हैं तो यह मुनासिब नहीं होगा। आप इसको कम से कम 10 लाख करें, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। फर्म रेट के बारे में आपने 40 किया है, इसके लिए मैं 20 की मांग करता हूं। एक मांग मैं और करना चाहता हूँ, वृद्धों की जो आय है इस पर आपने जो छूट देने की बात की है इस छूट की सीमा को भी आप बढ़ाएं।

अब मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब आप चौथा बजट प्रस्तुत कर रहे हैं तो अब आपका ध्यान गरीबों की ओर गया है कि गरीबों का उत्थान होना चाहिए, उनको लाभ मिलना चाहिए। मंत्री जी चौथे बजट में आपने जब घोषणा की तो आपने साथ-साथ यह भी कहा कि यह लाभ बैंकों से मिलेगा। बैंकों की हालत आपके सामने है, बैंक आप पर निर्भर कर रहे हैं। बैंक घाटे में चल रहे हैं। आप जब बैंकों का विलयकरण करने जा रहे हैं तो यह जो आपने बात कही है कि गरीबों को लाभ होगा, उनको छूट मिलेगी, मैं समझता हूं कि आपको लोगों की भावनाओं का पता लग गया है लेकिन इस राजनैतिक परिस्थिति के कारण कुछ भी परिणाम नहीं होने वाला है। आप समझ रहे थे कि अगला चुनाव आने वाला है, लोगों की नाराजगी सहनी पड़ेगी तो आपने गरीबों का नारा दे दिया लेकिन इससे गरीबों को कोई लाभ होने वाला नहीं है। यह मेरा आपसे निवेदन है। इसलिए आप बैंकों की हालत को ठीक करें और इस प्रकार से देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करके चलें जिससे वास्तव में लोगों को लाभ मिले। इसी प्रकार से आपने बजट संशोधनों में 2 हजार करोड़ की रियायत लोगों को दी है लेकिन आंतरिक संसाधन कैसे जुटाएंगे, इसकी व्यवस्था आपने कहीं पर नहीं दिखायी है। केवल घोषणा कर देने से यह राहत उन कंज्यूमर्स तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, इसकी भी जांच के लिए आपको कहीं न कहीं कोई अपनी मशीनरी इस प्रकार की बनानी चाहिए कि जो दाम घटाये गये हैं उनसे लोगों को लाभ भी होगा या नहीं होगा ? जिन रियायतों की आपने घोषणा की है, उसमें आपने थोड़े दिनों के बाद कटौती कर दी। यह कटौती करने के बाद आप थोड़े दिनों के बाद देखेंगे, स्वयं महसूस करेंगे। आखिरकार आपका भी परिवार है, घर पर भाभीजी हैं, वह भी आपको कहती होंगी। यहां वित्त मंत्री जी बजट पेश कर देते हैं लेकिन जब महंगाई बढ़ती है, एक चीज के दाम जब बढ़ने लगते हैं तो वे दुगने, तिगुने और चौगुने हो जाते हैं। आपने कहा है कि यदि उपभोक्ताओं तक यह लाभ नहीं पहुंचेगा

तो आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा। आप अभी विचार कर लें। घर पर शाम को भाई साहब से पूछें कि चीजें सस्ती हुई हैं या महंगी हुई हैं। आपको खुद मालूम होगा कि महंगाई घट या बढ़ रही है। आपने दो हजार करोड़ रुपए की रियायत दे दी लेकिन इसका लाभ किस तरह से लोगों को पहुंचेगा, इस पर आपने जरा भी विचार नहीं किया।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों तक लाभ नहीं पहुंच रहा है और सरकार का घाटा लगातार बराबर बढ़ रहा है। फिजिकल डैफिसिट 1993-94 में जी. डी. पी. 6 परसैंट था, 1994-95 में वह 6 से 7 परसैंट हो गया और 1995-96 में 5.5 तक ऐस्टिमेट है। अब यह ऐस्टिमेट आपका नहीं चल रहा है। यह बढ़ कर 6 से 6.50 या पता नहीं कहां तक बढ़ जायेगा, यह लोगों को आज मालूम नहीं है। मुझे लगता है कि सारा का सारा 7.3 तक का घाटा हो जायेगा, इस प्रकार से इन आंकड़ों को यदि आप जनता तक नहीं पहुंचाएंगे तो जनता आपके साथ इन सारे आंकड़ों के आधार पर शरीक नहीं हो सकती। इसलिए भारत की जनता को आपको सही आंकड़े बताने चाहिए। इसी प्रकार से रेवेन्यू डेफिसिट जो 1991-92 में 16.261 करोड़ था, 1994-95 में 33.541 हो गया। ये आंकड़े साबित करते हैं कि देश की हालत खराब है। आपको कम से कम यह बात स्वीकार करनी चाहिए और स्वीकार करके इस रेवेन्यू डेफिसिट को जो आप उधार देकर इसकी खानापूर्ति करने जा रहे हैं यह देश के लिए घातक है। 4 बार रुपए का अवमूल्यन हो चुका है, मैं समझता हूं कि रुपए का अवमूल्यन यदि होता चला गया तो देश की हालत खराब होगी। हमारी उधार की मात्रा बढ़ रही है। 1991-92 में हमने जितना उधार लिया था, 52.2 प्रतिशत, वह रेवेन्यू डेफिसिट के कारण लिया था। 1992-93 में 66.67 प्रतिशत रेवेन्यू डेफिसिट से ट्रांसफर हुआ। 1994-95 में जितना घाटा था वह घाटा 1995-96 में 67 प्रतिशत हो गया। बजट में यह घाटा बढ़ कर 67 प्रतिशत हो गया।

घाटा बढ़ रहा है और रेवेन्यू डेफिसिट की जो हालत है, इस पर विचार करना आवश्यक है। यदि यही स्थिति चलती रही तो सारा का सारा धन डेफिसिट में चला जाएगा तो देश का विकास करने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा।

एक चीज की तरफ मैं विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वर्षभर का जो बजट पास होता है, पहले 8 महीनों में उसका 50-55 परसेंट ही खर्च हो पाता है और अंतिम 3-4 महीनों में पूरा पैसा खर्च करने की दृष्टि से अधिकारी अनाप-शनाप खर्च करने लगते हैं, जिसका पूरा लाभ योजनाओं में नहीं हो पाता। इसलिए पहले महीने से ही इस प्रकार से योजना बनाकर पैसा खर्च करना चाहिए और देश के विकास में लगाना चाहिए, ताकि उस पैसे का पूरा लाभ योजनाओं में हो सके और देश का विकास हो।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, उसको देखते हुए लगता है कि लोगों में बचत करने की क्षमता ही नहीं रहेगी। अक्तूबर 1992 में 20.5 परसेंट करेंसी बढ़ गई और 50000 करोड़ रुपए का उधार हो गया। महंगाई के कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 1994-95 में चाय के भावों में 47 परसेंट, आइल-सीड में 29 परसेंट, अंडा, मांस, मछली में 28 परसेंट, सीमेंट, दवाओं और टेक्सटाइल में 70 परसेंट की वृद्धि हुई है। यदि यही स्थिति रही तो सामान्य व्यक्ति सेविंग करने की क्षमता खो बैठेगा। आज आप रुपए के बजाए डालर का हवाला देते हैं कि एक डालर में इतनी वस्तु आती है, लेकिन साधारण आदमी को पता नहीं है कि डालर क्या होता है। यही स्थिति रही तो लोग रुपए को भूल जाएंगे और उनको डालर याद रहेगा।

आज देश में अनाज के उत्पादन की क्या स्थिति है। यदि ईमानदारी से देखा जाए तो हमारे यहां अनाज के उत्पादन में कमी आई है। देश की आम जनता जी तथा अन्य सस्ते दामों पर मिलने वाला मोटा अनाज खाती है। यह अनाज सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सके, यह व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। देश में बाहर से जो सामान मंगवाया जाता है, खाने-पीने की चीजें मंगवाई जाती हैं, उनमें भी कमी की जानी चाहिए। महंगाई की स्थिति यह है कि आज दुनिया में सबसे महंगी दालें हो रही हैं, जबकि दाल गरीब आदमी के लिए सबसे अच्छी चीज मानी जाती है। हमारे यहां कहावत भी है, गरीब-अमीर सब यही कहते हैं कि दाल-रोटी मिलनी चाहिए। तो कम से कम हिंदुस्तान में तो दालें तथा मोटा अनाज सस्ता होना चाहिए।

खेती और खाद के बारे में मेरा निवेदन है कि रासायनिक खाद के उपयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, इस संबंध में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस संबंध में किसानों को पासबुक देने की बात राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई है। इस संबंध में भारत सरकार को पहल करनी चाहिए, ताकि किसानों को ठीक समय पर पासबुक मिल सके। राजस्थान सरकार इस संबंध में प्रयत्नशील है, इसके लिए राजस्थान सरकार को बधाई दी जानी चाहिए और इस कार्य को करने के लिए केन्द्र सरकार पहल करे।

मान्यवर, मेरा आपसे सीधा निवेदन यह है कि लोग इन नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं। आपने जिस प्रकार से बजट पेश किया है इससे लोग असंतुष्ट हैं, दुःखी हैं। एल. पी. जी. गैस वाला जो मामला है उसमें भी राजस्थान को जितनी गैस मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है। राजस्थान सरकार का जो कोटा है वह उसे ठीक प्रकार से मिलना चाहिए। एच. बी. जे. पाइपलाईन की जो कैपेसिटी है उससे राजस्थान को केवल 3.25 प्रतिशत ही गैस सप्लाई की जाती है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि राजस्थान से होकर जो लाइन जा रही है वह विजयपुर से दादरी तक जाएगी और जो राजस्थान के सवाई माधोपुर, धौलपुर, अलवर जिलों में से होकर गुजरेगी उससे राजस्थान को दो करोड़ मिट्रिक टन गैस मिलनी चाहिए।

माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं। पहले भारत सरकार कंट्रोल रेट पर पुस्तकें और कापियां छापने के लिए कागज दिया करती थी। अब सरकार ने वह कोटा बंद कर दिया है। नतीजा यह हुआ है कि अब किताबों और कापियों के रेट बढ़ गये हैं, वह पहले से ज्यादा महंगी हो गयी हैं। मेरा निवेदन यह है कि राज्यों को जो कोटा पहले दिया जाता था वह दिया जाए। जो 1994-95 के आंकड़े दिए गये हैं उनसे हम संतुष्ट नहीं हैं। इसमें 33.48 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे है। आज कारखानों में मजदूरों की छंटनी हो रही है, असंगठित मजदूरों की बेरोजगारी दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। माननीय वित्त मंत्री जी इस पर भी विचार करेंगे कि किस तरह से इन कारखानों को ठीक हालत में लाया जा सके।

[हिन्दी]

अंत में मेरा आपसे निवेदन है कि आप अच्छी प्रकार से इन योजनाओं पर विचार करेंगे और आयकर की सीमा में जो मैंने 60 हजार की छूट की मांग की है तो उसे कम से कम 50 हजार रुपए प्रति व्यक्ति जरूर कर दिया जाए।

आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

4.18 म. प.

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुई]

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : सभापति महोदया, मैं दो मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहला तो यह है कि हमने सामान्य बजट पर चर्चा नहीं की। दूसरा यह कि चूंकि बोलने वाले सदस्यों की संख्या कम है इसलिए मुझे आज बाकी समय में बोलने की अनुमति दी जाए।

जब हम वित्त विधेयक तथा इसके विस्तृत उपबंधों पर चर्चा करते हैं तो हम इसकी पृष्ठभूमि भी जानना चाहते हैं। वित्त विधेयक संसाधन जुटाने का एक साधन है। हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या वित्त विधेयक के माध्यम से साम्यता का उद्देश्य पूरा होता है अथवा नहीं। अतः, सर्वप्रथम मैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करूंगा।

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने अनेक बातें कही हैं। उन्होंने हम पर आरोप लगाते हुए यह कहा कि हम राजनीतिक रंजिश के फलस्वरूप इसको अनदेखा कर रहे हैं तथा राजनीतिक गहमा-गहमी में हम वह सब नहीं देख पा रहे हैं जो कि हासिल किया है। हो सकता है ऐसा हो। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ एक ओर तो उन्होंने कुछ लोगों की सभी बातें मान ली हैं वहीं हमारे वित्त मंत्री कुछ अन्य चीजों को नहीं देख पाये हैं। अर्थव्यवस्था की कुछ महत्त्वपूर्ण चीजें जो लोगों तथा विकास को प्रभावित करती हैं, का उल्लेख अपने बजट भाषण में करना भूल गए। मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करना चाहता हूँ।

सबसे पहले तो हमारे लोगों को उन्हें यह बताना है कि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी हमारे खाद्यान्न भंडारों में कैसे वृद्धि हो रही है। इसकी प्रति व्यक्ति कम उपलब्धता के बावजूद भी ऐसा कैसे हो रहा है ? क्या यह इस बात का सूचक है कि लोग खाद्यान्नों का कम उपभोग कर रहे हैं इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में इनकी उपलब्धता अधिक है ?

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है—उन्होंने अनेक उपलब्धियां दर्शायी हैं—किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण है बचत दर। जब हम विगत कुछ वर्षों के बचत दरों पर ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि 1990-91 में बचत दर 23.7 प्रतिशत थी; 1991-92 में यह घटकर 23.1 प्रतिशत रह गई; 1992-93 में यह घटकर 20 प्रतिशत रह गई जबकि 1993-94 में यह 20.2 प्रतिशत थी। कुछ लोगों ने इन आंकलनों पर प्रश्नचिह्न लगाया है। सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दृष्टि से भी ये आंकड़े 1990-91 में 25.7 प्रतिशत थी जो घटकर 22.9 प्रतिशत हो गये और फिर 23.3 प्रतिशत और फिर घटकर 21.3 प्रतिशत रह गए हैं। इसका कोई उल्लेख नहीं है। वित्त विधेयक के माध्यम से हमने यह पता लगाने की कोशिश की है कि क्या किसी तरीके से बचत दर को बढ़ाया जा सकता है।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह रोजगार से संबंधित है। उन्होंने कासांडरा आदि से बहुत अच्छे शब्दों की अभिव्यक्ति की है। आर्थिक समीक्षा में दर्शाये गए आंकड़े के अनुसार प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्या है। आप आंकड़े ही चाहते हैं न ? आप आंकड़े नहीं चाहते। **(व्यवधान)** मैं आपको आंकड़े उपलब्ध करा सकता हूँ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उन्होंने आर्थिक समीक्षा से कोई आंकड़े नहीं लिये हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आर्थिक समीक्षा से लिये गये आंकड़ों के अनुसार, प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता : 1991 में 510.01 ग्राम प्रतिदिन थी जो घटकर 468 ग्राम, 464 ग्राम और 474.2 ग्राम प्रतिदिन रह गया। हमारी जनसंख्या में तथा खाद्यान्न की उपलब्धता में वृद्धि के बावजूद यह कमी आयी है। मैं हमेशा यह सुनते आया हूँ कि हमने खाद्यान्नों में रिकॉर्ड उत्पादन किया है पर शायद ही कभी इस बात का उल्लेख किया जाता है कि यह रिकॉर्ड उत्पादन 1980-81 की पंचवर्षीय योजना के आधार पर हुआ है। इस बात का कभी उल्लेख नहीं किया जाता और 1980-81 से 1994-95 तक हमारी जनसंख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि वही आंकड़े 1994-95 में दर्शाये जा रहे हैं और हमारे कृषि मंत्री, शायद वित्त मंत्री भी इसका श्रेय ले रहे हैं। इस तरह प्रतिव्यक्ति उपलब्धता में लगातार ह्रास हो रहा है। फिर भी हमारे भंडार में वृद्धि हो रही है। इस संबंध में सही वितरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

मैं रोजगार की चर्चा कर रहा था। मैं इसके आंकड़े भी देना चाहता हूँ। यहाँ रोजगार संबंधी आंकड़े बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। सरकारी उपक्रमों में रोजगार संबंधी आंकड़े, 1990 में 187, 1991 में 190, 1992 में 192, और 1993 में 193 हैं। यह संतोषजनक बात है कि इसमें वृद्धि हो रही है। श्रम शक्ति में हो रही वृद्धि की तुलना में सरकारी उपक्रमों में यह वृद्धि बहुत कम हो रही है। उनका कहना है कि रोजगार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है।

निजी क्षेत्र की कहानी क्या है ? निजी क्षेत्र में विकास की दर 75.82, 76.76, 78.46 है तथा 1993 के भी आंकड़े यहां उपलब्ध हैं। इसमें मामूली गिरावट आयी है। दोनों मिलाकर ये 263, 267, 270 और 272 है। आंकड़ों की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि इसका मतलब कम से कम संगठित क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। उपरोक्त आंकड़े वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रति लाख व्यक्ति रोजगार के हिसाब से दर्शाये गये हैं।

रोजगार पाने के अवसर संगठित क्षेत्र के लोगों के लिए दिनोंदिन कम होते जा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में क्या हो रहा है उस बारे में हम बाद में देखेंगे। तथापि, इन सबके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के महाप्रबंधक का भी यही मत है कि भारत में गरीबी का स्तर घटकर 25 प्रतिशत पर आ गया है। मैं नहीं जानता हूँ कि उनको इन आंकड़ों की जानकारी है अथवा नहीं क्योंकि योजना आयोग के पास उपलब्ध और विशेषज्ञ दल द्वारा जांचे गए सभी आंकड़े—मैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन संबंधी आंकड़े भी देख चुका हूं—यह दर्शाते हैं कि ये आंकड़े 40 प्रतिशत के आस-पास हैं। बढ़ती मुद्रा स्फीति से, खाद्यान्नों की उपलब्धता तथा भंडार में कमी से यही निष्कर्ष निकलता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गरीबी रेखा जिसे बहुत ही अस्वाभाविक और असामान्य ढंग से परिभाषित किया गया है, से नीचे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के महा-प्रबंधक भी इस संबंध में बहुत ही आश्वस्त दिखते हैं।

श्री मनमोहन सिंह : महाप्रबंधक का वह वक्तव्य कहाँ है ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं सारे वक्तव्यों को साथ लेकर नहीं चलता।

श्री मनमोहन सिंह : इसकी एक प्रति दीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं कोशिश करूंगा। मैं समझता हूँ कि उनके पास इसकी प्रति उपलब्ध है पर वह अपनी बात ऊपर रखना चाहते हैं। मुझे वे सर्वेक्षण प्रकाशन मिलते हैं।

उन्होंने विश्वासपूर्वक यह भी कहा है कि भारत मेक्सिको वाला रास्ता नहीं अपनायेगा। हो सकता है ऐसा हो। वह तो केवल यह नहीं कह सकते थे कि मैक्सिको में मैक्सिको जैसी स्थिति होगी। यह वे नहीं कह सकते थे। आज, उस घटना के उपरांत उनको सुमति आयी और उन्होंने हमारे पास आकर हमें आश्वस्त किया कि भारत मैक्सिको वाला रास्ता नहीं अपनायेगा। मैं जानता हूँ कि वित्त मंत्री महोदय इस बात को निश्चित रूप से स्वीकारते हैं कि यह एक सच्चाई है। मैं इस पर बाद में चर्चा करूंगा।

इन बातों के संदर्भ में मैं वित्तीय प्रावधानों के बारे में खुलासा करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे विदेशी ऋण में कमी आ रही है। ऐसा उनका दावा है। मैं इस आंकड़े पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाऊंगा, हालांकि मेरा एतराज बजट में दिए गए सभी अन्य आंकड़ों पर है। उन्होंने यहां यह नहीं बताया है कि इससे विदेशी दायित्व में कमी नहीं आई है। विदेशी ऋण और विदेशी दायित्व में अंतर होता है। हम यह कहते हैं कि यह उनके अपने विचार हैं—विदेशी ऋण की बजाय हमें देश में विदेशी पूंजी आमंत्रित करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कोई भी व्यापारी उसी दशा में उधार लेता है जबकि उसे उसके द्वारा भुगतान दी जाने वाली ब्याज की दर की तुलना में ऊंची दर पर मुनाफा मिले। यदि ऐसा है तो जो भी विदेशी पूंजी यहां आ रही है, उसके लाभ वापस उन देशों को भेजे जाएंगे तथा इसके कारण विदेशी ऋण के बोझ में कमी, जैसा कि बताया गया है, एवं हमारे दायित्वों में कमी के स्थान पर वृद्धि ही हो रही है। उन्होंने यह बात कभी नहीं बताई है। मैं इस विषय में और गहराई में नहीं जाऊंगा।

उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, आदि में प्रबंध की समस्याएं हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें यह अर्थव्यवस्था विरासत में मिली है। यदि वह यह बता देते कि यह विरासत में कब से मिली है तो यह एक सत्य वक्तव्य होता। क्या यह चन्द्रशेखर जी से मिली है ? क्या यह जनता दल सरकार से मिली है ? अथवा क्या अर्थव्यवस्था इससे पहले से ही लड़खड़ा रही थी तथा वे सभी समस्याएं, जिनका वे 1991-92 से सामना कर रहे थे, उन घटनाओं के कारण उत्पन्न हुई थी जो नवें दशक के मध्य में घटी थीं ? तथापि, क्योंकि वे इस विषय में मौन रहे, अतः मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने इस मुद्दे को स्पष्ट नहीं किया।

दूसरा मुद्दा यह है कि उनके द्वारा दिए गए आंकड़े संदेहास्पद हैं। मैं इस तथ्य को नहीं नकारता कि उससे पहले लगभग दस सप्ताहों को छोड़कर जब मुद्राप्रसार की दर में वृद्धि हुई थी, पिछले कुछ सप्ताहों में मुद्राप्रसार की दर में कमी आई है। मेरी आपत्ति इस बात पर है कि यह दर कभी भी दो अंकों के आंकड़े से नीचे नहीं आई। मैं चाहता हूँ कि वे उनके द्वारा रोजाना जारी किए जा रहे इन वक्तव्यों की पुष्टि करें कि यह दर दो अंकों के आंकड़े से कम है। हमने इस बारे में प्रश्न काल के दौरान भी यह पूछा है कि यदि हम आंकड़ों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि यह हमेशा दो अंकों के आसपास ही रहेगी। उनका कहना है कि उनके पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उनका विभाग उनसे कम अकुशल है। यदि वे प्रयास करें तो उन्हें आंकड़े मिल सकते हैं। यह कम हुई है या नहीं, मेरा कहना है कि यह दो अंकों के आंकड़े के स्तर पर रहती है। यह बात ज्यादा संवेदनशील नहीं है कि यह आंकड़ा दो अंकों का है अथवा नहीं। कुछ भी हो, इससे यह पता चलता है कि मूल्यों पर भारी दबाव पड़ना जारी है। इसका तात्पर्य यह है कि लोगों की दशा बदतर होती जा रही है। अवसंरचना निर्माण के लिए उन्हें श्रेय दिया जाता है। यह न तो हमारे धन से किया गया है और न ही सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश द्वारा किया गया है। हम सबको 'एनरोन' की कहानी मालूम है। हम चाहते हैं कि अवसंरचना सुदृढ़ हो, परन्तु 'एनरोन' की तरह नहीं। उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया है। दूसरी ओर वह इस बात पर जोर देते हैं कि बिजली बोर्ड को बिजली की दरों में वृद्धि करके अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रयास करना चाहिए तथा वह हमें यह नहीं बताते कि लागत में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार की दर में वृद्धि करने का यह एक और तरीका है। मैं इस संबंध में एक और बात कहना चाहूंगा तथा उसके बाद कुछ और कहूंगा...

(व्यवधान)

बजट में बीमा क्षेत्र के बारे में एक बहुत ही खतरनाक वक्तव्य दिया गया है। मल्होत्रा समिति के प्रतिवेदन के अनुसरण में इसके निजीकरण के लिए पहला कदम उठाया गया है। हम इसका जबर्दस्त विरोध करते हैं। योजना प्रारम्भ करने के समय से अब तक भारत में कोई प्रगति हुई है तो वह वित्तीय क्षेत्र में हुई है। चूंकि बैंकिंग क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, अतएव, हमारे गांवों के लोग महाजनों के जाल से बाहर आ पाए। इसके लिए केवल बीमा क्षेत्र को ही श्रेय दिया जा सकता है जो अपनी नई-नई योजनाओं के माध्यम से देश के अंदरूनी भागों में रहने वाले करोड़ों लोगों तक पहुंचा। इस सबको भुलाकर वे अब इस बीमा क्षेत्र को भी विदेशियों को सौंपने की कोशिश कर रहे हैं जो भारी धनराशि लिए तैयार बैठे हैं। मैं उन्हें यह बताना आवश्यक नहीं समझता कि बड़ी एकाधिकार कंपनियों के कार्य करने का एक तरीका यह भी है। वे इस प्रकार कार्य करते हैं कि उन्हें चाहे पहले दस वर्षों में हानि उठानी पड़े, परंतु वे प्रतियोगियों का सफाया कर देते हैं तथा उसके बाद भारी मुनाफा कमाते हैं। पूरी दुनिया यह जानती है। पूंजीवाद ने अपना निशाना नहीं बदला है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही पूंजीवादी हैं तथा उन्होंने अपने लक्ष्य नहीं बदले हैं। वे अपना खेल खेल रहे हैं तथा खेलते रहेंगे। प्रतियोगिता में कोई बंधन नहीं होता। इसलिए वे भारतीय बीमा क्षेत्र को बर्बाद कर देंगे तथा यदि संभव हुआ तो शुरू में भारी रियायतों का लालच देकर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को भी बर्बाद कर देंगे। भारत में अपनी हानि की क्षतिपूर्ति वे अफ्रीका से लाभ लेकर कर लेंगे तथा जब वे भारतीय क्षेत्र पर काबू पा लेंगे तब भारतीयों को उनके नुकसान की क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी।

बजट पर चर्चा करते समय भी वित्त विधेयक के बारे में चर्चा करनी संगत हो जाती है। पहले मैं आंकड़ों की बात कहूंगा। गत वर्ष मैंने कहा था कि वित्त मंत्री का पूरा भाषण पुनरीक्षित अनुमानों के आंकड़ों पर आधारित था तथा मैंने पिछली बार भी यह इंगित करने का प्रयास किया था कि सारे पुनरीक्षित अनुमान आंकड़े अर्थपूर्ण ढंग से उसी पर आधारित हैं। अंतिम लेखाओं की तुलना में राजस्व के मामले में उन्होंने बढ़ा-चढ़ा कर बताया है तथा व्यय के बारे में कम करके बताया है। गत वर्ष मैंने 1992-93 तक की तुलना करके बताई थी। इस बार वर्ष 1993-94 के आंकड़े उपलब्ध हैं। हमारे पास अंतिम लेखाओं के

आंकड़े, पुनरीक्षित अनुमानों के आंकड़े तथा पुनरीक्षित बजट के आंकड़े मौजूद हैं। आपको आश्चर्य होगा कि एक बार फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गई है। मैं आपको आंकड़े देकर बताता हूँ। *विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ जुड़ी यह बेशर्मी मुझे समझ नहीं आती। भारतीय वित्त मंत्री इस तरह की बेशर्मी कैसे सहन करते हैं। मैं आपको वर्ष 1993-94 के आंकड़े देता हूँ।* कृपया आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार वर्ष 1993-94 में निगमित कर के रूप में 10,500 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित की जानी थी। आज वास्तविक एकत्रित राशि 10,060 करोड़ रुपए हैं। यह निगमित कर की बात हुई। उस समय निगमित कर के अलावा आयकर की राशि 1,728 करोड़ रुपए थी, जो कि पुनरीक्षित अनुमान था तथा वास्तविक राशि 1,346 करोड़ रुपए हैं। ब्याज कर की राशि 900 करोड़ रुपए थी जो कि पुनरीक्षित अनुमान है और जैसा कि इस वर्ष दर्शाया गया है वास्तविक राशि 727 करोड़ रुपए थी। राजस्व के मामले में कहानी यह है। दूसरी ओर व्यय के मामले में तस्वीर यह है कि पुनरीक्षित अनुमानों को कम करके दर्शाया गया है तथा इस प्रकार जब पुनरीक्षित अनुमान लगाए जाते हैं तो कुल बजट घाटा तथा कुल वित्तीय घाटा हमेशा कम करके दर्शाया जाता है। यह अत्यधिक अनूठा तरीका हम वर्ष प्रतिवर्ष देखते हैं। नवें दशक के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। परंतु मैंने डॉ. सिंह के काल के दौरान पता लगाने का प्रयास किया है कि यह बात कहां तक सत्य है और मैंने पाया है कि यह बात हर वर्ष के लिए सत्य है। इस प्रकार संकलन आंकड़े तथा वर्षों के लिए बजट अनुमानों के आंकड़े भी काफी संदिग्ध हैं। मैं यह बात कहना चाहता हूँ तथा चाहता हूँ कि मुझे इस विषय में स्थिति स्पष्ट करके बताई जाए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वर्ष प्रतिवर्ष आंकड़े ठीक नहीं किए जा रहे हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : जी, नहीं जी, नहीं। ठीक किए गए आंकड़े तथा वास्तविक आंकड़े समान हैं।

श्री मनमोहन सिंह : हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां अनिश्चितता बढ़ती जा रही है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जी, हां, निश्चय ही मैं इससे सहमत हूँ। वास्तव में अनिश्चितता तीव्र गति से बढ़ रही है क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और मेरे विचार में यह अनिश्चितता नहीं है; तथा यह अनिश्चितता अपने आप द्वन्द्वात्मक इस तर्क, निश्चितता में बदल गई है कि वे ज्यादा समय तक वित्त मंत्री नहीं बने रहेंगे जब तक कि वे वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों तथा अपने पूर्ण भ्रष्ट साथियों के चंगुल में फंसे रहते हैं।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : आप हमेशा निराशाजनक बात क्यों करते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं निराशावादी नहीं हूँ। मैं तो उनका स्वागत कर रहा हूँ। यदि वह वित्त मंत्री बने रह सकें तो मुझे प्रसन्नता होगी। लेकिन शर्त यह है कि वह अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मालिकों की दासता से मुक्त करें तथा इतने भ्रष्ट हो गए अपने राजनीतिक दल से भी अपने आपको अलग कर लें। ये दो शर्तें हैं। बस उन्हें उतना ही करना है यदि ये दो बातें पूरी हो जाती हैं तभी हम उनका समर्थन करेंगे।

महोदय इस संदर्भ में हम अब वित्त विधेयक की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। उनका दावा है कि उन्होंने राज्यों को धन प्रदान किया है। पहले हम उनके स्रोतों का पता लगाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने योजनागत बजट में कटौती करने का प्रयास किया है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निवेश में कटौती की है, राज्यों को दी जा रही सहायता में कमी कर दी है। इस प्रकार उन्होंने इन सभी मदों में कटौती कर दी है। आप मुझे चुनौती मत दीजिए। योजना के लिए योजनागत व्यय में 4 से 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जबकि मुद्रा प्रसार की दर कम से कम 9 से 10 प्रतिशत के बीच है। कुल योजना बजट में 4 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसका अर्थ है कि वास्तव में इसमें कमी आई है। राज्यों को यदि वे ज्यादा धनराशि देने का दावा करते हैं तो यह केवल एक मजाक है।

आंकड़ों के अनुसार संशोधित प्राक्कलन राशि 19,304 करोड़ रुपये की तथा प्रस्ताव 19,506 करोड़ रुपये देने का है और सारे अग्रिम ऋणों पर राज्यों से ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि इसमें जोड़ देने मात्र से यह वर्तमान वर्ष में 2000 करोड़ रुपए तक और बढ़ जायेगी। इससे राज्य पर भारी बोझ पड़ रहा है। नगरपालिका के चुनाव सामने हैं और हमें वहाँ लोगों को जवाब देना है। जब हम लोगों से पूछते हैं। सड़कों की हालत ठीक क्यों नहीं है और पीने के पानी की जल आपूर्ति क्यों नहीं है ? तो वे यह कहेंगे कि राज्य सरकार इन्हें उपलब्ध कराने में असमर्थ है और जब हम राज्य सरकार के पास जायेंगे तो वह सीधा-सा उत्तर देगी कि केन्द्र सरकार का हमारे प्रति रवैया ऐसा ही है। अर्थव्यवस्था में बचत दर कम है। सरकार को बचत में कोई ज्यादा धनराशि प्राप्त नहीं होगी तो फिर हम यह आशा कैसे करें कि हम उन नगरपालिकाओं तथा राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर पायेंगे जो अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों से अधिक जुड़े हुए हैं।

इसी संदर्भ में हमें वित्त विधेयक की गुणवत्ता का आकलन करना है। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही दावा किया है। यह बड़ी दिलचस्प बात है। उन्होंने एक और विस्मयकारी बात यह की है कि ग्रामीण विकास में इस बार उन्होंने पिछले वर्ष के 7010 करोड़ रुपये की तुलना में 7700 करोड़ रुपए दिये हैं। यह वृद्धि तो अच्छी है। तभी तो वे दावा करते हैं : 'लगता है कि आठवीं योजना के 3000 करोड़ रुपये के लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। क्या इस तरह का विवरण देना सही है ? आठवीं योजना के यह 30000 करोड़ रुपये एक विशेष मूल्य स्तर पर आधारित है। मुद्रास्फीति की वर्तमान दर पर यह 30,000 करोड़ रुपये की राशि—जब यह अवधि पांच वर्षों में समाप्त हो जायेगी तो 60,000 करोड़ रुपये हो जायेंगे। यदि आप यह दावा करते हैं कि आप आठवीं योजना में ग्रामीण विकास से संबंधित वित्तीय व्यय के लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं तो यह दूर नहीं, तो क्या है ? आप साफगोई की बात करते हैं।

पहले यह साफ हो और तब हंसी-मजाक अथवा वाद-विवाद के बजाय सच बोलें। हम ऐसी ही आशा करते हैं, किसी और से नहीं, पर डॉ. सिंह से तो अवश्य ही।

श्री ए. चार्ल्स : क्या कोई ऐसी पद्धति है जो यह दिखाये कि

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह तो आपकी समझ है। अतः मैंने इसका आपसे जिक्र नहीं किया है। मैंने डॉ. मनमोहन सिंह से जिक्र किया है।

श्री ए. चार्ल्स : हम भी समझते हैं। जो कुछ आपने कहा था, मैंने समझ लिया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं इसे खोलकर बताने का प्रयास कर सकता हूँ। महोदया, मैं राज्य सभा का सदस्य था...

श्री ए॰ चार्ल्स : आप सारे मसले को रोककर संदेश देने का प्रयास करते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं आपको एक अन्य कहानी बताऊँगा क्योंकि मेरे पास काफी समय है, मुझे कोई कठिनाई नहीं है।

मैं राज्यसभा का सदस्य था। उस समय श्री राजीव गांधी वित्तमंत्री थे। वह योजना प्रावधानों की तुलना पिछले वर्षों के वास्तविक आंकड़ों से करने का प्रयास कर रहे थे। और जब मैंने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि, "आप उन चीजों की तुलना कर रहे हैं, जो अतुलनीय हैं" तो वह सकपकाकर बैठ गये और बोले, "आप ठीक कहते हैं, मैं बाद में आपके पास आऊँगा।" और बाद में वे कभी नहीं आये। ऐसा होता है। आप 10,000 करोड़ रुपये देते हैं और तब मद्रास्फीति भी होगी और आप देखेंगे कि हम वित्तीय दृष्टि से योजना लक्ष्यों से ज्यादा खर्च करने में सफल रहे हैं। और, आप उन्हीं योजना के दस्तावेजों में यह देखेंगे कि वास्तव में हम ऐसा नहीं कर पाये हैं। ऐसा होता है। अतः कोई प्रवुद्ध व्यक्ति यह दावा नहीं करेगा कि हम लक्ष्य को पा लेंगे और यह कहकर सारे राष्ट्र को भ्रम में नहीं डालेगा कि 30,000 करोड़ रुपये लक्ष्य था और उस लक्ष्य तक हम पहुँचने वाले हैं। यह साफगोई और ईमानदारी नहीं है। यही बात मैं कह रहा हूँ।

महोदया, मैं अब इस हिस्से—वित्त विधेयक पर आता हूँ। मुझे संशोधित प्राक्कलन की बात नहीं करनी है। अब, मान लीजिये, हम इतनी राशि जुटाने में असमर्थ रहते हैं। उन्होंने रियायत दे दी है। वह जब कभी रियायत देते हैं तो यह भी कहते हैं कि रियायत मामूली है और बजट प्राक्कलन ही मुनाफा है। आज उन्होंने यह भी कहा था, "यह मामूली है।" हम नहीं जानते कि खास क्या है ? अब वित्त विधेयक तथा अन्य उपायों की दृष्टि से—उनमें से कुछ तो वित्त विधेयक हैं ही नहीं, उन्हें अधिसूचित आदि किया गया है—हम उनमें संशोधन नहीं कर सके। इसका असर राजस्व पर पड़ा है। उन्होंने 3000 करोड़ रुपये की राशि सीमा शुल्क में तथा 331 करोड़ रुपये की राशि उत्पाद शुल्क में मान ली हैं, और, अंत में वह विवाद के इस माहौल में यह दावा करते हैं कि जिन पर उन्होंने विचार किया है वह मामूली है। फिर भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि 'क्या और संसाधन जुटाने की कोई गुंजाइश थी ?' मैं तीन उदाहरण दूँगा। उनमें से एक तो अब ज़रा अलोकप्रिय हो गया है, इसलिए नहीं कि मैंने इसका जिक्र किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह अलोकप्रिय है। यह हम उनके विभागीय आंकड़ों में पाते हैं और हम तो केवल इसे दोहराते भर हैं। यदि शेयर बाजार में 14 लाख रुपये का कारोबार हुआ तो उनके प्राक्कलन के अनुसार आय एक लाख करोड़ रुपये हो जायेगी। यदि हम कराधान की सीमांत दर से भी इसका कम-से-कम 40 प्रतिशत जमा कर लें तो यह 40,000 करोड़ रुपये हो जायेगी। अब इससे उन्हें 58,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ है। यह एक बहुत बड़ी राशि है और वास्तव में यह मिथ्या है। तो अब आपने बजट घाटा 6,000 करोड़ रुपये लगाया। मान लीजिये 40,000 करोड़ रुपये धन संग्रह हुआ। 40,000 करोड़ रुपये एक बड़ा संसाधन है बशर्ते आप इसे जुड़ा सकें। मुझे यह मालूम नहीं है कि इसे जुटाया क्यों नहीं जाता। एक शर्त यह हो सकती है कि वर्तमान सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये; अथवा फिर दूसरी शर्त यह हो सकती है कि डॉ. सिंह को वर्तमान राजनैतिक दल से इस्तीफा दे देना चाहिये और सरकार का एक नया ... आदि बनाने में मदद करनी चाहिये। वस्तुतः मुझे मालूम नहीं है कि क्या यह मान्य है। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में तो इस संसाधन को ही जुटाया नहीं जा सका।

श्री मनमोहनसिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि 40,000 करोड़ रुपये के इस आंकड़े का स्रोत क्या है ? आप इसकी जानकारी मुझे देने की कृपा करेंगे तो मैं आपका आभारी हूँगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या कोई उपधारणात्मक कर नहीं है ? यदि आपका कुल लेन-देन 5 लाख रुपये है तो आप अस्थाई आय 35,000 रुपये मानते हैं तो 14 लाख करोड़ रुपये पर कर कितना होगा ? क्या आपका इस संबंध में कोई अनुमान नहीं है ? यदि आपको याद नहीं है तो आप अपने विभाग से परामर्श कर सकते हैं। मैं तो आपके अपने दिये आंकड़ों का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कृपया संयुक्त संसदीय समिति का प्रतिवेदन देख लें।

श्री मनमोहन सिंह : यह बात यहाँ लागू नहीं होती है। जिस चौदह लाख करोड़ रुपये की आप बात कर रहे हैं यह आज मिथ्या है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप यह कहते हैं कि चौदह लाख करोड़ रुपये की राशि मिथ्या-भर है। संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के आपके प्रत्युत्तर में, आपने यह कभी नहीं कहा कि यह लेन-देन एक मिथ्या है। बैंकिंग क्षेत्र में कितना धन बर्बाद हो जाता है ? शायद तीन से दस हजार करोड़ रुपये बर्बाद जाते हैं। लेकिन जो बर्बाद ही हुए हैं वे शेयर बाजार में इस्तेमाल किये गये हैं। इस समिति के सभापति श्री रामनिवास मिर्धा से पूछ लीजिये। वे सारे विवरण दे देंगे। अतः कुल लेन-देन 14 लाख करोड़ रुपये है और उसका आठ प्रतिशत एक लाख करोड़ रुपये हो जायेगा। यह वह एक साधन है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ।

एक दूसरा साधन और भी है। यह मुझे मालूम नहीं है कि इसे प्राप्त करने से किसने आपको रोक दिया इस दूसरे साधन के संबंध में भी मैंने विवरण केवल आपके विभाग से ही प्राप्त किये हैं। आयकर कानूनों में दी गई विभिन्न रियायतों से ही यह इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। मेरे पास एक हजार से भी ज्यादा कम्पनियों की सूची है। उनका मुनाफा 10 करोड़ रुपयों से लेकर 300 करोड़ रुपयों तक है। वे बड़ी कम्पनियां हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि वे कोई कर अदा नहीं करती हैं। ये सभी कम्पनियाँ (कर न देने वाली) शून्य कर कम्पनी के नाम से जानी जाती हैं। उस सूची के अनुसार अधिकतम कर आठ प्रतिशत था। ऐसा क्यों है ? इस पर यह बहस की जा सकती है कि शायद इससे उनको परोक्ष आय हो रही है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि करों की चोरी हो सकती है लेकिन वास्तविक कारण करो से बचने का है। यह वस्तुतः करों से बचने के समय में है, हम अपने आबकारी कानूनों में बहुत से बचाव के रास्ते निकालने में सफल हो गये हैं कि 300 करोड़ रुपये कमाने वाली कम्पनी भी कोई कर नहीं देती है।

और वे फुटकर विक्रेताओं तक अपनी पहुंच करके तथा उनसे कम से कम एक रुपये कर देने का अनुरोध करके कर आधार को व्यापक बना रहे हैं। आप जरा अनुमान लगाइये यदि कर के बारे में ऐसा प्रावधान होता अर्थात् उन्होंने कर का भुगतान कर दिया होता तो उसका अर्थ यह है कि कुल औसत आय 100 करोड़ रुपये 1000 करोड़ रुपया और 1,00,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होती तथा यदि आप उन पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगाते

तो यह राशि केवल 20,000 करोड़ रुपये की बैठती।

रेल बजट की तरह प्रत्येक व्यक्ति अपने विभाग में एक मंच चाहता है। उन्हें प्रत्येक को एक रियायत देनी पड़ती है। वे सभी धर्मार्थ न्यासों को रियायतें देते रहते हैं। दूसरी ओर बहुत से माननीय सदस्यों की कोई आय नहीं है अथवा कोई कर नहीं देते हैं लेकिन वे जो कारों में घूमते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि वे धन कैसे प्राप्त करते हैं। न्यास उन्हें सहारा देती है। उनमें ऐसे बहुत से हैं और वे यह कहते हैं कि ये यह समझने के लिए अच्छा विनियमित प्राधिकरण है कि न्यासी दुर्व्यवहार न करें। जब मंत्रिमण्डल दुर्व्यवहार करती है तो न्यासी क्यों नहीं करें ? यह एक अन्य मूल साधन है जिसे जुटाने के लिये वे इन्कार कर रहे हैं।

आप उस राशि के परिमाण अथवा मात्रा की कल्पना कीजिये, यदि वे आंशिक रूप से भी सफल होते तो यह घाटा नहीं हुआ होता, राज्यों पर दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है तथा राज्य नगरपालिकाओं और पंचायतों के क्रियाकलापों से प्रसन्न हुए होते। मेरे पास एक सूची है जो मुझे विभाग ने नहीं दी है अपितु भारतीय रिजर्व बैंक ने दी है तथा जिसके बारे में दूसरे दिन मैंने और श्री रंगराजन ने उल्लेख भी किया था। मेरे पास 5000 से अधिक हस्तियों की एक सूची है जिन्होंने ऋण का भुगतान नहीं किया है तथा उनमें से कोई भी एक करोड़ से कम का बाकीदार नहीं है। इनमें से बहुत सारे व्यक्ति इससे भी ज्यादा के बाकीदार है। इन 50000 व्यक्तियों में से प्रत्येक द्वारा एक करोड़ से अधिक ऋण का भुगतान, जो कुल 100-200 करोड़ रुपये के बराबर है, न करने के कारण बैंकिंग क्षेत्र समस्या का सामना कर रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी की समस्या है और इसलिए डॉ. सिंह को इस क्षेत्र को एक वर्ष में 5000 करोड़ रुपये दूसरे वर्ष के लिए 5700 करोड़ रुपये और इस वर्ष के लिए 8050 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां यदि वर्तमान सरकार से कम भ्रष्ट कोई सरकार हो तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर निर्भर रहे बिना कार्य करने में कोई समस्या नहीं होगी। हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को अतिरिक्त सहायता दे सकते हैं तथा हमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को किसी भी चीज के लिए इंकार करने की आवश्यकता नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कहानी की अजीब है। मैं आंकड़ों का उल्लेख कर रहा था। अब मुझे उन आंकड़ों के दूसरे भाग का उल्लेख करना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा है कि संशोधित बजट अनुमानों में वास्तविक बजट अनुमानों की तुलना में व्यय में कटौती को सदैव कम करके बताया जाता है। अब मैं अपने कथन में संशोधन करता हूँ। ऐसा सभी मामलों में नहीं होता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और योजनागत व्यय के मामलों में ऐसा नहीं है वास्तव में इन क्षेत्रों में संशोधित अनुमान बढ़ा-चढ़ाकर बताये जाते हैं तथा वास्तविक कम होता है। वर्ष 1993-94 में यह स्थिति थी और उससे पहले भी यही स्थिति रही थी।

5.00 म. प.

जब भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश में कमी की जाती है तो सही मायनों में योजना का आकार सिकुड़ता चला जाता है। नुकसान किसका होता है ? नुकसान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का होता है। मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ।

अब मैं आपके सामने रोचक आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। यह बहुत ही रुचिकर कहानी है। इसलिए मैं वित्त मंत्री का ध्यान उन आंकड़ों की ओर खींचना चाहता हूँ। इन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1976-77 अर्थात् आपातकाल के वर्षों तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी कीमतों में वृद्धि के कारण कठिनाईयों का सामना कर रहे थे। क्या आप ऐसा मान सकते हैं ? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से अधिक थी। तब से सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी अपने को संगठित करने में सक्षम रहे हैं। उनके कर्मचारी संघ शक्तिशाली बन गए है तथा वे अपनी प्रतिव्यक्ति आय में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि की तुलना में ऊँची दर पर वृद्धि करवाने में सफल हुए हैं, सभी ओर से दमनात्मक शासन के बावजूद अपनी शक्ति के कारण उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसलिए उनका पीछे हटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने उसका अनुभव नहीं किया। आप उस समय से पहले के परिदृश्य की कल्पना कीजिये। उन्होंने सोचा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में कल्याणकारी सरकार है तथा वह सब कुछ कर देगी उन्हें इस बात का अहसास होने में तीस वर्ष लगे कि उन्हें संगठित होना पड़ेगा अन्यथा उन्हें एक पाई भी नहीं मिलेगी अन्ततः उन्हें सफलता मिली है। यही वह आंकड़ा था जिस पर मैं चाहता हूँ कि डॉ. मनमोहन सिंह विचार करें।

अब मैं वित्त विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आता हूँ।

[हिन्दी]

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : डॉ. सिंह को आज आप पूरा कम्युनिस्ट बना दो।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या आप सोचते हैं कि यह संभव है ? मैं ऐसा करने का प्रयत्न करूंगा। आप अपनी संभावना बताइये। मैं अपने प्रयासों को बेकार नहीं करना चाहता हूँ।

महोदय, मैं वित्त विधेयक के कई मुद्दों पर नहीं बोलूंगा अपितु मैं कुछ व्यापक मुद्दों पर ही बोलूंगा। मैं कर में छूट की सीमा बढ़ाने में विश्वास नहीं करता, इससे वित्तमंत्री को कुछ खुशी होती है। इसके विपरीत मेरा विश्वास है कि एक व्यक्ति को यह कहने में गर्व होता है कि वह आयकर दाता है। एक व्यक्ति यह कहने में गर्व समझता है कि उसके आयकर से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति को सहायता मिलती है। किंतु उनका कराधिकार बहुत कम है। दूसरे लोगों के अधिकार छीनकर अतिसंपन्न वर्ग को देकर हमने उनके पक्ष में कई अच्छी बातें की हैं। बाकी 97 प्रतिशत लोगों में से कितने लोग कर अदा कर सकते हैं ? ठीक है, इस पर कोई असहमति नहीं हो सकती है। इसे 97 प्रतिशत से घटाकर 48 प्रतिशत कर दिया गया है।

वित्त मंत्री कहते हैं कि चूंकि इसमें कमी आई है इसलिए इसका लाभ मिलने लगा है। लेकिन लम्बे समय तक यह 20 प्रतिशत के निचले स्तर पर रही। आपने कम क्यों नहीं किया ? आपके पास अति कम दर से शुरू होने वाली कोई प्रणाली क्यों नहीं है जिससे कम वेतन वाले लोग भी, जो गरीबी रेखा से ऊपर तथा अच्छी स्थिति में हैं, गर्व से यह कह सकें कि हम भी कर दाता हैं। चाहे यह एक प्रतिशत हो। वे एक प्रतिशत की दर से कर में कटौती के लिए तैयार हैं। अतः एक प्रतिशत कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। तत्पश्चात्

वह यह कहेंगे कि प्रशासनिक समस्याएं सामने खड़ी हो गई हैं मैंने संशोधन दिये हैं। मैंने इतने कठोर उपाय के लिए कोई सुझाव नहीं दिया है। लेकिन मैंने जो सुझाव दिया है वह यह है कि हमें ये चीज़ें करनी चाहियें। हमारे पास 40,000 रुपये से 60,000 रुपये तक का स्लैब है। आप उस स्लैब को बना रहने दीजिए लेकिन उस पर कर की दर दस प्रतिशत रखें। आप एक-एक करके दीजिए। पहली स्लैब दस प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। यह 1,20,000 रुपये के स्थान पर 60,000 रुपये से 1,00,000 रुपये हैं। मेरा एक यह भी संशोधन है इसके लिए 20 प्रतिशत की दर 1,00,000 रुपये से हो और 2,00,000 रुपये पर 30 प्रतिशत की दर हो। तत्पश्चात् 2,00,000 से 5,00,000 रुपयों पर 40 प्रतिशत की दर हो। अपने आप को सीमाबद्ध करने के स्थान पर पांच लाख रुपये से अधिक राशि पर 45 प्रतिशत तक लगा सकते हैं। यह करदेय आय है। यह कुल आय नहीं है और कर से बचने के लिए आपके पास बहुत से प्रावधान हैं। यह एक तरह का सुझाव है जो मैं सभा तथा वित्त मंत्री के समक्ष रखना चाहता हूँ।

मेरा एक दूसरा और सुझाव है जो मैं निगमित कर पर सरचार्ज के संबंध में देना चाहता हूँ। यह अनावश्यक रूप से समस्या पैदा करता है। यदि 40 से 45 प्रतिशत निगमित कर पर सरचार्ज 50 प्रतिशत हो तो आपको कितनी धनराशि प्राप्त होगी ? लाभ कितना हो। यदि आयकर पर सरचार्ज होता तो यह तर्क दिया जा सकता था कि राज्य अपनी आय से वंचित हो गये हैं, आपको आयकर राज्यों में बांटना पड़ता है। लेकिन निगमित कर किसी भी हालत में आपको राज्यों में नहीं बांटना पड़ता है। तथ्य से यह स्पष्ट है कि वित्तमंत्री हाल ही के चुनावों में हार के बाद काफी भौंचक्के रह गये थे।

अब आयकर का जिक्र करते हुए मैं पूछता हूँ कि इसके प्रति हमारा रुझान कैसा है ? मैंने डॉ. पाल के साथ इस मामले में चर्चा की है वे कहते हैं कि यदि तलाशी कार्य होता है और आय का पता चल जाता है तो रेकार्ड किताबों से यह पता लगाने में बहुत सारा समय लग जाता है कि यह आय इस वर्ष की है अथवा इससे पहले वर्ष की है अथवा दस वर्ष पहले की है। इसमें बहुत-सारा समय लग जाता है तथा बड़ी मुकदमें बाजी होती है। मेरा सुझाव है कि बगैर वर्ष के मद्देनज़र इसकी एक दर 60 प्रतिशत हो। जो प्रश्न डॉ. पाल ने मुझे समझाया है वह यह था कि यदि कोई व्यक्ति पकड़े जाने से पूर्व अपनी आय घोषित कर देता है तो उसे यह ज्यादा का भुगतान करना पड़ेगा। मेरा प्रस्ताव बड़ा साधारण है। पहले हमारे पास काले धन का पर्दाफाश करने की बहुत सारी योजनाएं थीं। कभी-कभार हम इन योजनाओं के माध्यम से काला धन कमाने में सफल हुए। मेरा प्रस्ताव है कि यदि जब कभी स्वैच्छिक घोषणा कर दी जाये तो उससे 60 प्रतिशत कर वसूला जाना चाहिये और यदि ऐसी घोषणा तलाशी अथवा खोज अथवा पकड़ के बाद की जाती है तो उससे 70 प्रतिशत की दर से कर वसूला जाना चाहिये। बहुत से वित्त विधेयकों में शामिल की गई काले-धन का पर्दाफाश करने वाली सभी पूर्ववर्ती योजनाओं पर विचार किया जाता है।

5.10 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरा एक अन्य सुझाव है। सदा से अग्रिम कर की योजना चली आ रही है। वस्तुतः अग्रिम कर जैसी भूलें हो जाया करती हैं। किसी ने अग्रिम कर नहीं चुकाया है जबकि वह हर तिमाही से कर चुकाता रहा था और उसने 15 मार्च से पहले 90 प्रतिशत कर चुका दिया है। डॉ. देवीप्रसाद पाल को तो महारत हासिल है क्योंकि वे एक कर अधिवक्ता है, जो हमेशा कर बचाने वालों के पक्ष में बहस करते हैं। अतः उनको बड़ी महारत हासिल है।

उपाध्यक्ष महोदय : कर दाता न कि कर से बचने वाले।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : लेकिन मान लीजिये कि कोई करदाता 90 प्रतिशत तक अग्रिम कर नहीं देता है लेकिन वह इसका भुगतान अप्रैल अथवा मई अथवा जून में कर देता है तो विकल्प यह हो सकता है कि वह इस राशि के लिए कर के साथ ब्याज भी देता है। प्रावधान में ऐसा लगता है कि वह अपनी विवरणी कर के निपटारे के समय तक के ब्याज का भुगतान करता लेकिन मुझे मालूम नहीं है और मुझे पक्का मालूम नहीं है। ऐसा है तो वह परामर्श योग्य नहीं होगा।

तीन विकल्प हैं। एक तो यह है कि यदि आप न तो अग्रिम कर देते हैं अथवा आप पहले ही करों से बच गये हैं, एक विकल्प यह है आप वर्तमान दर और जमा ब्याज अथवा एक ही दर अर्थात 60 प्रतिशत अथवा जो भी कम हो पर जिसकी आय की आप घोषणा कर रहे हैं, उस पर कर चुकाते हैं। लेकिन यदि आपकी तलाशी ली जाती है और पकड़े जाते हैं तो आप 70 प्रतिशत की दर से अथवा लगने वाले ब्याज जो भी कम हो के हिसाब से कर चुकायें। मेरा विश्वास है कि इस तरह की धारणा ज्यादा से ज्यादा कर वसूलने में फायदेमंद होगी।

स्रोत पर ही कर की कटौती तथा आवास सम्पदा के अधिग्रहण के बारे में मैंने स्रोत पर कर की कटौती का जिक्र किया है। यह मैं स्वयं करूँगा। आज मेरे पास एक लाख रुपये अथवा इससे अधिक रुपये जमा हैं और यदि वे 12 प्रतिशत ब्याज की दर से मुझे ब्याज दे रहे हैं तो मुझे उस निश्चित जमाराशि से 12,000 रुपये प्राप्त होंगे और वे स्रोत पर ही कर की कटौती करते हैं। बैंक में कोई कठिनाई नहीं होती है। मेरा विचार है कि डॉ. पाल ने भी इसका जिक्र किया है क्योंकि वे मुझे एक पावती देंगे कि उन्होंने इसकी स्रोत पर ही कर की कटौती कर ली है। इसमें कदाचित कोई कठिनाई नहीं होती है। यदि मैं करदाता हूँ तो मैं उस पावती को तुरंत अपनी कर विवरणी के साथ संलग्न कर सकता हूँ। लेकिन विभिन्न कम्पनियों में बहुत सारी राशि जमा होती है और ये कम्पनियाँ बहुत समय लेती हैं। कभी-कभार तो वे धन जमा ही नहीं करती हैं।

जब ऐसा हुआ है वे मामले मुझे मालूम हैं और मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कर की कटौती की है। उनका पत्र आयकर प्राधिकरण को स्वीकार्य नहीं होता है और उसको दो बार तकलीफ उठानी पड़ती है। संबंधित व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे मामले में इन सब बातों के लिए, जुर्माना देना होता है। यदि ऐसी योजना बनी हुई है और कर की ऐसी कटौती हो रही है और यदि वह कहीं भी जमा नहीं किया गया है तो आवश्यक उपाय करने के लिए भी प्रावधान होना चाहिये। जब तक प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक यह एक घोटाला होगा। अन्यथा, यह होगा कि राशि घट जायेगी। किसी एक जमा योजना में एक लाख रुपये की राशि के स्थान पर प्रत्येक 50,000 रु. की दो योजनाएं होंगी।

आप इस प्रक्रिया को आसान करते हैं ताकि आपको वित्तीय संस्थाओं की

मेहनत इसमें न जोड़नी पड़े।

महोदय, यदि प्रत्यक्ष कर की कोई विशेषता है तो अप्रत्यक्ष करों की तुलना में इसकी प्रगतिशीलता की विशेषता भी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्यक्ष कर समानुपातिक नहीं होते हैं तथा प्रगतिगामी होते हैं। यदि आपकी कतिपय आय है तो सभी 20 प्रतिशत की दर से आयकर न दें। यदि आपकी आय बहुत ज्यादा है तो आप 30 प्रतिशत के हिसाब से आयकर देंगे और यदि अभी भी आपकी आय बहुत ज्यादा है तो 40 प्रतिशत आयकर देंगे। प्रत्यक्ष करों में प्रगतिशीलता का यही तत्त्व है। यही कारण है कि हम प्रत्यक्ष करों को वरीयता देते हैं। प्राचीन चिर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में, उनकी सीमान्त उपयोगिता कम है। जब आप अप्रत्यक्ष करों में रियायत देते हैं तो ठीक इसका उल्टा होता है। जब आप कर लेते हैं तो यह प्रगतिशील होता है। जब आप रियायत देते हैं तो यह प्रतिगामी हो जाती है। कम कर दाता की तुलना में उच्च कर दाता को ज्यादा मुनाफा होता है। अतः हर किसी को सावधान रहना पड़ता है। यह बहुत साधारण बात है। कोई भी इस पर प्रकाश डाल सकता है। वे सभी जो धारा 80 (ठ.) के अंतर्गत 13,000 से 20,000 रुपये अथवा 25,000 रुपये बढ़ाने की मांग कर रहे हैं वे इसकी तारीफ नहीं करते हैं और उनको यह समझ लेना चाहिये कि जो 40 प्रतिशत की दर से कर चुका रहा है उसे 20 प्रतिशत की दर से कर चुकाने वाले की अपेक्षा धारा 80 (ए) के अंतर्गत कहीं ज्यादा फायदा होता है। क्या इसका कोई उपाय है ? मैंने कुछ सुधार सुझाये हैं। इसका एक उपाय है। यदि आप सभी रियायतों को समाप्त करने में समर्थ नहीं हैं तो इन सभी मामलों में जो कुछ आपको करना है वह बहुत साधारण चीज है अर्थात् आय पर कटौती करवाने की बजाय यूँ कहिये कि 20 प्रतिशत की दर से आप कर की कटौती एक दर से करने की अनुमति दें। उन सभी-धाराओं में जो धारा 80 से पहले आती हैं—मैंने उसके संबंध में जिसमें धारा 80 (ए) भी शामिल है यह संशोधंन दिया है सिद्धांत धारा 88 से स्पष्ट है और उसने इन सारी रियायतों तथा पंचवर्षीय कर छुट्टी की भी घोषणा कर दी थी। हमें यह कहना चाहिए कि पांच वर्षों से यदि आपने आय सृजित की है तो सारी आय कर मुक्त नहीं है। लेकिन जितनी भी कर राशि होगी तो 20 प्रतिशत कर तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। अथवा इसे 50 प्रतिशत बनाओ लेकिन उनसे चुकवाओ क्योंकि उन्होंने धन कमाया है। इसे वस्तुतः प्रगतिशील बनाइये प्रतिगामी नहीं जैसाकि प्रत्यक्ष करों में सभी रियायतें हैं। यही मेरा सुझाव है। मुझे मालूम नहीं है कि वे कहाँ तक हमारे देश के धनी लोगों से बंधे हुए हैं और इसीलिए मुझे मालूम नहीं है कि वे कहाँ तक इससे अपने को मुक्त कर पायेंगे।

महोदय, मैं अब अप्रत्यक्ष करों का जिक्र करूँगा। इस समय अप्रत्यक्ष करों के प्रति हमारा रुझान कैसा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपने घंटी बजा दी है। जो व्यक्ति पहले या उनकी समझ में यह बात आ गयी है कि मैं अपनी बात जारी रखूँ मुझे नहीं मालूम कि उनकी आपस में बातचीत है या नहीं।

श्री मनमोहन सिंह : ऐसी कोई बात नहीं थी।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ठीक है, यदि ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर सही बात बता ही दी जानी चाहिए।

मैं यह बात सरसरी तौर पर कहने का प्रयास करता हूँ। राज सहायता काफी सीमा तक अप्रत्यक्ष कर के प्रतिकूल है। प्रत्यक्ष कर के अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी रूप में राजसहायता मूलतः समान दर पर दी जाती है तो उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। राज सहायता के बारे में यही बात लागू होती है। किंतु बजट में इस हेतु प्रावधान में कमी कर दी गई है। राज सहायता, चाहे वह खाद्य पदार्थों पर हो या उर्वरकों के लिए अथवा रेलवे को दी गई हो, वास्तव में इसमें कमी की जा रही है। मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूँ क्योंकि मुझे तेल क्षेत्र के आंकड़े देख कर आश्चर्य हो रहा है क्योंकि जहां पुनरीक्षित अनुमानों में यह राशि 85,000 रुपए दर्शाई गई है वहीं वास्तव में यह कुल 7000 रुपए ही है। ये आंकड़े इतने अविश्वसनीय हैं कि इनके बारे में ज्यादा नहीं कहा जा सकता। प्रतिकूल दावों के बावजूद वास्तविकता यह है कि विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रावधानों में कमी कर दी गई है।

जहाँ तक अप्रत्यक्ष करों की बात है, इस हेतु भी हमारा रवैया बेहतर नहीं है। यदि किसी वस्तु पर उत्पाद शुल्क नहीं है तो उस प्रावधान से हम खुश होंगे क्योंकि वास्तव में यह एक प्रकार का बोझ है। यह तो बहुत पीछे लौट जाने के लिए उठाया कदम है। परन्तु इसकी एक शर्त है और वह शर्त यह है कि देश में रहन-सहन के स्तर को देखते हुए हम सभी वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं तथा उन सभी वस्तुओं को दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। कुछ वस्तुओं को हम आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में तथा कुछ वस्तुओं को विलासिता की श्रेणी में रखते हैं। इस विभाजन रेखा में परिवर्तन होता रहता है। अमरीका में यह विभाजन रेखा जिस स्तर पर होगी उसमें बहुत-सी वस्तुएं और सम्मिलित होंगी। वहां पर आवश्यकता का मानदंड 300 डालर प्रति व्यक्ति आय के अनुरूप होगा। कुछ सज्जनों को डालर शब्द के प्रयोग पर आपत्ति थी। रहन-सहन का स्तर कुछ ऐसा है कि आवश्यकताओं तथा विलासिता को एक अलग ढंग से परिभाषित करना होगा तथा हम अपने उत्पाद-शुल्क का उपयोग भी सावधानीपूर्वक करना चाहते हैं। इस संबंध में भी हम यही सुझाव देते हैं कि उन उपभोक्ता वस्तुओं, आवश्यक वस्तुओं अथवा कच्चे माल, जो मूलभूत आवश्यकताओं से संबंध रखती है, पर उत्पाद शुल्क घटाकर शून्य कर दिया जाए, चाहे विलासिता की वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क न घटाया जाए। विलासिता एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू है।

कृपया मुझे कुछ और सामान्य बातें कहने की अनुमति दी जाए। हमारा कहना है कि विदेशी पूंजी बड़ी मात्रा में आ रही है

(व्यवधान)

मुझे अपनी बात कहने दीजिए। कृपया मेरी बात सुनकर अधीर न हों। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति यह है कि कतिपय देशों ने विश्व के अन्य देशों का शताब्दियों से शोषण जारी रखकर भारी मात्रा में पूंजी संचित कर ली है। यही नहीं हाल के वर्षो में बहुत ज्यादा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अन्वेषण होने के कारण प्रौद्योगिकी कुछ ऐसी हो गई है कि इसके कारण उन सभी देशों में बेरोजगारी में वृद्धि कर रही है। आज की विकासशील प्रौद्योगिकी में ज्यादा कामगारों की आवश्यकता नहीं होती। यदि रोबोटों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया तो और भी कम लोगों की जरूरत होगी। उनके पास फालतू पूंजी की समस्या है। इस प्रवृत्ति के कारण बाजार में भी और संभावनाएं नहीं रही हैं। इसीलिए उस समय जो प्रवृत्ति है उसके कारण आपने देखा होगा कि उन लोगों के लिए, जिनके पास पैसा है, नई-नई प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही

हैं। इन नई-नई प्रकार की वस्तुओं की मांग की पूर्ति उन्हीं लोगों को की जानी चाहिए जिनके पास ये वस्तुएं खरीदने के लिए संसाधन उपलब्ध हैं। यदि किसी के पास 12 इंच अथवा 14 इंच का टेलीविजन है तो उसे 21 इंच का टीवी उपलब्ध कराइए। यदि किसी के पास 21 इंच का है तो उसे 29 इंच का दीजिए। यदि किसी के पास मारुति कार है तो उसे मर्सिडीज़ खरीदने के लिए राजी कीजिए। यहां यही सच है। परन्तु पहले से ही विकसित देशों में ऐसा करना बहुत कठिन है। इसलिए उत्पादन के क्षेत्र में इसी दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं कि नई प्रकार का माल तैयार किया जाए अथवा पूर्ववर्ती माल की गुणवत्ता में सुधार किया जाए ताकि उसकी सीमित मांग पैदा की जा सके। यही समस्या की जड़ है अर्थात् पूरे विश्व के देशों तथा निवेश के कुछ क्षेत्रों जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है, के शोषण द्वारा भारी मात्रा में अतिरिक्त पूंजी का संग्रह कर लिया गया है। फिर भी पूंजी की कीमत घटती जा रही है। यदि पूंजी से और पूंजी पैदा नहीं की जा सकती तथा उससे मुनाफा नहीं कमाया जा सकता तो वह पूंजी नहीं रह जाती। अतः लाभ कमाने के लिए उसे पूरे विश्व में पता लगाने के लिए जाना ही पड़ेगा। यह कैसे किया जा सकता है, यह एक अलग बात है। आप मर्सिडीज का उत्पादन करते हैं। तीन लाख रुपये की कीमत वाली कारें बनाना ही पर्याप्त नहीं हैं। आपको पन्द्रह लाख रुपये कीमत वाली कारें बनानी चाहियें तथा जहाँ कहीं वर्तमान उत्पादों को बेचा जा रहा है उन पर मुनाफा लेना चाहिये। इस तरह से कुछ बचत होती है तो आप उन कम्पनियों को अपने अधिकार में ले लेते हैं लेकिन तब भी यदि फालतू पूंजी रहती है तो क्या करें ? आप उस क्षेत्र का पता लगायें जहाँ किसी उत्पादन की आवश्यकता नहीं है। क्या ऐसा कोई क्षेत्र है ? उन्होंने कहा था कि युद्ध उत्पाद ऐसा क्षेत्र है। लेकिन एक अन्य क्षेत्र भी है और वह शेयर बाजार के नाम से जाना जाता है जिसमें लाभ अथवा हानि के अलावा कोई उत्पादन नहीं होता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पैदा की गई फालतू पूंजी इस किस्म के क्षेत्रों में रही है। ऐसी वस्तुएं भी हैं जिसे अति धनी वर्ग के लोग ही खरीदते हैं और ऐसा सामान भी है जिसे अन्य लोग खरीदते रहे हैं लेकिन वे बचत नहीं ले पा रहे हैं। यह सब भारतवर्ष में भी हो रहा है।

मैं उन्हें एक बात याद दिला सकता हूँ। वे बहुधा चीन के बारे में जिक्र करते हैं। कहानी विदेशी पूंजी के संबंध में है जो बड़ी शानदार है। लो, मैं आपको ऋण देता हूँ। लेनिन तथा स्टालिन के युग में विदेशी पूंजी प्राप्त करने की कोशिश की गई थी लेकिन उन्होंने पूंजी निवेश करने से इन्कार कर दिया। अब उन्हीं पर दबाव ऐसा है कि वे चीन, भारत वर्ष तथा शेष विश्व में पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। उनके अपने बाजार ठप्प पड़े हैं। वहां पर प्रतिस्पर्धा भी है। हम सारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या पश्चिम बंगाल के साथ मतभेद है ? उन्होंने पश्चिम बंगाल का उल्लेख किया है। पश्चिम बंगाल विश्व पूंजी के प्रदर्शन का ध्यान रखता है। अतः वे क्षेत्रों का चुनाव करने का प्रयास करते हैं। वे इसकी अनुमति क्यों देंगे ? यह लाभ के लिए विदेशी पूंजी का झुकाव तथा देश की पूंजी की आवश्यकता के बीच एक युद्ध है। लेकिन जैसाकि डॉ. सिंह रास्ता खोल रहे हैं वह उनके घर का नहीं है (देश का है) इस संदर्भ में हमें सीमा शुल्क के नाम से जाने जाने वाले परोक्ष करों के अन्य भागों के बारे में सोचना है। उत्पाद शुल्क के विषय में जहाँ आप विलासिता के सामान पर शुल्क घटाने का प्रयास करते हैं तो हम उसका विरोध करते हैं। हमें उपभोक्ता सामान अथवा उपभोक्ता सामान के उत्पादन में काम आने वाली वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क कम करने पर कोई आपत्ति नहीं है। सीमा शुल्क भी एक परोक्ष कर है। यह भी वही बात है।

हाँ आपने जिन वस्तुओं का उत्पादन शुल्क बढ़ाया है कृपया उस पर भी दृष्टिपात कीजिये। सीमेंट का ही मामला लीजिये। वे इसे भी एक आवश्यकता समझते हैं क्योंकि सरकार भी निर्माण परियोजनाओं में लगी है।

श्री मनमोहन सिंह : प्रभावी कर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसे मॉडवेट का लाभ दिया गया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मॉडवेट के विषय में मुझे मालूम नहीं है। आप कुछ भी तर्क देकर मुझे गलत सिद्ध कर सकते हैं। जो कुछ मैं इस ज्ञापन में देख रहा हूँ वह बहुत साधारण है।

श्री मनमोहन सिंह : कृपया इसे सावधानीपूर्वक पढ़ें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं इसे पढ़ रहा हूँ। मैं उद्धृत करता हूँ :

"पोर्ट लैण्ड सीमेंट पर 330 रुपये प्रति मीट्रिक टन से 350 रुपये प्रति मीट्रिक टन उत्पादन शुल्क की वृद्धि।" यह एक समायोजन है। न जाने मैं इससे कितना संतुष्ट हूँगा। दूसरी ओर विलासिता किस्म की जब वे बतायेंगे तो कुछ ऐसी अन्य चीजें भी हैं जहाँ उन्होंने कीमतें कम की हैं। उन्होंने कुछ रियायतों की घोषणा की है लेकिन तब मैं आंकड़ों को समझ नहीं सका था। टी. वी. तथा रंगीन टी. वी. हेतु कुछ आयातित कच्चे माल पर शुल्क कम किया गया है।

मैं सिलिकॉन तथा गंधक के तेजाब के संबंध में आज के संशोधन का स्वागत करता हूँ। वे इस संबंध में यह और कहते हैं कि सल्फेट कृमिनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा उन्होंने सुझाव दिया है कि केवल उसी भाग पर ही जिसे कीटनाशक दवा के रूप में उपयोग किया जाता है, शुल्क बीस प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत किया जाये। वे बड़े उदार हैं। उन्होंने समग्र उत्पादन पर शुल्क दस प्रतिशत तक कम कर दिया है। यह मुझे मालूम नहीं है कि क्यों कर दिया है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया गया है। फिर भी, इसका कोई औचित्य तो होगा। मैं इसका विरोध तो नहीं कर सकता क्योंकि हम सभी उत्पादन शुल्क में कमी करना चाहते हैं...

(व्यवधान)

मुझे भी जाना था। लेकिन मैंने उनके बहुत दर्शन कर लिये हैं अतः मैं नहीं गया।

इसी तरह,...पर उत्पादन शुल्क में कमी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : निर्मल जी, आपने एक घंटा और बीस मिनट ले लिये हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : तो अभी भी दो घण्टे होने में चालीस मिनट बाकी हैं। कृपया मेरी मदद करें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप अकेले ही माननीय सदस्य होते तो सभापति को कोई ऐतराज न होता।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त ही करने वाला

हूँ। सिर में लगाने वाले डिब्बा बंद सुगंधित तेल के उत्पादन शुल्क में कटौती की गई है। यह इसका प्रयोग करते हैं अथवा नहीं यह मैं नहीं जानता।

श्री मनमोहन सिंह : यह गरीब लोगों के उपयोग की वस्तु है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ठीक है। लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने इत्र के उत्पादन-शुल्क में भी कटौती की है। हम इसका विरोध करते हैं। इत्र के उपभोक्ताओं को मैं जानता हूँ। माननीय विपक्ष के नेता भी इसका उपभोग करते हैं। यह उनकी पसंदीदा चीज है और साथ ही इसका खर्च भी वहन कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : उनकी पसंद क्या है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मैं विदेशी इत्र का उपयोग नहीं करता, मैं तो स्वदेशी इत्र लगाता हूँ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ठीक है। वह महंगी चीज पसंद करते हैं। इसी तरह अन्य वस्तुएं भी हैं लेकिन मैं आपके सुझाव का पालन करते हुए इस पर और अधिक चर्चा नहीं करूंगा।

मैं एक और बात दूसरे दृष्टिकोण से कहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसे रिकॉर्ड किया जाए। हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने यह बताया है कि ऐस्बेस्टॉस, इसका निर्गम और अन्तिम उत्पाद भी, अस्वास्थ्यकर है। फिर इस पर शुल्क में कटौती कर इसके उपभोग को प्रोत्साहित करने की क्या आवश्यकता हो गई ? उसके बारे में विचार किया जाए। इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्वास्थ्यकर समझा गया है, हालांकि, इसे गरीब तबके द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है।

श्री मनमोहन सिंह : हाल ही में जो विचार अभिव्यक्त किए गए हैं, वह इससे भिन्न हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हो सकता है कि ऐसा हो परन्तु यदि मैं कुछ कहूंगा तो वह उसे स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का सुझाव यही है कि जहाँ तक संभव हो आपको ऐस्बेस्टॉस का उपयोग नहीं करना चाहिए...

(व्यवधान)

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : आप जब अपना सुझाव अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के स्तर तक लाएंगे तब वह आपकी सिफारिश भी स्वीकार करेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारत विश्व में अग्रणी रहे तथा हम उस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। हमने उस स्तर पर भी उन्हें सहयोग की पेशकश की थी बशर्ते कि अपने वर्तमान मालिकों से खुद को स्वतंत्र करें।

विद्युत उपकरणों और मोटर वाहन के अतिरिक्त पुर्जों पर भी उत्पाद-शुल्क में कटौती की गई है। मोटर वाहन के कौन से अतिरिक्त पुर्जों पर कटौती की गई है, यह मुझे नहीं पता। मुझे इससे खुशी नहीं हुई क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अप्रत्यक्ष करों के बारे में मेरा यही मत है और उसी दृष्टि से मैं सभी वस्तुओं के बारे में जांच करना चाहता हूँ।

मैंने कुछ संशोधन पेश किये हैं। अतः, मैं इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता।

अब मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। मेरी राय में एक सीमा के बाद अध्यक्षपीठ के आदेश का आदर किया जाना चाहिए।

मैं जानता हूँ कि ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वे कुछ भी करें उससे आगामी चुनाव का परिणाम उनके अनुकूल नहीं हो सकेगा। मैं उन्हें सम्भावित नुकसान से बचाना चाहता हूँ और इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों पर की गई सभी कटौतियों को बहाल किया जाए। मैं सम्पूर्ण सूची को पढ़ सकता हूँ। मेरे विचार से—इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का दिलचस्प पहलू यह है कि—जब भी आप उनसे पूछेंगे तो वह यही कहेंगे कि : 'इसे बी. आई. एफ. आर. के विचारार्थ भेज दिया गया है। और बी. आई. एफ. आर. का कहना है कि 'इसे बंद कर दिया जाए।' मैं क्या कर सकता हूँ ? जब बी. आई. एफ. आर. उन्हें यह कहता है कि यह स्वीकार्य परियोजना है तथा अब यह आपका दायित्व है कि आप इसे स्वीकृति दें। वे बी. आई. एफ. आर. से कहते हैं कि वह इस पर पुनर्विचार करें। इस प्रकार की नीति वे अपना रहे हैं तथा वित्त विधेयकों में व्यय में जो भी कटौतियां की गई हैं वे परियोजना को अस्वीकृत करके की गई हैं तथा इसका प्रभाव अग्रणी आर्थिक क्षेत्र पर पड़ रहा है जिसे हम सरकारी क्षेत्र भी कहते हैं।

सरकारी क्षेत्र के योजनागत व्यय में समय-समय पर कमी की जा रही तथा इस नीति से सबसे ज्यादा पीड़ित पश्चिम बंगाल ही है। व्यय बजट के उपबंध की सूची में दर्शायी गई राशियों के प्रावधान देखने से पता लगता है कि पिछले वर्ष अपने कितनी राशि उपलब्ध करायी है। कई मामलों में तो केवल वेतन का ही भुगतान किया गया है। इससे बाज़ार को बनाये रखने में सहायता मिलती है। यदि अब उत्पादन नहीं करते तथा केवल आय की आमदनी करते हैं तो इससे कुछ उद्यमों को जारी रखा जा सकता है क्योंकि वे केवल माल बेच रहे हैं तथा उत्पादन नहीं कर रहे अपितु आम पैदा कर रहे हैं। किंतु आप इस बात को नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र के ऐसे सभी उपक्रम कामगारों पर निर्भर न रहो। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रबंधकीय कमजोरियां भी हैं, मैं इस बात को बिल्कुल दूसरे रूप में रखूंगा। विगत तीन वर्षों के दौरान वे प्रबंध से जुड़े कितने लोगों को दंड देने और बाहर निकालने में सक्षम हुए हैं ? आप एक इकाई से दूसरी इकाई में जाइए तथा आप पायेंगे कि उन्हें इन इकाइयों के विकास में कोई रुचि नहीं है। और वे मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं यदि यह बात भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की हो तो यह एक अतिरिक्त बात है, उन्हें उत्पादन के विकास में कोई रुचि नहीं है तथा इस प्रकार अर्थव्यवस्था और देश के विकास में भी कोई रुचि नहीं है।

अब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। यदि वे हमारी नीति का अनुसरण करें तो मैं उनका स्वागत करूंगा तथा इस प्रकार वे सभी बंधनों और जंजीरों से मुक्त हो जायेंगे और यदि वे ऐसा कर पाये तो हम उनका स्वागत करेंगे अन्यथा इतिहास का कचड़ा उन्हें मुक्त करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रो. एस. पी. यादव बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री भेरूलाल मीणा (सलम्बूर) : उपाध्यक्ष महोदय, पार्टी का समय बराबर देते हैं क्या ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह सकता हूँ कि जनता दल से किसी सदस्य ने नहीं बोला है। आपकी आपत्ति बिलकुल ठीक है। मैंने सुबह भी कहा था कि प्रत्येक राजनीतिक दल को कितना समय आबंटित किया गया हैं अब यह हम लोगों पर है कि हम स्वयं को आबंटित समय तक सीमित रखें अर्थात आबंटित समय में ही अपनी बात समाप्त करें। यदि हम आबंटित समय से अधिक समय लेते हैं तो जैसा कल हुआ कि सदस्य एक मिनट या डेढ़ मिनट मांगते हैं और देर हो जाती है और अन्त में हमें शोरगुल सुनने को मिलता है जैसा कल हुआ। सदस्यों में असंतोष भी रहेगा। इसलिए यह अच्छा है कि हम अपनी बात को आबंटित समय में समाप्त कर दें। आपकी आपत्ति बिलकुल ठीक है।

अब प्रो. यादव बोलेंगे।

[हिन्दी]

डा. एस. पी. यादव (सम्भल) : माननीय अध्यक्ष जी, वित्त विधेयक पर जो चर्चा हो रही है उसके सम्बन्ध में मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि सन् 1991 में माननीय श्री मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाया गया था। इनसे बड़ी उम्मीदें थी लेकिन ये अनुमानों के सहारे आगे बढ़ने का खतरा मोल लेते रहे हैं। हम यह महसूस करते हैं कि तीन वर्ष के अंदर सरकारी बजट में जो अस्त-व्यस्तता आयी है उससे आगे चलकर बड़े खतरे उत्पन्न होंगे। राजकोषीय घाटा इस सरकारी बजट की स्पष्ट तस्वीर पेश करता है और यह बताता है कि किस तरह से आपने बजट बनाया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में आम लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। आपसे पिछले वर्ष भी निवेदन किया था कि अधिकांशतः वेतनभोगी या नौकरी पेशा वर्ग ही इनकम टैक्स की गिरफ्त में आता है, इनके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं आता। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि इस देश में कितने बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हैं। आखिर उनके पैसे कहां गए ? जे पी सी की रिपोर्ट आयी और उस रिपोर्ट के अनुसार कितना बड़ा घोटाला हुआ। वह पैसा कहां गया ? लेकिन जो व्यक्ति सैलेरी पाता है उसको सैलेरी सर्टिफिकेट मिलता है और उससे इनकम टैक्स एडवांस में ही वसूल कर लिया जाता है। उसे तो पता ही नहीं होता और डिपार्टमेंट पहले ही कैलकुलेशन करके पैसा काट लेता है। उसके इनकम टैक्स का असैसमेंट पहले ही कर लिया जाता है। लेकिन आप सैलेरी वर्ग को कोई सुविधा देने का विचार नहीं करते हैं। आज देश के हर वर्ग का, हर विभाग का जो वेतनभोगी वर्ग है वह बजट में इनकम टैक्स की लिमिट को ही देखता है और वे यह उम्मीद करते हैं कि इस लिमिट को बढ़ाना चाहिए।

नई दिल्ली से जो सांसद व फिल्म स्टार श्री राजेश खन्ना हैं, उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में यह वायदा किया था कि हम इमकम टैक्स की लिमिट को 60 हजार तक करा देंगे। लेकिन उनकी बात को भी सुना-अनसुना कर दिया और उनको जनता के बीच झूठा करार दे दिया। शायद वे जनता के बीच में अपनी बात दुबारा नहीं कह पायेंगे। क्योंकि दिल्ली की जनता देहात की जनता नहीं है। यह दिल्ली की जनता है जो एक-एक चीज को पकड़ती है। हमारा आपसे अनुरोध है कि आपने लिमिट बढ़ाकर जो 40 हजार रुपए की है यह "ऊंट के मुंह में जीरा" के समान है। महंगाई बढ़ जाती है और उसके हिसाब से इनकम भी बढ़ आती है लेकिन खर्चे नहीं देखे जाते हैं। आपको उस इनकम के साथ जो महंगाई के बढ़ने का क्रम है उसको भी ध्यान में रखना होगा। केवल इनकम को ध्यान में रखकर टैक्स लगाना अच्छी बात नहीं है। सैलेरी वर्ग खर्चों के कारण परेशान है। कितना किराया बढ़ गया है, बच्चों के खर्चे हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए मेरी मांग है कि इस लिमिट को 60 हजार रुपए तक कर दीजिए। गत वर्ष तो आपने इस लिमिट को नहीं बढ़ाया लेकिन इस वर्ष तो बढ़ा दीजिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अनएम्पलायड ग्रेजुएट नवयुवकों को अपना रोजगार लगाने के लिये एक लाख रुपये दिये जाने का प्रावधान है। इस सदन में प्रावधान तो बहुत होते हैं लेकिन क्या उन्हें सही तरीके से इम्पलीमेंट किया जाता है, कायदे से इम्पलीमेंट किया जाता है, इस पर कभी बाद में गौर नहीं किया जाता, केवल प्रावधान करके छोड़ दिये जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न जाने कितने पढ़े-लिखे बेरोजगार छात्र, नौजवान और नवयुवक ऐसे हैं, जो इक्कीसवीं शताब्दी की ओर बढ़ रहे हैं, जिनके लाभ के लिये यह योजना आरम्भ की गयी है लेकिन उनके लिये यह योजना मात्र तिलस्मी करिश्मा या मृग-मरीचिका जैसी दिखाई देती है, उनके लिये प्रावधान मात्र किया गया है...(व्यवधान) आपने ठीक कहा, एक छलावा मात्र दिखाई देती है, उनके लिये बहुत बड़ा प्रावधान तो कर दिया गया है, मैं चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर दें तो यह स्पष्ट बतायें कि स्टेट-वाइज कितने नौजवानों को, कितने नवयुवकों को कितना पैसा इस योजना के अंतर्गत वितरित किया गया, उन्होंने उसका कैसे उपयोग किया और उनका इस्टैब्लिशमेंट हुआ या नहीं। मेरी जानकारी ऐसी है कि सरकारी कर्मचारी जो इस योजना के पैसे को वितरित करने के लिये जिम्मेदार हैं, वे नौजवानों से रिश्वत मांगते हैं कि इतने पैसे पहले लाओ, तब आपको पैसा मिलेगा। यह मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर बता रहा हूं क्योंकि ऐसे अनेकों नौजवान हमारे पास आते हैं। उनका पूरा-पूरा आरोप है कि उन्हें इस योजना के अंतर्गत कोई पैसा नहीं दिया जाता, पचासों तरह के व्यवधान उसमें खड़े कर दिये जाते हैं। मैं समझता हूं कि यदि आप इसकी प्रक्रिया या प्रोसैस को सरल और ईजी बना देते हैं तो वे इसका लाभ उठा सकते हैं वरना वे प्रयत्न करने में लगे रहेंगे और उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

जहां तक बैंकों से किसानों को ऋण दिये जाने की बात है, उसमें किसानों को कितनी परेशानी होती है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। बैंकों के लोग किसानों को ऋण न देकर झूठे नामों से ऋण जारी कर देते हैं लेकिन उस ऋण को वास्तविक किसान से वसूल करने का काम करते हैं। मेरे क्षेत्र बहजोई में, जो एक छोटा-सा कस्बा है, एक बहुत गरीब किसान है जो बारबार कोआपरेटिव बैंक के चक्कर लगाता रहता है। उसने बैंक से कोई लोन नहीं लिया, बैंक के लोग इस बात को मानते हैं कि हमने उसे कोई लोन नहीं दिया लेकिन फिर भी उससे रिकवरी करने के लिये बार-बार उसके पास नोटिस जाते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि आपके बैंक किस तरह काम कर रहे हैं क्योंकि गरीब लोगों को वे ऋण देना नहीं चाहते, यदि किसी को ऋण देते हैं तो उससे एक निश्चित परसेंट लेते हैं। इस मामले में आपको गौर करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, माननीय सदस्य को जानना चाहिए कि सहकारी बैंक राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हैं। इसलिए ऐसी कोई शिकायतें हों तो उन्हें राज्य सरकार के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. एस. पी. यादव : तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आर. बी. आई. की गाइडलाइन्स समय पर ईश्यू की जाती हैं जिनमें व्यवस्था है कि बैंकों में जो पैसा स्टेट्स का आता है, उस राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा स्टेट खर्च करेंगी लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कुछ पिछड़े राज्य देश में ऐसे हैं जिन्हें वह 60 प्रतिशत पैसा खर्च करने के लिये नहीं दिया जाता और वह रुपया दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता की तरफ ले जाया जाता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो राज्य पिछड़े हैं वे पिछड़े ही न रह जायें और जो राज्य अगड़े हैं वे और अगड़े न होते जायें, इसके लिये आवश्यक है कि आप वर्तमान व्यवस्था में सुधार करें ताकि जो पिछड़े राज्य हैं, वे भी अपने यहां विकास के काम कर सकें। मेरे पास जो इन्फार्मेशन है, उसके अनुसार केवल 30 प्रतिशत राशि ही खर्च करने की उन्हें अनुमति दी गयी है, हो सकता है आपके पास ज्यादा सही सूचना हो, लेकिन मेरा मत है कि इस प्रकार का भेदभाव केन्द्रीय सरकार के स्तर पर नहीं होना चाहिये। प्रदेशों की हालत तो खराब है ही, लेकिन केन्द्र सरकार को सभी स्टेट्स को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिये। देश के सभी प्रदेशों के लोगों को विकास के समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिये।

आज सरकार का सबसे ज्यादा जोर निजीकरण पर है। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसी कारण से किया गया था जिसको लेकर पूरे देश में बड़ी हलचल मची थी और उनके इस स्टैप को अच्छा माना गया था लेकिन आज हम उसके ठीक विपरीत दिशा में देखने लगे हैं और अधिकांश चीजों और अधिकांश डिपार्टमेंट्स का प्राइवेटाईजेशन करने के लिये सरकार कटिबद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने तो रेलवे स्टेशन का भी प्राइवेटाईजेशन कर दिया है। इसके क्या कांसीक्वेंसेस होंगे, इसके क्या परिणाम होंगे, किस दिशा में हम लोग जाएंगे और फिर लौट कर उसी दिशा में आएंगे और वही काम करने लगेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार के पास कोई कांक्रीट योजना नहीं है। अधिकांश समय तक, हिन्दुस्तान में आजादी के बाद कांग्रेस का शासन रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने कभी बैठकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं के विकास के लिए, कोई इस प्रकार का प्रारूप तैयार नहीं किया है, जिससे देश का भविष्य उज्ज्वल दिखाई देता हो।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर रहा है, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने कोई प्रावधान देश के उन नौजवानों के लिए जो आज कालेज में बी. ए. और एम. ए. कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई अन्य डिप्लोमा कर रहे हैं, उन बेरोजगारों के लिए कोई प्रावधान किसी प्रकार का बजट में नहीं किया है। किसानों के लिए तो इस बजट को बनाते समय काफी शोर मचाया गया कि किसानों के हित में और किसानों के समर्थन में यह बजट बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अगर आप हमारे साथ चलकर देखें, तो मैं किसानों की दयनीय दशा आपको दिखा सकता हूं। यहां दिल्ली की गलियों में और इस सदन में बैठकर किसान का वह रूप दिखाई नहीं देता है। यहां पर आपके बहुत से ऐसे सदस्य और मंत्री होंगे, जिनको गेहूं और जौ के पौधे में अंतर नजर नहीं आएगा। आप स्वयं अनुमान लगाइए कि ऐसे मंत्री क्या किसान का भला सोच सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज किसान परेशान क्यों है। आज किसान को सबसे ज्यादा जरूरत है सिंचाई के लिए पानी की। मैं पिछले चुनाव के समय बिहार में चुनाव-प्रचार के लिए गया था। वहां एक जिला है दुमका। दुमका में एक नया डी. एम. आया। उसने सबसे पहले दुमका में कुएं, पोखर और तालाब बनवाकर वहां के लोगों की पीने के पानी की समस्या को दूर किया। अगर आप पीने के पानी की व्यवस्था कर दें, तो आप सबसे बड़ा काम कर देंगे। आज स्थिति क्या है पीने का पानी भी इंसान के लिए नहीं है। किसान को सिंचाई के लिए कहां से आएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस सदन के अंदर किसान के नाम पर काफी शोर-शराबा हुआ। फसल की कटाई, गहाई का समय है। इसके अलावा गन्ना है, मेंथा है, उसमें पानी देना है, लेकिन डीजल नहीं मिल रहा है। किसान डीजल के लिए तरस रहा है। डीजल सप्लाई है, लेकिन वह 7 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर नहीं है बल्कि 15-20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। इस सदन में केवल किसान की बात कर दी जाती है और उसको प्रैक्टीकल डिफीकल्टीज क्या हैं, उनकी ओर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो सरकार का उत्तरदायित्व पूरा नहीं होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो बेरोजगार नवयुवक हैं, उनके लिए तो कोई प्रावधान है ही नहीं। रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन रिजर्वेशन में नौजवानों के लिए जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राईब के लोग हैं, उनका कोटा पूरा नहीं किया जाता है। उनके लिए ऐसा प्रावधान आपको अपने बजट में जरूर करना चाहिए था, लेकिन नहीं है। मैं कहता हूं कि हम इक्कीसवीं शताब्दी में जा रहे हैं और 21 करोड़ बेरोजगार लोगों को साथ लेकर जाएंगे। इससे कम में नहीं पहुंचेंगे। इस पर भी आपको विचार करना होगा और चूंकि आप सत्ता में बैठे हैं, इसलिए आपको उनके बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जो उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, उनके लिए आपने औद्योगिक बैंक की स्थापना की है। यहां पर औद्योगिक बैंक के संबंध में एक बिल भी पास हुआ, लेकिन जो छोटे उद्योगपति हैं, जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, उनको भी एडवर्टाइजमेंट आदि की कोई सुविधा देने के लिए सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है। हमने उस समय भी कहा था कि छोटे उद्योग लगाने वालों के लिए तहसील लैवल पर इसकी नोहाऊ, यानी जानकारी देने की व्यवस्था करेंगे, तो उनको लाभ हो सकता है।

आपकी जो प्रक्रिया है, उसको यदि ईजी बनायेंगे तो उसका लाभ हम उठा सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया गया है। एक काम जरूर हुआ है जिसके लिए हम आपकी तारीफ करना चाहेंगे। आपने एम. पीज के लिए जो एक करोड़ रुपया आबंटित किया है उससे जितना भी कार्य हो सकता है, वह स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि एम. पीज अपने क्षेत्र में घूमते हैं, वे प्रैक्टिकल लोग हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में जो भी कमियां देखीं, जैसे कहीं सड़क की आवश्यकता है, कहीं नल की तो कहीं ट्यूबवैल की आवश्यकता है, कहीं स्कूल की आवश्यकता है। उन सब आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर एम. पीज ने लिखकर दिया जिसे डी. एम. को स्वीकार करना पड़ा। उसमें किसी व्यक्ति या राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं चला। इसी कारण वे कार्य समय से पूरे हो रहे हैं। इस संदर्भ में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश, जहां से मैं आता हूं, 5 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र बनता है, बिहार में छः विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र बनता है तथा मध्यप्रदेश के अंदर आठ विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर एक

लोकसभा क्षेत्र बनता है। इसी प्रकार अगर पूरे हिन्दुस्तान का हम सर्वेक्षण करें तो स्पष्ट दिखाई देगा कि उन सबके लिए एक करोड़ की धनराशि बहुत कम है, लेकिन हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एम. पीज की बात मानकर वह धन दिया जिसका सदुपयोग हो रहा है।

हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप कम से कम 2 करोड़ रुपये पर ईयर के हिसाब से एम. पीज योजना में देंगे तो ज्यादा विकास होगा क्योंकि हम लोग यहां संसद के प्रति जवाबदेह हैं। संसद में हम उन चीजों की जवाबदेही करेंगे कि वहां कितना कार्य हुआ है। लेकिन उसमें भी कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया है जिससे खर्च का जो तरीका है, उसमें बहुत कमियां हैं। उसमें भी सुधार करना पड़ेगा। हम आपसे यह गुजारिश करते हैं कि अभी एक साल का समय पार्लियामेंट का बाकी है, इसमें ऐसा कुछ परिवर्तन होना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, जिससे देश का, समाज का कुछ लाभ हो सके। वैसे तो हम समझते हैं कि यहां व्यक्तिगत लाभ का बात ज्यादा होती है और देश के हित की बात कम होती है। मुझे यह कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जब हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कितने बड़े-बड़े हवाला कांड हो रहे हैं। किस तरह हवाला कांड के माध्यम से विदेशी धन इस देश के राजनेताओं और ब्यूरोक्रेटस में बांटा गया है, यह खबरें आये दिन अखबारों में आ रही हैं। उसके कुछ प्रूफ भी हमारे पास हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको वह डायरी दिखा सकता हूं। उस डायरी में वह सब लिखा है कि किसने कितना पैसा लिया, कहां से लिया ? उसके बारे में अगर आप पूरी जानकारी चाहें तो वह मैं आपको दिखा सकता हूं।

हम यहां आर्थिक अर्थव्यवस्था का वित्त विधेयक भले ही पास कर लें लेकिन इस तरीके से हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। इस प्रकार से तो आर्थिक अर्थव्यवस्था को हम लोग दाग लगा रहे हैं। इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। आपको सब लोग एक अच्छा और योग्य वित्त मंत्री मानते हैं। कहीं ऐसा न हो कि देश रसातल की तरफ चला जाए। आज देश कर्जे में डूबता जा रहा है। आप विदेशों से कर्ज लेकर देश में जिस प्रगति को प्रदर्शित करना चाहते हैं, वह ठीक नहीं है। अगर हम अपने घर में ही चीजों की अच्छी तरह से व्यवस्था करेंगे तो प्रगति हो सकती है। विदेशों से कर्ज लेकर प्रगति नहीं मानी जायेगी। इससे हम आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ नहीं मान सकते। विदेशी कर्ज लेकर हम मालदार नहीं दिखाई देने लगेंगे। मेरी ऐसी राय है कि इस प्रकार से हम कर्ज लेकर घी बनाने लगें तो हम घी वाले नहीं बन जायेंगे।

इसलिये हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि इस देश की जनता गांवों में पड़ी हुई है, गरीबी की रेखा से कितने नीचे लोग जिंदगी जीते हैं, स्टेशनों पर गंदे पत्तल चाटकर गुजारा करते हैं। आप उन सबके ऊपर ध्यान देकर विचार करें। आप कम से कम कुछ ऐसा कार्य कीजिये जिससे केन्द्रीय सरकार का कार्य दिखाई दे और लोगों के साथ न्याय हो, न्याय ऐसा हो जो केवल कागजों में न हो बल्कि होता हुआ दिखाई दे, प्रैक्टिकल हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

6.00 म. प.

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस विधेयक को दस घंटे का समय आबंटित किया गया है जिसमें से हम लोगों ने तीन घंटे पच्चीस मिनट ले लिये हैं शेष छः घंटे और पैंतीस मिनट है। कई माननीय सदस्य इस विधेयक पर वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं, क्या यह सभा की इच्छा है कि हमें आधा घंटा या पैंतालीस मिनट और बैठना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य : हमें इस पर कल वाद-विवाद जारी रखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 19 मई, 1995 को 11.00 म. पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.01 म. प.

तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, 19 मई, 1995/29 वैशाख, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।